खण्ड-291, अंक-6
शुक्रवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1893
(20 अगस्त, 1971 ई0)

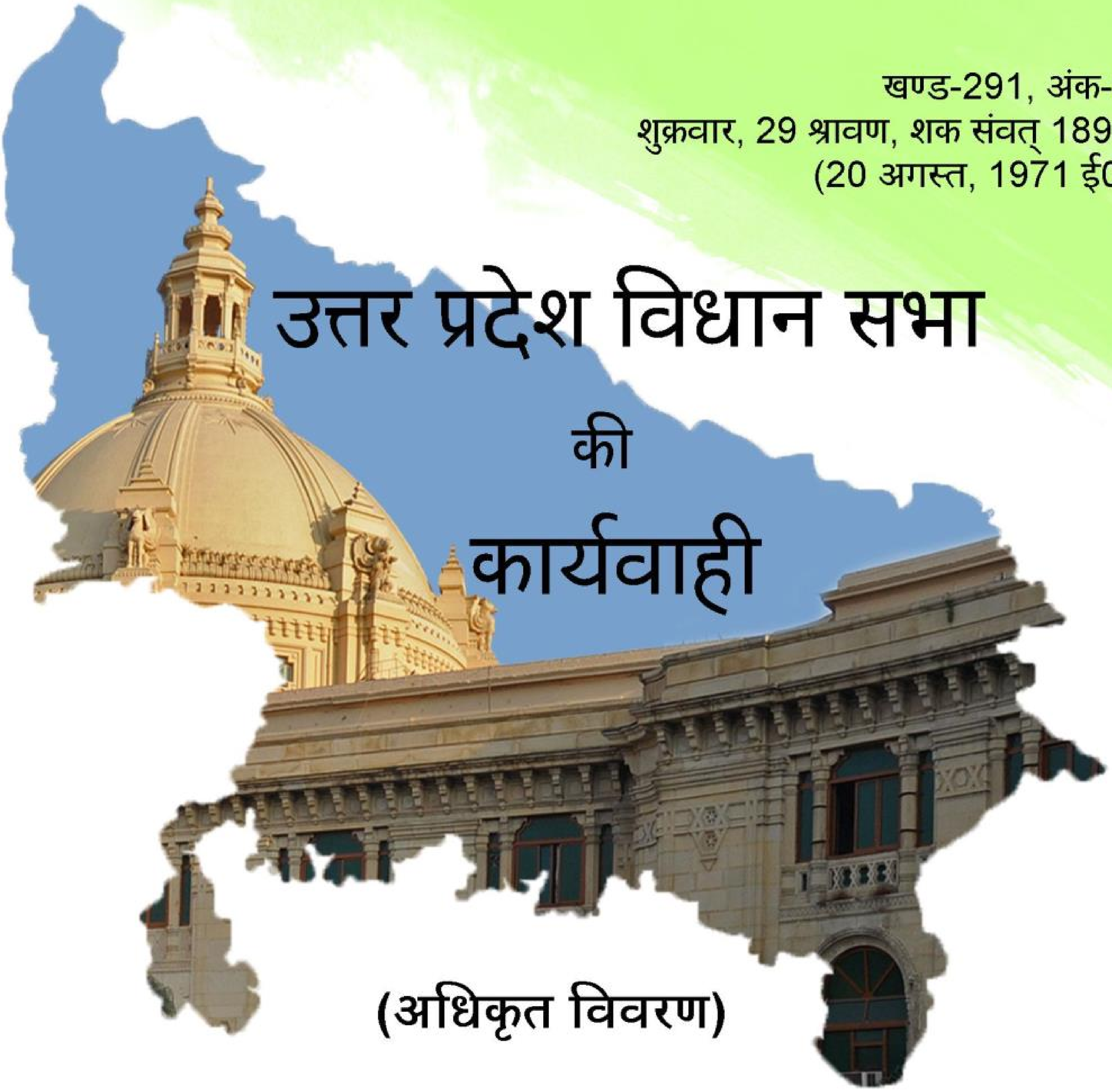

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६७३–६७७
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये होने वाले चुनाव के स्थगन की अध्यक्ष द्वारा सूचना	६७७
प्रश्नोत्तर	६७८–७०५
प्रश्नों के अस्वीकार किये जाने तथा अधिक विलम्ब से स्वीकार होने के सम्बन्ध में शिकायत	७०५–७०७
सदन में पर्चा फेकने वाले व्यक्तियों की सजा कम करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७०७–७१०
बाढ़ के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के समय की सूचना	७१०
विविध प्रश्न (जारी)	७१०–७१२
कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करने के मध्यावधि चुनाव कराने के अधिकार के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	७१२–७१५
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व स किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान, तथा अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	७१५–७६६
गोंडा रेलवे स्टेशन पर बम बनाने का मसाला पकड़ जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	७६६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	७६७–७६९
प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध म वक्तव्य ..	७६९–७९१
नगरपालिका गाजियाबाद, मेरठ की सलेज की ३०० बीघे भूमि को लाला सूरज भान को पट्टे पर दिये जाने तथा गाजियाबाद दिल्ली रूट पर मोटर-बस के एक परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा ..	७९१–८२५
नस्थियां	८२६–८२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक २० अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम-गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजीमसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णादत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगासिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंहगिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह,श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डाक्टर मन्ना)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगनाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ , श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण तिवारी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
श्री त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त बैद्य,श्री
धर्मवीर , श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह ,श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर ,श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक , श्री
बदनसिंह जाटव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलबीर सिंह , श्री

बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ)
महावीर सिंह, (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणजंय सिंह, राजा
राजनाथसिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पान्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह बैद्य, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये होने वाले चुनाव के स्थगन की श्री अध्यक्ष द्वारा सूचना

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं है। मैं एक सूचना देना चाहता हूं। वह सूचना यह है कि आज इन्टरमीडिएट बोर्ड के लिये दो सदस्यों का चुनाव है। तो यदि सभी दलों के नेता इस बात पर राजी हैं कि इसको मंगलवार को कर दिया जाय, क्योंकि आज पानी बरस रहा है, बहुत से लोग आ नहीं सकेंगे। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी राजी हैं और तिवारी जी भी राजी हैं। (किसी के आपत्ति न करने पर) तो ऐसी हालत में मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया है मंगलवार के लिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली १२ तारीख से मैंने बहुत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये किन्तु.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों से पहले व्यवस्था नहीं होती। प्रश्नों के बाद कहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

बड़े महत्व के सवाल छोड़ दिये गये हैं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक २० अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ में भारी गोलमाल एवं अनियमिततायें

**१—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की जांच के फलस्वरूप भारी गोलमल एवं अनियमितताओं का पता लगा है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की एवं क्या-क्या गड़बड़ियां पाई गयीं ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री अशरफ अली खां)—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की जांच के फलस्वरूप कुछ अनिमिततायें प्रकाश में आई हैं। यह जनहित में न होगा कि अनियमितताओं का विवरण अथवा निवारण हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्योरा दिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की जांच के फल स्वरूप भारी गोलमाल एवं अनियमितताओं का पता लगा है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की एवं क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई ? श्रीमन्, इसका जो जवाब दिया है वह यह है कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की जांच के फलस्वरूप कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं। यह जनहित में नहीं होगा कि उनका विवरण दिया जाय। मेरा निवेदन है कि इस संस्था में ६० प्रतिशत सरकारी शेयर लगा हुआ है। दो-तीन संचालक मंडल के सदस्य हैं, आई० ए० एस० चेयरमैन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इन्होंने कह दिया कि शिकायतों के सम्बन्ध में बताना जनहित में नहीं है। मंत्री जी छिपा रहे हैं। इसमें एडीशनल रजिस्ट्रार श्री रोशन लाल, आई० ए०एस० ने जांच की है और १४ करोड़ का फर्जी पेमेन्ट हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

इसका सवाल कीजिये।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री रोशन लाल, आई० ए० एस० ने अपनी जांच में १४ करोड़ रुपये का फर्जी पेमेन्ट दिखलाया है और यह भी कहा है कि २ करोड़ रुपये का खाद में गोलमाल हुआ है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--

साधारण तरीके से जैसे निरीक्षण करते हैं वैसे श्री रोशन लाल जी ने किया यह सत्य है। लेकिन यह कि १४ करोड़ और २ करोड़ का गोलमाल हुआ, यह उसमें नहीं है। कुछ चीजें जरूर आयीं जैसे खाद वगैरह, की तो उस पर कार्यवाही हो रही है। लेकिन गोलमाल की बात नहीं आयी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्योंकि उस स्वतंत्र विचार के अधिकारी ने अपनी एक ऐसी फाइन्डिग दी जो सरकार और उन व्यक्तियों के खिलाफ थी इसलिए उनका ट्रान्स्फर कर दिया गया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

माननीय सदस्य का क्या मतलब है यह मुझे मालूम नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बतायेगी .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हो गये?

श्री अध्यक्ष---

आप देर से उठे, इनके बाद आप पूछ लें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का कितना प्रतिशत अंशदान शेयर के रूप में उस फेडरेशन में है और उस पर कितने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स उन्होंने नामजद किये हैं?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

सरकार का उसमें २० लाख का शेयर है और दो तिहाई डायरेक्टर्स नामजद हुये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि चूंकि उस अधिकारी ने मंत्री या किसी की बात न मानकर वस्तुस्थिति को लिखा इसलिये उससे नाराज होकर उनका ट्रान्सफर कर दिया? उनके स्थान से बदल कर उन्हें दूसरे स्थान पर भेज दिया गया और इस कारण भेज दिया गया कि सरकार उनसे असंतुष्ट थी?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

असंतुष्ट होने का सवाल पैदा नहीं होता। वह दूसरी जगह गये हैं, लेकिन वह सब तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से होता है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन के लिए बैंकों को १३ करोड़ की गारन्टी की है जबकि केवल खाद के व्यापार में ही दो करोड़ का गोलमाल एवं गबन अतिरिक्त निबंधक सहकारी समिति ने पाया है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

१३ करोड़ की गारेन्टी दी है यह सत्य है और अब वह समाप्त हो गयी है, गवर्नमेंट फिर गारेन्टी देगी। जहां तक गोलमाल की बात है, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि गोलमाल नहीं बल्कि कुछ अनियमिततायें थीं जिनकी जांच हो रही है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है, डिपार्टमेंट है, वह सब चीज देख रहे हैं और वह ठीक होंगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि न तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है और न बार्डर सिक्योरिटी का प्रश्न है और केवल कुछ सीनियर आफिसर्स का मामला है तो क्या सिर्फ उनको बचाने के लिये यह कहा गया है कि जनहित में नहीं है या और कोई कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, ये जितनी भी संस्थायें हैं, चाहे संघ या और संस्थायें वे सब स्वचालित और स्वतंत्र संस्थायें हैं और व्यावसायिक सस्थायें हैं। अगर इस तरह की चीजें विस्तार से आवें तो उसका उनकी साख पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कहीं पर गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यदि इसका कार्य सही होता तो इसकी साख गिरने का प्रश्न न होता और आप जनहित में बतला देते ? इसलिये क्या इसका कार्य ही ऐसा है जिससे इसकी साख गिर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। साख बढ़ रही है, घट नहीं रही है।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

बैंकों का जो शेयर है वह ५३ हजार है और उसमें सहारनपुर संघ का अंशदान ५० हजार है, तो फेडरेशन का अंशदान जो घटाया गया वह किस नियम अथवा ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह सवाल इससे तो सम्बन्धित है नहीं।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस हाउस द्वारा पास किये गये नियमों और ऐक्ट के अन्तर्गत यह संस्था चल रही है। यह रजिस्टर्ड है। यह सदन सर्वोपरि है। जहां पर पब्लिक धन का इतने करोड़ का घपला हो, तमाम अनियमिततायें पायी गयी हों, वहां उनको यहां सदन में न बताना उचित नहीं है। आपकी यह रूलिंग है कि अगर फाइल में कागज हो और मंत्री जी यह उत्तर दे दें कि उसकी सूचना नहीं है या वह उसको न बतायें तो यह ब्रीच आफ प्रीविलेज है। यह मेरे पास कागज है, इसमें सब दिया हुआ है और मंत्री जी कह रहे हैं कि जनहित में नहीं है। साख गिरती भी है तो भी चूंकि इसमें पब्लिक धन का दुरुपयोग हुआ है इसलिये श्री रोशनलाल जी की जो जांच रिपोर्ट है उसको सदन के समक्ष रखना ही चाहिये और उस पर २–४ घंटे का विवाद यहां होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

उस रिपोर्ट को रखना उचित न होगा। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बिना पढ़े-लिखे उसे कह रहे हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूं कि आप उसे सदन से छिपा नहीं सकते..... (व्यवधान)

अध्यक्ष---

यह आपके पास रिपोर्ट कहां से आई..... (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत और जो नियम तथा बाइलाज हैं उनके अन्तर्गत कोई भी आदमी ३ रुपये खर्च करके उस रिपोर्ट की नकल ले सकता है। यह रिपोर्ट संचालक मंडल के समक्ष रखी जाती है और उसके सदस्यों को वितरित होती है, उस पर कार्यवाही होती है यह पब्लिक डाकूमेंट है।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष मंत्री जी रखें। जहां तक इस पर चर्चा का सवाल है, इसके बारे में आप मुझे लिखकर दें।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं लिखकर भेज रहा हूं। ठीक है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

बड़ी कृपा की आपने जो यह आदेश दिया कि उसे यहां सदन में मंत्री जी पेश करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिये आपने मंत्री जी को पुकारा। मन्त्री जी ने यह कह दिया कि वह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। तो क्या ऐसा कहने का उनको अधिकार है जब कि आपने उत्तर देने के लिये उनको पुकारा हो और प्रश्न स्वीकार किया हो ?

श्री अध्यक्ष---

यह कहने का उनको अधिकार नहीं है, उनको ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिये था।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह रिपोर्ट कब तक रख देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं रखवा दूंगा।

नया बाजार, लखनऊ में अनियमिततायें

** 2---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नया बाजार, लखनऊ को वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० एवं १९७०-७१ में कुल कितने रुपयों की हानि किन कारणों से हुई है ? उपरोक्त वर्षों में कितना अनुदान, ऋण एवं अंशदान राज्य सरकार ने दिया और कितनी धनराशि के शेयर्स जनता द्वारा खरीदे गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नया बाजार, लखनऊ ने १९६८ से सरकारी ऋण की वार्षिक किश्त अदा कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशरफ अली खां—

नया बाजार, लखनऊ को वर्ष १९६८–६९, एवं १९७०–७१ में कुल रु० ११,५८,५३० की हानि हुई। जिसका वर्षवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। हानि के कारण निम्नलिखित है :—

१—प्रारम्भ में अधिक मात्रा में क्रय किये गये खाद्यान्नों का उनकी दरों में गिरावट होने के कारण क्रय मूल्य से कम में विक्रय करना पड़ा।

२—जनता को सस्ता खाद्यान्न न दे सकने के कारण अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

३—बिक्री में क्रमशः गिरावट होती गई परन्तु प्रबन्ध व्यय उस अनुपात से नहीं घटा।

४—कुशल विक्रेताओं की कमी तथा प्रारम्भ में अधिक व्ययस्था व्यय का होना।

५—पूंजी ह्रास के फलस्वरूप आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति न कर सकना।

वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० एवं १९७०–७१ में नया बाजार लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान, ऋण एवं अंशधन नहीं दिया गया। उपरोक्त वर्षों में १८० रु० के शेयर्स जनता द्वारा खरीदे गये जिसका वर्षवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

नया बाजार, लखनऊ ने १९६८ से सरकारी ऋण की वार्षिक किश्त नहीं अदा की है क्योंकि बाजार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त विपन्न हो गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२६ पर)

श्री कल्याण सिंह—

क्या वर्ष १९६८–६९ के पूर्व भी नये बाजार, लखनऊ में इसी प्रकार लाखों रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया और उसके प्रबन्ध को ठीक क्यों नहीं किया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमान जी, ३१ दिसम्बर, १९६६ से यह शुरू हुआ। १९६६–६७ में ३० जून तक इसमें २०,२१५ रुपये का लाभ हुआ। उसके बाद लगातार हानि होती चली गयी। १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० में हर वर्ष हानि हुई। १९७०–७१ का अभी ठीक-ठीक पता नहीं चला है मगर अनुमानतः यह सब हानि करीब १८ लाख से ऊपर होगी। पहले ६ महीने में बिक्री काफी हुई क्योंकि उस समय गेहूं बाजार से काफी सस्ता यहां पर बिका। उसी बिक्री के आधार पर अगले वर्ष के लिये गेहूं खरीद लिया गया किन्तु उसके बाद गेहूं का भाव बाजार में कम हो गया और बाजार में काफी उपलब्ध होने लगा। जब गेहूं की बिक्री कम हो गयी तो उसके साथ ही अन्य वस्तुओं की बिक्री भी कम हो गयी क्योंकि जो गेहूं लेने आता था वह अन्य सामान भी पहले खरीदता था। उधर जो शुरू में बिक्री काफी हुई तो प्रबन्ध भी उसी हिसाब से करना पड़ा। अब बिक्री तो बाद में कम हो गयी लेकिन प्रबन्ध में खर्च वैसा ही रहा। अब इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री कल्याण सिंह—

लखनऊ के अलावा जो और सुपरमार्केट हैं वहां पर भी लाखों रुपये का घाटा प्रति वर्ष हो रहा है और सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे घाटे की इस भयंकर स्थिति को देखते हुये इस सदन की एक कमेटी नियुक्त करेंगे जो इन सभी सुपर मार्केट की आर्थिक स्थिति आदि की जांच करके उसमें सुधार के लिये अपने सुझाव दे सके ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जो हालत लखनऊ के नये बाजार की है वैसी अन्य की नहीं है। जहां तक समिति बनाने का सवाल है, वैसी एक समिति पहले बनी थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि उसके हिसाब से काम शुरू हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

जो यहां १८ लाख की हानि है, यह केवल गेहूं के ही क्रय-विक्रय के कारण है अथवा उसके अतिरिक्त भी? और यदि केवल गेहूं के क्रय-विक्रय के कारण है तो सन् १९७०-७१ में गेहूं के क्रय-विक्रय में उन्हें कितनी हानि हुई है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मैंने पहले ही निवेदन किया था सही नहीं मालूम है, जो अनुमानित होने वाला है, वह भी उसमें जुड़ा हुआ है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आप हमें कभी नहीं बोलने देते हैं, इसीलिए हमने भी सदन में आना छोड़ दिया है।

श्री ए०सी० ग्राईस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के सुपर बाजार में घाटा इसलिए है कि वहां के सेल्समैन सर्विस ठीक से नहीं करते हैं और जो कस्टमर्स सामान लेने आते हैं उनके साथ वे ठीक से बरताव नहीं करते हैं, यह मेरा अपना एक्सपीरियन्स है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

यह भी हो सकता है। वैसे तो इस वक्त सामान की कमी है इसलिये कम लोग जाते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

इस बाजार के आडिट आब्जेक्शंस जो हुए थे, उनका समय पर समाधान नहीं किया गया, क्या इसलिए यह नुक्सान हुआ है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

इसकी जानकारी नहीं है, नोटिस दें तो बता सकता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जो आडिट आब्जेक्शन्स इस बाजार के सम्बन्ध में हुये थे, उनका कब समाधान किया गया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मैंने पहले ही निवेदन किया, नोटिस दें।

श्री विश्वनाथ कपूर--

इस वक्त नये बाजार के कर्मचारियों को साढ़े १७ हजार रुपया वेतन देना पड़ता है, जबकि कल सेल ही २० हजार रुपये प्रति मास की वहां है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

यह सही है कि सेल वहां कम है, लेकिन कितना देना पड़ता है यह इस समय सूचना नहीं है फिर भी पहले यह बहुत ज्यादा था, जिसको घटाया जा रहा है। इस वक्त वहां कर्मचारी कम कर दिये गये हैं। वहां के बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है कि हम ५० के करीब और उससे भी नीचे यह ले आएंगे। इस प्रकार प्रबन्ध व्यय घटाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री कल्याण सिंह--

उत्तर से सम्बन्धित, जो हानि हुई है उसका प्रमुख कारण है गेहूं की मंहगी खरीद और सस्ती बिक्री और सन् ७०-७१ में करीब ३ लाख का घाटा होना है। तो क्या इस नये बाजार के लिये ७०-७१ में भी गेहूं खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितने मूल्य का ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत ब्यौरे का सवाल है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

सन् ७०-७१ में जो ३ लाख की हानि हुई है, वह किस कारण से हुई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

इस वक्त सामान की कमी है, बिक्री बहुत कम होती है और प्रबन्ध व्यय में कोई कमी आई नहीं, इसलिये यह अंदाजा है कि इतनी हानि होगी।

श्री कल्याण सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक लखनऊ के नये बाजार में ऋण तथा अंशदान के रूप में सरकार की कुल कितने रुपये की पूंजी लगी हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

३ लाख ५८ हजार।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या यह सही है कि उसके पास निजी पूंजी नहीं रह गई है, उसके बाद भी सरकार उसे ५ लाख का कर्ज और ३० हजार का अनुदान देने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

उसको ५ लाख का ऋण देने का प्रश्न है।

मिर्जापुर की दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसीलों को मिलाकर एक जनपद बनाने की योजना

**३--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर), श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उसकी विशालता को देखते हुए दुद्धी एवं राबर्टसगंज तहसील को मिलाकर जनहितार्थ एक अलग जनपद बनाने की योजना है ? तथा सरकार के पास उपर्युक्त मांग को लेकर वहां की जनता तथा जन प्रतिनिधियों का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांग क्या है ? और सरकार ने अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

मिर्जापुर जिले के दुद्धी एवं राबर्टसगंज तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में पृथक जिला बनाने के संबंध में उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से १९६६ में और जनवरी, १९७० और फरवरी, १९७१ में प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुये थे। पर पूरे तौर पर परीक्षण करने के बाद इस प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। १५ अप्रैल, १९७१ को श्री राम प्यारे का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह मांग की गयी थी कि तहसील हेडक्वार्टस बजाय दुद्धी के पिपरी में रख दिया जावे। इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामप्यारे--

हमारा सुझाव था कि मिर्जापुर के डी0एम0 वगैरह के हेडक्वार्टर को वहां के स्थान पर पिपरी में कर दिया जाए। यह नहीं हो रहा है तो क्या मंत्री जी वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चोपन नामक स्थान पर इसे करने की कृपा करेंगे, जैसा कि श्रीमती सूचेता कृपालानी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी यह बात तय हुई थी और उसे सब डिवीजन बनाकर दुद्धी और राबर्टसगंज को उसमें शामिल कर दिया जाए? क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि दिक्कतों को, दूरी को देखते हुए चोपन नामक स्थान पर जिले की सुविधाएं प्रदान की जाएं?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

यह तो कहा गया कि जिले का हेडक्वार्टर वहां बनाना सम्भव नहीं है।

श्री वंशीधर पाण्डेय--

सन् ६६ में प्रदेश सरकार ने यह तय किया था श्रीमती सुचेता कृपालानी जी के समय में कि चोपन में एस0 डी0एम0, डी0वाई0एस0पी0 यह दोनों तहसीलों के रहेंगे, क्योंकि यह एक केन्द्रीय स्थान है, और राबर्टसगंज और दुद्धी दोनों यहां मिलते हैं। दुद्धी, राबर्टसगंज का इलाका और जोगई का क्षेत्र और कोईलरी का इलाका यह ऐसा क्षेत्र है जो जिला बनाने के योग्य है, तो उस पर आप विचार करें, नहीं तो चोपन में ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जैसे कि ललितपुर, करवी और ज्ञानपुर में है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

राबर्टसगंज को तो परगना अधिकारी का हेडक्वार्टर बना दिया गया है।

श्री बंशीधर पान्डेय--

जैसे ललितपुर, करवी, रूड़की और ज्ञानपुर तहसीलों के हेडक्वार्टर्स हैं, वैसे ही आप कर दें, तब तो सरकार कर देगी? आप देख लें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

एक सब डिवीजन बनाने की बात कह रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय--

तहसील तो है ही राबर्टसगंज और दुद्धी, चोपन को हेडक्वार्टर बना कर जिले में जैसे जुडीशीयल मैजिस्ट्रेट होता है, मुंसिफ होता है, ऐडीशनल हेडक्वार्टर...।

श्री उदितनारायण शर्मा--

आपका मतलब यह है कि राबर्टसगंज हेडक्वार्टर बना दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

दुद्धी और राबर्टसगंज को अगर जिला न बनाएं तो दोनों का कोआर्डिनेटेड ऐडमिनिस्ट्रेशन चल जाय ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

दोनों को मिला कर ही सब डिवीजन बनाया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

चोपन में हेडक्वार्टर बनादें ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

अब तक इस पर विचार नहीं किया गया ।

श्री रामप्यारे--

क्या माननीय राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद डेढ़ सौ से पौने दो सौ मील लम्बा है और उसके दक्षिणांचल में आदिवासियों पर असामाजिक तत्व १०७ चला कर और झूठे इस्तगासे देकर परेशान करते हैं और मिर्जापुर हेडक्वार्टर होने की वजह से उन्हें वहां आना पड़ता है ? क्या माननीय मंत्रीजी दुद्धी और राबर्टसगंज को न्याय और ऐडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा दिलाने के लिए चोपन नामक स्थान पर प्रशासनिक एवं न्यायिक सुविधा देने पर विचार करेंगे जैसा कि सुचेता जी की सरकार में हुआ था ?

श्री अध्यक्ष--

विचार करने में क्या है ?

उदितनारायण शर्मा--

विचार करेंगे हम ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इन दोनों तहसीलों का क्षेत्रफल बहुत से जिलों से भी ज्यादा है, क्या चोपन में, जैसा पांडेय जी ने कहा, दोनों का एक कोआर्डिनेटेड विंग की तरह से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट करके वहां का सारा प्रशासन चोपन के माध्यम से चलाएंगे ? ए0डी0एम0 एग्जिक्यूटिव को पोस्ट करके दोनों तहसील का हेडक्वार्टर मुकर्रर करके क्या इस प्रशासन को चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर विचार करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा यह सुझाव था ।

श्री अध्यक्ष--

आज कैसे जवाब दें, जब इस पर विचार नहीं किया । वह विचार करेंगे ।

रबी की फसल को वर्षा से क्षति तथा फर्रुखाबाद जिले में स्थगित राजस्व व अन्य कृषि देयों की वसूली

**४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी की फसल अधिक बारिश होने से खलियानों में ही सड़कर खराब हो गई थी ? उसकी वजह से राज्य सरकार ने किसानों से लगान तथा अन्य प्रकार के ऋणों की वसूली स्थगित करने के आदेश जिला अधिकारियों को भेजे थे ? क्या यह भी सही है कि इस समय भी फर्रुखाबाद जिले में किसानों से लगान तथा ऋणों की वसूली सख्ती से की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये तुरन्त आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

रबी की फसल की हानि को देखते हुए कृषि सम्बन्धित देयों की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये थे। फर्रूखाबाद जिले में इस समय राजस्व तथा कृषि देयों की वसूली स्थगित है, अतएव शासन द्वारा किन्हीं आदेशों के दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महराम सिंह—

अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा था कि इस वर्ष रबी की फसल वर्षा से खराब होने के कारण सरकार ने रबी की फसल की वसूली रोकने के आदेश दिये थे और जो भी किसानों का ऋण था उस को स्थगित करने के आदेश दिये थे। उसके बाद फर्रुखाबाद जिले में सख्ती से वसूली की जा रही है। मंत्री जी ने कहा, आदेश दिये थे और वसूली स्थगित है, फर्रुखाबाद में। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने किस तारीख को वह आदेश दिये थे और क्या उसके बाद फर्रुखाबाद जिले में कोई वसूली की गयी या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आदेश २८ जुलाई को दिये गये जिसमें लिखा गया कि सभी किस्म का लगान और जितने कृषि से सम्बन्धित ऋण हैं उनको स्थगित किया जाता है। और हमारी सूचना के अनुसार उसके बाद में कोई वसूली नहीं की गयी।

श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)

बावजूद आदेशों के फर्रुखाबाद जिले में ही नहीं, बिजनौर में भी बिजली के कनेक्शन काटने के नोटिसेज दिये जा रहे हैं, उस पर उचित कार्यवाही शासन ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं इस वक्त किसी जिले की बाबत तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ केसेज नोटिस में आये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

आदेशों के बावजूद वसूली अब भी जारी है तो आदेशों के उल्लंघन के क्या कारण हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि आदेश जो गये हैं, उनमें यह लिखा हुआ है कि लगान, मालगुजारी एवं कृषि से संबंधित जितनी वसूली हैं, उनको स्थगित कर दिया जाय। अब कृषि से संबंधित जो मालूम होती हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है और जो नहीं मालूम होती हैं उनको स्थगित नहीं किया जाता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

समय समय पर कई बार प्रश्न हो चुके हैं तो मंत्री जी ने यह कहा कि मुल्तवी करा दिया गया है लेकिन आदरणीय सदस्यगण ने यह कहा बावजूद मुल्तवी के आदेश जाने के उन आदेशों पर कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । तो विषम स्थिति को दखते हुए अगर उसमें कहीं ढिलाई है तो क्या माननीय मंत्री जी उसको तेज करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

जरूर करेंगे और हमने किया है । मैंने निवेदन किया कि कुछ केसेज नोटिस में आये हैं और उनमें ऐक्शन लिया भी जा रहा है।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

कुछ किसानों ने चक्की और ट्यूबवेल लगाये हैं । आपका बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ता है इसलिये आटा चक्की उन्होंने लगा ली । प्रमुख काम उनका सिंचाई का है लेकिन आटा चक्की उद्योग में आता है लिहाजा उनका कनेक्शन उद्योग में न मान कर क्या उनकी बिजली की वसूली बन्द कर दी जायगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

बिजली के देयों के बारे में अलग से आदेश दिये गये हैं ।

श्री महराम सिंह---

क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि सरकारी आदेशों के बावजूद किन किन अधिकारियों ने उनकी अवहेलना की और उनके खिलाफ माननीय मंत्री ने क्या क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष---

यह ब्योरे का सवाल है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेरठ जिले में असामयिक वर्षा के कारण गेहूं की फसल को क्षति

*१---श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में गत असामयिक वर्षा के कारण गेहूं की फसल को कितनी क्षति पहुंची है ? क्या राजस्व मंत्री ऐसे किसानों को जिनकी अत्यधिक हानि हुई है सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

पहिले ६ प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई थी । बाद को पुनः इसकी जांच करने के लिये भी लिखा गया है।

जिले में मालगुजारी व लगान, नहर कर, तकावी तथा अन्य कृषीय देयों को वसूली १५ अक्तूबर, १९७१ तक स्थगित कर दी गई है । जिन व्यक्तियों ने ऋण की मांग की थी उन्हें ऋण भी दे दिया गया है । बीज व खाद के लिये भी बीज या तकावी दी जावेगी ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लगान और मालगुजारी आदि जो चीजें हैं वह तो आपने अक्तूबर तक स्थगित कर दी हैं तो मैं चाहता हूं कि क्या आप इन वसूलियों को स्थगित करने के बजाय मुक्त करने की कोशिश करेंगे ? साथ ही स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की फीस में भी छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

छूट वाला सवाल निश्चित नहीं है । बाकी का उत्तर दें ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, अभी शासन के विचाराधीन ऐसी कोई बात नहीं है कि माफ कर दिया जाय । किन्तु जहां तक बच्चों की फीस का संबंध है, जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के बच्चों की फीस माफ करने पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन इस बात को महसूस करता है कि असामयिक वर्षा और बाढ़ के कारण जो अप्रत्याशित घटनायें इस प्रदेश में ी नहीं अपितु पूरे देश में घटी हैं, उनके महत्व को देखते लगान वगैरह की वसूली केवल अक्तूबर तक स्थगित करने के बजाय उसे माफ कर देंगे, क्योंकि यह कष्ट तो साल भर तक चलता रहेगा। दूसरे, क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि उनके बच्चों की फीस माफ की जाय क्योंकि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और उसे इसके द्वारा पूरी-पूरी छूट मिल जायेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, फीस के बारे में तो मैंने निवेदन कर दिया कि जहां ज्यादा नुक्सान हुआ है वहां के बच्चों की फीस माफ करने पर शासन विचार कर रहा है । जहां तक लगान मुल्तवी की बात है वह तो १५ अक्तूबर तक स्थगित है । जब वह महीना आयेगा तब उसे देख लिया जायेगा । जैसी किसान की परिस्थिति होगी उसी समय विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसेन—

यह देखते हुए कि रबी की फसल भी खराब हो गई है और खरीफ की फसल भी खराब हो गई है, मंत्री जी अपने छूट दिये जाने के रूल्स में यह परिवर्तन करने की कृपा करेंगे कि खाते को यूनिट न मानकर उस गांव को यूनिट माना जाय, जिसके अन्दर बाढ़ और असामयिक वर्षा के कारण फसल ख राब हुई है और उसे छूट दी जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर हम गांव को यूनिट मानेंगे तो शायद इससे किसानों का अधिक नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा । क्योंकि यदि गांव में एक खाते का नुक्सान हुआ है तो उससे उसे लाभ मिल सकता है किन्तु गांव में अगर ५/१० खाते हैं तो इससे कुछ नहीं मिलेगा ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अक्तूबर तक जो लगान की वसूली स्थगित की गई है उसमें एक बड़ी समस्या यह है कि आगामी रबी की फसल तो मई और जून में आयेगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अक्तूबर तक वसूली स्थगित करने का आधार क्या है ? दूसरी बात यह है कि क्या मंत्री जी कोई और सहायता किसानों को देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

१५ अक्तूबर तक वसूली स्थगित करने का एक आधार यह था कि इससे रबी की फसल को नुक्सान हुआ था । खरीफ की फसल की वसूली आयेगी तभी पता चल पायेगा । अक्तूबर-नवम्बर में हम फिर इस पर विचार कर लेंगे । जैसी परिस्थिति होगी, वैसा कर लिया जायेगा । दूसरी बात बीज की तकावी और खेती के लिये ऋण जितना हम दे सकेंगे और जितनी उदारतापूर्वक हो सकेगा, हम देंगे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि रबी की फसल में करीब-करीब किसानों का २ अरब रुपये का नुक्सान हुआ है और खरीफ की फसल भी लगातार वर्षा के कारण नष्ट हो गई है, विचार करेंगे कि जितना भी देय किसानों पर सरकार का है उसको रबी के लिये मुल्तवी कर देंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि हम अक्टूबर तक सब चीजों को देखने के बाद ही कोई निर्णय ले सकेंगे ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, क्या राजस्व मंत्री ऐसे अवसर को देखते हुये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिये कोई फिक्स परसेंटेज बना है कि इससे ज्यादा यदि नुक्सान होगा तो उसे सामूहिक रूप से सहायता दी जायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न देर में समझ में आता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जरा देर से प्रश्न करता हूं तो देर तो लगेगी ही । मैं कह रहा था कि समाजवादी सरकार है । राजस्व विभाग मालगुजारी आदि की छूट इसीलिये करता है । तो क्या शासन इस तथ्य पर विचार कर रहा है कि १०-१२ आने भी फसल नहीं हुई तो सामूहिक रूप से कोई सहायता किसानों को दी जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सहायता देने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय भी लिया है और जो बताया कि प्राइस सपोर्ट की बात तो वह भी की है और की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सवा छः एकड़ का लगान पहले से माफ है । अब थोड़े बहुत लगान की बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राब्लम है वह है खाद की, बीज की और दूसरी वसूलियाबियों की । इधर रबी की फसल में ५० फीसदी से ज्यादा संख्या जिला कलक्टरों ने सरकार के पास भेजी है और जहां लगातार इस साल बाढ़ की रिपोट लगायी जा रही हैं, इसक मुताबिक मैं कह रहा हूं कि सरकार दोनों बातों को देखत हुए रबी की भी गयी और खरीफ की भी गयी। तो अक्तूबर में किस बात का इन्तजार करना चाहत ह जिसमें सिंचाई और खाद और दूसरी वसूलियाबियों को रोकने म दिक्कत हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अक्तूबर में ही पता चल जायेगा कि कौन-कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पर फसल बिलकुल नहीं हुई और जहां पर कुछ हुई बावजूद बाढ़ के और पानी के ।

राजस्व विभाग के अस्थायी अमीन एवं चपरासियों की छटनी

*२—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने राजस्व विभाग के अमीन और चपरासी जो अस्थायी सेवाओं में हैं उनकी छटनी कर देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उनकी सेवाओं को स्थायी करन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी नहीं । असामयिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण सामान्य रूप से १५ अक्तूबर, १९७१ तक वसूली स्थगित कर दिये जाने के कारण कुछ जिलों में जो अमीन व चपरासी फालतू हो रहे थे उन्हें अन्य जिलों में, जहां वसूली कार्य बढ़ गया है, तैनात कर दिया गया है ।

जहां तक अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न है, चूंकि छोटी जोतों पर मालगुजारी समाप्त किये जाने का प्रश्न किसी न किसी रूप में काफी समय से शासन के विचाराधीन था, अतः अप्रैल, १९६५ के बाद कोई संग्रह कर्मचारी स्थायी नहीं किया गया । अब ६ १/४ एकड़ तक जोतों पर मालगुजारी समाप्त हो जाने के बाद स्थायी पदों की आवश्यक संख्या निश्चित होने पर स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर जिलों में जिलाधिकारियों ने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का नोटिस दे दिया और १५ जुलाई से वह सर्विसेज से निकाल दिये गये हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह सही है कि नोटिस दे दिये गये हैं, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है वह नहीं निकाले गये और राजस्व परिषद् से यह लिख दिया गया है कि उनको न निकाला जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या राजस्व मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे उनको निकाला नहीं जायगा और किसी न किसी जगह पर रख दिय जायगा चाहे नयी भर्ती न की जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, अभी तक स्थिति यही है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अमीन, चपरासी और वासिल बाकी नवीस के पद पर काम कर रहे थे और कितनों को आपने उनके जिलों में तनाती कर दी और कितनों को बाहर, अन्य जिलों में भेज दिया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, कितनों को हटाया और कितनों को अन्य जिलों में तैनात कर दिया इसकी सूचना इस समय नहीं दे सकूंगा । लेकिन जिनको हम हटा रहे ह उससे हमारी आवश्यकता अधिक

है इसलिये उनके निकाले जाने का प्रश्न नहीं उठेगा। जितने अमीनों को नोटिस दिया गया है इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हमको इतने अमीन और चपरासियों की आवश्यकता है, जिनको नोटिस दिया है, उससे कहीं ज्यादा हैं इसलिये निकाले जाने का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अमीन और चपरासी कम किये जा रहे हैं उनमें अधिकतर अनुसूचित जातियों के हैं उनको करीब-करीब हटा दिया गया है जो सर्विस में जूनियर पड़ते थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे ऐसी सूचना नहीं है।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अनुसूचित जाति के लोग करीब-करीब सभी हट गये हैं और विभाग में अनुसूचित जाति का सरक्षण १८ प्रतिशत से घट कर केवल २/३ प्रतिशत रह गया है, खास तौर से चपरासियों में ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि उनका कहना यह है कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है या निकाला गया है वे सब के सब अनुसूचित जाति के हैं तो जरूर जानकारी करेंगे।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैंने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लोग जूनियर थे वे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि जब छटनी होगी तो वह वरीयता के आधार पर की जायेगी। जब हम नई भरती करेंगे तो उसमें अनुसूचित जातियों को जो स्थान देना मुकरर है उसमें उनको पहले जगह मिलगी, दूसरों को बाद में मिलगी।

श्री हिम्मत सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय ये लोग अधिक हैं लेकिन जब इनको भर्ती किया गया था उस समय काम बहुत था और अब भी वही हालत है तो क्या फर्क पड़ गया है जिससे वे निकाले जा रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, फर्क पड़ गया है। बहुत से काम ऐसे हैं जो हो रहे हैं, इसलिये उनकी जरूरत है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

कितने अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए वे विचार कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इस पर निर्भर करेगा कि कितने स्थायी कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। सवा छै एकड़ का लगान माफ करने के बाद जायजा लिया जायगा उसके अनुसार उनके पद स्थायी किये जायेंगे।

प्रदेशीय गजेटियर के सहायक संपादक द्वारा संपादक के आदेश की अवहेलना

*३—श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेंद्र विक्रम, श्री राम बिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को पता है कि प्रदेशीय गजेटियर के सम्पादक ने पिछले सप्ताह अपने उप-सम्पादक को लिखित आदेश दिया कि अपना कार्यालय देहरादून ले जाइय और साथ में एक स्टेनों को जो कि विवाहिता नहीं हैं उसको ले जाइये जिस पर उप संपादक ने जब एतराज किया तब उनकी शिकायत मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों से की ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि दोनों अधिकारियों ने इसी सप्ताह में अनेक पत्र एक दूसरे, और सरकार को लिखे ? यदि हां, तो वे क्या ह और उनको सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जिला गजेटियर के राज्य सम्पादक ने ५ जुलाई, १९७१ को सहायक सम्पादक को लिखित आदेश दिया था कि सहायक सम्पादक देहरादून, जिले के गजेटियर की सामग्री एकत्रित करने के लिये उत्तरदायी होंगे और इस उद्देश्य से वह देहरादून जायं और जब तक सामग्री न एकत्रित हो जाय वह वहीं कम्प में रहें तथा वह अपनी महिला स्टेनोग्राफर को, जो विवाहित नहीं हैं, अपनी सहायता के लिये कैम्प में ले जा सकते हैं और देहरादून का कैम्प समाप्त होने पर सहायक सम्पादक, बुलन्दशहर और रामपुर इसी प्रकार कैम्प करेंगे । राज्य सम्पादक ने ६ जुलाई को यह आदेश दिया कि मुख्यालय पर सहायक सम्पादक को कोई कार्य नहीं है और वह देहरादून से लखनऊ वगैर सम्पादक की पूर्व अनुमति के वापस नहीं आयेंगे । सहायक सम्पादक का कहना है कि उनकी स्टेनों ने देहरादून जाने मे कठिनाई बतायी । इस वजह से उन्हें वह देहरादून अपने साथ नहीं ले गये । राज्य सम्पादक ने शासन से इस बात की शिकायत की है कि सहायक सम्पादक ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया । सहायक सम्पादक ने शासन को दिये गये अपने प्रत्यावेदन में राज्य सम्पादक द्वारा उनके प्रति किये गये दुर्व्यवहार की शिकायत की है । राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये हैं । आरोपों तथा प्रत्यारोपों की सत्यता जांच के बाद ही प्रकट हो सकेगी । वर्तमान स्तर पर इस मामले से संबंधित पत्रों को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने 'जनहित' के ऊपर अपनी व्यवस्था दी । यहां रोजाना इसी प्रकार का उत्तर दिया जाता है कि यह जनहित में नहीं है । इससे क्या देश की सुरक्षा को खतरा पदा हो रहा है ? यह तो केवल दो आफिसरों के बीच आरोप प्रत्यारोप की बात है । इसमें 'जनहित' कहां से घुस आया ?

श्री अध्यक्ष—

जब कोई मामला अन्डर इंक्वायरी होता है तो वे ऐसा कह सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, यह मामला कोर्ट में तो है नहीं, फिर जनहित कहां से आ गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जो भी जानकारी हासिल करना चाहते थे, पत्रों के बारे में आपने पूछा वह भी सब बता दिया गया । जो डिटेल की चीज है जिसको आप सदन की मेज पर रखवाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, यह तो मालूम पड़े ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

जब विभाग में पुरुष स्टेनो मौजूद हैं तो फिर अविवाहिता लड़की स्टेनो को ही वहां भेजे जाने पर जोर क्यों दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह नहीं होना चाहिये था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिस काम के लिये यह सहायक संपादक वहां जाने वाले थे, क्या वह काम वहां रुका पड़ा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह काम यहां पर रह कर भी हो सकता है और होता था । संकलन के लिये मेटीरियल इकट्ठा करने के लिये पहले भी वे देहरादून जाया करते थे । वह काम यहां पर रह कर हो रहा है और जसा कहा गया संकलन क लिय दहरादून जाना पड़ता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

राजस्व मंत्री जी ने बताया कि सब काम पहले भी यहीं पर रह कर हो रहा था और अब भी हो रहा है । तो फिर क्या यह सही है कि सम्पादक महोदय के सहायक सम्पादक से नाराज हो जाने के कारण, उनको परेशान करने के लिये देहरादून जाने का आदेश दिया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसमें जांच हो रही है । लेकिन जो इसके तथ्य हैं उनको देखते हुये ऐसा हो सकता है कि उनको तंग करने के लिये ऐसा किया गया हो ।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने देखा होगा कि पिछले २-३ सालों से काफी बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार के स्केन्डल के केसेज आ रहे हैं । इस बात को देखते हुये कि एक महिला स्टेनो की जगह पर काम कर रही है, सम्पादक को इस बात का खयाल करना चाहिये था और उसकी जगह जब मेल स्टेनो वहां हैं तो उसको भेज देना चाहिये था और जहां तक देहरादून जाने की बात है किसी गजटेड आफीसर का हैडक्वार्टर जब लखनऊ में है तो उसको देहरादून किसी काम के लिये तो भेजा जा सकता है, लेकिन हैडक्वार्टर बिना सरकार की अनुमति के नहीं बदला जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिये, आप तो व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

क्या राजस्व मंत्री जी इस बात की गंभीरता को देखते हुये इन आफिसरों को बुला कर, उनसे बात करके, दोषी के प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि मेल स्टेनोग्राफर के रहते हुये इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं मालूम पड़ता कि फीमेल स्टेनोग्राफर को भेजा गया होता और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जब मुझे मालूम हुआ तो दूसरे ही रोज तार दे कर मैंने उनको वहां से यहां बुला लिया ।

श्री रियासत हुसेन---

सम्पादक को जो आदेश दिये थे कि गजेटियर के बारे में इन्फार्मेशन इकट्ठा करने के लिये देहरादून सारा कांटिन्जेन्ट ले कर जायं क्या उसकी सूचना देहरादून के लेजिस्लेटर्स को, खास-तौर से शहर के लेजिस्लेटर माननीय नित्यानन्द स्वामी को दी थी या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभी की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नैनीताल की तहसील कालाडूंगी खाश में वर्षों पिछड़ी जाति के परिवारों को आवास हेतु भूमि का आबंटन

*१---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या राजस्व मन्त्री बतावेंगे कि जिला नैनीताल के तहसील कालाडूंगी खाश में वर्षों से आवास करने वाले पिछड़ी जाति के परिवारों को आवास हेतु भूमि एलाट की जा रही है ?

श्री उदित नारायण---

जी नहीं ।

*२---श्री इन्द्रलाल---

क्या मन्त्री जी यह भी बतावेंगे कि भावरी क्षेत्र में कुल कितनी एकड़ भूमि अलग से सरकार ने प्राप्त की और उसका वितरण कब तक होगा ?

श्री उदित नारायण---

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत भावर सब-डिवीजन में २१०.७१ एकड़ भूमि सरकार को प्राप्त हुई थी जिसमें से २०७.४९ एकड़ भूमि उसी सब डिवीजन के निवासियों को आवंटित की गई थी ।

यातायात और पर्यटन सहकारी संघ, मुनि की रेती, जिला टेहरी गढ़वाल के संचालक मण्डल का सुपरसेसन

*३---श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "यातायात और पर्यटन सहकारी संघ" मुनि की रेती, जिला टिहरी गढ़वाल के संचालक मन्डल को कब सुपरसीड किया गया ? और अब तक क्या ए० जी०एम० बुलाकर नये संचालक मन्डल का गठन कर दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

यातायात और पर्यटन विकास संघ लि० मुनी की रेती, जिला टिहरी गढ़वाल के संचालक मंडल को दिनांक २३-८-१९६९ को सुपरसीड (अवक्रान्त) किया गया । अभी तक उक्त संघ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत नई उपविधियां न ग्रहण करने के कारण संचालक मंडल का गठन नहीं किया जा सका । दिनांक ५-८-१९७१ से संघ में नई उप-विधियां लागू कर दी गई हैं । अब शीघ्र ही ए० जी० एम० बुलाकर नये संचालक मंडल का गठन करने की कार्यवाही की जा रही है ।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में टोंगिया पद्धति के अनुसार वृक्षारोपण

*४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत २० गांवों में लगभग ८,००० एकड़ वन विभाग की १८ वर्ष से खाली एवं बेकार भूमि के सम्बन्ध में वन मन्त्री की ओर से १९७० में आदेश जारी किया गया था कि उक्त भूमि में स्थानीय भूमिहीनों से टोंगियां पद्धति से वृक्षारोपण कराया जाय ? यदि हां, तो अब तक टोंगियां पद्धति से भूमिहीनों को कितनी भूमि के पट्टे किये गये ? क्या यह सही है कि अभी तक टोंगियां पद्धति के अनुसार वृक्षारोपण को कोई भूमि नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उक्त भूमि टोंगियां पद्धति पर कब तक दे दी जायेगी ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां। अब तक टोंगियां पद्धति के अनुसार वृक्षारोपण हेतु कोई भी वन भूमि भूमिहीनों को पट्टे पर नहीं दी जा सकी क्योंकि भूमिहीनों में प्रचार करने के उपरान्त भी किसी भूमिहीन ने टोंगियां पद्धति पर उक्त भूमि पर कृषि करने के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

[२० अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पौड़ी गढ़वाल में जिला सहकारी बैंक के संचालक मण्डल का चुनाव

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी—गढ़वाल में जो जिला सहकारी बैंक के सचालक मन्डल का चुनाव हुआ है उसके चुनाव के बार में सरकार को क्या—क्या शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, पौड़ी—गढ़वाल ने उन शिकायतों पर क्या कायवाही की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में आंधी, वर्षा एवं ओला वृष्टि से रुहेलखण्ड डिवीजन के प्रभावित जिले तथा रबी व आम की फसल को क्षति

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९७१ में प्रदेश में आंधी, वर्षा एवं ओला वृष्टि चल रही है उसमें रुहेलखंड डिवीजन के कौन-कौन से जिले प्रभावित हुये तथा उससे रबी व आम की फसल को कितनी हानि हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

रुहेलखण्ड मंडल के चार जिले--बिजनौर, शाहजहांपुर, पीलीभीत व रामपुर प्रभावित हुये। इन जिलों में रबी की फसल तथा आम की क्षति का जिलों से प्राप्त ब्योरा निम्न प्रकार है :--

जिला	क्षति	क्षति का अनुमानित मूल्यांकन
बिजनौर ..	फसलों को १० से ३० प्रतिशत	रु० १५,३२,१८७
	आम को क्षति नहीं हुई	
शाहजहांपुर ..	फसलों को १५ प्रतिशत आम को २५ प्रतिशत ..	६०,७५,०००
पीलीभीत ..	फसलों को ४० से ५० प्रतिशत आम को २० प्रतिशत।	१,०१,५०,०००
रामपुर ..	फसलों को २५ प्रतिशत आम को १ प्रतिशत (केवल तहसील स्वार में)	३०,१२,०००

*४--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[निरस्त किया गया]

देहरादून सहकारी स्टोर में धन का कथित दुरुपयोग

*५--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून, सहकारी स्टोर में पिछले ५ वर्षों से लगातार आडिट की आपत्तियां हो रही हैं कि वहां धन का दुरुपयोग है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

देहरादून सहकारी स्टोर में पिछले पांच वर्षों में केवल वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ की आडिट अपत्तियों में तथा वर्ष १९६५-६६ व १९६८-६९ के विशेष सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों में धन के "दुरुपयोग" शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में जिसे धन का दुरुपयोग कहा गया है वह दुरुपयोग नहीं है, वरन् शासन की स्वीकृति के अन्तर्गत किया हुआ व्यय है। अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६--श्री राम लाल राही--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

देवरिया जिले में असामयिक वर्षा और ओले से फसल को क्षति

*७--श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में अप्रैल-मई, १९७१ की असामयिक वर्षा और ओले से कितने प्रतिशत फसल नष्ट हुई है और उक्त क्षति-पूर्ति के लिये सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

देवरिया जिले से मास अप्रैल, मई, १९७१ में उपलवृष्टि नहीं हुई पर असामयिक वर्षा से इस जिले की तहसील, हाटा के ६८८ गांवों में फसलों को क्षति ४० प्रतिशत से ८४ प्रतिशत तक तहसील, पडरौना के ९०४ गांवों में ७५ प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक, सदर तहसील के ९५९ गांवों में ६० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक, तथा सलेमपुर तहसील के १२३२ गांवों में ७५ प्रतिशत से ७८ प्रतिशत तक हुई ।

शासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती । हां, प्रभावित व्यक्तियों को यथा सम्भव व आवश्यकतानुसार सहायता दी जाती है । इस जिले में मालगुजारी व अन्य कृषीय देयों की कुल ८५,२०,१९० रु० की वसूली १५ अक्तूबर, १९७१ तक स्थगित कर दी गई है । खरीफ की फसल के लिये बीज व उर्वरक का वितरण किया गया और रबी की फसलों के लिये बीज का भी प्रबन्ध किया गया है ।

बाराबंकी—सफदरगंज चौराहा के निकट वनखण्डों में किसानों से विना रसीद चराई के पैसे की वसूली

*८—श्री राम धारी शास्त्री—

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि क्या शासन डी०एफ० ओ०, फैजाबाद, एवं जिला अधिकारी, बाराबंकी, को मोहनलाल, पुत्र गुरदीन यादव, निवासी सराय का स्थान, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी का इस आशय का शिकायती पत्र जनवरी-फरवरी १९७१ में प्राप्त हुआ कि फारेस्टर, बाराबंकी, सफदरगंज चौराहा के निकट के वन खंडों में किसानों से बिना रसीद दिये जानवर चराने का पैसा वसूलते हैं और नील गाय का शिकार करने के लिये उनसे जबरदस्ती हकवा कराते हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच न कराने के क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनवरी, फरवरी, १९७१ में उक्त आशय का पत्र केवल शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच जारी है ।

*९–१०—इन्द्र लाल—

[छठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

चकबन्दी विभाग में ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, चपरासी तथा लेखपालों की छटनी

*११—श्री राम करन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि चकबन्दी विभाग में ड्राफ्ट्समैन, चपरासी तथा लेखपालों की छटनी की जा रही है ? यदि हां, तो प्रदेश भर में इनकी संख्या अलग-अलग क्या है ? तथा इन छटनी शुदा कर्मचारियों को सरकार कहां पर नियुक्त करने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

चकबन्दी विभाग में ड्राफ्ट्समैन तथा ट्रेसर की कोई छटनी नहीं की जा रही है । चकबन्दी विभाग में लेखपालों तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः ६७८० तथा ३६९५ है । दिनांक १ जनवरी, १९७१ के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित लेखपाल जो तदर्थ पदों पर कार्य कर रहे थे, को सेवा मुक्त किया जा रहा है जिनकी संख्या लगभग २०० है । चतुर्थ श्रेणी के लगभग २३५ कर्मचारियों को भी कम किया जा रहा है ।

चतुर्थ श्रेणी के पदों और तृतीय श्रेणी के ऐसे अप्राविधिक पदों की दशा में जो लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, छटनी किये गये कर्मचारियों के पक्ष में शत प्रतिशत आरक्षण के लिये पहले ही से शासन के आदेश हैं ।

आजमगढ़ जिला अन्तर्गत पाही ग्राम में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*१२—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत, मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के पाही ग्राम में ग्राम समाज की कितनी एकड़ भूमि है और किस-किस रूप में ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आजमगढ़ जिले की तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के ग्राम पाही में गांव सभा में निहित भूमि का क्षेत्र फल ९९.२०४ एकड़ है जिसमें से ६.६२२ एकड़ वर्ग ४, ७.९९७ एकड़ कृषि योग्य बंजर, ५२.९६६ एकड़ भूमि पर पानी, ३०.५२३ एकड़ भूमि आबादी, रास्ता चक मार्ग तथा १.०५६ एकड़ भूमि कब्रिस्तान के रूप में है ।

*१३—श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त ग्राम में कितनी एकड़ भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है और उस कब्जे के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपर्युक्त गांव में गांव सभा की ८.२४१ एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रक्खा था जिसके संबंध में उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई । ५.९४७ एकड़ भूमि पर बेदखली का आदेश हो चुका है तथा शेष १.२९४ एकड़ भूमि के संबंध में मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा की गांव समाज की भूमि पर दूसरे गांव के लोगों के अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

*१४—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा की गांव सभा की जमीन पर दूसरे गांव के लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है । यदि हां, तो सरकार उनसे उक्त भूमि को मुक्त कराने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम गौरी कलां, तहसील व जिला बांदा के अन्तर्गत गांव सभा में निहित भूमि पर दूसरे गांव के १२ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा था जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई । ८ व्यक्तियों को बेदखल किया जा चुका है और २ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन है । २ व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस वापस ले ली गई ।

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन की वितरोई घी फैक्ट्री में हानि तथा उसका बन्द होना

*१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू.पी. कोआपरेटिव फेडरेशन, लिमिटेड, लखनऊ जिसमें सरकार का २/३ धन किस्त के रूप में तथा शत प्रतिशत गारंटी के रूप में लगा हुआ है उसने अपनी एक करोड़ की लागत की वितरोई की फैक्टरी बन्द कर दी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

विरोई फैक्टरी बन्द नहीं है वरन् इसका उत्पादन कार्य चालू है ।

श्री रियासत हुसैन---

*१६---क्या सरकार को भी ज्ञात है कि उसमें लाखों रुपये का नुकसान दिखाया गया है और उस फैक्टरी के बनाने का हाल ही में ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो उसमे नियमों के उल्लंघन करने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

फैक्टरी में उत्पादन कार्य १५-३-७० से प्रारंभ हुआ था। वर्ष १९-६९-७० में रु० ८४,८०० की हानि हुई। फैक्टरी के बनाने हेतु हाल मे कोई ठेका नहीं दिया गया।

बहराइच जिले में हरिजनों को मकान बनाने के लिये अनुदान एवं ऋण

*१७---श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की तहसील, कैसरगंज के अन्तर्गत जनवरी, १९७१ से ३० अप्रैल, १९७१ तक हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन जिला अधिकारी, बहराइच को मकान बनवाने के लिये अनुदान एवं ऋण तथा कूपों एवं लघु उद्योगों के लिये प्राप्त हुये हरिजन एवं जिला अधिकारी, बहराइच ने कितना- कितना अनुदान एवं ऋण दिया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में भवन निर्माण एवं कूपों के हेतु अनुदान के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। केवल लघु उद्योगों के हेतु अनुदान के लिये ४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। एक प्रार्थी को ५०० रु० अनुदान स्वीकृत किया गया।

विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्यों के लिये ऋण दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों की छटनी

*१८---श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में चकबन्दी विभाग के कतिपय कर्मचारियों की छटनी का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो इस निर्णय से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी प्रभावित हैं और उन्हें अन्यत्र खपाने की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

केवल राजस्व (ङ) विभाग द्वारा चकबन्दी आयुक्त को ये आदेश जारी किये गये थे कि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी में ज्येष्ठता के आधार पर दस प्रतिशत अधिकारियों को छंटनी के प्रमाण-पत्र देना आरम्भ करें ताकि जिन व्यक्तियों को अन्य विभागों में सेवायोजित होने की सुविधा प्राप्त हो, उनको प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवा में लिया जा सके। छटनी किये हुये उन कर्मचारियों के पक्ष में जो लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, पहले ही से शत प्रतिशत आरक्षण के लिये शासनादेश हैं।

ग्राम चमरावाला, जिला मुजफ्फरनगर में चकबन्दी के बन्दोबस्त में अनियमिततायें

*१९---श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम चमरवाला, परगना गोवर्धनपुर, जिला मुजफ्फरनगर में १९६९ में बन्दोबस्त हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त बदोबस्त में कुछ अनियमिततायें बर्ती गई हैं जिसके द्वारा बन्दोबस्त इस प्रकार तैयार किया गया है कि जो भूमि जिस काश्तकार की थी उसकी मिलकियत बदल दी गई है और चकबन्दी की तरह एक काश्तकार की भूमि जो पश्चिम में थी वह उत्तर में पहुंच गई है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या इन काश्तकारों को राहत देने के लिये कोई कदम उठाया जा रहा है और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

ग्राम चमरावाला, परगना गोवर्धनपुर, जिला मुजफ्फरनगर में १९६९ में कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ। उपर्युक्त क्षेत्र में अभिलेख क्रियायें की गयीं थीं, जिनकी समाप्ति के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें आयीं, जिनकी जांच की जा रही है।

कृषकों को यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि वे चाहें तो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३/३९ के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आर्य कन्या इन्टर कालेज, टांडा जिला फैजाबाद में हरिजन छात्रावास

*२०—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इन्टर कालेज, टांडा, फैजाबाद में हरिजन छात्राओं के लिये विभाग के अनुदान पर कोई छात्रावास नना है?

श्री अजीत प्रतात सिंह—

जी हां।

*२१—श्री धर्मसिंह—

यदि हां, तो क्या नियमों के अनुसार उसमे हरिजन छात्राओं को भी किया गया है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

*२२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

आधुनिक कृषि यंत्रीकरण अनुसंधान, केन्द्र इलाहाबाद के लिये भूमि

*२६—श्री राम प्यारे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में आधुनिक कृषि यंत्रीकरण अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिये १५ नवम्बर, १९७० को १५ एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु तत्कालीन राजस्व मंत्री को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मंत्री का आदेश होते हुए भी उक्त भूमि उक्त संस्था को प्राप्त नहीं हुई?

श्री उदितनारायण शर्मा—

दिनांक १५ नवम्बर, १९७० को तो नहीं परन्तु दिनांक १९ नवम्बर, १९७० का एक पत्र तत्कालीन वन मंत्री को अवश्य प्राप्त हुआ था। परन्तु उक्त पत्र के संबंध में भूमि देने का कोई आदेश तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश टूरिस्ट कौंसिल का गठन

*२४—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय के लिये सरकार द्वारा कोई परामर्शदात्री समिति गठित की गई है? यदि हां, तो कब और उसकी अप्रैल ७१ तक कितनी बैठकें हुई हैं? तथा क्या समिति के सदस्यों की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां ।

सरकार द्वारा एक उत्तर प्रदेश टूरिस्ट कौंसिल का गठन हुआ है किन्तु वह परामर्शदात्री समिति नहीं कही जा सकती ।

सरकार द्वारा पर्यटन व्यवसाय के लिये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में मंडलीय आयुक्त (डिवीजनल कमिश्नर) की अध्यक्षता में मंडलीय परामर्शदात्री समिति का गठन शासनादेश संख्या ४४० टी० आर/६१ दिनांक ३० अगस्त, १९६५ के आधार पर किया गया है । इन समितियों पर नामांकन होने वाले सदस्यों का नामांकन होने के पश्चात् मंडलीय आयुक्तों द्वारा अप्रैल, १९७१ तक कुल २० बैठकें की गईं जिनकी सूची संलग्न है । प्रत्येक समिति के सदस्यों की †सूची संलग्न है।

बंगला देश के शरणार्थियों का उत्तर प्रदेश में बसाया जाना

*२५--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश के जो शरणार्थी उत्तर प्रदेश में आयेंगे उनको प्रदेश में किस स्थान पर बसाया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अब तक लाये गये लगभग १०,२३७ विस्थापितों को इलाहाबाद जिले में स्थित इरादतगंज के केंद्रीय परिचालित शिविर में अस्थायी रूप से बसाया गया है । भविष्य में जो विस्थापित उत्तर प्रदेश में लाये जायेंगे उन्हें अस्थायी रूप से किन स्थानों पर बसाया जायेगा उस पर विचार हो रहा है।

*२६--श्री हरिवंश सहाय--

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

असामयिक वर्षा से फैजाबाद जिले में रबी की फसल एवं चारे की क्षति पूर्ति के लिये दी गई तकावी तथा अन्य सुविधाएं

*२७--श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या सरकार को जानकारी है कि फैजाबाद जिले में असामयिक अत्यधिक वर्षा से रबी की फसल एवं चारों की लगभग पचहत्तर प्रतिशत की क्षति हुई है ? तथा इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु ३ जुलाई, १९७१ को भारत सरकार के अधिकारी प्रदेश के कई उच्च अधिकारी भी वहां गये थे ? यदि हां, तो कृषकों को क्षतिपूर्ति एवं कठिनाइयों के निवारण हेतु आज तक कौन कौन सी सुविधा दी गयी तथा इस सम्बन्ध में आगामी योजना क्या है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

फैजाबाद जिले में असामयिक वर्षा से रबी की फसल व चारे की लगभग ७५ प्रतिशत क्षति हुई । इस सम्बन्ध में भारत सरकार के अधिकारियों के एक दल ने तथा प्रदेश शासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया । शासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती पर यथासम्भव राहत दी जाती है । इस आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को २५,०००

---

†छापी नहीं गयी ।

रुपये अहेतुक सहायता तथा २,००,००० रुपये आपदा तकावी वितरित की जा रही है। ६७,९०,०५३ रुपये की मालगुजारी तकावी, सिंचाई तथा अन्य कृषि देयों की चालू व बकाया की वसूली १५ अक्तूबर, १९७१ तक स्थगित कर दी गई है तथा मालगुजारी में छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के काश्तकारों को अगहनी रबी की फसल के लिये बीज, उर्वरक तथा तकावी दिया जावेगा। भूसा भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने की व्यवस्था हो रही है।

*२८—श्री मोहनलाल कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२९—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

[७वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिलान्तर्गत ग्राम चिउटहा बसावनपुर में चल रहे रेकार्ड आपरेशन में अनियमिततायें

*३०—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत तहसील बांसगांव के ग्राम चिउटहा बसावनपुर में चल रहे रेकार्ड आपरेशन में किये गये परताल में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त ग्राम के निवासियों की ओर से कोई शिकायती-पत्र २० मई, १९७१ को राजस्व मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*३१-३२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित]

*३३—श्री मंजूर अहमद, श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री मोहन लाल कपूर—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिलान्तर्गत राजापुर, सिकरौर ग्राम में ग्राम समाज की भूमि का भूमिहीनों में वितरण

१—श्री श्याम लाल कनौजिया—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत सदर तहसील के राजापुर सिकरौर में कितनी ग्राम समाज की जमीनें हैं और किन-किन भूमिहीनों में कितनी जमीन वितरित की गई और शेष कितनी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राजापुर सिकरौर गांव सभा में निहित भूमि का क्षेत्रफल ३५०.८७६ एकड़ था। इसमें से १३४.०५ एकड़ भूमि २१६ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आबंटित की गई। गांव सभा के पास ३६.८५२ एकड़ भूमि शेष है। कृषि योग्य न होने के कारण उसका आवंटन नहीं किया जा सका। भूमिहीनों की सूची जिनको भूमि दी गई, लम्बी होने के कारण सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकी। माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।

रामसनेहीघाट, बाराबंकी की ग्राम सभाओं में बाढ़पीड़ित सहायता केन्द्र एवं दी गई सुविधाएं

२—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी की जो ग्राम सभायें विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत हैं उनमें सन् १९७० में हुई अतिवृष्टि के कारण कुल कितने बाढ़पीड़ित सहायता केन्द्र खोले गये और उनमें से प्रत्येक केन्द्र से बाढ़ पीड़ितों को कौन कौन सी सुविधायें प्रदान की गयीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस क्षेत्र में, कोटवा धाम, रानीमऊ, टांडा पानापुर तथा चिर्रा में चार बाढ़ पीड़ित केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों से पीड़ितों को नकद धन, गल्ला, माचिस, नमक, तेल आदि वितरित किया गया जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२७ पर)

३—श्री गिरिजा शंकर तिवारी—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

कानपुर जिले की क्षेत्रीय सहकारी समितियां

४—श्री जौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में कितनी क्षेत्रीय सहकारी समितियां हैं और उनमें से कितनी कार्य कर रहीं हैं और कितनी बन्द पड़ी हैं ? जो क्षेत्रीय सहकारी समितियां बन्द हैं उनके अलग-अलग क्या कारण हैं और उसके दोषी व्यक्तियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कानपुर जनपद में ७ (सात) क्षेत्रीय समितियां है उनमें से ६ क्षेत्रीय सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। केवल एक बनीपारा क्षेत्रीय सहकारी समिति कुछ अनियमितताओं एवं गबन के कारण बन्द पड़ी है। दोषी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की गई है।

नैनीताल जिले की तराई व भावर क्षेत्र की 'डी' क्लास फारेस्ट भूमि में वन विभाग द्वारा चलाई गयी योजना

5—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या वन मन्त्री बतावेंगे कि नैनीताल जिले के तराई व भावर क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि में डी० क्लास फारेस्ट है ? क्या इस डी० क्लास फारेस्ट में वन विभाग द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

नैनीताल जिले के तराई व भावर क्षेत्र में ७०० एकड़ डी० क्लास फारेस्ट है। इनमें इस समय वन विभाग द्वारा कोई योजना नहीं चलाई जा रही है क्योंकि इसमें से अधिकांश भूमि बाढ़-ग्रस्त है और शेष अभी रक्षित वन घोषित नहीं हुई है।

बंगला देश के शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश में बसाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेश

६—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ८ जुलाई को बंगला देश के शरणार्थियों का एक जत्था उत्तर प्रदेश में आया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसकी सूचना हमें नहीं है ।

७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बंगला देश के शरणार्थियों को इस प्रदेश में बसाने के लिये कोई पत्र अथवा आदेश भेजा है और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । इलाहाबाद जिले के इरादतगंज तथा नैनीताल जिले के रुद्रपुर में केन्द्र द्वारा परिचालित शिविर में अस्थायी रूप से बसाने का प्रस्ताव केन्द्र से आया है ।

८—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि शरणार्थियों को इस प्रदेश में बसाने, काम दिलाने अथवा वापस करने की योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

भारत सरकार की योजना बंगला देश के शरणार्थियों को वापस भेजने की है ।

गोरखपुर जिले में बाढ़ सहायतार्थ नावें

९—श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बाढ़ सहायतार्थ वित्तीय वर्ष १९६९-७० में तथा १९७०-७१ में कितनी नावें थीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोरखपुर जिले में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में ३३७ नावें तथा वर्ष १९७०-७१ में २८७ नावें बाढ़ सहायतार्थ लगायी गयी थीं ।

प्रश्नों के अस्वीकार किये जाने तथा अत्यधिक विलम्ब से स्वीकार होने के संबंध में शिकायत

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। आज भी केवल ७ प्रश्न ही हो पाये । जो प्रणाली आपकी पहले थी कि एक प्रश्न पर ६ से अधिक प्रश्नों की इजाजत नहीं देते थे वह ठीक थी । तो मेरा निवेदन यह है कि चूंकि सदन की भी इसमें दिलचस्पी होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आयें, इसलिये प्रश्नों के समय में आप अपनी गति को जरा तीव्र करने की चेष्टा करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग हल्ला न करें।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, इस तथ्य से आप परिचित हैं कि मैं सब सदस्यों से कम सवाल करता हूं और इस सत्र में मैंने मुश्किल से दस सवाल किये होंगे जिनमें से ९ तो उपाध्यक्ष महोदय की कृपा से खारिज कर दिये, एक को स्वीकार किया अल्प सूचित में। १० तारीख को दिया हुआ था लेकिन आज तक उसका कोई जवाब हमको मिला नहीं है। कल जब मैं प्रश्न विभाग में पता लगाने गया तो मालूम हुआ कि मंत्री जी ने यह लिख दिया है कि हम अल्पसूचित में इसको नहीं ले सकेंगे। सीधा सा सवाल था कि क्या सुल्तानपुर में इस कम्पनी को कोयला दिया गया और यदि दिया गया तो क्या उसने ब्लैक कर लिया जिसकी वजह से उसका लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया गया। यह एक तार से खबर आ सकती थी। सुल्तानपुर यहां से केवल ८० किलोमीटर है। दो साल से यह सवाल टल रहा है क्योंकि एक आदमी ने डेढ़ लाख रुपये का गबन कर लिया है काले बाजार में कोयला बेच कर उसको छिपाया जा रहा है।

१० तारीख को उपाध्यक्ष महोदय ने हमारे सामने अल्पसूचित में स्वीकार किया था। १५ तारीख को गवर्नमेंट में भेजा गया। १९ तारीख को गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो यह कह दिया कि हम अल्पसूचित में जवाब नहीं दे सकेंगे। यह हमारे अधिकारों का हनन है। इस प्रकार हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। आप उस फाइल को मंगा कर देख लें और हमारे सवाल का इसी सत्र में जवाब दिलाने की कृपा करें। १५ तारीख को स्वीकार हुआ था। अगर १५ दिन का समय दिया गया तो ३१ तारीख को तो यह सदन बन्द हो जायगा। इसलिये मेरे सवाल का जवाब जो मंजूर हो चुका है इसी सत्र में दिला दें।

(व्यवधान) कई सदस्य एक साथ खड़े होकर शोर करने लगे।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने २०० से अधिक सवाल भेजे और मुझे तरह तरह की बातें बतलाकर पुलिन्दे की शक्ल में उनको वापस कर दिया। उसी तरीके के सवाल और दूसरे सदस्यों के आपने स्वीकार किये। आज भी उस तरह के कई सवाल थे। मैंने उपाध्यक्ष से जब कहा कि यदि मेरे साथ यह अन्याय होता रहेगा तो मैं हाउस में नहीं आऊंगा। दो, दो महीने हो जाते हैं मगर मेरे सवाल ही नहीं आते हैं तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरे साथ यह अन्याय हो रहा है। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आ जांय। मैं वहां पर मालूम कर लूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मैं आपके कमरे में आ सकता हूं और आपके अधिकारियों के कमरे में भी जा सकता हूं। आप यह तो बतायें कि मैं आखिर क्या करूं? मेरे सवाल के साथ ही यह बरताव क्यों है?

श्री अध्यक्ष--

उसकी तहकीकात हम करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

सदन में हमको सम्मान करने का पाठ पढ़ाया जाता है तो क्या हम भी सदन में कोई इस तरह की अव्यवस्था पैदा करें जिससे हमारा नाम भी लिस्ट पर आ जाय और आप हमारा नाम जान जायं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् ६९ से आज तक मैंने ५० प्रश्न भेजे मगर आज तक मेरा एक भी प्रश्न नहीं आया। पता नहीं आपके दफ्तर में क्या व्यवस्था है जो हम नहीं कर पाते हैं। कुछ सम्मानित सदस्यों के प्रश्न एजेन्डे पर आ जाते हैं लेकिन हमारे प्रश्न एजेन्डे पर कभी नहीं आ पाते हैं। कल भी मेरे नाम के सवाल थे लेकिन मेरे सवाल एक भी नहीं आये और दूसरे के आ गये। बदकिस्मती से मेरा नाम नहीं आ पाता है। हम भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की समस्यायें हैं उनको हम यहां सदन के समक्ष कैसे रखें और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। प्रश्न करके ही उन समस्याओं की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी कौन सी व्यवस्था है जो हम करें। किसी के दो दो प्रश्न रोजाना आ जाते हैं मगर हमारे प्रश्न एक भी नहीं आते हैं। हम लोग क्या करें जिससे आप हमको पहचानें। कृपया आप मेरा नाम जरुर पहचान लें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न नामन्जूर किये गये हैं और आपको वापस किये गये हैं आप उनको मेरे पास भेज दीजिये। ऐसे कई प्रश्न मैंने उपाध्यक्ष जी के पास भेजे हैं और फिर वहां से मन्जूर होकर आ गये हैं।

श्री राम कुंवर सिंह—

हमने कई दफा भेजे हैं। पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

सदन में पर्चा फेंकने वाले व्यक्तियों की सजा कम करने का प्रस्ताव

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, १८ तारीख को एक दुखद घटना इस सदन में हो गई थी। सदन का अवमान करने के सम्बन्ध में दो सज्जनों को ७ दिन की सजा इस सदन ने दी थी। इस समय नेता सदन तो यहां पर उपस्थित नहीं हैं मैं आपके द्वारा उपनेता से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ३ दिन हो चुके हैं, मैं समझता हूं यह सजा काफी है। मैं उपनेता से प्रार्थना करूंगा कि यह सजा काफी मानकर उनको छोड़ने की कृपा करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, जो बात शर्मा जी ने कही उसी के समर्थन में यह कहना चाहता हूं कि मैंने ही उस दिन संशोधन रखा था कि इसको दो दिन की सजा कर दिया जाय और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाय। मगर उस दिन हमारी सरकार का एस्टीम इतना था कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं समझता हूं वह स्थिति अब नहीं होगी। आज की बात को मानकर सरकार उनको छोड़ने की कृपा करें।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बाद को मौका दूंगा, इसके बाद कहियेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शांति प्रपन्न शर्मा ने जो प्रस्ताव आप के सामने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुमोदन श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने किया है मैं भी उससे सहमत हूं क्योंकि वह दोनों व्यक्ति ३ दिन की सजा भुगत चुके हैं। यदि मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं वह भी इस पर सहमत हो जायं तो आप कृपा कर के उनको ३ दिन के बाद आज शाम को जेल से छुटकारा दिला दें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, संसोपा की तरफ से मैं भी निवेदन करूंगा कि माननीय शर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के समाने रखा है उससे हम भी सहमत है, उस दिन भी हम लोग बराबर आग्रह करते रहे कि वह दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं.....।

श्री अध्यक्ष—

आप अब इस चीज पर नहीं जा सकते।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरा आग्रह है कि उन दोनों व्यक्तियों को अब मुक्त कर दिया जाय क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों ने कोई गुनाह नहीं किया था....।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई अपील करने का तरीका नहीं है....।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उन्होंने जो कहा कि वह निर्दोष हैं या उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, यह शब्द आप कृपया अपने आदेश से कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

फैसला तो सदन का हो चुका है।

श्री रियासत हुसैन—

उन्होंने जो कहा कि वह निर्दोष हैं यह सदन के पूर्व निर्णय के खिलाफ होगा, ऐसा कहना उचित नहीं है।

(श्री राम करन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, यह राम करन जी किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ९ अगस्त से प्रसोपा तो एस०एस०पी० में मर्ज हो गयी है। उनसे पूछ लिया जाय कि वह किस दल में हैं।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, न तो मैंने अभी कुछ लिखा है, न पी०एस०पी० ने लिखा है और न संसोपा ही ने लिखा है कि मैं उनके दल में आ गया हूं।

मेरा कहना यह है कि उस दिन जो घटना सदन में घटी उसके बारे में सभी की एक राय थी कि उनको छोड़ दिया जाय लेकिन दोपहर के बाद यहां कुछ ऐसा वातावरण बना कि उनको एक हफ्ते की सजा दी गई। मैं सरकार से आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अब चूंकि उन दोनों व्यक्तियों की सजा ३ दिन की हो चुकी है उन को आप आज शाम तक छुड़वा दें तो बड़ी कृपा होगी और जो हो गई वही सजा काफी समझी जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष जी, अभी जो विचार विरोधी पक्ष की ओर से रखे गये हैं मैं उनसे सहमत हूं और मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि इस बात को देखते हुए कि विरोधी पक्ष की ओर से पहले भी यह प्रस्ताव रखा गया था अच्छा होता कि एक मत से हम यहां दन्ड का कोई प्रस्ताव पारित करते लेकिन अब यह दोबारा मौका है कि एक मत होकर हम अब उनके रिलीज का प्रस्ताव स्वीकार करें। मेरा अनुरोध है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री जी की ओर से इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (वित्त मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मुख्य सचेतक विरोधी दल तथा मुख्य सचेतक भारतीय क्रान्ति दल नेता जनसंघ दल, नेता सोशलिस्ट दल, नेता प्रजा सोशलिस्ट दल और नेता कम्युनिस्ट दल आदि ने जो सुझाव दिये हैं उनके आधार पर मैं भी आप से आग्रह करूंगा कि इन दोनों व्यक्तियों की यह ३ दिन की सजा पर्याप्त मान ली जाय और आज ही शाम को उनको रिहा करा दिया जाय। इस सम्बन्ध में नेता सदन से भी परामर्श आप की उपस्थिति में किया गया था, उनकी भी यही राय है। एक विनीत नम्र निवेदन मैं माननीय सदस्यों से अवश्य करूंगा कि सभी माननीय सदस्य जिन लोगों को पास दें, उन से आग्रह कर लिया करें कि वह दीर्घाओं से ऐसी कोई कार्यवाही न करें कि जिस से सदन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पड़े और आप भी श्रीमन्, ऐसे निर्देश दे दें कि इस तरह का प्रयास सभी माननीय सदस्यों की तरफ से हो कि सदन के कार्य में कोई बाधा न हो।

श्री अध्यक्ष—

तो यह सर्वसम्मति से पास हुआ और आज शाम को ५ बजे से उनको छोड़ दिया जायगा।

विविध प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि एक दिन इस सदन में यह प्रश्न आया था कि श्री मनसा राम, एम० एल०ए० को नगरपालिका के चेयरमैन होने पर सरकार ने बिना ओथ लिए सस्पैन्ड कर दिया। श्री मनसा राम जी ने आज मुझे बताया कि हाई कोर्ट में ४०९ का मुकदमा जो उनके ऊपर बन गया था, वह समाप्त हो गया लेकिन बावजूद सरकार को एप्लीकेशन देने के भी उनको ओथ नहीं दिलवायी जा रही है। श्रीमन्, वे सदन के सम्मानित सदस्य हैं और मैं चाहूंगा कि आप सरकार से कह दें कि वे आज शाम को इस सम्बन्ध में अपनी घोषणा कर दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर सूचना दें दे ? एक्जामिन हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उनको मालूम तो होना चाहिये ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हबीबुर्रहमान---

श्रीमन, सबसे पहले मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि अगर आपकी बिनाई आपका साथ नहीं देती है और आपका चश्मा आपकी सहायता नहीं करता है तो आपकी बगल में जो सचिव बैठे हैं वे ही सहायता करें। श्रीमन्, मैं एक प्रश्न करने के लिये ४, ५ बार उठा लेकिन आपने मुझे प्रश्न करने का मौका नहीं दिया। आज ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ।

दूसरा मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह कि मैंने २ प्रश्न किए थे, मैं कम ही प्रश्न करता हूं, ३ या ४ को जो अल्पसूचित तारांकित थे जिनके अन्दर मैंने उन बुनकरों का सवाल उठाया था जिनके बारे में मैं अगर कहूं क्योंकि आप भी काग्रेस के नेता होने के नाते, जानते होंगे कि १९४७ में जब मुस्लिम लीग और काग्रेस का मामला चल रहा था, यही बुनकर बिरादरी थी जो कांग्रेस के झंडे के नीचे कदम ब कदम मिलाकर चल रही थी मुस्लिम लीग का साथ देने से इन्कार कर दिया था, आज उसी बिरादरी की सनअत तबाह हो रही है जब कि पंडित पंत के जमाने में उनकी तरफ खास तवज्जोह होती थी। मैं समझता हूं कि जो विभाग इनसे सम्बन्धित है, हथ करघा, उसमें ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें इन बुनकरों से कोई हमदर्दी नहीं है। नतीजा यह है कि करोड़ों रुपया खर्च करके भी इनकी सनअत खराब हो रही है, तबाह हो रही है। तो मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कर्घे विभाग में कितने अधिकारी गजेटेड हैं और कितने नानगजेटेड और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बुनकर बिरादरी से है, तो वह सवाल नामंजूर होकर आ गया। १० तारीख को मैं उपाध्यक्ष जी से मिला लेकिन अब तक उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उस प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में आ जा ताकि हाउस के सामने सब मामला आ जाय।

श्री अध्यक्ष---

जिस प्रश्न के बारे में आप कह रहे हैं, उसके बारे में मैं अपने कार्यालय में पत्रावली मंगा लूंगा और उसमें आप देख लीजियेगा। यहां मैं जवाब नहीं दे सकता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह एवं श्री शंकरप्रसाद जायसवाल के एक साथ खड़े होकर एक साथ बोलने का उपक्रम करते हुए)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

....हाई कोर्ट से ४०९ के मामले में छोड़ दिया है स्वायत्व शासन मंत्री से जरा पता लगवा लीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (वित्त मंत्री)---

श्रीमन्, स्वायत्त शासन मंत्री को इसकी सूचना नहीं थी। मैं उनसे पूछकर बतला दूंगा कि क्या कार्यवाही हो रही है ?

बाढ़ के संबंध में होने वाले वक्तव्य के समय की सूचना

श्री अध्यक्ष---

आज जो राजस्व मंत्री का वक्तव्य होने वाला था वह चार बजे होगा, ग्रान्ट के बाद।

विविध प्रश्न (क्रमागत)

*श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वाराणसी के अन्दर ३० अक्तूबर, १९७० को विद्यार्थी परिषद् की ओर से एक सार्वजनिक सभा चीन-विरोधी-दिवस के रूप में मनाई गई जिसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वदलीय लोग थे और जिसकी अध्यक्षता उपकुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय ने की। उस सभा के अन्दर सर्वदलीय लोग थे। उसमें नक्सलाइट ने बम फेंका जिसमें लोग घायल हुए और घायल हुए विद्यार्थी अढ़ाई महीने तक स्पताल में पड़े रहे। उन्होंने एक जुलूस निकाला जिसमें माओ का चित्र भी था। उस जुलूस के ऊपर भी नक्शल वादी लोगों ने आक्रमण किया, बम फेंका। उसमें भी लोग घायल हुए, गिरफ्तार हुए। जिन लोगों ने उस जुलूस पर कबम फेंका था वे लोग रंगे हाथों पकड़े गये, वे सारे लोग गिरफ्तार हुए। उन पर कानूनी कार्यवाही हुई। कानूनी कार्यवाही चल रही थी कि वतमान सरकार जो अपने को राष्ट्रवादी होने का दावा करती है और वर्तमान मुख्य मंत्री जिन्होंने बनारस में आठ मई को प्रेस कान्फ्रेन्स में इस बात की घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में नक्सलपन्थियों और अराष्ट्रीय तत्वों को दबायेंगे। उन्होंने ही अपनी आज्ञा से उन तमाम लोगों के ऊपर जो मुकदमे थे उठा लिये हैं।

इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी। श्रीमन जी, मैं बड़े नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों की आज लम्बी योजना है। वे कलकत्ता से चलकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। बीच के दो स्टेशन पटना और वाराणसी को ये केन्द्र बनाना चाहते हैं। ये वाराणसी की चकिया तहसील में—पहाड़ी इलाके में ट्रेनिंग देते हैं। बनारस को सेन्टर बनाना चाहते हैं। कलकत्ते से चलकर पटना और बनारस होकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। जब वे रंगे हाथों पकड़े गये थे और उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही थी परन्तु सरकार ने मुकदमा वापिस ले लिया। इस पर चर्चा करने के लिये मैंने नियम ५१ में प्रस्ताव दिया था। मैं बहुत ही नम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि क्या इससे भी बढ़कर प्रदेशीय स्तर पर समस्या हो सकती है जिसको कि नियम ५१ में स्वीकार न करें। मैं आग्रह करूंगा कि इसको नियम ५१ में स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपको चाहिये था कि अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

श्रीमन्, इसे नियम ५१ में स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जब कि एक महिला खुशी से भाग जाती है तो दफा ५१ में वह विषय आ जाता है। कहीं छोटी-छोटी मोटी घटनायें हो जाती है उनको आप स्वीकार कर लेते हैं। और जो देशद्रोहियों के साथ इस तरह का बरताव कर रहे हैं और जिन्होंने वाइस चान्सलर को जान से मार डालने की योजना में इस प्रकार बम फेंका वे बच गये। उन्होंने तो उन पर बम फेका था। ऐसे प्रस्ताव के बारें में चर्चा न दी जाय और यह कहा जाय कि अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये तो बड़ी मार्मिक पीड़ा होती है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि एक दिन में नियम ५१ का एक ही विषय लिया जा सकता है। अगर उस वक्त बहुत से महत्व के हैं और यह भी आ गया तो ज्यादा महत्व का उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और यह रह गया। आप दूसरे रोज देते, तीसरे रोज देते।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप सरकार से वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप उसे हमारे पास फिर से भेज दीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, मैं आज यह एक्सपेरीमेन्ट कर रहा हूं कि बिना बोले खड़ा होता हूं तो क्या मुझे मौका मिलता है....

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आज से डेढ़ महीने पूर्व मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था कि जिला रामपुर के स्वार क्षेत्र में कोसी नदी की भयंकर बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हैं। उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? श्रीमन्, इस क्षेत्र में इतनी भयंकर बाढ़ है कि रात को टेलीग्राम मिला है, पूरा क्षेत्र प्रभावित है, २५--३० हजार व्यक्ति प्रभावित हैं, एक गांव पूरा कट चुका है....

श्री अध्यक्ष--

यह तार मेरे पास भेज दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

रुस्तमनगर, स्वार, आल अफैक्टेड (व्यवधान) श्रीमन्, यह टेलीग्राम आया है, हजारों लोग अफेक्टेड है, चारे की कमी है। मैंने श्रीमन्, डेढ़ महीने पूर्व सूचना दे दी थी कि सारा क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास भेज दीजिए। आज जो बाढ़ का वक्तव्य होगा उसमें शामिल कर लेंगे।

कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने के अधिकार के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बहुत दिनों बाद मुझे अवसर दिया। श्रीमन्, पहले तो आप यह व्यवस्था दें कि क्या कोई माननीय सदस्य आपकी आंख की जो बिनाई है उसको चैलेन्ज कर सकता है कि वह खत्म हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैंने एक बड़ा मौलिक प्रश्न ३०१ में लिख कर दिया है। कल डा० बाजपेयी ने एक बड़ी गलतबयानी इस सदन में कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने अखबार ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने दिल्ली का हिन्दुस्तान टाइम्स आज लाकर आपको दिया है। उसमें साफ लिखा है कि कांग्रेस का पार्लियामेन्टरी बोर्ड २४ तारीख को इस बात का निर्णय करने वाला है कि जहां १९७४ में एसेम्बली का समय पूरा हो रहा है वहां पर भी मिड टर्म पोल कराया जाय या नहीं। तो इसका निश्चय दिल्ली में होगा। हम विधायकों के भाग्य का निर्णय दिल्ली के अन्दर इस पार्टी का पार्लियामेन्ट बोर्ड करने वाला है (व्यवधान)। मुख्य मंत्री जी को बुलाया गया है। सब मुख्य मंत्रियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बुलाया गया है। इन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्य मंत्री को बुलाया है। तो श्रीमन्, इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि गुजरात में तो मुख्य मंत्री है ही नहीं। जहां राष्ट्रपति शासन है वहां मुख्यमंत्री कहां से होगा ? तो मुख्य मंत्री तो हमारे या बिहार के या हरियाणा के बुलाए जा रहे हैं। और वहां से यह फैसला कराया जा रहा है। शाजिश दिल्ली में 24 अगस्त को होगी कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को कब वर्खास्त किया जाये। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पैर डगमगा रहे हैं। इनके अन्दरूनी आपसी झगड़े इतने बढ़ गये हैं कि यह सरकार चलने की स्थिति में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको सपना आ रहा है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे सपना नहीं आ रहा है। आखिर इस बात की क्या जरूरत पड़ी कि दिल्ली में इस बात का निर्णय लिया जाये कि जो सरकार सन् १९७४ तक चल सकती है उसको समाप्त कर दिया जाये ? क्या इनको ऐसा करने का हक है ? मुख्य मंत्री को तब हक हो सकता है जब कि कोई कास्टीट्यूशनल क्राइसिस हो। पार्लियामेन्टरी बोर्ड को यह हक कहां से आया ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। वह पार्टी इन पावर है इसलिये उसको पूर्ण अधिकार है इस बात के कहने का कि वे चुनाव चाहते हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जनता का विश्वास सिद्ध करने के लिए वे ऐसी राय दे सकते हैं। अब सवाल दिल्ली में फैसला लेने का है। वह पार्टी का केन्द्र है और इसलिये वहां पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। वहां पर विचार विनिमय क्यों न करें। एक बात अखबार के बारे में कही गयी। एक अखबार में कुछ आया और दूसरे अखबार में कुछ आया। आज सवेरे आपने मुझे हिन्दुस्तान टाइम्स की कटिंग दिखायी क्योंकि उन्होंने उसको नहीं पढ़ा था इसलिए कह दिया कि अखबार में नहीं आया। उसके बारे में फैसला मैं नहीं करूंगा—अखबार की खबर के ऊपर कोई निर्णय यहां पर नहीं होता है। मुख्य मंत्री नेता सदन होते हैं—पूछ लीजिये वे क्या चाहते हैं और वे क्या वे चुनाव करायेंगे। रोज रोज घबराने और डरने से कोई लाभ नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम नहीं घबड़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

घबड़ा तो आप रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं और अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आपको वेलकम करना चाहिये। अगर आप बहादुर हैं तो वेलकम करना चाहिये।

(स्वास्थ्य मंत्री) डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नित्यानन्द जी को रात में नींद नहीं आती है और मिड टर्म इलेक्शन का भूत उनके सिर पर सवार है। क्वेश्चन आवर के बाद रोज वे यह सवाल उठाते हैं। मैं उनसे बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि वे अपनी इस शंका को बिल्कुल हटा दें। केवल अखबारों की बात पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सही चीज है वही मैंने कल सदन के सामने रखी थी और उसको अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहा था।

श्री अध्यक्ष---

यह बात प्रदेशीय कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, नेता सदन...

श्री अध्यक्ष---

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी खड़े हैं । अभी आप बोलेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नेता सदन मौजूद नहीं है । उनकी बगल में जो बोर्ड है वह डाक्टर सीता राम साहब का है । वे बोल नहीं रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं बोल रहे है । माननीय हेल्थ मिनिस्टर किस अधिकार से यह बोल रहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

वे कांग्रेस की अध्यक्ष हैं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री हम सबकी ओर से बोल रही हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

स्वास्थ्य मंत्री तो अब जाने वाली है, डाक्टर सीताराम जी को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो ? वे तो आपको बाहर से आदेश देंगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

वे नेता हो गयीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

वे नेता हैं उस पार्टी की प्रान्त भर की ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

नेता हैं तो बाहर के लिये हैं इनका सदन से क्या मतलब है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय मंत्री ने कहा कि वे हम सबकी ओर से बोल रही हैं । मैं बड़ी गम्भीरता के साथ इस चीज को आपके सामने रखना चाहताहूं। यह बात इतनी गम्भीरता के साथ उठायी गयी थी लेकिन उन्होंने कह दिया कि वे हमारी तरफ से बोल रही हैं मैं डेफिनिटली कहता हूं कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को सरकार की हैसियत से बोलने का अधिकार नहीं हैं। यहां पर अथारिटेटिवली कोई बात लीडर आफ दि हाउस या डिप्टी लीडर आफ दि हाउस या दूसरा कोई मंत्री जिनको मुख्य मंत्री की तरफ से नियुक्त किया जाय, ही कर सकते हैं । चाहे कोई किसी पार्टी का कितना बड़ा भी अध्यक्ष क्यों न हो उसको यहां पर इस तरह का अधिकार नहीं है । यहां पर मुख्य मंत्री चार चार हैं डाक्टर सीताराम जी बोल सकते हैं, श्री उदित नारायण शर्मा बोल सकते हैं, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी चीफ मिनिस्टर इन दि आफिस हैं । तो इन चार मुख्य मंत्रियों में हम किसकी बात सुनें ?

(व्यवधान)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर यह बात सत्य है कि यह प्रश्न रोज यहां आता है लेकिन यह चीज रहस्यमय बनी हुई है कि ऐसे अवसरों पर जब कि यह प्रश्न उठाया जाता है हमारे मुख्य मंत्री जी गायब रहते हैं उनका बयान अधिकृत रूप से हमारे सामने आता तब हम समझते कि उनकी स्थिति क्या है लेकिन उनका बयान नहीं आता। वे यहां उपस्थित रहने पर भी ऐसे मौके पर सदन में नहीं रहते कि कहीं कोई कमिटमेंट न हो जाय। खासकर के शहर में जब ऐसे लोग मौजूद हों तो पंडित जी को और चिन्ता रहती है। मैं पंडित जी की कोई आलोचना नहीं करता लेकिन जब श्री चन्द्रजीत यादव और श्री यशपाल कपूर हैं तो यह बात और भी सन्देहास्पद हो जाती है। यह सही बात है कि इस सदन में हमारी सरकार की स्थिति बड़ी अनिश्चित है।

आपको स्मरण होगा कि हमारी प्रधान मंत्री जब पार्लियामेंट के डिजाल्व होने की खबर निकली तो निरंतर यही स्टेटमेंट देती रहीं कि पार्लियामेन्ट का डैजोल्यूशन नहीं होने वाला है और यह केवल विरोधी दलों का स्टेटमेंट है, प्रचार है लेकिन आल आफ ए सडेन एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि पार्लियामेन्ट डिजाल्व हो गयी। इसलिये इनके बयान का कोई विश्वास नहीं है। ये निरन्तर सदन में कहते रहते हैं कि मध्यावधि चुनाव यहां का नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि वे सच्ची बात कहते अगर पूरा सत्य न कहते तो वे सत्य के निकट ही पहुंचने की कोशिश करते लेकिन वे इसके लिये भी तैयार नहीं हैं। वे बराबर इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं और एक दिन केन्द्र से मुख्य मंत्री के पास सूचना आ जायेगी कि असेम्बली डिजाल्व कर दी गयी। जो भी बात है उसको पंडित जी अपने मुंह से कहते तो।

श्री अध्यक्ष---

अब आप कृपा करके बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मुझे रात में नींद नहीं आती उसकी निगरानी डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी क्यों करती हैं।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४-संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५-सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान, तथा अनुदान संख्या ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

(माननीय अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पुकारने पर राज्य मंत्री श्री राजबिहारी सिंह के खड़े होने पर)

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

श्रीमन् यह ब्रिटेन की तथा यहां की भी संसदीय परम्परा है कि किसी विभाग का बजट प्रस्तुत करने वाला कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर ही होता है। बजट में किसी विभाग के साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बंशीधर पांडेय]

भर के कार्यों का निरूपण होता है और इस संबंध में सरकारी नीति की भी घोषणा करनी पड़ती है। इसलिये मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से ही इसको पेश करें। आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिये और उनको कमीशन का चेयरमैन बना दीजिये और इसकी साधिकार घोषणा कर दीजिये कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया फिर वे बजट के ऊपर बोलें...

श्री अध्यक्ष ---

वे बोल सकते हैं आप बोलें (श्री राजबिहारी सिंह से)

*(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री) श्री राजबिहारी सिंह---

श्रीमन मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,१४,७९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,०२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,६३,८९,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री बन्शीधर पांडेय---

बाढ़ का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

५ बजे वक्तव्य होगा।

श्री राजबिहारी सिंह---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७, ०६,०२, ९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर यह इस सम्मानित सदन के सदस्यों को विदित है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस विभाग के लिये ५० करोड़ रुपया स्वीकार किया गया और इस ५० करोड़ रुपये में से २५ करोड़ रुपया पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए है और २५ करोड़ रुपया नई सड़कों और पुलों के लिये है। इस हिसाब से देखें तो एक वर्ष में नई सड़कों और पुलों के लिये ५---६ करोड़ के बीच में रुपया मिलता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों की इतनी अधिक मांग है कि५, ६ करोड़ रुपये से सभी की मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए इस विभाग के प्रति असन्तोष होना जायज है। इस असन्तोष को कैसे दूर किया जाय। यह आर्थिक स्थिति के कारण है। सदस्य जो भी आलोचनायें करेंगे और सुझाव देंगे और उनके उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। मान्यवर, दो तीन बातों की तरफ जो नई बातें कही जाती हैं मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले साल २४८ किलोमीटर नई सड़कें बनीं और १३ पुलों का निर्माण किया गया है। इस साल ३५२ किलोमीटर नई सड़कें और १९ पुलों का निर्माण किया गया है। प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए ९ करोड़ ५० लाख रुपया सड़कें और पुलों को बनाने के लिए दिया गया है जिसमें २४५ किलोमीटर सड़कें और १५ पुलों को निर्माण करने की बात है। एक नई सड़क ६०० किलोमीटर की बरेली से कसिया तक इस वर्ष में पूरी हो जावेगी। ४५० किलोमीटर पहले ही तैयार हो चुकी है। बाकी इस वर्ष पूरी हो जावेगी। मान्यवर, एक बड़ी चीज यह है कि फर्रुखाबाद में गंगा पर बनने वाला पुल पूरा हो गया है और नवम्बर तक इसका उद्घाटन हो जावेगा। इसके अलावा कुछ नए बड़े पुलों को निर्माण की स्वीकृति मिली है। एक पुल मिर्जापुर में बनने को है। भारत सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है। एक पुल हमीरपुर में बनाने का विचार है और एक हरिद्वार के पास चन्दीघाट में बनाने का विचार है।

मान्यवर, इस विभाग में पहले हर काम ठेके पर होता था लेकिन अब डिपार्टमेन्ट ने अपना एक संगठन बना लिया है जिसमें इजीनियर लोग खुद काम कराते हैं। इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। फर्रुखाबाद का पुल और कई पुल डिपार्टमेन्ट से बनाये जा रहे हैं। चारों तरफ से यह मांग है कि जो भी पुल बनाया जाय वह इसी विभाग द्वारा बनाया जाय। दूसरी एक नयी बात यह हुई है कि पटना से गाजीपुर तक एक स्टीमर चलायेंगे जिसकी व्यवस्था बजट में है अगर हम इसमें कामयाब रहे तो अगले साल इसको इलाहाबाद तक बढ़ा देंगे। वर्कचार्ज में जो कर्मचारी काम करते थे और जिनकी संख्या काफी लम्बी थी उनको रेगुलर कर लिया गया है। इसी तरह से नेशनल हाइवेज के जितने कर्मचारी थे और जिनकी संख्या 4 हजार है उनको भी रेगुलर कैडर में ले लिया है। इस बजट की यही मुख्य मुख्य बातें थीं। मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विभाग की जो पुस्तिका है उसको पढ़ें और उनके जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार करने के लिये सरकार हमेशा तैयार रहेगी।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३, ३४,३५ और ५० की मागों को घटाकर एक-एक रुपया कर दिया जाय। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है और हमारे राज्य मंत्री ने थोड़े में जो कुछ बताया है उससे उन्होंने प्रदेश की जो सबसे बड़ी और आम समस्या है उसको टालने का प्रयास किया है। वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग और उसके अन्तर्गत होने वाला कार्य जो कि हमारे प्रदेश की आधारशिला है उसके बारे में थोड़ा सा संकेत मात्र करके इस प्रकार से सरकारी नीति को प्रदर्शित किया है, उसकी मैं आलोचना करता हूं।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का सम्बन्ध गांवों से है, कस्बों से है, नगरों से है और साथ ही शिक्षा और आर्थिक विकास से लेकर खेती के उत्पादन को बिक्री के लिये बाजार तक पहुंचाने से है। अगर सड़कें और पुल न होंगे तो खेती का उत्पादन बाजार तक नहीं पहुंच सकता। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। देश के आर्थिक विकास में इस विभाग का बहुत बड़ा स्थान है। स्वर्गीय पं० दीनदयाल उपाध्याय जब आर्थिक विकास की बात करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

थे तो यह कहते थे कि प्रत्येक गांव को नगर से जोड़ दो । अगर गांव को बाजार से जोड़ देंगे तो गांव में पैदा होने वाली चीजें बाजार तक आयेगी जिससे गांव की स्थिति सुधरेगी । अगर गांव की स्थिति अच्छी होगी तो उससे देश और प्रदेश की भी स्थिति अच्छी होगी । लेकिन मैं देखता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो रूप रेखा है जो उसकी हायरार्की है और जो उसका ढांचा है वह अंग्रेजों के जमाने का ही चला आ रहा है ।

श्रीमन्, जितनी लाल फीतासाही इस विभाग में है और किसी दूसरे विभाग में नहीं मिलेगी । ऐसी लाल फीताशाही सार्वजनिक निर्माण विभाग में है । प्रदेश में सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत हो सकते हैं । सड़कों का निर्माण १९५२ से शुरू हुआ और आज तक निर्माण नहीं हुआ । हर बार बजट आता है, विभाग खुले हुए हैं, मिट्टियां पड़ती हैं, बह जाती हैं, पुल बनते हैं टूट जाते हैं, लम्बी सी सड़क ठान दी जाती है और सड़क पूरी नहीं की जाती । जिस विभाग से प्रदेश के नागरिकों के जीवन का इतना बड़ा सम्बन्ध हो उस पर सरकार की यह नीति, टालू मिक्सचर की तरह कोई बात कह दे । नीति की बात नहीं बतायी, कोई नया क्रान्तिकारी कदम, परिवर्तन की बात नहीं बतायी । पुराना का पुराना ढांचा रख दिया । समाजवाद ऐसे नहीं आयगार ।

समाजवाद को अगर लाना है तो स्वर्गीय डाक्टर लोहिया की बात याद करनी होगी । डाक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक गांव की सड़कें कंकड़ की न हो जाय राजधानी की सड़कें तब तक पक्की नहीं होनी चाहिये । जब इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो समाजवाद चाहे नाम रख लें, चाहे मानववाद नाम रख लें चाहे खुशहाली नाम रख लें, उस उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी । रास्ता चलता हुआ आदमी कहता है यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट है । यह हमारे धन का, कर का, हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई के पैसे को नष्ट करने वाला विभाग है ।

आज किस प्रकार कंट्रैक्ट सिस्टम है? टेंडर्स काल होते हैं । वर्क आर्डर होता है, अगर उनकी टेकनिकैलिटीज में जाय, एक सूत्र से बंधी हुई हैं, पूरी गुंजाइश है, अगर एक करोड़ खर्च करना है तो केवल पांच हजार जनता के लिये खर्च होता है । बाकी इनके कमीशन में चला जाता है, इनके खर्चे में चला जाता है, इन के रखरखाव में चला जाता है । मैं मिर्जापुर का एक उदाहरण दूं । एक कछवा चुनार रोड गयी है । १९४८ से सड़क बन रही है । मुश्किल से १६ किलोमीटर है । हर साल कंकड़ पड़ता है, जब बरसात आती है, आश्चर्य की बात है, मिट्टी तो रह जाती है और कंकड़ बह जाता है । इस तरह लाखों रुपया हर वर्ष खर्च होता है उसके रखरखाव पर । एक बार पक्की कर दें, एक दो मील चार मील ही करें लेकिन कुछ हद तक तो निर्माण करें । हमारे कर का एक एक पैसा का सदुपयोग होगा इसका सरकार को विश्वास देना चाहिये । अगर सरकार विश्वास नहीं देती तो हमारा उत्साह कम होता है । हम खेतों में मेहनत करने चलते हैं और अपनी उपज का हिस्सा कर के रूप में देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिये जो बलिदान हो हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक-एक पैसे का सदुपयोग हो ।

प्रदेश के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग से भ्रष्ट कोई डिपार्टमेन्ट नहीं है । इसका आमूल परिवर्तन कर दें, समाजवादी सरकार कोई प्रकार का खाका तैयार करे, जिससे लाल-फीतेशाही खत्म हो जाय और इसका कार्य सीधे तरीके से हो तो इससे बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । अभी श्रीमन्, हमारे सामने बहुत से जिलों की समस्यायें विधायकों ने सुझावों के रूप में दी हैं । २० प्रतिशत, गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं । ३० प्रतिशत गांव कच्ची सड़कों से जुड़े हुए हैं । ५० प्रतिशत गांव ऐसे हैं जो न सड़कों से, न रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं ।

आवश्यकता इस बात की है कि गांवों को हम सड़कों से, रेलवे लाइनों से जोड़ें तभी निश्चित है कि हमारा विकास होगा और हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश व देश में विकास की नीति जो है वह लालफीताशाही में फंसी हुई है।

चपरासी के लेकर ओवरसियर तक और इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक ढांचा कुछ ऐसा बना हुआ है कि कोई आपसे ठीक से बातचीत ही नहीं करेगा। इंजीनियरिंग विभाग में चले जाइये, चपरासी से पूछिये साहब हैं तो पता चलेगा दौरे पर गये हैं। क्लर्क से भी यह पता लगेगा कि दौरे पर गये हैं लेकिन मिलते हैं वह सिनेमा घर पर या किसी दर्शनीय स्थान पर गाड़ी लिये हुए। न घर पर मिलते हैं और न आफिस में। देश उनसे उम्मद रखता है कि वह कुछ अपनी राय देंगे। उनकी शिक्षा पर सरकार ने पचासियों हजार रुपया खर्च किया है। वह देश के जिम्मेदार नागरिक समझे जाते हैं लेकिन जिस दिन से उनको सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हो जाती है उसी दिन वह अफसर बन जाते हैं और अंग्रेज भी उनके आगे मात खा जाता है। अगर आप चाहें तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया इस विभाग को हम दे दें, सदन खुशी से देगा क्योंकि सड़क तथा पुल के निर्माण का सवाल है लेकिन सरकार को एक एक पैसे के सदुपयोग की गारन्टी देनी होगी। अगर सरकार यह गारन्टी नहीं देती है तो एक पैसा भी सरकार को न दिया जाय क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है।

मैं आपका ध्यान चमोली जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर ९५ प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया है। वहां पर उनकी इमारतें गिर गई है, इमारत अपने स्थान पर नहीं है। अगर विधायक वहां का शिकायत करता है तो उत्तर मिलता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे बनाया था। देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमको सजग रहना चाहिये लेकिन कहा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वीकृति नहीं है। ६० से ६५ फीसद पुलों पर कार्य ठप्प हो चुका है। पचासियों लाख रुपया उन पर खर्च हो चुका है लेकिन काम पूरा न होने से और बाढ़ आ जाने के कारण पुल खत्म हो गए।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री चरण सिंह जी कहा करते थे कि प्रशासन भ्रष्ट रहेगा तो हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग नहीं हो सकेगा और प्रशासन स्वच्छ रहेगा तो हमारे एक-एक नये पैसे का हिसाब रहेगा और इससे हमारा विकास होगा, उन्नति होगी। मुख्य मन्त्री, श्री कमलापति त्रिपाठी जी हैं नहीं। मैं यह बतलाना चाहूंगा अगर वह समाजवाद लाना चाहते हैं तो इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार को दूर कर दें। अगर इतना ही वह कर सकेंगे तो हमें विश्वास हो जायगा कि समाजवाद जरूर आयेगा। मान्यवर, हमारे नेता सुझाव देते हैं कि श्री गोविन्द सहाय जी कहा करते थे कि यह एक ब्लन्डर का डिपार्टमेन्ट है..

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि प्रापरली प्रोंप्टिंग नहीं हो रहा है।

श्री विजयबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस डिपार्टमेन्ट से लोगों को बड़ी कसक है। इस डिपार्टमेन्ट को देखकर लोग कहते हैं कि इसमें सोना बरसता था। श्रीमन्, पता नहीं कहां से सोना

[श्री विजय बहादुर सिंह]

इस डिपार्टमेन्ट में बरसता है ? श्रीमन्, सीमेन्ट की चोरी हो जाती है । जितना सीमेन्ट किसी काम के लिये चाहिये, उतना सीमेन्ट नहीं दिया जाता है । मान्यवर, कांट्रेक्टर और इसके इन्जीनियर्स की आपस में सांठ-गांठ होती है । जो इन्जीनियर्स हैं उनके लिये १० प्रतिशत जो ओवरसियर्स हैं उनके लिये ५ प्रतिशत और यहां तक कि एकाउन्टेन्ट के लिये १ प्रतिशत, फिक्स रहता है । इसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं । मान्यवर, आपको भी मालूम है कि १० प्रतिशत क्या चीज है इस डिपार्टमेन्ट में ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय सदस्य करप्शन के बारे में भी कह रहे हैं । तो मैं चाहता हूं कि करप्शन पर भी सीलिंग के सुझाव रखे जाने चाहिये ।

श्री विजयबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि आप इसको भी क्यों लीगेलाइज नहीं करते हैं । जितना भी परसेन्टेज उनके लिये है उसे भी आप लीगेलाइज कर दें । यदि एक लाख रुपये का काम होगा तो उसका १० प्रतिशत तो उसे मिल ही जायेगा । मैं चाहता हूं कि सतर्कता आयोग द्वारा इन इन्जीनियरों की हैसियत की इन्क्वायरी करा ली जाय और पता कर लिया जाय कि इनकी पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है । मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के आधे रिटायर्ड इन्जीनियरों के मकान आज लखनऊ में हैं और वह भी २०—२० और ५०—५० लाख रुपये की हैसियत के मकान हैं । मैं पूछता हूं कि ये मकान कैसे बन गये। यह अंधेर हो रहा है । इसको दूर करके उनमें सुधार लाने की कोशिश होनी चाहिये । आप क्रान्तिकारी हैं और क्रान्तिकारी कदम उठाने की बात करते हैं तो मेरा इस सदन को आग्रह है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बजट को वापस ले लें और उस पर पुनः विचार करें और उसके बाद एक रूप-रेखा तैयार करें । उसके बाद सबसे पहले सरकार एक-एक पैसे की गारंटी दें और अगर गारंटी नहीं दे सकते हैं तो जहां आप समाजवाद लाने की कल्पना एक-दो साल के अन्दर कर रहे हैं, वह ५० साल के अन्दर भी नहीं आ सकता है । अगर समाजवाद ही लाना है तो माननीय मंत्री जी को कष्ट और तकलीफ होगी, उन्हें इसकी सतर्कतापूर्वक जांच करनी होगी कि आखिर एक-एक पैसे का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है ।

मान्यवर, सड़कें बनाई जाती हैं और वे बह जाती हैं । अभी-अभी मिर्जापुर में अचानक गंगा में बाढ़ आ गई और जो वहां पर एक पीपा का पुल बना हुआ था वह टूट गया । मैंने यहां पर इस संबंध का प्रश्न उठाया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि २६ हजार रुपये की क्षति इसके टूटने से हुई । मैं कहता हूं कि यह २६ हजार रुपया किसका है ? वह हमारी गरीब जनता का है, स्टेट का है । वह कैसे हुई क्षति, लेकिन पदोन्नति हो रही है और मंत्री जी की उन पर कृपा है । उन्होंने यह नाटक नहीं देखा कि पीपे का पुल है, गंगा में बाढ़ आ रही है, हम उसको तुड़वा दें और हटा दें । लेकिन उनकी पदोन्नति हो रही है ।

इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसको आप देख लें, हर जगह इतनी बड़ी पोल, इतनी बड़ी मक्कारी जनता और देश के साथ हो रही है । अगर उसको दूर करना है तो सरकार को साहसपूर्ण कदम उठाना होगा और कठोर से कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी । यदि कोई इन्जीनियर उनकी पकड़ में आता है तो उनके साथ कठोरता बरतनी होगी तभी प्रदेश का भला हो सकता है । चूर्क फैक्टरी बनी हुई है, कई बार मौका मिला होगा उसे देखने का । आप देखें कि १० साल बिल्डिंग को बने हुए नहीं हुए, ५ साल क्वार्टर को बने हुए हैं और क्वार्टर बरसात में चूते रहते हैं, गिरते रहते हैं जो कि मजदूरों के क्वार्टर हैं और सार्वजनिक निर्माण द्वारा बने हुए हैं, मिर्जापुर में पुलिस लाइन में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा एक क्वार्टर बना जिसमें एक पुलिस कांस्टेबिल रहते थे । पिछले साल बना और

इसी साल बरसात में उसकी छत गिर गई। अगर इन चीजों को आंखों से ओझल किया गया तो निश्चित है कि इस देश को बचाया नहीं जा सकता। बचाने के लिये कठोर से कठोर कदम नौकरशाही और अधिकारियों के प्रति उठाने होंगे और उसके प्रति रवैय्या बदलना होगा।

दूसरी बात यह है कि समाजवादी रास्ता बड़ा नोकीला और कटीला रास्ता है। मुख्य मंत्री को उस पर आगे चलना है तो निश्चित है कि उनके पांव में खरोंच लगेंगी, लहू बहेंगे और अगर समाजवाद लाना है तो ईमानदारी के साथ सबसे बड़ी चीज यह होगी कि उसका अन्दर से इनकलाब होगा और उनके जो सहयोगी हैं उनको भी समाजवाद की मंजिल तक पहुंचने के लिये अगर नेता आगे आगे चलता है तो उनको भी साथ में कष्ट सहने होंगे, ठोकरें लगेंगी और पैर लहू-लुहान होंगे, कांटे लगेंगे, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। उसके लिये एक-एक नये पैसे का समुचित प्रयोग किस प्रकार से करें, यह चीज सरकार को देखनी होगी। हम पूरी मेहनत करेंगे और एक-एक नया पैसा जो हम सरकार को देंगे निर्माण के लिये, विकास के लिये, देश की सुरक्षा के लिये और समृद्धि के लिए उसका सरकार ठीक प्रकार से सदुपयोग करे, यह हम चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय ने जो अनदान रखा है उसमें कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसकी महत्ता को देखते हुए जिस धनराशि का प्राविधान किया गया है वह अपर्याप्त है। वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत या स्टेट द्वारा जो कार्य संपादित होते हैं वह किसी प्रदेश या भू-भाग के विकास की आधारशिला होते हैं। विकास की गति और विकास का मार्ग आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण पर अवलम्बित होता है। आप देखेंगे कि हमारा चार घरों का एक छोटा सा पुरवा था वह देखते-देखते एक बड़े कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां पर नाना प्रकार के उद्योग धन्धा का अभ्युदय हुआ और नाना प्रकार के कार्य चलने लगे। इस प्रकार से यह आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसके ऊपर प्रदेश का विकास निर्भर है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जब किसी सड़क का निर्माण होता है तो उसके आरंभ होते ही लाखों आदमियों को रोजगार प्राप्त होता है और प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त होती है। जब इसका निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है तो यातायात के साधनों में वृद्धि होती है और इसके साथ-साथ रोजगार में वृद्धि होती है और एक प्रकार से हमारे देश और प्रदेश से बेरोजगारी दूर होती है और यहां के निवासियों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

मैं इस हिसाब से देखता हूं कि हमारे प्रदेश का जितना विकास होना चाहिये था, अगर हम इन सड़कों के आंकड़े देखें तो हमें जान पड़ता है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में बम्बई प्लान के अनुसार १७.७४७ किलोमीटर की सड़कों की लम्बाई में कमी है जो १९८१ तक पूर्ण होगी। इस प्रकार हम १९७१ में बैठे हुए हैं और अगले दस वर्षों की अवधि में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे उस हालत में जब कि हमारे मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है जब कि अन्य प्रदेश अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं या उसके निकट हैं। इसी प्रकार हमारे यहां जिस प्रकार से इस विभाग की सड़कों के निर्माण की गति में अवरोध है उसी मात्रा में हमारे प्रदेश का विकास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनाथ सिंह]

पिछड़ा हुआ है। उसका कारण यह भी है कि हमारे प्रदेश के लिये जो धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। केन्द्रीय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन में सहायक होती है। इसके साथ ही साथ यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि १९६७ से १९७० इन चार वर्षों के बीच में चार सरकारों का उदय हुआ और पतन हुआ तो इस प्रक र से हमारे प्रदेश के वातावरण में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इसी कारण से हमारे सड़कों के निर्माण में शिथिलता रही और हम उतने ही पिछड़े रहे। जितनी हमारी सड़कों की लम्बाई है उसी के अनुपात से हम पिछड़े हैं। जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जहां सड़कों का निर्माण अधिक हुआ है वह प्रदेश अधिक विकसित ह और आगे बढ़े हुए हैं।

इसके साथ-साथ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिन कारणों से हमारे निर्माण कार्यों की गति में अवरोध होता है और हमारे कार्यों में विलम्ब होता है। एक तो यह है कि जो सड़कों का निर्माण होता है तो उनका पहले सर्वेक्षण होता है, उनका ऐस्टीमेट बनता है, इ सके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होता है, इसके बाद हमारे सामने भूमि अर्जन का प्रश्न उत्पन्न होता है। भूमि अर्जन करने का हमारा बड़ा लौंग प्रोसेस है। जहां १९६९ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होता है वहां १९७२ तक भी उसके पूर्ण होने की आशा नहीं है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जो हमारा लौंग प्रोसेस है उसमें संशोधन होना चाहिये। भूमि अर्जन के लिये एक्वी-जीशन के बजाय रिक्वीजीशन की प्रणाली अपनाई जाय और जिलाधीश को अधिकार दिया जाय कि जो भूमि अर्जन करना है उसको एक्वीजीशन के बजाय रिक्वायर किया जाय और अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि प्रदेशीय स्तर पर न होकर रीजनल स्तर पर इस कार्य को होना चाहिये। जो वहां सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, उसके नीचे ४-५ जनपद होते हैं, उन जनपदों में द्रुतगति से काम करने के लिये उन सारे कार्यों का संपादन समय के अन्दर हो जाय, ऐसी उसकी जिम्मेदारी कर देनी चाहिये। इस प्रकार से अगर लौंग प्रोसेस को शार्ट कर दिया जायगा, छोटी प्रणाली अगर अपनाई जायेगी तो हमें आशा है कि सड़कों के बनाये जाने में जो विलम्ब होता है, उससे हम बच जायेंगे।

इसके साथ ही साथ सड़कों के निर्माण की जहां तक बात है उसमें कुछ स्थानीय अवरोध भी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय अधिकारियों की कार्यदक्षता, कार्य कुशलता, उनके कार्य करने की रुचि और शैली पर भी यह निर्भर करता है। माननीय मंत्री जी अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने अपने जनपद में शीघ्रता के काम करने के आदेश दें और इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाय जिस से काम में देर न लगने पाये। जिस कार्य की जो अवधि निर्धारित की जाती हैं, उस अवधि में वह कार्य समाप्त हो ही जाना चाहिये। उस कार्य में अगर विलम्ब हो तो उसके लिये कोई न कोई ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिये कि उसमें स्फूर्ति आये।

इसके साथ ही साथ में अपने जनपद गाजीपुर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के जो पूर्वी जनपद हैं उनमें १६ जिले गिने जाते हैं। इन १६ जिलों के आंकड़ों को जब मैं देखता हूं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचाता हूं कि वाराणसी मण्डल सबसे पिछड़ा हुआ है। वाराणसी मण्डल में ५ जनपद है, उसमें भी गाजीपुर जनपद में सबसे कम सड़कें हैं। बाम्बे प्लान के बारे में एक मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय मंत्री जी, वाराणसी डिवीजन के एस० ई० और दूसरे अधिकारी भी थे। उस समय हम बाम्ब प्लान पर डिसकस कर रहे थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाराणसी क्षेत्र में गाजीपुर जनपद सबसे पिछड़ा हुआ है। उसमें बाम्बे प्लान को पूरा करने में बहुत समय लगेगा। इसलिये उसके लिये सत्वर कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है।

गाजीपुर जनपद में १९४७ में २०९ किलो मीटर सड़कें थीं और मार्च, ६९ तक वृद्धि होकर उनकी लम्बाई ४१६ किलो मीटर हो गई और मार्च,७१ तक उनकी लम्बाई ४३२ किलो मीटर हो गई। हमारे जनपद की जन संख्या १५,५०,३६४ है। इसके अलावा उसके क्षेत्रफल को देखते हुए बाम्बे प्लान के अनुसार हमारे यहां ७३२ किलोमीटर सड़क बन जानी चाहिये। किन्तु अब तक केवल ४३२ किलो मीटर ही बन पायी है। इस प्रकार से ३०० किलो मीटर सड़क इस समय हमारे जनपद में कम बन पायी है।

बाम्बे प्लान के अनुसार १९८१ तक यानी १० वर्षों में इनको पूरा हो जाना चाहिये। इतनी सड़कों क निर्माण होना इस समय में कठिन ही नही असंभव मालूम होता है। अतः इस दिशा में हमको तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। इस जनपद का सड़कों के मामले में अधिक रुपया सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये और सड़कों को लम्बाई को शीघ्रता से बढ़ाया जाना चाहिये। यह मैं जानता हूं कि सीमित साधनों के होते हुए भी इस वर्ष माननीय मन्त्री जी ने इस बजट में नयी सड़कों के निर्माण का प्राविधान किया है। हमारा ही जनपद नहीं प्रदेश के सभी जनपद लाभान्वित हुए हैं। इस बढ़ोत्तरी के लिये मैं विभाग के माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

३०० किलोमीटर जो हमारे यहां की सड़कों में कमी है उसमें ६० किलोमीटर सड़क बनाने के बारे में सन् ६९ में ही निर्णय हो गया था किन्तु यह हमारा अभाग्य ही रहा कि शीघ्रता से यह कार्य नहीं हो पाया। जोकि मैं जानता हूं कि विभाग के सचिव ने एक आदेश हर एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास भेजा है कि जो सड़कें स्वीकृत की गई हैं यह समझ कर उन पर कार्य किया जाय कि स्वीकृत धनराशि में से कुछ धनराशि इस साल व्यय होनी चाहिये। इससे कार्य की गति में कुछ तीव्रता तो आयी है। अगर इस आदेश का पालन किया जाय तो मुझे आशा है कि जो मन्द गति रही है, वह शायद कुछ दूर हो सके।

जहां तक पक्की सड़कों के निर्माण का संबंध है, मुझे कुछ जनपदों में घूमने का अवसर मिला। कुछ ऐसे जनपद थे जहां अगर किसी स्थान का नाम पूछा गया कि वहां जाना है तो उन्होंने कहा कि वह स्थान तो पक्की सड़क से संबद्ध है। उनका पक्की सड़क से तात्पर्य तारकोल की सड़क से होता है। और अगर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह स्थान कच्ची सड़क से संबद्ध है। कच्ची सड़क से उनका मतलब कंकड़ की सड़क से था। हमारे पूर्वी जनपदों में जो हमने सड़कों की लम्बाई बताई, उसमें वह सड़कें भी सम्मिलित हैं जो कंकड़ की हैं और उनकी लम्बाई १०० किलोमीटर है। इस प्रकार ४३२ किलो-मीटर में से केवल ३३२ किलो मीटर ही हमारे यहां तारकोल की सड़कें हैं और उनमें भी कुछ नेशनल हाई वे हैं जो १९४७ से पूर्व की बनी हुई हैं। इस प्रकार हमारे जनपद को दूसरे जनपदों के समकक्ष लाने के लिये हमारे यहां समता लानी होगी और सड़कों की लम्बाई बढ़ानी होगी। माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी देख चुके हैं, हमारे जनपद में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो वहां के लिये जीवन दान हैं। यदि उनका निर्माण हो जाय तो वर्षा में और आपत्तिकाल में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी जैसे सैदपुर से बहरियाबाद की सड़क। वह बिल्कुल हार्ट में है जिस पर जनपद के बड़े-बड़े गांव हैं लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसी तरह से सैदपुर से भीतरी तक केवल दस किलोमीटर पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क बनी है। लकिन भीतरी से सादियाबाद तक उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री ने जो अनुदान का प्रस्ताव रखा है, उस संबंध में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। बजट तो उन्होंने पेश किया ही है और वह पास तो होगा ही लेकिन अपने पहाड़ के जिलों के संबंध में मैं बहुत सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। "सार्वजनिक निर्माण उपलब्धियां एवं लक्ष्य" यह किताब डिपार्टमेन्ट के जरिये से हमको दी गई है। मंत्री जी तो चले गये हैं और वित्त मंत्री जी भी यहां नहीं हैं और सचिव महोदय भी नहीं हैं। बहरहाल मैं निवेदन करूंगा कि इसको देखने की कृपा करें।

मार्च, १९७१ तक उत्तर प्रदेश मार्ग निधि तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के पूर्ण हो जाने पर बीस वर्षीय बम्बई योजना के आधार पर कुल प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति पेज २९ में गढ़वाल जिले की ओर आप देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि गढ़वाल जिले में किस धीमी प्रगति से सड़कों का जाल बिछ रहा है। अल्मोड़ा में १४१ परसेन्ट, देहरादून म १२३ परसेन्ट, नैनीताल में ९६ परसेन्ट, टेहरी में १०५ परसेन्ट और गढ़वाल में ८२ परसेन्ट। (इस समय १ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि इस जिले से कम से कम ५० हजार जवान आपकी सेना में भरती हैं। हर एक गांव से ४, ५ जवान सेना में होंगे। इस हालत में सब से कम सड़क गढ़वाल जिले को दी गई है। आज के बजट में पहाड़ों के लिये नैनीताल के और जिलों के लिये कोई प्राविधान देखने में नहीं मिला। मुझे नैनीताल से कोई विरोध नहीं है लेकिन गढ़वाल में आज तक यातायात में प्रगति नहीं हुई है। जो पिछड़े जिले हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना आवश्यक था लेकिन यह नहीं हुआ।

आज आपके विभाग की ओर से जो किताब सामने रखी गई है उसको आपके विभाग के अधिकारियों ने भी देखा होगा और उसको आप भी देखने का कष्ट करें कि गढ़वाल के यातायात के सम्बन्ध में उसमें क्या कहा गया है। गढ़वाल के सम्बन्ध में यातायात की कठिनाई पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी।

श्रीमन्, बहुत से अस्पतालों के भवन गढ़वाल जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने में बनाये गये हैं। कोटद्वार में भी ऐसा एक अस्पताल का भवन है जो उस समय बना था लेकिन अब उसको गवर्नमेंट ने ले लिया है। उसका न रखरखाव होता है और न मरम्मत होती है। कोटद्वार गढ़वाल का प्रमुख नगर है, उसमें भी अस्पताल के भवन की हालत ऐसी है कि कहीं शायद अब की बरसात में वह गिर जाय। कई बार उसके विषय में लिखा गया। जंगलात एसोसियेशन ने भी २० हजार रुपये अपनी ओर से इस अस्पताल को देने को कहा लेकिन फिर भी आज के बजट में मैं देखता हूं कि इस अस्पताल के लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है। साथ ही मैं देखता हूं कि इस बजट में साइकिल स्टैण्ड के लिये १५, २० हजार रुपया रखा जा रहा है और उसके भवन के लिये छोट-छोटे मकान बनाने के लिये २५, ३० हजार रुपया रखा गया है। श्रीमन्, गढ़वाल जिले का यह अस्पताल बहुत खराब हालत में है। इस अस्पताल के भवन के लिये कुछ धन रखना आवश्यक था हालांकि कई बार इन मकानों की मरम्मत के लिये अनुरोध किया गया लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ।

श्रीमन्, भरसार में जो गढ़वाल जिले का क स्थान है और एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है लेकिन वहां पर न सड़क है, न मकान ही आफिसर्स के रहने के लिये वहां पर बनाये गये हैं। सब लोग गांव में छोटे-छोट मकानों में जाकर रहते हैं और इस उद्यान की वहां से रखवाली करते हैं।

श्रीमन्, एक कमेटी यातायात के संबंध में जिले में बनाई गई थी, उस कमेटी की मीटिंग साल में एक बार होती है। मुझे उसका प्रेसीडेंट बनाया गया था लेकिन अभी तक मुझसे कोई परामर्श सड़कों के बारे में नहीं किया गया।

गढ़वाल में १९५० में जब मैं प्लानिंग अफसर था जो सड़क पौड़ी से देव प्रयाग के लिये उस जमाने में शुरू हुई थी आज के बजट में उसके लिये रुपया रखा गया है। सड़क और पुल दोनों के लिये रुपया रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि पुल के लिये जो रुपया रखा गया है वह धन इस वर्ष सड़कों पर जो श्रमदान से बनाई गई थीं, उनके ऊपर खर्च किया जाय ताकि और सड़कें भी बन जायं। क्योंकि पुल इस वर्ष नहीं बनेगा। पुल तो बाद में भी बन सकते हैं।

एक सड़क मरचुल–सिउसी बैंज रोड है, अब उसका नाम बजट में मोहान बैंज रोड रख, दिया गया ह। यह आधी सड़क से अधिक गढ़वाल में है और शेष नैनीताल में पड़ती है जो हिस्सा गढ़वाल का है उसके बारे में यह सुनने में आया है और विभागीय अधिकारियों से बातचीत करने पर भी मालूम हुआ कि अब उस भाग को रानीखेत डिवीजन में मिलाया जा रहा है। यह बहुत ही गलत होगा और वहां इसको नहीं मिलाया जाना चाहिये। मेरा मंत्री जी से और विभागीय अधिकारियों से अनुरोध है कि इसे गढ़वाल में या नैनीताल डिवीजन में ही रखा जाय वर्ना कोई काम रानीखेत से नहीं हो पायेगा और किसी को इस सड़क को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सड़क अधूरी रहेगी।

सिउसी में एक पुल बनाने के लिये रुपया कई बार मंजूर हुआ, लोहा वगैरा भी वहां पहुंच चुका है लेकिन वह पुल अभी तक नहीं बना है। ऐसी बहुत सी समस्यायें हैं। प्रायर्टी के हिसाब से बजट बनना चाहिये बजाय इसके कि साइकिल स्टैण्ड, उर्बरक भवनों के लिये रुपया दिया जाय, यातायात सम्बन्धी जो उपयोगी सड़कें हैं और जो बहुत आवश्यक हैं पहले उनको बनाने के लिये धन देना चाहिए था। जिले की जो एक कमेटी बनी हुई है, उससे भी सलाह लेना बहुत आवश्यक है।

बजट में पहाड़ों की सड़कों के लिये कुछ रुपया एकमुश्त रखा गया है, हिल बोर्ड द्वारा इस धन का वितरण होगा लेकिन हिल बोर्ड में केवल विश्वविद्यालय की ही बात हुई और सड़कों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं हुई इसलिये वहां अभी तक रुपये का वितरण नहीं हुआ है और वह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में दिया जायेगा। मार्च में समय खत्म हो जाता है और रुपया काम में नहीं आता, सड़कें नहीं बनतीं। इस पर देश में बहुत असन्तोष होता है। सड़कों के न होने से हमारा जिला और भी पिछड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि प्रायर्टी के हिसाब से समय से ग्रान्ट दी जाय ताकि वहां काम हो सके और गढ़वाल जिले को भी प्रगति हो सके। धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं आपकी आज्ञानुसार खड़ा हुआ हूं। पिछली सरकार ने इस विभाग को अपने कार्यालय में एक दम खोखला कर दिया था और जाते जाते अपने कर्तव्य से आगे हटकर के उन्होंने ऐसे गलत ढंग से काम कर दिये थे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें उन्हें हर वर्ष पास करना चाहिये थीं, एक एक वर्ष में उन्होंने अपने क्षेत्र और मन के हिसाब से सारी सड़कों पर एक वर्ष में सारा बजट समाप्त कर दिया। जिस समय यह सरकार बनी उस समय इसके सामने बहुत बड़ी समस्या आई कि इस बजट में इन सड़कों को किस तरह से रखा जाय

[श्री कन्हैया लाल सोनकर--]

और पास किया जाय। मैं तो बधाई देता हूं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को और विभाग के अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ वित्त मंत्री जी के विभाग से लड़झगड़ कर और लोगों को मनाकर कुछ नई सड़कों को पुनः लेने का प्रयास किया है और ले भी आये और वह बजट आज पास होने जा रहा है। आज इस अनुदान के पास होने में अब थोड़ी ही देर बाकी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं विभाग को बधाई दें कि जो स्कीमें पिछली सरकार फेल करके चली गयी, उन्होंने उसकी पूर्ति की।

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वर्क चार्ज्ड के ४ हजार राजकीय मार्गों के कर्मचारी जो थे उनको रेग्युलर कर दिया गया है जब कि पिछली सरकार ने क्या किया था कि कुछ ही लोगों को जो उनकी मनपसन्द के थे, रेग्यूलर किया था। आज सरकार, जो समाजवाद की ओर जा रही है, समाजवाद का नारा दे रही है उसने लगभग ४ हजार वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को रेग्युलर किया है।

दूसरी बात, जब से यह सरकार आयी है, उनके सामने जो स्कीम पड़ी थी कि पटना से गाजीपुर होते हुए इलाहाबाद तक गंगा नदी में स्टीमर्स चलाये जायें, उन्होंने उसको आरम्भ कर दिया है और वे पटना से गाजीपुर तक चलने लगे हैं और इसको इलाहाबाद तक बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। श्रीमन्, सारी दुनिया में इलाहाबाद ही एक ऐसा स्थान है जो तीर्थराज कहलाता है। यहां पर सारे भारत से और दुनिया के कोने-कोने से प्रत्येक वर्ष छठें वर्ष और १२ वर्ष में जो अर्द्ध कुम्भ और कुम्भ का मेला लगता है, उसमें तीर्थ यात्री आते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष हम इस स्टीमर सर्विस को इलाहाबाद तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि अगर वे अपने इस प्रयास को और तेज कर दें, इस विभाग के लोगों को आदेश दे दें कि इलाहाबाद तक ले जाने की योजना बन रही है, उसको भी लागू कर दें तो इस प्रदेश के नागरिक और इलाहाबाद की जो जनता के ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी और इसके लिए वे बधाई के पात्र होंगे।

आप देखेंगे कि इस विभाग में ठेकेदारी की प्रथा चल रही है। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। मंत्री महोदय, इस ओर भी ध्यान दें कि ठेकेदारों के माध्यम से विभाग ने जितनी भी चीजों का निर्माण कराया है वे कुछ ही समय में खराब हो गयीं, किसी की छत टूट गयी, कोई नहर टूट गयी, कोई पुलिया बह गयी और निर्माण करने वाले ठेकेदार अपनी-अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाते हैं, कहीं से वे लापता हो जाते हैं, कहीं फर्म्स ही समाप्त हो जाती हैं और कहीं पर फर्जी नामों से ठेकेदारी करते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दी जाय। इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके इस विभाग से कहा जाय कि जो नये निर्माण-कार्य या मरम्मत के काम हों, वे सरकार की ओर से किए जायें। जब सरकार के पास इंजीनियर्स हैं, ओवरसियर्स हैं तो क्यों नहीं सरकार अपने माध्यम से इन निर्माण कार्यों को कराती है, ठेके क्यों दिए जाते हैं? जैसे छितौनी बांध था, उसमें हर जगह ठेकेदारी की बात रही, फर्जी फर्म बनाकर, हमारे इंजीनियर भी रिटायर हो जाते हैं। अगर सरकार ऐसे नये निर्माण कार्यों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तो सरकार के सारे कार्य ठीक ढंग से चलें।

सार्वजनिक निर्माण द्वारा इस समय जो भी चीज निर्मित होती हैं, उनमें अगर सीमेंट १/६ या १/४ के प्रोपोर्शन में लगना होता है तो वह १/१२ या १/१ के प्रोपोर्शन से लगाया जाता है जिससे कोई चीज मजबूत नहीं होती है और उसकी जांच पड़ताल भी नहीं हो पाती। माननीय विजय बहादुर जी ने अपने भाषण में सच ही कहा है कि वहां पर परसेंटेज बंधी हुयी होती है और यह परसेंटेज उसी समय समाप्त हो सकती है जब कि सरकार अपने माध्यम से, अपने द्वारा, सब चीजों का निर्माण कराये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहां पर गंगा जी पर काफी अरसे से पुल बन रहा है। ठेकेदारों को कई लाख रुपये का एडवान्स दे दिया है और वह दिवालिया होने के कारण अपना सारा सामान लेकर भाग रहा है। काम रुक रहा है और हो सकता है वह किसी समय अपने को दिवालिया घोषित कर दे। कारण क्या है, वही परसेंटेज की बात। सीमेन्ट, बालू ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ओवर-सीयर, इंजीनियर को पूरा हिस्सा चाहिये। वह परेशान होकर भाग रहा है जिससे काम रुका पड़ा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और इस बात का निवेदन करूंगा कि वे इस बात के लिये जांच करायें कि क्या यह बात सही है? और अगर सही है तो ठेकेदार भागने न पायें और इंजीनियर साहब रिटायर न होने पायें। इसको दृष्टि में रखना चाहिये।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान एक बात के लिये खास तौर से आकर्षित करूंगा। आप तो बजट पास करा लेते हैं और हम सब मिलकर सरकार की बात का समर्थन कर देते हैं। रुपया आपके विभाग को मिल जाता है लेकिन होता क्या है? पिछले वर्ष जो सड़कें पास हुईं, आज तक उन पर काम नहीं चालू किया गया। चार-चार पांच-पांच वर्ष पहले जो सड़कें पास की हैं. इस पवित्र सदन ने, क्या कारण है, उन पर कार्य क्यों नहीं हो पाता। म इलाहाबाद की बात बता देना चाहता हूं। मनौरी से मेहता डिग्री कालेज भरवारी तक तथा भरवारी पुरखास से सराय आकिल निवादा तक दो सड़कें हैं जिनको पिछले बजट में पास किया गया था। मैं जब भी इसके विषय में जानकारी के लिये जाता हूं तो पता नहीं लगता कि इसकी फाइल कहां रुकी हुई है, सर्वे क्यों रुका हुआ है। कहीं भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है मन को कि कुछ दिनों के बाद जो बजट पास किया था वह रुपया कहीं लैप्स न हो जाय और सरकार को वापिस चला जाय। कहीं कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति तो नहीं बैठा है जो इन सड़कों के पीछे लगा हुआ हो और सड़कों के काम को नहीं करने देना चाहता हो और वह चाहता हो कि रुपया लैप्स होकर आये और जहां के लिये रुपया रिलीज न हो वहां लगाया जायेगा?

मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भगवान की कृपा से बहुत ही मुश्किल के बाद २३ वर्ष बाद पहली बार सड़क पास हुई है। उसका रुपया लैप्स न होने पाये इसको ध्यान में रखिये और अपने विभाग के इंजीनियर, ओवर-सीयर और सेक्रेटरी साहब को इस बात का आदेश दें कि इस पर जल्दी काम हो जाय। आजादी के टाइम का ऐसा इतिहास इलाहाबाद की गंगा जमुना वाले स्थानों में छिपा है जहां से देश की आजादी के लिये भगवान जाने कितनी गुप्त स्कीमें बनीं और उसी क्षेत्र में सड़क का निर्माण न हो और गांव की जनता को परेशानी हो, यह बड़े दुःख की बात होगी। इलाहाबाद में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निवादा से तिलहापुर तक सड़क बनाई थी। उसमें क्या हुआ कि वह सड़क पिछले वर्षा में बह गई ग्राम तिलगड़ी के पास तिलगुड़ी। वहां पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर, ओवरसियर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं वे उस सड़क की मरम्मत कर पाते हैं? इसका क्या अंजाम हुआ आप देखें कि यह जो सड़क दस फुट बही थी वह सौ फुट बह गई। तीन-तीन जीपें उस सड़क पर उलट गई हैं। अगर उस सड़क पर राजकीय बस चल रही होती तो शायद वह सड़क बन गई होती। जैसा कि हमारे भाई विजय बहादुर जी ने कहा था कि सड़क बनी हुई है। वहां गिट्टी बह जाती है और मिट्टी रह जाती है। वही हाल इस सड़क का है। उस सड़क पर तारकोल बिछा दें तो सब ठीक हो।

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

कई वर्ष पहले एक सड़क पास की गई थी सराय आकिल महिला की। उस सड़क पर काम भी चालू हो गया। उसी सड़क पर किलनहाई नदी है जिस पर पुल बनना था। ईंटें गिर चुकी हैं। पुल बना नहीं क्योंकि सारी ईंटें चोरी चली गईं। उन ईंटों के चोरी करने में आपके विभाग का पूरा हाथ है। इलाहाबाद में सराय आकिल से कौसाम्बी की सड़क बन कर तैयार हो गई। गिट्टी पड़ गई है। किलनहई नदी पर रकसाई गांव में जो पुल बनना था वहां पर हजारों रुपये की ईंटें गिर गई थीं।

मान्यवर, उस पुल का निर्माण नहीं प्रारम्भ हुआ, जिसका अंजाम यह हुआ कि सारा का सारा ईंटा आपके विभाग ने वहां से गायब करवा दिया। वह कहां गया, कुछ पता नहीं। उसकी जांच करवाएं। कटरा से करारी होती हुई सिराथू तक एक सड़क पास हुई और बन गयी, लेकिन बीच बीच में ऐसी छोड़ दी जिससे उस सड़क का कोई उपयोग नहीं रह गया। उसका निर्माण पूरा होना चाहिए। मैंने आपके विभाग को समय-समय पर अपने क्षेत्र के लिए सुझाव दिया है कि और सड़कें होनी चाहिए। गंगा-जमुना का कछारी इल का है, जहां बाढ़ और सूखा दोनों होते हैं। सड़कें न होने के कारण कोई अधिकारी या मंत्री हिम्मत नहीं करते कि इलाहाबाद की तहसील चायल में गंगा-जमुना के दोआबे में जायं। ये लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। तो मैं अपनी लिस्ट प्रस्तुत कर चुका हूं और पुनः इस सदन में कहता हूं, कृपाकर नोट कर लें। चायल से गौहानी कलां मार्ग---१० कि० मी०, मूरतगंज से कुरईघाट मार्ग---११ कि०मी०, पेरईभोड़ से अवधन घाट मार्ग---१२ कि०मी०, कटैया से केवटपुरवा वाया पुरखास---१०कि०मी० और मूरतगंज से सोभना बसेढ़ी घाट मार्ग---८ कि०मी०। ये सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल इंटीरियर में हैं। सरकार ने इस बात का संकल्प किया है कि गांव को शहर से जोड़ दिया जायगा। अगर इन सड़कों को आप बनाते हैं तो तहसील चायल के तमाम गांव सड़क से जुड़ जाएंगे और आपका समाजवाद का नारा पूरा हो जायगा। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां इस मुल्क में रिश्वत की इतनी बड़ी शिकायत है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के लोग ९५ प्रतिशत भ्रष्ट हो गए हैं वहां इसका एक यह भी कारण है कि उन लोगों पर काम बहुत ज्यादा डाल दिया गया है और उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। इतना काम लाद दिया गया है कि वह अच्छी तरह नहीं कर सकते। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को देखें कि दूसरे प्रान्तों में कितना काम उन पर रखा गया है और उसी को ध्यान में रख कर यहां भी काम दें और यदि जरूरत हो तो उनकी तादाद बढ़ावें। इसमें जो देरी होती है इसकी वजह से जो प्रान्त को हाईवेज एलाट होते हैं वह भी लैप्स हो जाते हैं।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय सोनकर जी ने कहा कि इतने कर्मचारी रेग्युलर कर दिये। जिस वक्त पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर विशारद जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि १५ हजार कर्मचारियों को रेग्युलर कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनमें से केवल ११ हजार रेग्युलर किये गए हैं। आज जब कि आपका समाजवाद का नारा है, यहां यह अन्धेरखाता है ....

श्री उपाध्यक्ष---

जरा ठहरिये ! माइक काम नहीं कर रहा है। बिजली नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज तेज है।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मेरी आवाज इनसे ज्यादा तेज है। मान्यवर, यह डिपार्टमेंट अपने १०० साल पूरे कर चुका है और इसकी शताब्दी मनाई जा चुकी है। इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी आज भी अपने आपको गुलाम जैसा महसूस करते हैं जैसा कि सामन्त युग में किया करते थे। आज भी इस महकमे में दूसरे विभागों से सुधार के लिये नियम लिये जाते हैं। इस सरकार से बहुत सी उम्मीदें थीं और इसने बहुत से वायदे किये थे। यह उम्मीद थी कि इम्प्लाइज को रेगुलर करने की घोषणा अमल में लाई जायगी। जो कर्मचारी १५ साल के पुराने हैं और जो ३ साल के पुराने है उनके अन्दर कोई भेद नहीं रखा गया है। इनको कम से कम यह मान लेना चाहिये था कि जो १० साल के पुराने कर्मचारी हैं उन्हें १—२ साल की वेतन वृद्धि दे दी जायगी ताकि तफरीक रहे। इस महकमे के कर्मचारियों में बहुत बेचैनी है।

कुछ सदस्य—

सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मान्यवर, जब से इन लोगों को इनक्रीमेंट मिलने शुरू हुए हैं तब से इनके इनक्रीमेन्ट उनकी पर्सनल पे में शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से उन लोगों के रेगुलर इनक्रीमेंट बन्द हो गये हैं और इस कारण उन लोगों को बड़ी परेशानी है। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इन लोगों को सालाना तरक्की देने के मसले पर दुबारा विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० के आर्डर नं० १०५१८–ई० ए० जी० ४५३–, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५० की ओर दिलाना चाहता हूं। इस आर्डर के जरिये कर्मचारियों की तनख्वाहें तय की गई हैं। जो कर्मचारी रेगूलर सर्विस में आ गये उनको रोड माइलेज और ड्यूटी भत्ता मिलना बन्द हो गया है और ओवर टाइम की सहूलियत भी बन्द हो गई है। वे लोग रेगूलर तो हो गये, मगर रेगूलर होने के बाद उनको दूसरे महकमे के लोगों के मुकाबिले में ये सहूलियतें नहीं मिलती हैं। यह इस समाजवादी सरकार की तशरीह और तारीफ है? मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस तरफ खास तौर से ध्यान दें। जो कर्मचारी खुले में काम करते हैं उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती है। उनके वास्ते साइकिल, क्वार्टर, बरसाती और छतरी वगैरह की सहूलियत मिलनी चाहिए। वर्षा में न वे जा सकते हैं और न ही काम कर सकते हैं। मन्त्री जी इस तरफ भी ध्यान दें। रेगुलर सर्विस में आने के बाद भी इस महकमे के कर्मचारियों को त्योहारों की छुट्टी नहीं दी जाती है और न ही पेंशन की सहूलियत दी गई है।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

१ बजे से २ बजे तक कोरम में ढील रहती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इन लोगों को ग्रेचुटी मिलनी चाहिये। मस्टर रोल के जमाने में भी वे अपने को असुरक्षित समझते थे। कहीं कोई हादशा पेश आ जाये, इसलिए वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए उनको ग्रेचुटी की सहूलियत तथा और दूसरी सहूलियतें अवश्य मिलनी चाहिये। इन लोगों को यात्रा भत्ता नहीं मिलता है और न ही इनका कन्ट्रीब्यूटरी फंड कटता है। आखिर इन्होंने क्या गुनाह किया है जो इनको इतना नजरअन्दाज किया जा रहा है ? डिपार्टमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, पे कमीशन की सिफारिशें जब तक लागू नहीं होतीं, तब तक कम से कम ओ पुरानी पे कमेटी या पे कमीशन की सिफारिशें हैं, उन्हीं के अनुसार उनको तनख्वाहें दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न करके इस डिपार्टमेंट के अधिकारी मनमाने ढंग से कर्मचारियों को पैसे देते हैं। ऐसे कर्मचारी जो बराबर मशीनों पर काम करते हैं, और जिनकी जिन्दगी हमेशा खतरे में रहती है, उनकी एक फिक्स्ड पे इस विभाग के उच्च अधिकारी के आदेश से दी जाती है। इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को वे तमाम सहूलियतें नहीं हैं जो दूसरे विभाग के सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। इस तरह से इस मुहकमे के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ जितना अन्याय हो रहा है उतना अन्याय यू० पी० के अन्दर और किसी भी मुहकमे में नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। पिछले दिनों ५ रुपये की वृद्धि की गई थी जो तमाम विभाग के कर्मचारियों को दी गई और एरियर भी उनको मिल गया। लेकिन इस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वह नहीं दी गयी। पिछले अप्रैल, ७० से जो १० रुपये अन्तरिम भत्ता मिला वह सब को दिया गया लेकिन इस विभाग के जो अनरेगुलर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि आप यह उन सबको भी देने की कृपा करें।

आपके इस विभाग में ऐसे आफिसर्स हैं जो जान बूझकर आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं और किसी भी काम को करने में डिले करते हैं। इस तरह की डिलेइंग टक्टिस जो इस विभाग में बढ़ रही है, उसके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें। इस विभाग के अन्दर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इन कर्मचारियों को पनपने नहीं देते। इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

आपके यहां दो कामों में बड़ा खतरा है। एक पेंटिंग का काम और दूसरा पुल बनाने का काम। उनके चारों ओर खतरा ही रहता है लकिन उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा का भी कोई इन्तजाम नहीं रहता है। क्या वे जानवर हैं या आदमी हैं जिनके साथ आप इस तरह का बर्ताव करते हैं ? मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आप इस तरह की सुविधायें जरूर देंगे। मान्यवर, जितने भी कर्मचारी हैं उनको भाग दौड़ कर दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ता है और यदि वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह का आदेश कर दें कि ऐसे मौके पर दूसरे विभाग वाले कर्मचारी उनको हर तरह की सहूलियतें पहुंचावें। डेली वेजेज पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी वेज को भी आप यूनियन या फेडरेशन के झगड़े में न पड़ कर कुछ तय कर दें जिससे वे सहूलियत के साथ अपना काम करते रहें।

अब मैं अपने जिले मेरठ और उस डिवीजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा मेरठ डिवीजन पिछले २०–२२ वर्ष से सड़कों के बारे में बराबर नेगलेक्टेड रहा है। उधर के लोगों के दिल में यह हो गया है कि पूरब के मिनिस्टर्स और अधिकारी हमारी सहूलियतों की अवहेलना करते हैं जब कि हम रेवेन्यू भी पूरा देते हैं। बाढ़ के सिलसिले में उधर की स्थिति यह है कि बाढ़ की वजह से ३७ हजार एकड़ जमीन डूबने की बात दिखलाई गई है और उसमें नुकसान केवल १९ हजार रुपये का बतलाया गया है। मैं नहीं जानता कि यहां से इसकी जांच के लिए जिसको भेजा जाता है उसको आफिसर लोग सीखा पढ़ा कर भेजते

हैं या क्या बात है? इसी प्रकार से सेक्रेटेरियट का हर डिपार्टमेंट हमें नजरअन्दाज करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आबादी के अनुसार मेरठ डिवीजन को सारी सहूलियतें दी जायं। मेरे इलाके में मुजफ्फरनगर—कैराना सड़क को रिपेयर करने की बड़ी जरूरत है। इसी तरह से एक पुल भी बनाना जेरेगौर है जो शायद हरिद्वार में बनने वाला है। वहां पुल बनने से सिवा इसके कि कुछ यात्री उससे चले जाया करेंगे और कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि वह पुल बजाय हरिद्वार में बनाने के लश्कर या शुक्रताल में बनाया जाय ताकि इसका फायदा गंगा पार और यमुना पार के लोगों को भी मिल सके। जैसा कि मैंने पहले कहा–मुजफ्फरनगर–कैराना रोड की रिपेयर न होने से अक्सर हादसा हो जाता है, ट्रक टूट जाती हैं इसलिए उसको रोकने के लिए उसका रिपेयर होना निहायत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इधर ध्यान देंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इसी बजट में मैंने देखा कि जब उधर सब लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहां के सर्किट हाउस में कूलर बनाने के लिए ७ हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। आखिर आज कल के जमाने में यह क्या काम करने आप जा रहे हैं?

हमारे एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि तहसील ज्ञानपुर को एक सड़क भी नहीं मिली है, जब मुख्य मन्त्री जी के और अन्य इन्डीकेटी एम० एल० एज० के क्षेत्रों में बहुत सी सड़कें दी गई हैं। सुर्गासा दुर्गापुर में पुल बनाने की आवश्यकता है। इसकी बहुत जरूरत है, इसको आप बनवा देंगे तो बहुत फायदा होगा। मैं खास तौर से मन्त्री जी और चीफ इंजीनियर से कहूंगा कि चकबन्दी होने के बाद जो सड़कें आपने मन्जूर की हैं, चकबन्दी के लोगों न अपने चक बना लिये हैं, आपके पुराने पैमाने में कहीं ८० फीट और कहीं ९० फीट है। इस बढ़ती हुई आबादी के जमाने में कोई भी अपनी जमीन में गड्ढे नहीं बनवाना चाहता है। तो जिले के इन्टीरियर में जो सड़कें बनाई जाती हैं वह रूल्स को अमेंड करके बनाई जायं। वह ९० के बजाय ६० फीट हो सकती हैं। ८० के बजाय ५० फीट हो सकती हैं। यह बहुत जरूरी सुझाव है। अगर स्वीकार कर लेंगे तो विभाग को सहूलियत होगी। मैं इन शब्दों के साथ कटमोशन का समर्थन करता हूं और आप अगर सोशलिस्टिक पैटर्न लाना चाहते हैं तो मैंने जो तरमीमें पेश की हैं, उनको मन्जूर करने की कृपा करेंगे।

*श्री कृष्ण मगन सिंह (जिला बाराबंकी)—

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, प्रदेश के यातायात को देखते हुए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट पेश किया गया है वह बहुत कम है क्योंकि हर जिले से यही कहा जाता है कि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं। हमारे यहां कलक्टरी, कचहरी गिरने वाली है। इस तरह से सड़कों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

श्रीमन्, मैं सबसे पहले अपने जनपद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जनपद न पूर्वी जिले में आता है और न पश्चिमी जिले में आता है। मेरे जिले में सड़कों की मांग है क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी जिले जो बहुत प्रगतिशील हैं वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण मगन सिंह]

से भी सड़कों की मांग आती है कि सड़क बहुत कम हैं। पूर्वी जिलों से भी यही मांग आती है जबकि पश्चिमी और पूर्वी जिलों में काफी सड़क बन चुकी हैं और बनती जा रही हैं। इस तरह से अवध के जिले जो उन्नाव और बाराबंकी वगैरह हैं, उनमें सड़कें आप देखेंगे बहुत कम हैं।

बाराबंकी में तो सड़कें सन् १९४७ के पहले जो बनी थीं वही हैं लेकिन उसके बाद कोई सड़क अब तक नहीं बनी है। पिछले साल खुदा खुदा कहकर दो सड़कें मन्जूर हुई थीं। एक रामनगर से बदोसराय तक थी और दूसरी रुदौली से इन्होंना तक थी। रुपया मन्जूर हो गया लेकिन वह लैप्स हो गया है और अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जब मैंने इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी से पूछा तो उत्तर मिला कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के तबादले होते रहे हैं जिसके कारण डिटेल्ड एस्टीमेंट मन्जूर नहीं हो सका है। इस साल भी यह रुपया मन्जूर हुआ है रुदौली से अमानीगंज एक ऐसी सड़क है जिस पर कि आप पैदल नहीं चल सकते। जो जिला परिषद् की सड़क थी वहां सारे पेड़ साफ हो चुके। वहां आप पैदल नहीं चल सकते और सवारी गाड़ी भी नहीं चल सकती हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले की ओर भी कुछ कृपा करें और हमारे यहां कुछ सड़क पक्की बनवा दें। पक्की से मतलब और जगह मेटल रोड से होता है लेकिन अगर हमारे यहां कंकड़ की ही बनवा दें, तो हम उनको ही पक्की मान लेंगे।

इसी तरह रुदौली–इनहोना, पवई–पटरंगा, हैदरगढ़–सुबहा भटैया–टिकैत-नगर की सड़कें हैं लेकिन इन पर काम शुरू नहीं हुआ है। इन पर भी शीघ्र काम शुरू करवा दें जिससे कि इस क्षेत्र की ओर जिले की प्रगति में जो बाधा है वह दूर हो सके। हमारे जिले ने कुछ मायने में तरक्की की है। जैसे खेती की पैदावार बढ़ी है। लेकिन अगर सड़कें न हों और आने जाने के साधन न हों तो काश्तकार जो गल्ला पैदा करता है, उसको सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाता और इस वजह से उसको उसकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिल पाता।

बाराबंकी से सिद्धौर रोड करीब ३० मील लम्बी है लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि कोई आदमी चलना चाहे तो नहीं चल सकता। यहां पर तीन-तीन फिट गहरे गड्ढे हैं। मोटर पास है लेकिन जतपुर से आगे बस नहीं जा सकती। इसको भी आप बजट में ले और इसका उद्धार करें। इसी तरह से फतेहपुर, बड्डपुर, खिजना, चिनहट से देवा, रुदौली से अमानीगंज, सजागंज से मेंसर रोड हैं। इनमें चिनहट से देवा रोड १४ मील की है। यह दस साल से बन रही है। दो मील बन गई है और दो मील बनाई जा रही है लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हो सकी है। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि यह जल्दी पूरी हो जाय। रुदौली से इन्होना रोड पर रोजघाट पर पुल पड़ता है। अगर विभाग उस पुल को बनवा दे तो सुलतानपुर से फैजाबाद वाली जो रोड है उससे यह मिल जायगी और इससे जनता को बहुत सहूलियत होगी। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इन बातों की ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हबीब अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पी० डब्लू० डी० के बजट पर बोलने का मौका दिया। जो संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुए यह बतलाना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० के मुहकमे में बड़ी शिकायतें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैसे तो उत्तर प्रदेश में कोई भी महकमा ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में शिकायत न हो, लेकिन पी० डब्लू० डी० में सबसे ज्यादा है, इस महकमे में सबसे ज्यादा गलतियां हैं। उसके कुछ कारण हैं। हमने यह देखा कि इस महकमे में करप्शन सबसे ज्यादा है। डिपार्टमेंटल आफिसर्स के खिलाफ शिकायतें भी बहुत हैं। काम वक्त पर नहीं किया जाता। जब भी यह बजट यहां आता है, माननीय सदस्यों न यह आदत सी बना ली है कि सारे इलजामात महकमे के आफिसर्स और इंजीनियर्स पर लगाये जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस महकमे में बेईमान आफिसर्स नहीं हैं। बेईमान भी हैं और अच्छे भी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ वजूहात और भी हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। राजस्थान सूबे के पी० डब्लू० डी० विभाग को जो नेशनल हाईवे का वर्क दिया गया था वह अब केन्द्र की सरकार ने वापस लेकर उसे सेंट्रल पी० डब्लू० डी० को दे दिया, ऐसा क्यों हुआ? मालूम यह हुआ कि वहां की सूबाई सरकार उस काम को करने में असमर्थ रही इसलिये वह काम उससे ले लिया गया। उनको रुपया इस वजह से सरेन्डर करना पड़ा। मुझे डर है कि कहीं वही सूरतहाल उत्तर प्रदेश की भी न हो जाय और हमारी सरकार को भी रुपया सरेन्डर करना पड़ जाय।

हमारे यहां नेशनल हाईवे के लिए ८ करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। जितना रुपया पी० डब्लू० डी० के बजट में यहां से स्वीकार किया जाता है, यह महकमा उसे खर्च नहीं कर पाता और हर साल रुपया सरेन्डर करना पड़ता है। लास्ट इयर भी करीब ४–५ करोड़ रुपया सरेन्डर करना पड़ा था। इसके कारण मैं भी हमें जाना पड़ेगा। जब यहां से सैंक्शन दी जाती है तब उस समय बरसात शुरू हो चुकी होती है। अगस्त के महीने में बताया जाता है कि यह यह काम करना है। फिर जितने स्टाफ की जरूरत होती है उस की सैंक्शन में भी बहुत देरी लगती है। स्टाफ की कमी के कारण भी कामशुरू नहीं हो पाते। फिर १०––१२ डिवीजन औसतन ऐसे भी होते हैं जिनको अनुमत्ति नहीं दी जाती या बहुत देर से दी जाती है जिसके कारण काम नहीं हो पाता और रुपया सरेन्डर करना पड़ता है।

इस वर्ष के बजट में भी जो काम सरकार ने किये जाने के लिए अपनी सैंक्शन दी है, उसके लिए स्टाफ अभी तक स्वीकृत नहीं है। आफिसरान की नियुक्ति नहीं की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो काम आप साल के आखिर में करते हैं उसे पहले क्यों नहीं करते? फिर रूल्स की इतनी टैक्नीकैलेटीज और रेजिडिटी के कारण भी बहुत समय लग जाता है, चिट्ठी इधर से उधर घूमा करती है, फाइलें महीनों पड़ी रहती हैं। नया डिवीजन खोलने हो तो महीनों का समय उसमें लग जाता है। मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वे इसको देखें और ऐसी व्यवस्था करें कि चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी पी० डब्लू० डी० सेक्रेटरी फाइनेन्स सब इकट्ठा बैठ जायं जितनी भी जरूरत हो, चीफ इंजीनियर जो भी बतायें, उनको उसके मुताबिक स्टाफ दिया जाय। स्टाफ की कमी की वजह से मैं सदन में बताना चाहता हूं अभी कुछ दिन पहले माननीय सदस्य गोंडा ने कहा था कि वहां पर रोड्स, बिल्डिंग्स व ब्रिजेज के कांस्ट्रक्शन के लिए कुछ सैंक्शन दी गई थी, किन्तु उसके मातहत काम नहीं हुआ।

ब्रिजेज का जहां तक ताल्लुक है सन् ६३ में जो सैंक्शन गई थी आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, रोड के लिए जो सैंक्शन ६८ में दी गई थी, आज तक वह रोड्स का काम पूरा नहीं किया गया। इनके कारणों को यदि हम देखें तो एक तरफ तो सरकार रुपया

[श्री हबीब अहमद]

देती है दूसरी तरफ स्टाफ नहीं देती हूं। यदि हम अपन प्रदेश की दूसरे प्रदेशों से तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में हायर आफीसर की कमी है। उत्तर प्रदेश में ५ या ६ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर यानी ५–६ डिवीजन पर एक सर्किल बन जाता सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर मास में एक बार भी डिवीजन का काम नहीं देख पाते हैं।

हरियाना, बिहार वगैरह स्टेट्स में एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को केवल ३ या ४ डिवीजन दिये जाते हैं। हिन्दुस्तान भर में ऐसी मिसाल नहीं है जहां पर ५ डिवीजन एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के जुरिस्डिक्शन में रहते हों। अपने यहां यदि हम देखें तो इस वक्त एक-एक सर्किल में साढ़े ५ या ६ डिवीजन का औसत आता है। इलाहाबाद का जो पांचवां सर्किल कहा जाता है, ८ डिवीजन उसके अन्डर में काम करते हैं। उसके अन्डर में जितने भी अफसर थे सबका थोड़े दिन पहले तबादला कर दिया गया है जबकि उनका ट्रांसफर ड्यू नहीं था। जब ट्रांसफर ओवर ड्यू नहीं होता है तो किसी शिकायत पर ट्रांसफर किया जाता है। मैं समझता हूं काम में देरी रही होगी, स्लो वर्क रहा होगा, इसीलिए उनका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यह नहीं देखा गया कि इसके लिए उनकी कोई गलती नहीं थी, वह तो मजबूर थे। अगर स्लो वर्क रहा है, तो इसलिए रहा है कि ८–८ डिवीजन एक-एक सर्किल को दिये गये थे। हरियाना आदि स्टेट में एसेंशियल मेटेरियल्स-स्टील, ब्रिक की भी व्यवस्था सरकार की ही तरफ से की जाती है। किन्तु उत्तर प्रदेश में स्टील और ब्रिक्स आदि प्राईज कन्ट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कारण से जो ठेकेदारों को काम दिये जाते हैं, वे कांस्ट्रक्शन वक्त पर पूरे नहीं हो पाते हैं, और शिकायतें बनी रहती हैं। नतीजा यह होता है कि आखिर में जिम्मेदारी का बोझ अफसरों के सिर पर लाद दिया जाता है।

कई साल पहले एक शुक्ला कमेटी बनी थी उसने यह सिफारिश की थी कि सर्विस रूल्स बीसों साल पहले के बने हुए हैं, वही चले आ रहे हैं, उनमें चेंज होना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया है। ओवरसियर्स और इंजीनियर्स जो ८–८, १०–१० वर्ष से काम कर रहे हैं, उनका कन्फर्मेशन आज तक नहीं हुआ है। जब कि हुकूमत ने वायदा किया था कि ३–४ वर्ष की सर्विस वालों को कन्फर्म कर दिया जाएगा। कन्फर्म न होने से उनके मन में अन्सटेंन्टी बनी रहती है, मन परेशान बना रहता है, जिससे वह निश्चित हो कर अपना काम अंजाम नहीं दे पाते हैं। सर्विस रूल्स में जो चेंज होने हैं उन्हें तुरन्त किया जाए और जो ३ साल के कर्मचारी हैं उनको कन्फर्म अवश्य कर देना चाहिए।

१९४५ में जब वार हो रही थी तो कुछ सब ओवरसियर्स की पोस्ट क्रियेट की गयी थी। उनको ९ महीने की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में दी थी। वह ओवरसियर के अण्डर काम करते थे। जब लड़ाई खत्म हुई तो कई सौ ऐसे कर्मचारियों को रिट्रेंच कर दिया। करीब १०० जो अच्छे काम करने वाले थे उनको रिटेन कर लिया और १९५६ में उनका प्रोमोशन ऐज टेक्निकल असिस्टेंट कर दिया गया। वह आज भी टेम्पोरेरी चल रहे हैं। उनको तीन वर्ष में कनफर्म होना चाहिए। ५५ साल या ५८ साल जो भी सर्विस करने को मिले, टेम्पोरेरी नेचर से सर्विस कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि यह एक छोटा वर्ग है। इस पर गौर करना चाहिए।

अब मैं अपने दे दूं। पहली बार मैं जब असेम्बली में बोला हूं मैंने अपने यहां की सड़कों के लिए कहा था कि कोई रुपया नहीं दिया। इस वक्त सिर्फ एक सड़क के लिए माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा। १९५० से तब से बहुगुना जी, मुजफ्फर साहब और दूसरे बड़े बड़े महान् नेता एलेक्ट हो कर आये, उस क्षेत्र को नेगलेक्ट किया गया।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य ऐसे पिछड़े हुए इलाकों से सम्बन्ध स्थापित करना है, और उससे यह आशा की जा सकती है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं सचमुच वह आगे बढ़े हुए क्षेत्रों से सम्बन्ध स्थापित करा देगा। लेकिन जैसा सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये, यह सही है कि इतनी लम्बी अवधि के बाद चाहे कोई भी विभाग हो, उसने अपने अपने प्रोग्रोम को बनाया लेकिन उन सबमें पी० डब्लू० डी० विभाग ऐसा विभाग है जिसमें किसी उन्नति की आशा न रखकर बहुत बड़ी निराशा होती है।

मैं नैनीताल के ऐसे क्षेत्रों से आया हूं जहां इतनी अवधि के बाद भी उन क्षेत्रों में जो कई वर्ष पूर्व योजना थी वह नहीं हो पायी है। उस ओर हमारे शासन की कोई निगाह नहीं पहुंची है। मैं खास तौर से अपने निर्वाचन क्षेत्र तहसील हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी की जो दुर्दशा है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रामनगर, कालाढूंगी ऐसी तहसीलें हैं जहां पश्चिम में कोसी नदी इधर कर्कटनाला भाखड़ा नदी पड़ती है। इन क्षेत्रों की ऐसी दशा हो गयी है मानों समुद्र में बिठा दिया गया है जब कि वह क्षेत्र पर्वतीय विकास क्षेत्र परिषद् में आता है। खास कर इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनायें बनायी जाती हैं। लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों में न कोई सुधार हुआ है न किसी प्लान में जोड़ा गया है। अगर जोड़ा गया है तो माननीय मन्त्री जी को मालूम होगा।

बाजपुर तहसील से मिला हुआ बेलपड़ाव क्षेत्र आता है। उस क्षेत्र की मैं कहानी सुनाता हूं। बैलपड़ाव क्षेत्र ऐसा है बारिश होने के बाद वहां न बस जा सकती है न घोड़े पर सवार हो कर जा सकता है। कार का प्रश्न ही नहीं आता। २५–३० हजार की जनसंख्या है, जो कृषक हैं। मई के महीने में सड़क खराब होने से बाजपुर केन सोसाइटी ने गन्ना नहीं लिया क्योंकि सड़क खराब थी। बन्नाखेड़ा तक लाइन बनी हुई है। आठ मील का एरिया ऐसा है जो बाकी रह जाता है। केवल जाड़ों में वन विभाग उसको चालू करता है। बेलपड़ाव से कोटाबाग का जो पांच मील का एरिया है आज भी वहां की जनता नारकीय जीवन बिता रही है। यह इस विभाग के लिए और शासन के लिए बड़े अफसोस की बात है। बेलपड़ाव गन्ना सेन्टर की बाजपुर जाने वाली सड़क की दुर्दशा होने से आज भी हजारों कुन्तल गन्ना सेन्टर पर कृषकों का सड़ रहा है। क्या सरकार को इस की परवाह नहीं है जिसे तुरन्त देखा जाय ?

अभी इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं काठगोदम से नैनीताल रोड का किस्सा सुनाऊं। एक जगह सड़क धस गई और उस सड़क के उपर से जो सड़क धस रही है बसों का वेट पड़ता है। हजारों टन मिट्टी और डाली जाती है। कान्क्रीट डाली जाती है। जब की वहां ऐसी जगह है कि सीधा कटान किया जाय तो १० हजार रुपये में वह रोड बन सकती थी। पी० डब्लू० डी० का धंधा ऐसा है कि उसको धरान करने में लाखों रुपया बरबाद कर दिया। इसका कारण यह है कि विभाग की भावना जन जीवन की रक्षा करना नहीं है।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है। इतना महत्वपूर्ण अनुदान चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप की तरफ से कोई बोलने वाला तो है नहीं। रोटी खाना और बचाना दोनों आप चाहते हैं। कोरम के अभाव में अगर मैं सदन स्थगित कर दिया करूं तो एक भी काम नहीं

[श्री उपाध्यक्ष]

चलेगा। शाम को नियम ५६ व ५२ एक भी नहीं चल सकेगा। अगर बार-बार आप इस कोरम की बात कहेंगे तो नुकसान के लिये भी तैयार रहना होगा। मैं भी यह सही समझता हूं कि कोरम अगर न रहे तो एक मिनट भी सदन नहीं चलना चाहिये।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह तय हो जाय कि या तो बिना कोरम के हाउस नहीं चलाया जा सकता या फिर चैलेंज न किया जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल कांग्रेस संगठन की ओर से कई बार उठाया गया। मैं उस दल के महत्व को समझता हूं। विरोधी पक्ष का अगर यही मंशा है तो मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा क्योंकि यह बात नि म सम्मत भी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आप देखें कि कैबिनेट स्तर तक का कोई मंत्री नहीं है और बिना कोरम के विवाद भी चल रहा है। कम से कम केबिनेट स्तर का मंत्री तो अवश्य होना चाहिये।

श्री इन्द्रलाल—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री मौजूद हैं।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

राज्य मंत्री हैं। मेरा कहना है कि केबिनेट मंत्री के स्तर का मंत्री अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

मान्यवर, मैं आप की इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे विवाद के समय में कैबिनेट स्तर के मंत्री को सदन में रहना अनिवार्य है अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सवाल उठाया था उस समय कोरम नहीं था। अब कोरम हो गया है और मैं इसको खारिज करता हूं। ....माननीय इन्द्रलाल जी बोल रहे थे।

श्री इन्द्रलाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो ठेकेदारी का सिस्टम है, टेन्डर का सिस्टम है और मास्टर रोल का सिस्टम है उसमें मैं समझता हूं सरकार की असंख्य धनर शि बर्बाद हो रही है और कार्य पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि कहा जाता है ठेकेदारों अ र बहां पर तैनात सरकारी कर्मचारी जो विभाग के हैं उनमें परसेन्टेज का प्रश्न होता है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम सेकम इस पद्धति में अमूल परिवर्तन करने की भावना लावें। आप अपने विभ ग के अधिकारियों को इस बात के लिये आश्वस्त करें कि अ ज जो ल खों रुपया ठेकेदारों से टेन्डर और मास्टर रोल पर खर्च करते हैं, उसको बच ने का प्रयत्न किया जाय।

मैं अभी-अभी ५—६ अगस्त को अपने क्षेत्र कुमांयू में गया था। मैंने देखा कि ३० मील के एरिये में पहाड़ प नी और मोरनाला में पिछले ३ वर्षों से एक सड़क बनी है किन्तु अभी भी वहां पर केवल पी)डब्लू0 डी) का मिट्टी कार्य ही दि ख ई देते है। सड़क नहीं बनी है। उस क्षेत्र की आज जो दुर्दशा हो गई है। ८,१० मील के एरिये में तो हजारों क्विंटल फल और

आलू सड़े पड़े हुये दिखाई देते हैं। किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगी हैं। जो सड़क है वह इतनी खराब हो गई है कि मोटर उसपर नहीं जा पाती हैं। रोडवेज वाले कहते हैं कि हम क्यों अपनी मोटर वहां ले जांय, वहां पर सड़क खराब है। मैंने इस सम्बन्ध नियम ५१ के अन्तर्गत आपको मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने के लिये लिखा है किन्तु वह भी मंजूर नहीं हुआ है। यहां पर प्रश्नों की हालत यह है कि हमारे प्रश्न इतनी दूर रख दिये जाते हैं कि उनकी मंत्री जी को पढ़ने तक की नौबत नहीं आती है। मान्यवर, आपको ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्र की जनता ज्यादातर फल, सब्जी और आलू पर निर्भर है। पी० डब्लू० डी० द्वारा सड़कों में सुधार न कर सकने के कारण आज सचमुच वहां की जनता में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारों व्यक्तियों का जीवन दुखित है। तो क्या इस विभाग से आश की जा सकती है कि वह प्रदेश में खुशहाली लाये।

मान्यवर, यही नहीं, इसी क्षेत्र में मोरनाला और धूनावाट सड़क योजना कई वर्ष पहले बन चुकी थी किन्तु वह केवल योजना बनकर ही पड़ी हुई है और जो योजना बाद में बनी थी वह आज तक पूरी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे उस योजना को शीघ्राति-शीघ्र बनवायें और उसे पूर्ण करायें।

मान्यवर, रामनगर तहसील में एक गांव मालधनपोड पड़ता है जिसमें कि लगभग १५ हजार हरिजन भाई हैं और जो गांव रामनगर तहसील को काशीपुर तहसील के छोर से मिलाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तहसीलों को मिलाने वाली सड़कों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है वहां के इन १५ हजार हरिजन भाइयों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। उस सड़क में मिट्टी ही पड़ी हुई है। लम्बा आदमी तो जा सकता है किन्तु यदि दो-तीन फीट का साधारण आदमी उस सड़क में जाय तो वह उस मिट्टी में ही समा जाय। वहां पर मालधन जाते एक ढेला नदी पड़ती है जिस में पुल नहीं है। जाड़ों में भी यदि जग जल्दी बारिश हो जाय तो लोगों का आना-जाना नहीं हो सकता है। सड़कें डूब जाती हैं उनमें सुधार कार्य नहीं होता है।

पी० डब्लू० डी० के जो गैंग सड़कों पर काम करते हैं वे सुबह 12 बजे काम पर जाते हैं और जो कोई आदमी उधर से गुजरता है तो उससे बार-बार पूछते रहते हैं टाइम क्या हुआ। उनके ऊपर ठीक तरह से नियन्त्रण नहीं है। इस प्रकार से सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र अब तक उपेक्षित रहे हैं जिनको कि पर्वतीय विकास परिषद् पर निर्भर नहीं रहना है। मैं मान्यवर, से निवेदन करूंगा कि विभाग के जो सहायक अभियन्ता या एक्जक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे रिपोर्ट मांगें कि सचमुच इस इलाके को प्राथमिकता दी जाय या नहीं और वहां की जनता की क्या तकलीफें हैं उनका आप निराकरण करें।

एक किच्छा तहसील में शान्तिपुरी नाम का गांव है जो कि बरेली रोड—लाल कुआं रोड से ४ मील उत्तर पूर्व पड़ता है। मैं शासन से अनुरोध करता चला आ रहा हूं कि यहां नदी का पुल शीघ्र बने किन्तु लिखा पढ़ी में ही समय बीत रहा है। १० लाख का एस्टीमेट आया है। पर्वतीय विकास परिषद् बनाये जाने की सूचना दी जाती है। वैसे तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है। जो आख्या आयी है उसको मैं विरोधाभास से नहीं देखूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह कार्य २० हजार की धनराशि में भी हो सकती है तब लाखों के आगड़न की बात मैं नहीं समझता। इसका उद्देश्य क्या है? हलद्वानी से फतेहपुर तक ५ मील का टुकड़ा है जो कि कैनाल डिपार्टमेंट के पास है। सन् १९६९ की फरवरी में पी० डब्लू० डी० को लिख कर दे दिया था कि यह विभाग इस सड़क को अपने हाथ में ले ले। फतेहपुर से कालाढुंगी तक १० मील का टुकड़ा पी० डब्लू० डी० के पास है तो दूसरा डिपार्टमेंट बीच में आ गया है तो जनहित का काम कैसे हो सकता है, यह सोचने का विषय है। यहीं

[श्री इन्द्रलाल—]

पर ऐसा क्षेत्र है, फतेहपुर से 4 मील पर लामाचौर चौफुल्ला जहां सार्वजनिक निर्माण मंत्री महमूद अली खां को मैं मौके पर ले गया था। १० मील के एरिया के अन्दर इस विभाग ने सिर्फ २ फर्लांग का टुकड़ा इसलिए छोड़ दिया है कि वह काम बहुत कीमत में बन जाता है लेकिनइनकी योजना किसानों को हरी लहलहाती खेती पर रोड बना कर उसे उपयुक्त यह समझते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम वहां के काश्तकारों के हितों को देखें। और जिसमें वर्षों से यातायात चल रहा है, भारी से भारी ट्रकें चल रही हैं उस पर, कोई असुविधा नहीं है। तब इन चीजों को दूर कराया जाय और वास्तविक जनहित में काम कराया जाय। जो बजट प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हू।

*श्री श्रीरामसिंह (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पी० डब्लू० डी० विभाग पर अपने विचार रखने का मौका दिया है, उसका मैं बहुत आभारी हूं। श्रीमन्, जहां अपने देश की 80 फीसदी जनता गांव में रहती है, देश के नव-निर्माण के लिए गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। बिना विकास हुए, नव-निर्माण दूर ही रहेगा। मान्यवर, इन्हीं बातों के समर्थन में गांधी जी भी थे। आज मैं आप लोगों का ध्यान इन गांवों के विकास की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज अपने प्रदेश में केवल ३० फीसदी गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों से जुड़े हैं और करीब २६ फीसदी ऐसे हैं जो कच्ची सड़कों से जुड़े हैं। मान्यवर, लेकिन ४४ फीसदी गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े नहीं हैं। यदि इन गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाय तो गांव के विकास में बहुत बड़ी सुविधा होगी और लाखों बेकारों को काम मिल सकेगा। मान्यवर, प्रदेश में गांव के नालों पर पुलियों का अभाव है और जो है वह भी सड़क से अलग हो गये हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है, जहां अभी तक न तो स्कूलों के भवनों का निर्माण हुआ है और न अच्छे अस्पतालों का ही। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंडा सब से पिछड़ा जिला है। इसमें विधान सभा क्षेत्र कटरा सब से पिछड़ा है। कटरा में एक भी पक्की सड़क नहीं है और न बिजली ही है। कर्नेलगंज की भी यही दशा है।

महीनों से बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। और आने-जाने का समुचित प्रबन्ध होजाय तो जनता को बाढ़ के समय भी बहुत राहत मिल सकती है। श्रीमन्, हमको कोरे नारे लगाते हुये २५ वर्ष हो गये हैं लेकिन गांवों के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अस्तु इन कोरे नारों से काम नहीं चलने का है। गांवों तक सड़कों और पुलों का निर्माण होना चाहिये तथा बिजली और छोटे उद्योगों का गांवों में प्रबन्ध करना होगा

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पक्की सड़क, डाकघर अथवा रेलवे स्टेशन से सड़क बनाकर जोड़ दिया जाय। जो कच्ची सड़कें हैं धीरे-धीरे उनको पक्की बनाया जाय। कच्ची सड़कों की अगर हर साल मरम्मत होती रहे तो जो लाखों रुपयों की मिट्टी बह जाती है, वह बच जाय। कोई भी सड़क पुल के बिना बेकार है। सरकार को पुलों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। बिजली की लाइन बनाई जाय। सरकार जिन सड़कों को स्वीकार कर चुकी है, उन पर करीब २/३ वर्षों से कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

करनेलगंज से हुजूरपुर होते हुये जो सड़क जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसलिये इसका निर्माण होना बहुत जरूरी है। बहराइच जाने के लिये करनेलगंज से सड़क की बहुत ज्यादा मांग है। गल्ला अगर मंडी में ले जाते हैं तो काफी घूम कर ले जाना होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इसका निर्माण कर दिया जाय तो काफी समय की बचत हो सकती है। इसी प्रकार बाजपुर पट्टा से कुकुरभुकवा तक एक नई सड़क का निर्माण कर दिया जाय तो जनता को काफी सुविधा हो सकती है। एक सड़क कुकुरभुकवा की स्वीकार हो चुकी है। लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। उस पर जल्दी काम शुरू किया जाय। कुकुरभुकवा से महाराजगंज तक सड़क का निर्माण करा दिया जाय तो जनता को आने-जाने की बहुत बड़ी सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, कटरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारे देश को आजाद हुये २५ साल हो गये हैं लेकिन आज तक कोई भी सड़क, अस्पताल या कोई काम नहीं हुआ है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दें और वहां की जनता को राहत पहुंचायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राजा विजयकुमार त्रिपाठी (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचार साधनों का निर्माण एवं रख-रखाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर है कि प्रदेश के कोने-कोने के गांवों को सड़कों से जोड़ दें किन्तु हमें खेद है कि हमारे इस लखनऊ जिले की ओर और हमारी आवश्यकताओं की ओर शासन ने ध्यान नहीं दिया है और इस वर्ष भी बजट में इसका प्राविधान नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर काकोरी टाउन एरिया से मलिहाबाद-मोहान रोड तक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, जिसमें कोई सड़क नहीं है। और जनता पिछले कई सालों से लगातार कोशिश करती रही है कि वहां सड़क का निर्माण हो जाय लेकिन अभी तक नहीं हो सका।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में एक नई सड़क का निर्माण किया जाय, काकोरी टाउन एरिया से मलिहाबाद-मोहान रोड को जोड़ते हुए दसदोही–बहरू होकर निर्माण किया जाय। यह सड़क अत्यावश्यक है।

इसके साथ ही साथ जिला परिषद्, लखनऊ के अन्तर्गत जो पक्की और कच्ची सड़कें हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है और दयनीय है। उनकी तरफ शासन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। जिला परिषद् के पास इतने साधन नहीं होते कि उनका ठीक से रखरखाव किया जा सके। कच्ची सड़कों पर तो कहीं कोई कार्य ही नहीं होता। ये सड़कें तो गलिहारों से भी बदतर हैं। यही हालत मैं समझता हूं प्रदेश के अन्य जिलों में भी होगी।

मैं शासन को सुझाव दूंगा कि जिला परिषद् की वर्तमान पक्की सड़कों को तुरन्त सार्वजनिक निर्माण विभाग में ले लिया जाय और महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेकर पक्का कराया जाय ताकि उनका ठीक से रख-रखाव हो सके। इसके अलावा आवागमन का भी ठीक से प्रबन्ध हो जायगा। अगर जिला परिषदों के पास ही ऐसी सड़कों को रखा गया तो इन सड़कों की हालत वैसी ही बनी रहेगी और संचार साधनों में कोई सुधार न हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ मैं अपने जिले की कुछ महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनको सरकार अपने हाथ में लेकर पक्का बनवाये। ये सड़कें हैं लखनऊ–नगराम रोड, सिसेंडी–प्रदापुर रोड, फतेहगंज–नारायणपुर

[राजा विजयकुमार त्रिपाठी]

रोड, और बिजनौर–सिसेंडी रोड। यह जिला परिषद् की कच्ची सड़कें हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बिजनौर–सिसेंडी सड़क उपजाऊ क्षेत्र से गुजरती है और दो दो मुख्य सड़कों को जोड़ती है।

इसके अलावा ऐसी भी छोटी-छोटी सड़कें हैं जो लखनऊ शहर को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाली बड़ी-बड़ी सड़कों से मिलती हैं। इन सड़कों की हालत अच्छी न होने से ग्रामवासी अपनी उपज को शहर की मण्डी में आसानी से नहीं ला पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र की ऐसी सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा पक्की करा कर विभाग के अधिकार में ले लिया जाय।

इसके अलावा कुछ पक्की सड़के भी हैं जैसे लखनऊ–बिजनौर रोड, यह जिला परिषद् की सड़क हैं और इसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि उससे निकलना मुश्किल है। बरसात के जमाने में सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि कोई भी आदमी सूखे कपड़े लेकर नहीं आ सकता। राजधानी के इस जिले में जब सड़कों की यह हालत है तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हालत होगी इससे ही अन्दाजा लग सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिला परिषद् की समस्त पक्की सड़कों को जल्द से जल्द सार्वजनिक निर्माण विभाग में ले लिया जाय। इस समय जिला परिषद् भी जिलाधीशों के अधिकार में है, उनके द्वारा यह सुझाव प्राप्त करने में भी माननीय मंत्री जी को कठिनाई न होगी। वे आसानी से सुझाव दे देंगे कि इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया जाय।

एक और समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लखनऊ से जो गांव १, २, ३ मील पर हैं। वे पक्की सड़कों के किनारे तो पड़ते हैं लेकिन पक्की सड़क से उनको कच्ची सड़कें मिलाती हैं। उन गांवों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें न होने से वहां के लोग अपनी उपज का समूचा लाभ नहीं उठा पाते हैं और जो चीजें उत्पादित करते हैं उनको नगर में नहीं ला पाते। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि ऐसी पक्की सड़कों के आस-पास २–३ मील तक जो भी गांव हैं, उनको पक्की सड़कों से फीडर रोड के द्वारा जोड़ दिया जाय।

मैं आशा करता हूं कि जितने सुझाव मैंने माननीय मंत्री जी को दिये हैं उनके ऊपर वे विचार करके शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे तथा इस जिले तथा प्रदेश के अन्य जिलों में संचार साधनों का समूचा विकास किया जायगा। मैं इन शब्दों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय शिव प्रसाद पांडिया। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये संविधान में जो कोरम का प्राविधान है, उसको पढ़ देना चाहता हूं। अनुच्छेद १८९(३) में यह है :––

"जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की संपूर्ण संख्या का दशांश, इसमें से जो भी अधिक हो होगी।"

उपधारा (४) इस प्रकार है :

"यदि राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाय।"

और इसके अन्तर्गत हमारी विधान सभा का जो उपयुक्त नियम है वह है––

"१६––गणपूर्ति––सभा के उपवेशन को गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सब सदस्यों की संख्या का दशांश होगी।"

श्री बंशीधर पांडेय––

आन्यवर, यह आपने बड़ा अच्छा किया जो यह बात बीच में कह दी। दरअसल संविधान में और नियमावली में यह है और जनतंत्र की प्रणाली यह होती है कि यह अपेक्षा की जाती है कि जो पार्टी सरकार में होती है––यह बात जरूर है कि सब लोगों को उपस्थित रहना चाहिये क्योंकि यह तो हर आदमी का कर्त्तव्य होना चाहिये कि यहां पर बैठकर अपनी कांस्टीटुएन्सी के इन्टरेस्ट को वाच करें––लेकिन इस गणपूर्ति की ज्यादा आवश्यकता तब होती है जब बजट सेशन चलता है.....

श्री उपाध्यक्ष––

हमारे लिये तो कोई छूट नहीं है। यह प्रश्न तो आप ही के दल के दो माननीय सदस्यों ने उठाया था इसलिये मुझे कहना पड़ा। उस समय उठाते हैं जब कोरम न हो तो वह अंग नहीं बनता है कार्यवाही का। तो मैंने उसको बता दिया...

श्री बंशीधर पांडेय––

अब तो जो आपने कह दिया वह ठीक हो गया। लेकिन यह सरकार का ध्यान होना चाहिये कि बजट हो रहा है। मालूम होता है कि बजट को पास ही नहीं करना चाहते।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)––

एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष––

निवेदन का यह समय नहीं है।

श्री शिव कुमार पांडेय––

सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं इजाजत नहीं देता। यह निवेदन का समय नहीं है।

श्री शिव कुमार पांडेय––

यह कौन सा तरीका है? मैं आपसे इजाजत मांगता हूं और आप मास्टर जैसे मुझको डांटते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

आप आसन ग्रहण करें नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको मालूम ही है कि मैं ऐसे जिले का प्रतिनिधि हूं कि जिसकी बड़ी चर्चा इस बात की है कि राय बरेली में तो बड़ी प्रगति हो रही है और इतनी

[श्री शिव प्रसाद पांडिया---]

प्रगति हो रही है कि वहां सब काम ठीक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सबसे पिछड़ा हुआ जिला है तो वह हमारा जिला है क्योंकि न तो वहां अच्छे स्कूल हैं और न वहांपर अधिक विद्या ही है और अस्पतालों की यह हालत है कि अस्पताल तो हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं। इसी तरह से सड़कों का इतना अभाव है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक बात जरूर है कि साल में दो, चार बार हमारी इंदिरा महारानी जरूर वहां आती हैं। और जब वह आती हैं तो जितने सड़क के गढ्ढे होते हैं...

श्री उपाध्यक्ष---

इन्दिरा गांधी महारानी नहीं हैं। वह प्रधान मंत्री हैं।

श्री शिव प्रसाद पांडिया---

हां, वह हमारी प्रधान मंत्री हैं। जब वे यहां पर आती हैं तो यह हालत है कि सारी सड़कें जिन में गड्ढे होते हैं सबको बिलकुल पाट दिया जाता है। वह आईं और फर्र से चली गईं तो फिर जैसे का तैसा हो गया, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिले में और खासतौर से जिस क्षेत्र से मैं चुना गया हूं, उस क्षेत्र की तरफ तो बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। असल बात यह है कि मैं ४७ से सोशलिस्ट हो गया तो उस समय से कुछ लोगों ने यह समझा कि यह तो पांडिया जी का इलाका है। इधर जब से मैं विधायक हो गया हूं तब से यह हालत है कि जब मैं अपने गांव की तरफ से चलता हूं तो बहुत से जो कांग्रेसी लोग हैं वह ताली बजाते हैं और कहते हैं कि अब तो पांडिया जी विधायक हो गये हैं उनसे कहो कि सड़क बनवायें। मैं उनसे कहता हूं कि क्यों बेकार ताली बजाते हो। यहां तो इन्दिरा जी का भी संसदीय क्षेत्र है। अब कहा जाता है कि यह केन्द्रीय क्षेत्र हो गया है और केन्द्र में आ गया है लेकिन अब भी वही हालत है।

अब मैं २, ४ बातें अपने जिले के बारे में और बतलाना चाहता हूं। वह यह है कि जो टोलटैक्स लिया जाता है तो उसके विषय में राज्य मंत्री जी जब वहां पर गये थे तो उनसे जनता ने भी निवेदन किया था कि छोटे-छोटे पुलों को बनवा दिया जाय। वैसे तो हमारा इलाका ही ऐसा है कि एक तरफ सई नदी है और दूसरी तरफ गंगा नदी है। दोनों से मिला हुआ हमारा इलाका है। इन दोनों नदियों में इतने बड़े बड़े नाले हैं कि जहां पर हमारे राज्य मंत्री जी गये थे, केथवल का इलाका वहां पर गंगा नदी का बहुत बड़ा नाला है। इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते हैं। वहां पर जो नाला है वह फतेहपुर के इलाके को जोड़ता है। तो वहां पर पुल का होना बहुत आवश्यक है। सरायभान के स्थान पर पुल बहुत आवश्यक है। नायम गांव है, वह सई नदी के किनारे है यहां पर पुल का होना बहुत जरूरी है।

हमारे यहां जो सड़कें हैं उसके बारे में ध्यान दें जब हम लोग यहां से चलते हैं लखनऊ से राय बरेली जाते हैं तो तिपुलिया तक हम लोग बस से जाते हैं। आगे इन्दिरा जी का क्षेत्र है। तिपुलिया रायबरेली शहर से ३, ४ मील के फासले पर होगा लेकिन वह खट्ट-पट्ट और खच्च-पच्च का रास्ता है कि जो इस सड़क पर बस से जाता है उसकी कमर टूट जाती है। अब इसके अलावा आप यह देखें कि जब हम राय बरेली को पार कर के इलाहाबाद को चलते हैं तो एक सड़क मुंशी-गंज से सीधी प्रतापगढ़ को जाती है। दूसरी सड़क जगतपुर से होती हुई इलाहाबाद को जाती है लेकिन इस सड़क की यह हालत है कि मुंशीगंज से जो मुसाफिर भूल भटक कर, जिनको इलाहाबाद जाना है और जिनको यह पता नहीं है कि हमको ऊंचाहार होकर जाना है, तो जब वह इलाहाबाद के लिये टिकट वहां से कटाते हैं और मुंशीगंज से ऊंचाहार होते हुए जगतपुर की तरफ, बस जाने लगती है तो जितने भी मुसाफिर है उनको इतने धक्के और हिचकोले लगते हैं कि सभी कहने लगते हैं कि यह क्या मामला है। अगर कहीं हम गये और उसमें मैं बैठे रहता हूं तो वे कहते हैं कि वह एम० एल० ए० बैठे हैं इनसे पूछिए। मैं यही कहता हूं कि यह तो इन्दिरा जी का संसदीय क्षेत्र है। यह वहां की हालत है।

फिर देखिए रायबरेली का जहां पर से बार्डर शुरू होता है कंकरीली व जहां से प्रतापगढ़ का बार्डर शुरू होता है वहां से फिर तारकोल की सड़क है। वहां रायबरेली के मुंशीगंज से लेकर रायबरेली की सरहद, देसौली में साइन बोर्ड लगे हैं वहां उनसे मालूम हो जाता है कि यह प्रतापगढ़ की सड़क है और यह रायबरेली की सड़क है और यह जो रायबरेली की सड़क है वह दूर से ही इन्दिरा जी के क्षेत्र की सड़क मालूम हो जाती है। हमारे पूरे क्षेत्र में कुल २ ही पक्की सड़कें हैं, एक तो भगवान जाने कि कब की बनी हुई है, वह आज की बनी हुई नहीं है, वह लखनऊ से रायबरेली, मेजरगंज, सलोन, प्रतापगढ़ होकर बनारस जाती है और दूसरी सड़क ऊंचाहार होती हुई इलाहाबाद को जाती है।

एक ऐसी ही सड़क है जो कानपुर से चलती है, उसकी भी वही हालत है। कानपुर से उन्नाव तक तो पक्की तारकोल की है लेकिन आगे उसकी भी कंकरीली बहुत ही खराब हालत है जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था। इसके अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा थोड़ा सा काम है या छोटे छोटे टुकड़े मिलाने हैं उनसे बहुत सुविधा वहां की जनता को हो सकती है। ऊंचाहार स्टेशन जंक्शन है लेकिन वहां से मुश्किल से एक फर्लांग पर जहां पर कि इलाहाबाद वाली बसें ठहरती हैं, वहां तक आप किसी तरह से भी ऐसी खराब हालत है, कि आप जा ही नहीं सकते, एक ऊचाहार से खरौली घाट–फतेहपुर–नौबस्ता घाट का टुकटा मुश्किल से ५–६ किलो मीटर का ही होगा अगर यह खरौली तक पक्का कर दिया जाय तो बहुत ही बड़ा काम हो जायगा। इससे उधर का इलाका काफी संतुष्ट हो जायगा। इसी तरह से सलोन से ऊंचाहार चलिये, वहीं हमारा गांव है, बड़े-बड़े गांव हैं, वहां न बिजली है न कोई चीज है, वहां पर एक उसुवापुर की बाजार है जो बैलों की बहुत बड़ी मण्डी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ आदि जिलों में इससे बड़ी कोई बाजार नहीं है लेकिन उस बाजार तक जितने भी रास्ते हैं उसमें इतने गड्ढे हैं और सारी सड़क कच्ची है कि लोगों को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। इतने बड़े बाजार के लिये जल्द ही पक्के पक्के रास्ते और सड़क का प्रबन्ध होना आवश्यक है।

एक बात यह भी कहना है कि हमारे जिले का सबसे बड़ा गंगा का घाट गोलकना घाट है, जहां कार्तिकी में बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन वहां के लिये मुश्किल से एक सड़क जो कानपुर से पक्की आती है जो मुश्किल से करीब २ मील की ही मेले से होगी, अगर उसको कानपुर की सड़क से जोड़ दिया जाय तो इससे लाखों यात्रियों को बहुत लाभ पहुंच सकता है। अगर इस २ बील के टुकड़े को जोड़ दिया जाय तो काफी सुविधा वहां की जनता को और भी मिल सकती है। इसी तरह से सलोन की कच्ची सड़क को जो जगतपुर की पक्की सड़क है व जो भटका होते हुए जाती है व जो केवल ५ या ६ किलो मीटर की दूरी तक पक्की कर दी जाय तो वह जगत पुर की पक्की सड़क से मिल सकती है। सलोन से भी भी जहांपुर की कच्ची सड़क को पक्की कर दी जाय तो बहुत लाभ होगा क्योंकि प्रतापगढ़ के बाजार, भवानीगंज तक पक्की सड़क मौजूद है।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि हमारे श्री रामपति जी, धुरियापार, गोरखपुर के विधायक हैं उनके क्षेत्र में बांसगांव से उसवा तक सड़क ६९–७० के बजट में मंजूर हुई थी लेकिन कोई कार्य वहां नहीं किया गया। इस सड़क को ३ मील धुरियापार तक और बढ़ा दिया जाय। इसी तरह से गोरखपुर से सिकरीगंज तक तो डामर की सड़क हो गई है लेकिन सिकरीगंज से बड़हलगंज तक अब भी गड्ढेदार सड़क है, उसको भी पक्का करा दिया जाय। धुरियापार कुआनो पर पुल बनवाकर दुआबे के लोगों को बाढ़ और गरीबी से बचाया जाय। इसी तरह से कौड़ीराम से गोला की सड़क अधूरी है उसको भी पूरा किया जाय।

श्री शिव कुमार पांडेय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन चल रहा हो, उसके बीच में जब एक माननीय सदस्य बोल चुके हों और दूसरे न उठे हों, उस समय यदि कोई सदस्य आपसे कोई निवेदन करना चाहता है तो उसके लिये कब समय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यदि शासक दल के किसी माननीय सदस्य को हर समय निवेदन करना है तो कैसे काम चलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि यहां पर ४२६ सदस्यों को निवेदन करना है तो आपका बजट समय से पास नहीं होगा। आप शासक दल में हैं, आप चाहें कि हर जगह हर सवाल पर, चाहे वह किसी का भी सवाल हो, आप बोलें तो कैसे हो सकता है। जब मैंने माननीय पांडेय जी को टोका, मैं एक व्यवस्था के बारे में रूलिंग दे रहा हूं तो आप कहते हैं कि निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने नेता से पूछ लीजिये। अगर नेता सदन कहते हैं कि हमारे शासक दल के माननीय सदस्यों को बोलने का हर वक्त समय है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

श्रीमन्, मैं कई रोज से पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम पढ़िये और उसके बाद जब कोई सुनवाई की जरूरत हो तो आप मेरे कक्ष में आने की कृपा करें। आपको समझा दूंगा और निवेदन के बारे में संतुष्ट कर दूंगा। कार्यवाही चलती है समझदारी से और समझदारी आती है धीरज से और धीरज आता है चुप रहने से।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, वस्तुतः सार्वजनिक निर्माण विभाग का बड़ा महत्व है क्योंकि देश और प्रदेश के जितने सार्वजनिक निर्माण कार्य होते हैं, वे सब उसी के अन्तर्गत होते हैं। जहां तक सड़कों का प्रश्न है और यातायात के साधनों का प्रश्न है, इन पर ही किसी प्रदेश के विकास को हम आंकते हैं। यदि यातायात के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस प्रदेश या जनपद का विकास किसी भी दशा में संभव नहीं है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमरा जनपद प्रतापगढ़ है। वह हर दृष्टि से बहुत ही पीछे हैं और सड़कों के निर्माण के दृष्टिकोण से तो बहुत ही पीछे हैं, पुलों के निर्माण की दृष्टि से बहुत ही पीछे हैं और इसका परिणाम यह होता है कि पार्श्ववर्ती जितने जिले या जनपत है उनसे हमारे जिले का संबंध स्थपित नहीं हो पाता है। और जब व्यापार और उद्योग में बाधा पड़ती है तो विकास में बाधा पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पट्टी में २४ वर्षों से कोई सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से नहीं बनाई गई है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर गाजी की बाग से मुबारकपुर तक एक सड़क का निर्माण हो जाय तो निश्चित रीति से इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का सम्बन्ध हर दृष्टि से स्थापित हो जाय। बार-बार मैं मांग किया करता हूं, बार-बार मैं कहा करता हूं लेकिन कोई भी सुनवाई इसकी

नहीं होती। हर वर्ष आपका बजट आता है तो मैं देखता हूं कि शायद इस बजट में यह सड़क आये लेकिन नहीं आती।

इसी प्रकार श्रीमन्, फतनपुर से वीरापुर सड़क नितान्त आवश्यक है। उसका भी निर्माण २४ वर्षों से निरन्तर वायदा करने के वावजूद भी नहीं हो पाया। रानीगंज से पट्टी तक की एक सड़क दो वर्ष हुए स्वीकृत हुई है लेकिन मुझे बड़ा खेद है इस बात को कहने में कि वह सड़क आज तक शुरू ही नहीं हो सकी है। दो वर्ष हो रहे हैं वह आज तक नहीं शुरू की गई। सौनसा से कनेवरा तक की सड़क का प्रोपोजल रखा और यहां कहा कि सड़क बनाई जाय। कोई अधिक दूर भी नहीं है, केवल दस मील का फासला पड़ता है लेकिन वह भी सड़क आज तक निर्माण नहीं हो सकी। तो श्रीमन, मुझे बड़ा क्षोभ है। अगर इसी स्थिति में सरकार चलती रही और पक्षपात पूर्ण रीति से सड़क का निर्माण होता रहा तो सम्यक विकास प्रदेश का सम्भव नहीं है और कुछ स्थल और कुछ जनपद तो इतने उपेक्षित हो जायेंगे कि वहां कभी सड़क निर्माण सम्भव ही नहीं हो सकेगा।

एक सड़क की चर्चा और करना चाहती हूं। पृथ्वीगंज बाजार से पट्टी तक की सड़क बन जाय तो चतुर्दिक साधन हो जांय और वहां के लोग आने-जाने लगें। लेकिन यह हो नहीं रहा और जो सड़कें स्वीकृत भी हैं वे भी विभाग के शैथिल्य के कारण नहीं बन रही हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और जो बहुत आवश्यक निवेदन है, बहुत आवश्यक काम है। जामताली स्थान के बगल से सई नदी प्रवाहित होती है। वहां अगर पुल का निर्माण हो जाय जिसकी मांग मैं निरन्तर करता चला आ रहा हूं, तो कई जनपद जुड़ जाते। व्यापारिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से इलाहाबाद जुड़ता है प्रतापगढ़ से जौनपुर जुड़ता है, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर जुड़ता है प्रतापगढ़ से और भी रायबरेली जैसे जनपथ प्रतापगढ़ से जुड़ जाते हैं। और स्थिति क्या है।

ऐसा है कि हमारा जो वीरापुर क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सई नदी दो भागों में बाटती है। हमारे क्षेत्र की तहसील, पट्टी है। वह तहसील सई नदी के उस पार है, और ज्यादातर क्षेत्र सई नदी के इस पार है। सीधे अगर हमारे क्षेत्र के सीमान्त गांवों से पट्टी तहसील जाया जाय तो १६ मील से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा लेकिन कोई भी ग्रामीण सीधे जा नहीं सकता सई नदी के कारण। करता है क्या? सीमान्त के गांव से या क्षेत्र के बीच के गांव से ग्रामीण जाता है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से वह जाता है पट्टी। परिणाम यह होता है कि आने जाने में कम से गम १२–१५ रुपये का किराया व्यय हो जाता है। अगर जामताली में सई नदी पर पुल का निर्माण हो जाय तो निश्चित रीति से क्षेत्र के दोनों भाग जुड़ जायं। और सीधे जनता तहसील पहुंच जाय और जो उसको व्यय करना पड़ता है वह व्यय न करना पड़े।

मैं हिसाब लगा रहा था कि आज तक २४ वर्षों में जितना व्यर्थ का व्यय हमारे क्षेत्र में जनता को करना पड़ा अगर वह व्यय कहीं एकत्र कर लिया गया होता तो जामताली में सई नदी के एक पुल की बात क्या है, वहां १०–२० पुल बन गए होते। लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान दिलाया न गया हो। ध्यान दिलाया गया। लिखकर, वक्तव्य देकर, प्रदर्शन करके, जनता की सभाएं करके, भंगियों को बुला कर, जितने भी जनतांत्रिक तरीके हैं वे सारे अख्तियार किये गये ध्यान दिलाने के

[श्री रामदेव]

लिए। एसेम्बली में मैंने दो-तीन बार हर बजट में कहा। पट्टी तहसील की समस्या का हल निश्चित रूप से हो जाय अगर जामताली के पार्श्व में सई नदी का पुल का निर्माण हो जाय। वहां सड़क स्वीकृत है। बन नहीं रही है। लेकिन सड़क बनने का भी कोई अर्थ नहीं होगा अगर पुल का निर्माण नहीं होता।

कुछ सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो विशेष त्रुटियां हैं उनकी ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं या जिले में दौरा करता हूं तो देखता हूं। अगर कहीं कोई सार्वजनिक निर्माण का काम होता है, पहले तो होता ही नहीं लेकिन अगर होता है तो असामयिक रीति से होता है। जब जौ- गेहूं की फसल लहलहाती है तो उस समय सड़क खुदाई होती है। जब फसल लहलहाती रहती है तो उसी वक्त ट्यूब-वेल की नालियों की खुदाई होती है। जब फसल कट जाती है तब खुदाई नहीं होती है लेकिन जब फसल रहती है तब जरूर होती है। तो इस ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसी परम्परा दोषपूर्ण है।

इस विभाग में जो ठेकेदारी की प्रथा है वह बड़ी सदोष है। अगर कोई सार्वजनिक निर्माण का कार्य २० लाख रुपये का है तो उसमें ७-८ लाख से ज्यादा व्यय नहीं होता, ठेकेदारी प्रथा सब खा जाती है। इस ओर विशेष नियंत्रण होना चाहिये, नहीं तो जो कार्य यहां से स्वीकृत होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता।

इसके अलावा एक विशेष बात और कहना चाहता हूं। सड़कों के लिए या सार्वजनिक इतर कार्यों के लिए जो भूमि ली जाती है उसका मुआविजा तत्काल नहीं दिया जाता। बहुत सी भूमि ऐसी होती हैं, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसका मुआविजा कई वर्षों से नहीं दिया गया। आज तक किसान परेशान हैं, कहता रहता है, लिखा पढ़ी करता रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, आज जो अनुदान पेश है उसका सम्बन्ध केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका हर विभाग से ताल्लुक है। चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सामुदायिक विकास विभाग, कोई भी विभाग हो, हर विभाग के काम का ताल्लुक सार्वजनिक निर्माण विभाग से है। इस विभाग का जो महत्व है, वह अपने स्थान पर बहुत बड़ा है।

आज नियोजन की दौड़ में जितने हम पिछड़ गये हैं उसका मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सन्तुलित ढंग से काम नहीं करता है। आज मन्त्री जी ने अनुदान संख्या ३३, ३४, ३५ व ५० सदन के समक्ष रखी हैं और उनका कहना यह है कि हम इस प्रान्त को आगे की ओर ले जायेंगे। मान्यवर, आप गत वर्ष के आंकड़े देखें। गत वर्ष अनुदान संख्या ३३ में १८,९०,४२,००० रु० स्वीकृत था और इस साल १७,०८,५३,००० रुपये मांगा है। अनुदान संख्या ३४ में गत वर्ष ९०,९३,००० रुपये स्वीकृत हुये थे और इस वर्ष इस अनुदान में भी उन्होंने मांग में कमी की है। आंकड़ों को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बजट में अधिक मांगने के बजाय उन्होंने मांग में कमी की है। यह बात और भी अजीब है कि गत वर्ष जो धनराशि इस विभाग के लिए स्वीकृत हुई थी उस को भी ये नहीं खर्च पाये। यह अनुमान, श्रीमन् हमारे पास जो वित्त सचिव का

१९७१-७२ के आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति–पत्र ७०–७१ के पुनरीक्षित व्यय है, उससे भी लगाया जा सकता है। आप पृष्ठ ६४ देखें :—

राजस्व व्यय—मूल आय-व्ययक अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व व्यय में होने वाली न्यूनाधिकतायें नीचे दी गई हैं :—

सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	(–) १,५५,९७ (हजार रुपयों में)
(1) राजस्व के किये गये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य	..	–६०,००,००० व्यय
(2) केन्द्रीय वित्त पोषित सड़क निधि द्वारा वित्त पोषित साधनों का सुधार।		३०,९५,००० व्यय

तो श्रीमन, इस विभाग को जितना रुपया मिलता है उसको भी वह खर्च नहीं पाता है। धनराशि को खर्च न करने के कारणों को जानने और समझने की मैंने कोशिश की है। ऐसा लगता है कि इसके २–३ खास कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर सड़क स्वीकृत होने के पश्चात् विभाग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला तो वह सड़क खाली किताब में रह जाती है और उस स्वीकृत सड़क पर काम नहीं होता है। अगर विभाग ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे भी दिया तो एक्सपेंडीचर सैंक्शन चाहिये। इंजीनियर के पास ५००–७०० सर्वे रिपोर्ट्स तथा इस्टीमेंट बन कर आ जाती हैं और वे बारी-बारी से उनकी जांच करते हैं। साल भर तक उनको किसी सड़क की सर्वे रिपोर्ट देखने का मौका ही नहीं मिलता है। कुछ पता नहीं चलता है कि किस सड़क का नम्बर कब आयेगा। एक्सपेंडीचर सैंक्शन नहीं गई तो सड़क पर काम नहीं होता है। अतः इस्टीमेट चेक्कर में स्टाफ बढ़ा देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। मान लो अगर एक्सपेंडीचर सैंक्शन चली भी गई तब भी काम शुरू नहीं होता है क्योंकि जिलों में जो इंजीनियर हैं, वे भी सरकार की तरह से जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का सबसे बड़ा दायित्व है। कहीं पर भी कोई इंजीनियर ३साल तक नहीं रह पाता है और जल्दी-जल्दी उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। इससे इस प्रान्त का बड़ा नुक्सान हो रहा है। इसलिए मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इन तीनों प्वाइंट्स की ओर विशेष ध्यान दें, जिन्हें कि मैंने निवेदन किया है।

हमारे जो माननीय सदस्य यहां पर हैं वे समाजवाद की बड़ी दुहाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है और केन्द्र में भी उनकी सरकार है। काफी उम्मीदें थीं इनसे कि ये लोग केन्द्र से अधिक रुपया लायेंगे मगर, श्रीमन, रुपया लाना तो दूर रहा उन्होंने तो इस बजट में और भी कटौती कर दी, यह इनके बजट में देख लीजिये।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिन्हा पीठासीन हुये।)

इस बजट में लिखा है—"सार्वजनिक नर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय–सम्बन्धी प्राप्तियों की समायोजन प्रविष्टियां (–२, १७, ११,) –इस शीर्षक के नामे उतना ही व्यय डाला जाता है जो कि विभिन्न आयोजनागत निर्माण कार्यों के लिए केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के अंश के अनुरूप होता है और जो प्रारम्भिक रूप से पूंजी शीर्षक '१०३' पर भारित होता है। निर्माण

[श्री इन्द्रमणि]

कार्यों की प्रगति और आयोजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रतिरूप तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए अंशदान के आधार पर चालू निर्माण कार्यों तथा गत वर्ष स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश की धनराशि पूववर्ती वर्ष के २४८, २८,००० की तुलना में ३१, १७,००० होने की आशा है और इस प्रकार २,१७, ११,००० कमी प्रदर्शित होती है।"

इसी में पहले है—"सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं।" इसमें लिखा है—गत वर्ष के १८, ९०, ४२ की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए अनुमान १७, ०८, ५५ का है। इस प्रकार १, ८१, ८७ की कमी हुई है।'

इनका कहना है कि केन्द्र द्वारा मिलने वाली सहायता में कमी हुई है इसलिए कम खर्च इस मद पर कर रहे हैं। यह तो अनुदान संख्या ३३ की बात मैं कह रहा हूं। अनुदान संख्या ३४ में भी यही स्थिति है। इनको चाहिये था कि वे केन्द्र से कहते कि हमारी सहायता पूरी की जाय, इसमें कोई कमी न की जाय। लेकिन ये तो केन्द्र से अधिक सहायता के लिए कह ही नहीं सकते क्योंकि फिर इनको टिकट नहीं मिल सकेगा। इनको तो खाली अपने मन्त्री बनने की चिन्ता है, चाहे यू० पी० का विकास हो या न हो। अगर ये यू० पी० का विकास चाहते तो केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा रुपया लेते और ज्यादा से ज्यादा रुपया यहां पर खर्च करते। सचिव का जो स्मृति-पत्र है उसी से स्पष्ट है कि केन्द्र से कम रुपया इस वर्ष मिलेगा।

अब मैं पर्वतीय जिलों की तरफ आपका कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अलकनन्दा में बाढ़ आने से बेलाकुची सड़क बह गई जिसे बहे हुए करीब १ वर्ष हो गया लेकिन आज तक बेलाकुची से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी। बद्रीनाथ में सारे भारतवर्ष के यात्री आते हैं लेकिन ६ महीने होने पर भी वह रास्ता तक नहीं बन पाया। बेलाकुची से नीचे की जो रास्ता बना था, फिर वह रास्ता भी बह गया। गत वर्ष ही हमने कहा था कि बेलाकुची में नीचे की ओर पैदल रास्ता बनाने के बजाय पुराने वाले पैदल रास्ते को ही ठीक किया जाय लेकिन जो आपके इंजीनियर एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों ने यह बात नहीं मानी जिसका नतीजा हुआ कि पैसे लगा कर नीचे की सड़क बनी लेकिन बाढ़ की वजह से वह फिर टूट गई और अब फिर उसी पुराने पैदल रास्ते को बनाने की स्कीम बन रही है। समझ में नहीं आता कि आपके इंजीनियर एक्सपर्ट लोग कैसे हैं। अगर पहले ही पुराने पैदल रास्ते को ही ठीक किया जाता तो इतना नुक्सान नहीं होता। श्रीनगर से ६ मील दूर कत्यासौड़ में २ वर्षों से रास्ता खराब है, अब नदी को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं तथा पुस्ता दे रहे हैं यह सब गलत है, कि वहां की क्या स्थिति है लेकिन ये लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उस स्थान को देखा नहीं है। इनको दूसरा रास्ता कीर्तिनगर से छिलकवेश्वर सिलंगा खाला चिखटिया होते हुए बनाना चाहिए।

दूसरी बात यह कि टिहरी गढ़वाल जैसे पहाड़ी जिले में बाम्बे प्लान को लागू करने की बात कही गई है। जब कि असलियत यह है कि पहाड़ी जिलों में बाम्बे प्लान लागू नहीं हो सकता क्योंकि मैदान में तो आवागमन के बहुत से साधन हैं, रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाजों से भी आवागमन होता है लेकिन पहाड़ों में एक मात्र मोटर रोड ही आवागमन के लिए सुलभ है। टिहरी गढ़वाल जिले में मुनी की रेती से कीर्तिनगर तक जो सड़क बनी है, वह केवल यात्री रोड है। उससे वहां के आम लोगों कोई विशेष फायदा नहीं है। टिहरी-गढ़वाल में पुलों की कमी है जिसकी वजह से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। २० मील के अन्दर

बस्तर नदी में, कोटीगाढ़ में तथा अन्य नदियों में पुल नहीं है। समाप्त करता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि आप टेहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर से किलकेश्वर सिवंगा खाल, चिखटिया और (२) घनसाली से जांची तक सड़क (३) देवप्रयाग से थाका, कीर्तिनगर से बड़िपार तथा सौरामादार होते रोड तिलवाड़ा कान्डीवाल से डागर ढूंढसी होते हुए जाखरी से सरबलियारा, भेंटी से बरसीर बाग, जखोली से भेंटी बनवाने पर विशेष ध्यान दें और जिले से जो प्लान आये हैं उन पर भी ध्यान दें। मैंने यह भी देखा है कि आज सड़कें राजनैतिक ढंग से तय होने लगी हैं। यदि सड़कें और पुल भी राजनैतिक ढंग से तय होंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

*डाक्टर जगदीश्वर दयाल (जिला फर्रुखाबाद)––

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं, जो बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं और कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं फर्रुखाबाद जिले का निवासी हूं और छिब्रामऊ मेरा क्षेत्र है। यहां आजादी के बाद केवल ३ मील सड़क बनी है। मेरा क्षेत्र सम्पन्न है लेकिन सड़कें बहुत कम हैं। बहुत कोशिश के बाद तीन सड़कें मन्जूर हुई हैं। एक छिब्रामऊ से विश्नुगढ़, दूसरी सौरिख से सकरावा और तीसरी छिब्रामऊ से तालिग्राम। पहला ८ मील का टुकड़ा है और बाकी ६, ६ मील के टुकड़े हैं। छिब्रामऊ तालिग्राम का इस्टीमेट भी बन गया है। छिब्रामऊ विश्नुगढ़ और सौरिख से सकरावा सड़कों के लिए टेंडर मांगे गये हैं। आगे काम अभी नहीं हुआ है। पता नहीं कहां रुका हुआ है? मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में मन्जूर होने के बाद भी काम हो नहीं रहा है। महोदय, मेरी प्रार्थना है कि सड़कों पर काम शुरू किया जाय ताकि एम० एल० ए० की पोजीशन बनी रहे।

मैं मन्त्री जी से फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन सड़कों का मैंने अभी जिक्र किया है, उन पर कार्य जल्दी शुरू कराया जाय। दूसरा मेरा सुझाव है कि सड़कों की बहुत जरूरत है। आपके जो केनाल रोड्स हैं अगर उनको पक्का कर दिया जाय तो आपका सड़कें बनाने का खर्चा बच जावेगा और बहुत से गांव कनेक्ट हो जावेंगे। आखिर उनकी मरम्मत तो कैनाल विभाग करता ही है पी० डब्लू० डी० उस पर डामर करा दे। एक बात और है सरकार केनाल रोड्स को बनवाये, या नहीं बनवाये वह इस्तेमाल तो होती ही है। सभी एम० एल० एज० इस बात को जानते होंगे और कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है कि केनाल रोड्स पर बैलगाड़ी तो चलती ही है। आप लोग ऊंची सड़कें बनायेंगे फिर भी यह चलती रहेंगी। खर्चा भी अधिक होता है तो इसको पक्का कर दिया जाय ताकि यातायात की सुविधा हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जगदीश्वर दयाल--]

दूसरी बात यह है कि पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा सड़कों पर पेड़ लगाये जाते हैं। म इससे सहमत हूं कि दरख्त लगाये जायं और लगाये भी गये ह लेकिन यह भी देखना चाहिए कि दरख्त लगाने के बाद वे बने भी रहें। अधिकतर दरख्त सड़क के किनारे से काट लिये जाते हैं। कुछ दरख्त तो जरूरत मन्द और बुरी निगाह रखने वाले काट लेते हैं और कुछ को पेशेवर लोग काट लेते ह। ज्यादा जगह की तो नहीं मालूम लेकिन एक आधा जगह की मालूम है जहां कि दरख्त आपके डिपार्टमेंट के आदमियों के इशारे पर काटे गये। दरख्त के काटने से दो नुकसान होते हैं। एक तो यह कि आपके कीमती दरख्त काटे जाते हैं और दूसरे यह कि सड़क के किनारे जो छाया रहती है वह खत्म हो जाती है। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस को वैसे तो अख्तियारात हैं लेकिन कुछ और आदेश जारी किये जायं कि वह इन दरख्तों की रक्षा करें। इसी तरह से एस० डी० ओ० को भी कहा जाय कि अगर दरख्त कटेंगे तो उनसे पूछा जायगा। मैं अधिक न कहते हुए पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां छिवरामऊ क्षेत्र भगवान की कृपा से काफी सम्पन्न है लेकिन अगर मन्त्री जी की निगाहे करम हो जाय और वहां की जो सड़कें हैं सौरिक से सकरावा, छिबरामऊ से बिश्नगढ़ और छिबरामऊ से तालिग्राम उन्हें बनवा दें। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री किरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस प्रकार जिन्दगी के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार समाज के विकास के लिए और यदि मैं कहूं कि देश के विकास के लिए तो ज्यादा उचित होगा आवागमन के साधन आवश्यक हैं। जिस देश में सड़कों का जितना ही बाहुल्य होगा वह उतना ही आगे बढ़ सकता है। बिना सड़कों के कोई भी देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में हमेशा पीछे रहा है और पीछे रहेगा। मान्यवर, हम देखते हैं कि हमारे देश के मुकाबले अन्य देश आगे बढ़ गये और हमारा देश बहुत पीछे रह गया।

हमारे हिन्दुस्तान में हमारा प्रदेश सबसे पीछे रहा है। हर दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मान्यवर, मैं अपने जनपद गोरखपुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पूर्वी जिलों का समस्यापूर्ण जनपद है जहां न तो सड़कें हैं और न ही और दूसरे साधन हैं। सड़कों के अभाव में यह जिला बहुत पीछे रहा है। मान्यवर, हिन्दुस्तान में साढ़े पांच लाख गांव हैं। जब तक इन गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सन्दर्भ में यह कहा गया है कि जब तक शहरों से गांव का सम्बन्ध नहीं होगा तक तक गांव की स्थिति किसी भी हालत में सुधर नहीं सकती। इस बात के लिए जब तक सरकार अपनी योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित नहीं करेगी तब तक यह सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सरकार को चाहिए कि आवागमन की सुविधा के लिए अपनी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सड़क हेतु काफी प्राविधान रखें ताकि विकास कार्य सरलता से हो सके।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ भी बजट होता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। मैं जब से इस विधान सभा का सदस्य चुन कर आया हूं, अपने जनपद तथा

अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बराबर लिखता रहा , परन्तु मेरे प्रार्थना पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही मुख्य सड़क की ओर जो मोतीराम अड्डा—बरही—गोहाबार होते हुए रुद्रपुर देवरिया तक जाती है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह सड़क राप्ती गोर्रा नदी के द्वारा कट गई है। अब उस पर (राप्ती नदी पर) पी० डब्लू० डी० द्वारा मलौनी बांध बनाया गया है। इस सड़क को बनाने के लिए मैं हमेशा सरकार को लिखता रहा हूं। उत्तर में बस सरकार की ओर से यही सूचना मिल जाती है कि आपका पत्र मिला, उचित कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही की जा रही है, वह कहां लटकी हुई है। इसी के साथ-साथ मैं आपका ध्यान कुछ अन्य सड़कें जो झंगहा थाने से मटियारा—गजपुर, रानीडीह—मिर्जापुर, चौरीचौरा, बकवार सी० सी० रोड, आदि की ओर भी दिलाना चाहूंगा। अगर इन सड़कों को बना दिया जाय तो वहां की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मान्यवर, हमारा झंगहा क्षेत्र दो हिस्सों में बटा है—बांगर और कछार । मलौनी बांध सरकार के रख-रखाव में है। राप्ती नदी की दो शाखायें हो जाती हैं जिनके किनारे कोई तटबन्ध नहीं बनाया गया है। मैंने इसके लिए कई बार लिखा मगर तटबन्ध बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया जब कि यह पी० डब्लू० डी० का ही कार्य है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र की जो मोतीराम अड्डा से झंगहा—डीहघाट—बोहाबार, रुद्रपुर, देवरिया तक की जो सड़क है इसे तुरन्त बनवाया जाय। यह दो जिलों को जोड़ने वाली ऊबड़-खाबड़ सड़क है। आप जान ें कि हमारे यहां के लोग इस समय आम की गुठली खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। अगर यह सड़क बनादी जाय तो इससे बाढ़ नियन्त्रण का भी कार्य हो जायगा।

एक निवेदन और करूंगा। सरकार द्वारा यह जो मलौनी बांध बना है इसके विषय में यहां विधान सभा में बराबर यह आवाज उठाई जाती रही है कि इसके बनाने में इंजीनियरों ने बड़ी लापरवाही की है। इसके कारण आज उसके पास के गांवों में जैसे कुर्री है, प्यासी है, मोहनापुर है, आदि गांव में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है वे गांव पानी में डूबे रहते हैं। उस बांध पर कोई पुल न होने के कारण गांव वालों को बरसाती पानी से काफी परेशानी है और दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिये हम लोगों ने जिलाधीश वगैरह को भी लिखा, यहां सरकार को भी लिखा, लेकिन आज तक नहीं कुछ किया गया । (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट और दे दिया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि इन गांवों की रक्षा के लिए मलौनी बांध पर एक पुल अवश्य बनवा दिया जाय ताकि बरसात का पानी बराबर निकलता रहे। पिछले वर्ष बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए जो नावें दी गई थीं, इंजीनियरों की लापरवाही के कारण वे सभी बह गयीं। वहां का जनजीवन पिछली बाढ़ से नावों के अभाव में त्रस्त रहा है और उनकी मरम्मत इस ढंग से होती है कि वह पेपरों में तो आ जाता है, लेकिन वास्तव में कुछ कार्य होता नहीं है।

अब मैं वहां के कुछ अधिकारियों के कार्यकलापों की ाप से चर्चा करना चाहता हूं। वहां के जो विभाग के कांन्ट्रेक्टर्स होते हैं, उन्हें पेमेन्ट जब तक नहीं दिया जाता है जब तक वे १५–२० परसेंट कमीशन अधिकारियों को नहीं दे देते हैं। इस सम्बन्ध में, एक सामा यादव हैं, जिन्होंने फरेंदा तहसील में पी० डब्लू० डी० की सड़क के निर्माण का काम किया है, किन्तु उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य अनि-

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

यमिततायें हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोतीराम अड्डा पर रूद्रपुर तक जो सड़क जाती है उसका निर्माण तुरन्त कराया जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों का, जो इस समय इस सदन में प्रस्तुत हैं, समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस विभाग का कितना महत्व है इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज किसी प्रदेश की खुशहाली और उसके विकास को देखना है तो जहां कृषि की प्रगति को देखा जाय, औद्योगिक विकास को देखा जाय, वहां यातायात के साधनों को भी देखा जाय, यातायात के साधनों के देखने से बहुत हद तक पता चल जाता है उसके पूरे विकास का। आज कोई व्यक्ति हरियाना या पंजाब में जाये तो उसको स्वयं इस बात का एहसास हो जायगा कि ये प्रदेश कितने आगे हैं। उन प्रदेशों की सड़कों को ही देखकर उसे यह ज्ञात हो जायगा। इस जमाने में जब लोग चांद तक पहुंचने की बात ही नहीं करते हैं, पहुंच भी चुके हैं, अगर हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि वह क्षेत्र बहुत ही गया गुजरा है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहां सड़कों की बहुत कमी है, खासकर पक्की सड़कों की। ग्रामीण क्षेत्रों को देखने से आपको महसूस होगा पूर्वी जिले हों या पश्चिमी हम कितनी कठिनाई में हैं, जनता कितनी कठिनाई में है। एक गांव से दूसरे गांव जाने में कितनी कठिनाई होती है, कितना अधिक समय लगता है, यह वहां जाकर ही पता चलता है। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश के विकास के लिए, कृषि और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है कि सड़कें ज्यादा से ज्यादा बनाई जायं और उनके निर्माण में जितनी भी तेजी बरती जाय, उतना ही अच्छा है। बजट में साढ़े ९ करोड़ रुपये का इस वर्ष प्राविधान है, जिससे सड़कों का निर्माण किया जायगा। यह अच्छी खासी धनराशि है। फिर भी मैं चाहता था कि इससे भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई जाती और ज्यादा से ज्यादा सड़कों को बनाया जाता। लेकिन जब मैं इस बात को सोचता हूं तो यह महसूस होता है कि यह रुपया जो हम इस विभाग को सैंक्शन करेंगे क्या वह सर्फ भी हो सकेगा और उससे वह कार्य भी समाप्त हो सकेगा और वह लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा जिसके लिए इस रुपये को इस विभाग को हम दे रहे हैं, इसमें मान्यवर, मुझे सन्देह है।

आज अफसोस की बात है हमारे नियोजन में बहुत सी त्रुटियां हैं। हम प्लानिंग करते हैं लेकिन उससे पहले हमको सोचना चाहिए, हमको एक प्रीप्लानिंग भी करना चाहिए जिससे हम जो योजना ले कर खड़े होते हैं वह सुचारु रूप से कार्यान्वित हो सके। जो सड़कें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वीकार हुई हैं कि हम उन सड़कों को इस योजना काल में निर्मित कर सकेंगे। मैं समझता हूं, शायद यह बात सही भी हो कि यह नामुमकिन है क्योंकि इस विभाग की जो मशीनरी है वह इस कदर सुस्ती से काम करती चली आयी है जिससे हम को ऐसा महसूस होता है कि वह उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर इस मशीनरी में जान क्यों नहीं डाली जाती? एक नया जीवन क्यों नहीं पैदा किया जाता? इस बात को सोचना होगा। इस विभाग का यह दुर्भाग्य रहा है, जो हमारे इंजीनियर हैं मैं यहां उनकी जरूर थोड़ी बहुत आलोचना करना चाहूंगा कि जो हमारा निर्माण कार्य है वह इस भावना के साथ नहीं करते कि वह इस तरह से देश की सेवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं और जितनी जल्दी निर्माण पूर्ति हो जाय, उतनी ही सेवा होगी। बहुत ढिलाई से उनका काम होता है।

मैं अपने जिले में इसका अनुभव कर रहा हूं। वहां जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सड़कें बनाई जा रही हैं जिस रफ्तार से बनाई जा रही हैं वह बहुत धीमी है, बहुत ही अफशोसनाक है। मैं समझता हूं कि यह जिला बुलन्दशहर तक ही सीमित नहीं है। ऐसी बात सारे प्रदेश में होगी। हर जिले में यह कठिनाई होगी। इस तरह से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा होगा, इसमें सन्देह है। मान्यवर, जहां एक तरफ उनकी सुस्ती और काहिली है, उनकी कमजोरी है, दूसरी तरफ जो वित्त विभाग है उसका भी रवैया अफशोसनाक है। आज जब कि हमारे इस विभाग को जैसा कि मुझको ज्ञात हुआ है तकरीबन ३० नये डिवीजन्स की आवश्यकता है, और ६ सर्किल्स की, उस समय चूंकि वित्त विभाग अपनी अनुमति नहीं दे सका, अभी तक ८ डिवीजन और एक सर्किल को तोड़ने की बात हो रही है। अगर इस तरह से कार्य चला और काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पूरी तादाद में उपलब्ध न हो सके तो किस प्रकार से काम होगा? यह होता कि एक डिप्टी सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग में फाइनेंस का होता वह वित्त सम्बन्धी कार्य करता रहता, और इस तरह से कार्य संचालन तेज होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

आज हम यह महसूस करते हैं कि जो सड़कें भी स्वीकार हुई हैं उसमें कितना समय लगेगा उनको सर्वे करने में, उनका एस्टीमेट बनने में जब कि ढाई वर्ष इस योजना में बाकी रह गये हैं तो किस तरह से इस योजना का निर्माण हो सकेगा। इस तरह से काफी रुपया लैप्स हो जायगा और जब रुपया लैप्स हो जयगा तो उसके साथ-साथ केन्द्र से हमको निस्बतन उतना ही रुपया कम मिलेगा। इस पर भी मन्त्री जी विचार करेंगे और जिस तरह से हो सकेगा इसके कार्य संचालन में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाने का प्रयास करेंगे।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, विजय बहादुर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)––

पूर्ववक्ता अभी समर्थन में बोल चुके हैं और माननीय सदस्य भी समर्थन में बोलने के लिये खड़े हो गए?

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्यों के बोलने के सम्बन्ध में विभाजन समर्थन अथवा कटौती की दृष्टि से नहीं होता बल्कि पार्टियों के हिसाब से होता है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)––

वह कटौती का समर्थन कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठें। जितना समय माननीय सदस्य इस तरह से लेंगे वह उनके समय से काट लिया जायगा।

*श्री रामकरन सिंह—

देहलवी साहब को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं सरकार का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूं। यह सही है कि प्रदेश में जिस तरह से दूसरी चीजों की उन्नति के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है उसी तरह यातायात की सुविधा के लिये सड़कों की सुविधा भी उतनी ही आवश्यक है और उसके लिये भी धन की आवश्यकता होती है। यह भी सही है कि साधनों का इस्तेमाल सही रूप से होना आवश्यक है और उसके पीछे सरकार की निगरानी होनी चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रति सारे प्रदेश म और सारे लोगों के दिल में एक प्रकार का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। यह महकमा प्रदेश के यातायात के लिये सड़कों का ठीक ढंग से निर्माण न करके एक अच्छा खासा खाऊ-कमाऊ विभाग बन गया है। पिछले तीन वर्षों से मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं, चाहे मुख्य मन्त्री चौधरी साहब का जमाना रहा हो अथवा त्रिभुवन नारायण सिंह जी का, कि इस विभाग में थोड़ा बहुत सुधार हो सके लेकिन वह नहीं हुआ गोकि मैं सरकार से कहूंगा कि मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। एक मेरे क्षेत्र की सड़क है। पिछले तीन वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि वह बन जाय। सड़कें बनाने का एक नियम है और वह यह है कि एक सूबे से दूसरे सूबे को मिलाने वाली सड़क को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। एक जिले से दूसरे जिले को मिलानेवाली सड़क को दूसरे नम्बर पर प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे प्रकार की प्राथमिकता जिले की सड़कों के लिए मिलनी चाहिये जो कि एक जगह से दूसरी जगहों को जाती हैं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं वह गोरखपुर में सहजनवा है जो कि बस्ती से ६ मील और गोरखपुर से १६ मील के फैसले पर पड़ता है। यदि इन जगहों पर सड़कों का निर्माण हो जाय तो इन जिलों का सीधा सम्बन्ध नैपाल से हो सकता है। मैं बार-बार प्रयास कर रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। अब की बार माननीय मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि यह निर्माण कार्य इस बजट में आयेगा किन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि फिर भी वह इस बजट में नहीं आ पाया है। मैं जानता था कि वह इस बजट में नहीं लिया जायगा और उसका कारण था। क्योंकि कोई भी विधायक किसी भी आफीसर को बुरा भी कहेगा, उसको भ्रष्ट भी कहेगा, उसके खिलाफ शिकायत भी करेगा और सड़क भी बनवायेगा? यह बात नहीं हो सकती। यह चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि जरूर ऐसा होगा। सारा सदन इस बात को जानता है और सारी पिछली प्रोसीडिंग्स इस बात से भरी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ इंजीनियर श्री वर्मा हैं जिनके खिलाफ पिछले साल मैंने इसी सदन में बहुत जबरदस्त तरीके से यह कहा था कि यह एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और तब तक इस विभाग का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक कि इस अधिकारी को उस जगह से न हटाया जाय। मान्यवर, यही नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट में उस समय के चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब से...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ध्यान रखें कि कितनी ही बार इस कुर्सी से यह व्यवस्था दी गई है कि जिस व्यक्ति को जवाब देने का मौका न हो, उसके बारे में कहा न जाय।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं। मान्यवर, मेरी एक छोटी सी चीज से सम्बन्ध था कि एक आमी नदी है उसमें ३ पीपे की आवश्यकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और उससे ५० गांवों का फायदा हो सकता है। मुझे इस बात से बहुत दुख और तकलीफ है इसलिए कह रहा हूं कि इतनी छोटी चीज इस विभाग से सम्भव नहीं है। हमारे गोरखपुर में जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे उनके खिलाफ भी मैंने लिखा था। मलौनी बांध में लाखों रुपये का गड़बड़घुटाला हुआ था और नौतनवां में भी हजारों रुपये का गबन हुआ। वे अब गोरखपुर से इलाहाबाद किसी जगह पर चले गये हैं। जितना भी आप कहें जितने भी पत्र दें किन्तु वे कूड़ेखाने में एक तरफ फेंक दिये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी आप की मशीनरी है यदि आप उसका अधिकारपूर्ण तरीके से और सख्ती के तरीके से पालन नहीं करेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल दो मिनट ही बोलेंगे।

श्री रामकरन सिंह—

सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हाउस में एश्योरेंस दे दें तो मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करूंगा। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में स्पष्ट तरीके से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी शिकायतें पी० डब्लू० डी० विभाग के सम्बन्ध में आयें उनकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए अन्यथा आप प्रदेश की जो यातायात सम्बन्धी सुविधायें और अन्य आकांक्षायें हैं, वह नहीं दे पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग पर चर्चा चल रही है उसमें दो मुख्य बातों पर बहस हो रही है। पहली बात तो यह कि हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र की सड़क बनवाने के इच्छुक हैं। दूसरी बात, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में जिक्र हुआ है। तो मान्यवर, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों सभी अपने क्षेत्र की सड़क बनवाने की बात करते हैं और जितने तर्क ,अपने अपने क्षेत्र की सड़कों के बनवाने में दिये गये हैं उनमें वजन है और यदि वे तमाम सड़कें बनवा दी जायं तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अपने प्रदेश की तरक्की होगी, प्रगति होगी। सरकार इस सिद्धान्त को तो मानती है कि सड़कें बनवायी जायं लेकिन सदा एक मजबूरी दिखाया करती है कि हमारे पास धन नहीं है। उस मजबूरी को दूर करने के लिये हमारा सुझाव है कि सरकार के पास काफी धन आ सकता है अगर नेकनीयती से इरादा कर ले कि विधायकों ने सड़कें बनवाने की बात कही है उनको बनवाना है, तो हमारा सुझाव है कि धन की कमी दूर की जा सकती है।

उसके दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि टैक्स लगाइये जनता पर, गरीब लोगों से वसूलिये, चाहे गरीबी बढ़े, परेशानी बढ़े। यही रास्ता २३ सालों से बराबर चला आ रहा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

इस सरकार का। दूसरा रास्ता अच्छा है। उससे न तो टैक्स लगाना पड़ेगा, न गरीबी और परेशानी बढ़ेगी और वह है धन-कुबेरों से धन ले लेने का। हमने कई बार कहा कि अगर समाजवादी सरकार है और समाजवाद लाने का इरादा है तो एक वर्ष के अन्दर, ३ महीने के अन्दर यह काम हो सकता है। हमने कई बार सुझाव दिया कि जितने धन कुबेर हैं या प्रदेश के अन्दर जितने लोग हैं सब की आमदनी और खर्चे की आप सीमा बांध दीजिये। किसी को डेढ़ हजार रुपये महीने से ज्यादा आमदनी और खर्चे की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कानून बन जाय, पाबन्दी लग जाय तो देश के अन्दर करोड़ों रुपया सरकार के पास आ जायगा, गरीब पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब की परेशानी नहीं बढ़ेगी और निर्माण का काम भी हो सकता है। लेकिन मान्यवर, इन २३ सालों में जो अपने को समाजवादी कहते हैं वह तो इतना भी नहीं जानते हैं कि समाजवाद किसको कहते हैं। कभी-कभी परिभाषा करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि फिट आने लगे हैं समाजवाद के और कहने लगते हैं कि "विषमता को दूर करेंगे"। तो यह समाजवाद कैसे कायम हो सकता है? विषमता दूर नहीं होगी और आमदनी और खर्चे की पाबन्दी नहीं लगायी गयी।

मैं चाहूंगा कि आज जिन विधायकों ने अपनी-अपनी सड़क बनाने का सुझाव दिया है, आग्रह किया है तो ज्यादा अच्छा हो अगर वह लोग सरकार पर दबाव डालें, प्रदेशीय सरकार पर और केन्द्रीय सरकार पर क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो यह काम हो सकता है। आप यह भी दबाव डालें कि आमदनी और खर्चे पर सीमा बांधने का कानून बनाया जाय और इन धन कुबेरों से कानून के जरिये पैसा लिया जाय जिनकी तिजोरियों का मुंह बन्द है उसको खुलवाया जाय। एक तरफ गरीब पैसा पैदा करता है दूसरी तरफ पैसा इसकी तिजोरियों में बन्द उस को आप तुड़वाइये।

दूसरी बात भ्रष्टचार के बारे में है। आज मैं इस बात को अपनी अन्तरात्मा से कहता हूं क्योंकि देश में अन्तरात्मा की बात चल गई है। मान्यवर, इस देश में जब भ्रष्टचार पर बात होती है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, हम को ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, हम सुझाव दे रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं बोल पाये हैं। जब भ्रष्टाचार की बात कही जाय तो राजनीतिक लोग अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और निश्चयपूर्वक तथा दृढ़ता से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ हम राजनीतिक लोगों में है। जब अधिकारियों की बात कही जाती है तो हमारी अन्तरात्मा रोती है क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ कहां है, जड़ कभी नहीं पकड़ते हैं जो राजनीतिक लोगों में है। अगर राजनीतिक भ्रष्टता दूर हो जाय तो भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है। मुख्य मंत्री जी आगये हैं, जरा सुन लें। भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक लोगों मे है। अभी थोड़े दिन हुये कपूर होटल में उसका नमूना मिला था। आप गम्भीरता से देखें कि जो अधिकारी है, सचिव है, जिलाधीश या एस० पी० हैं, यह सब देखिये कि जो मंत्री हैं राजनीतिक लोग हैं, जो देश के बनाने की बात करते हैं उनकी नजर हमारे ऊपर जाती है। भ्रष्टाचार की बात सब कहेंगे लेकिन जड़ कोई नहीं पकड़ता।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, केवल दो मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब कृपा करके बैठिये। अब नहीं, और लोगों को भी बोलना है।

श्री रामसेवक (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं अपने जिले सुल्तानपुर की बात कहना चाहता हूं। हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। सड़कों के संबंध में कोई तरक्की नहीं हुई। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुये २४ साल हुये इसके बावजूद वहां एक भी सड़क नहीं बनी। हमने कई बार लिख कर दिया। इसका यही जवाब मिला कि विचार किया जा रहा है। पता नहीं क्या विचार हो रहा है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में जगदीशपुर तहसील हेड क्वार्टर से ३२ मील दूर है। सुकुल बाजार से तीन मुख्य सड़कें जाती हैं —१–सुकुल बाजार से वारिस गंज, यहां पर ५ बाजार लगते है, २—सुकुल बाजार से जगदीशपुर, यहां पर ३ बाजार लगते हैं, यह १० मील का टुकड़ा है, ३—सुकुल बाजार से इन्होना, यह १४ मील का टुकड़ा है। इसी तरह से मुसाफिरखाना ब्लाक में भी तीन मुख्य सड़कें हैं—१–आमघाट से थौरी से कांधौनाला, २—मुसाफिरखाना से गौरीगंज, ३—मुसाफिर खाना से अमेठी। अगर पहली सड़क बना दी जाय तो उससे २२ मील का चक्कर तहसील हेड क्वार्टर तक पहुंचने का बच जायगा।

गौरी गंज में नन्दमहर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और देश भर के लोग उसमें प्रति वर्ष आते हैं। अब तो वहां आठवें दिन बाजार भी लगने लगा है। तीसरी सड़क अमेठी जाने वाली है। वहां पर डिग्री कालेज है। बच्चों के कालेज जाने में बड़ी परेशानी होती है। अगर यह सड़क बना दी जायगी तो सुल्तानपुर होकर जो ४० मील जाना पड़ता है वह इस सड़क से केवल १४ मील पड़ेगा। इन सड़कों की ओर मैं मंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनके बारे में मैं कई बार निवेदन भी कर चुका हूं। हमने लिख कर भी दिया था और मंत्री जी का पत्र भी हमारे पास है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। श्रीमती राजपती देवी और श्री शिवकुमार जी ने भी लिख कर दिया था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जगदीशपुर क्षेत्र की ओर अपना ध्यान दें और वहां की जनता के कष्टों को दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि इस मौजूदा सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। उन्होंने जो २० साल की योजना सड़कों के संबंध में बनायी है उसमें पूर्वी जिलों की नितान्त उपेक्षा की गयी है। संयोग से स्टेट मिनिस्टर साहब पूर्वी जिलों के से संबंध रखते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वी जिले से संबंध रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कौन सा ऐसा मापदंड है जिसके माध्यम से २० साल की योजना की आपने यह पुस्तिका छापी है। आप गौर करें मेरठ को १९४५ कि० मी० सड़क दी गयी है, जहां १५ एम० एल० ए० हैं और इसी प्रकार से बस्ती और गोरखपुर में भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

१५–१५ एम० एल० ए० हैं और वहां पर बस्ती को ११११ कि० मी० और गोरखपुर में १२२८ कि० मी० सड़क दी गयी है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि ऐसा क्यों किया गया है ?

अब दूसरी ओर देखिये बलिया, गाजीपुर और बुलन्दशहर–८–८ एम० एल० ए० के जिले हैं। इनमें से बलिया को ७७९ कि० मी० सड़क दी गयी है। गाजीपुर को ७३२ कि० मी० सड़क दी गयी है लेकिन, बुलन्दशहर को ११०१ कि०मी० सड़क दी गयी है। इलाहाबाद की मैं क्या चर्चा करूं, मैं तो चाहता हूं कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा आदि सभी पूर्वी जिलों को अधिक सड़कें दी जायं। सभी पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों की अपेक्षा सड़कें बहुत पक्षपात के साथ दी गयी हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि २० साल की जो आप ने सड़कों की योजना बनायी हैं, उस पर आप फिर से विचार करें।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि पश्चिम में सड़कें न बनें। राम बिलास जी बैठे हुये हैं हमारे बगल में। ये कहते हैं कि आजमगढ़ का बता दो। तो आजमगढ़ का टोटल परफार्मेंस बीस सालायोजना का हो गया है क्योंकि इनको सड़कें बहुत कम मिली हैं। लेकिन जहां सड़कें ज्यादा मिलीं वहां ७०–७२ फीसदी परफार्मेंस है। आज सड़कों की नितान्त आवश्यकता है लेकिन रुपये की कमी बता दी जायगी। लेकिन सड़कों का जो बटवारा हुआ बम्बई प्लान के अन्तर्गत उसमें आप देखें कि किस प्रकार हमारे साथ विभेद की नीति अपनायी गयी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी और मुख्य मन्त्री जी इस बात की घोषणा करें कि वह निकट भविष्य में आबादी और जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार सड़कों का बटवारा फिर से घोषित करेंगे। जिस कार्य पद्धति से काम होता है वह दोषपूर्ण है। एक दिन माननीय शम्भूनाथ चौधरी को बलिया जिले की सड़कों के बारे में माननीय मन्त्री जी बता रहे थे कि अभी इसका टेक्निकल सैंक्शन नहीं हुआ है। दो-दो साल से स्वीकृत सड़कों का टेक्निकल सैंक्शन न हो और वह रुपया बिना खर्च हुये रह जाय इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। मैं चाहूंगा कि इस तरफ आप की तवज्जह जाय और आप सदन में घोषणा करें कि इस लाल फीताशाही को जल्द दे जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे।

तीसरी बात। रामकरन सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार है और किसी अफसर का नाम लिया। मैं किसी अफसर का नाम नहीं लूंगा लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि टेन्डर के वक्त ही राशि निश्चित कर दी जाती है कि इतनी ठेकेदार के लिये और उसी में अपने इंजीनियर को निश्चित तौर से एक लालच दे दिया कि वह ललचायी निगाह से देखता रहे कि यह ठेकेदार इतना पैसा लिये जा रहा है, उसमें हमारा भी हिस्सा होता है और जो ५ फीसदी का कानून बन चुका था ओवरसियर और दूसरे लोगों का वह धीरे-धीरे बढ़ते बढ़ते अब २०–२५ फी सदी तक हो गया है। क्षमा करें मंत्री जी, मैं आप के बारे में बिल्कुल दूसरी राय रखता हूं लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आज मिनिस्टर गाली खाने के लिये यहां बैठा रहेगा ? अगर आप ब्यूरोक्रेसी को कड़ाई से नहीं दबाते तो हर्गिज-हर्गिज यह काम आप के लिये नहीं है वरना आप इस बात की कोशिश करें कि यह जो ब्यूरोक्रेसी है इस पर नियन्त्रण करें।

जिस एल० आर० पी० के बारे में आपने घोषणा की कि बहुत जल्दी कम्प्लीट होना चाहिये उसके बारे में मैंने गोरखपुर में शिकायत की थी कि उसका क्या हुआ। एग्जीक्युटिव इंजीनियर तक तो आज भी मुअत्तल हैं और एस० ई० साहब का मैंने सुना कि रिटायरमेंट हो गया। अगर डायरेक्ट रेस्पांसिबिलिटी एस० ई० साहब की नहीं थी तो उनका रिटायरमेंट कैसे हो गया ? और अगर एस० ई० साहब की रेस्पांसिबिलिटी थी तो चीफ साहब का कैसे नहीं हुआ ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह भ्रष्टाचार की कड़ी है इस पर सोचिये और विचार कीजिये। इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं कि अगर उन को देखा जाय और ठीक तरह से देखा जाय तो मालूम हो जायगा कि क्या स्थिति है ?

यहीं नहीं अगर किसी ने भ्रष्टाचार की शिकायत हमको बता दी तो वह जुर्मी हो जाता है। इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि उसको तबाह किया जाय और परेशान किया जाय। मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री जी आज सीधे-सीधे इस सदन में घोषणा करें कि अगर किसी इंजीनियर की घूसखोरी की पोल अगर कोई ओवरसियर खोलता है या किसी ओवरसियर के खिलाफ कोई नीचे का कर्मचारी पोल खोलता है तो उसकी सर्विस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी जायगी। अगर इस प्रकार की घोषणा नहीं की जाती है तो यह ढोंग है कि हम घूसखोरी को समाप्त करना चाहते हैं और उसको अपने प्रदेश से मिटाना चाहते हैं। अगर घूसखोरी की कोई शिकायत आपके सामने आये, अगर इस प्रकार के काम में कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप इनाम देंगे, यह हम आशा करते हैं और अगर कोई इनाम न दिया जाय तो कम से कम उसके कैरेक्टर रोल में इनाम की शक्ल में एन्ट्री तो जरूर ही करेंगे। मैंने अभी सुना कि ८ ओवरसियरों की नियुक्ति हो गई। एक तरफ ८ ओवरसियरों की नियुक्ति और दूसरी तरफ मेरी दूसरी सूचना यह है कि एक सर्किल तोड़ा जा रहा है और शायद आगे भी कोई तोड़ा जानेवाला है। एक तरफ तो यह हालत हो रही है और दूसरी तरफ १५०० ओवरसियर की पब्लिक सर्विस कमीशन में एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं। एक तरफ तलवार सिर पर लटक रही है और दूसरी तरफ की इस तरह पालिसी अख्तियार की है, यह क्यों ?

एक बात मुझे और कहना है। आज अगर आप इस विभाग को ठीक से चलाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके कंट्रक्ट सिस्टम जितना अधिक से अधिक अबालिश करेंगे उतना ही यह सुधार होगा। मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी में कोई सड़क बनवाना नहीं चाहता हूं और न मुझे कोई लालच है। मेरा यह निवेदन है कि दोहरीघाट और बडहलगंज में सरजू नदी पर जिसमें लोअर टेंडर दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बल्कि दूसरा टेंडर मंजूर किया गया जो उसी रेट पर था। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब नहीं मिलेगा। कह दिया जायगा कि कोई टैक्नीकल फ्लो था।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सार्वजनिक निर्माण के बजट के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। फैजाबाद जिले में कटहरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां आजादी मिलने के बाद आज तक कोई सड़क नहीं बनी और न पहले से कोई पुरानी पक्की सड़क है। ऐसे तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अकबरपुर से अशरफपुर, बरवा–अमसिन तक सड़क बनना बहुत जरूरी है। दूसरी सड़क भीटी से महरुआ और नसीरपुर दोस्तपुर तक है जो बहुत ही लाभदायक सड़क गांवों के लोगों के लिये हो जायेगी। और अकबरपुर से जो सड़क फैजाबाद को जाती है उस पर एक स्थान है। जहां मड़हा नदी और किसुई नदी का संगम है, यह वह स्थान है जहां पर राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार मारे गये थे और वहां पर उनका प्राणान्त हुआ था वहां पर एक बड़ा भारी मेला होता है और दूर-दूर से इस संगम के स्थान पर यात्री दर्शन के लिये आते हैं। जो सड़क अकबरपुर से फैजाबाद गई है उसके डेढ़ मील की दूरी पर संगमपुर एक पुल का बनना बहुत आवश्यक है। वहां की वही हालत है कि जैसे कोई आदमी बढ़िया मकान तो बनवा ले लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता न हो तो वह मकान बिलकुल वाहियात और बेबुनियाद हो जाता है। इसी तरह से अगर सरकार यह पुल और सड़क बनवा देती है तो वहां की जनता का और कितने ही गरीबों का लाभ हो सकता है।

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

कितने ही गरीब सड़क बनने से अपनी रोजी का सहारा बना सकेंगे, कोई रिक्शा चला लेगा, कोई बैलगाड़ी चला लेगा और मोटरट्रक उस पर सभी चल सकेंगी और जिनके पास रोजी का साधन नहीं है उनको लाभ हो जायगा। अगर यह सड़क बन जाती है तो कितने ही एम० बी० बी० एस० डाक्टर ऐसे हैं कि जो सड़क बन जाने पर उस पर कहीं न कहीं दूकान खोल लेंगे और उससे जनता को लाभ होगा और गरीबों के लिये दवा दारू का प्रबन्ध हो सकेगा। हमारा यह कटहरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर २ नदियां पश्चिम से पूर्व को बहती हैं।

गंगा-जमुना में पुल बनना तो आसान है लेकिन हमारे यहां की मड़वा और बिसुई नदियों का पुल बनना बहुत मुश्किल हो गया है जिन पर कि ज्यादा से ज्यादा ४–६ हजार रुपया ही लगेगा लेकिन वह नहीं लगाया जा रहा है। बरसात के दिनों में हमारा क्षेत्र टापू का रूप धारण कर लेता है और सारे क्षेत्र का २ नदियों के बीच में जो गांव हैं वह टापू की तरह दिखाई देते हैं। अगर सरकार ने उधर ध्यान न दिया तो वहां के गरीब किसान और वहां की जनता क्या समझेगी कि हमारे देश में स्वराज्य आया है और यहां अपनी सरकार बैठी है।

इसलिये निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में २ सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका बनना बहुत जरूरी है। तिवारीपुर–मिझौड़ा, रायगंज–बढ़ईया सड़क का बनना बहुत जरूरी है, वहां की आधी जनता का आवागमन इसी सड़क से होता है और बीच में भड़हा नदी पड़ती है, न कोई पुल है और न सड़क ही है। दूसरी सड़क मीटी-महरुआ–नसीरपुर–दोस्तपुर सड़क बनना भी बहुत जरूरी है। एक बात मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि यहां मुख्य मंत्री के अलावा अन्य सभी विधायक एक ही हैसियत रखते हैं लेकिन किसी के क्षेत्र में ५० मील लम्बी सड़क बनी है और बनती चली जा रही हैं और किसी के क्षेत्र में ४–५ किलो मीटर के टुकड़े बनना तक मुश्किल हो गया है ....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कहीं-कहीं तो मकान तक सड़कें बन गई हैं।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत बड़ा अन्याय है कि हमारे जैसे जो सीधे सादे सदस्य हैं उनकी बात सुनने वाला समझने वाला यहां कोई नहीं है लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं उनके यहां हर तरह से काम धकाधक हो रहे हैं, सब सुविधा मिल रही है और काम हो रहे हैं। हमारे यहां जो सड़क मंजूर भी हुई है उस पर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है।

जनवरी, १९७० में सड़क मंजूर हुई है लेकिन इन्जीनियर और ओवरसियर्स ने वहां पर कोई काय आरंभ नहीं किया है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमें घेर लेती है तो बड़ी कठिनाई होती है, हमें भागना दुर्लभ हो जाता है। हमारी दुर्दशा होती है। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अगर भैंस को घास नहीं मिलेगी तो क्या दशा होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

लाठी किसके पास है ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

आप भी तो इधर बैठे हैं, चौधरी गिरधारी लाल के साथ, तब किसके पास लाठी थी, और आपके पास भी तो लाठी थी, तब आपने क्या किया ? आप अब इधर बैठ जाएं, फिर आपके

पास लाठी हो जायगी, देर क्या है ? मैं चाहता हूं कि सड़क हर क्षेत्र में बननी चाहिये। यह न हो कि जहां के मंत्री हों वहां पर चारों तरफ सड़कें बन जाएं ? मेरठ में ५–५ सौ मील सड़क है। तो यह कहां का न्याय है ? हमारे इलाके में तो १८–१८ मील की भी सड़क नहीं है। अगर इस समय भी जनता के साथ अन्याय होगा तो वे किस के पास जायेंगे और यह हमारा दुर्भाग्य होगा। क्षेत्र की जनता बहुत सोच समझकर हमको चुनकर भेजती है कि य विधायक जायेंगे और अपनी बात अपने क्षेत्र की बात कहेंगे लेकिन यहां आने पर सब मामला चौपट हो जाता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे फैजाबाद के कटेहरी इलाके में सड़क बनवाने की कृपा करें। जनता ने बड़ी आशा लगा कर हमें यहीं पर भेजा लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप कहते थे कि यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। गंगा पर पुल बन सकता है लेकिन मडहा नदी पर पुल नहीं बन सकता है, यह कहां का न्याय है। श्रीमन्, हमारे इलाके में १२–१२ और १४–१४ मील पर पुल नहीं है। हम विधायक हैं तो क्या हम कमल के फूल हैं कि जो जनता सूंघ कर प्रसन्न होगी। मेरी फिर यह प्रार्थना है कि कटेहरी क्षेत्र की ओर हमारे मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर समय मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप सबको दो-दो मिनट का समय देंगे तो कैसे होगा ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसका इसलिये समर्थन नहीं करता कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों में कटौती की जाय बल्कि इसलिये करना चाहता हूं कि इस विभाग में पैसा स्वीकृत होता है निर्माण कार्यों के लिये उससे यह विभाग पूरा नहीं कर पाता। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो वर्क लोड है वह अधिक है और श्रीमन्, यह बात भी कुछ अंश तक सही है कि हमारे यहां जो पैसा स्वीकृत होता है उसके हिसाब से हमारे जो दूसरे प्रदेश है, बिहार है हरियाणा है, पंजाब है, उसम काफी अन्तर है। हमारे यहां जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वह भी और प्रदेशों के हिसाब से कम है। यह कारण है कि विभाग के लिये जो पैसा स्वीकृत होता है उनके निर्माण कार्य समय के अन्दर पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री जी यदि चाहते हैं तो इस रुपय से जो काम होने वाले है वे समय के अन्दर हों और उनको पूरा करने के लिये यदि इनको कुछ और भी प्रशासनिक व्यय करना पड़ तो उसको भी करें। समय से काम हो, समय से जो काम नहीं होता है उससे दोहरा खर्चा बढ़ गया है।

बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो तीन-चार वर्षों से स्वीकृत हुए थे। उनका खर्चा इस समय दुगना हो गया है। चार लाख से आठ लाख हो गया है। हमारे यहां छः डिवीजन पर एक सर्किल का काम होता है। और प्रदेशों में चार डिवीजन में एक सर्किल का होता है। अभी हमारे इस विभाग में दो सर्किल और आठ डिवीजन तोड़ने की बात हुई है। इसी महीने में आदेश हुए हैं। जब कि इस बजट में चार और सर्किल बढ़ाने की बात है। एक तरफ तो डिवीजन तोड़ते हैं, उसमें काफी लोगों को हटायेंगे, काफी लोगों की पदावनति हो जायगी। फिर सर्किल और कायम करेंगे। कुछ

[श्री मैनेजर सिंह]

लोगों को प्रोमोशन देंगे। यह प्रयत्न है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी खुद विचार करें। जो सर्किल तोड़ने की बात है उसको अविलम्ब रोकें। मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। इस विभाग में सर्विस रूल्स नहीं हैं। एक शुक्ला कमेटी बनी थी उसके तहत वे सर्विस रूल्स बनने वाले थे। उस शुक्ला कमेटी की रिपार्ट कार्यान्वित नहीं हो रही है। यह विभाग के लिये शोभा की बात नहीं है। शुक्ला कमेटी के निर्णय के अनुसार सर्विस रूल्स जल्द से जल्द बनने चाहिये।

*श्री विजय बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्यों ने उसके समर्थन में और कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध में मत प्रकट किये। मैं उन सभी का आभारी हूं। मान्यवर सार्वजनिक निर्माण विभाग पर और उसके इस बजट पर जो चर्चा चल रही है जहां उसकी धृष्टता, की चर्चा रही है, सुझाव भी रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से यह पुस्तिका दी गई है उसमें १९७१–७२ में केवल १६० किलो मीटर सड़क की चर्चा है। इस प्रदेश में ५२–५४ जिले हैं। जिलों के हिसाब से कितने किलो मीटर सड़क प्रत्येक जिले को आयेगी, अगर तहसीलों के हिसाब से लगा लें तो कितने गज और कितने फुट आयेगी और क्या इसकी योजना होगी और इन विधायकों ने अपने क्षेत्रों की सड़कों के बारे में जो सुझाव दिये अवश्यमेव उनकी आवश्यकता रही है, आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी, उस क्षेत्र के विकास के लिये।

श्रीमन्, अगर विधायक के हिसाब से लगाया जाय तो कुछ गज ही मिलती है, एक बटे तीन किलो मीटर या उससे भी कम मिलेगी। ५०० विधायक हैं। तो ऐसा समाजवाद न लाया जाय कि केवल साढ़े तीन फीट ही जगह मिल पाये। अगर सड़कों से प्रदेश के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है तो मैं डाक्टर लोहिया की बात को दोहराना चाहता हूं कि गांवों में कच्ची सड़कें बना दें और कच्ची सड़कें बनाकर कस्बों और नगरों से जोड़ दें और पक्की सड़कें तभी बनायें जब देश के पास इतने साधन हो जाएं। तो अगर कच्ची सड़कें ही बना दी जाएं तो हमारे विकास को एक दिशा मिलेगी।

श्रीमन्, चीफ इंजीनियर के बारे में एक सूचना मुझे मिली है। भाग्यवश आप पीठासीन हैं। एक द्रौपदी की फरियाद है। जब द्रौपदी की फरियाद होती है तो चाहे बासुदेव आएं और चाहे कृष्ण आएं। चीफ इंजीनियर साहब जब अपने दौरे पर बस्ती जाते थे तो जो नपाल के समीप है तो वहां एक असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनको चीफ इन्जीनियर साहब मजबूर करते थे कि नैपाल से जाकर अच्छी-अच्छी साड़ियां लाओ। वह बेचारे मजबूर थे या इतने कार्यकुशल नहीं थे, उनको खुश न रख सके। तो उनकी औरत की ओर से सरकार में एक अपील आई हुई है। वह बड़ी दर्दनाक है। मैं उन शब्दों में नहीं जाना चाहता। अगर उनको पढ़ने की जरूरत होगी तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो कृष्ण को करना पड़ा था जब दुशासन ने द्रौपदी के साथ अत्याचार किया था।

श्रीमन्, एक कर्मचारी हमारे सचिवालय के, रिपोर्टर है, उन्हें बादशाहनगर में क्वार्टर एलाट हुआ है—यू० १ / ३ लेकिन एक बड़े अफसर ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा छोटे पर अत्याचार करता है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिये, समाजवाद लाने के लिये, सामाजिक न्याय के लिये कड़ा कदम उठाना होगा, जिसमें कठिनाई होगी, परिश्रम करना होगा, खून-पसीना एक करना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विकास के लिए सड़कों की बड़ी आवश्यकता है, देश औ प्रदेश की समृद्धि के लिये सड़कों बड़ी आवश्यकता है और उसमें हमें एक नया क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा। मिर्जापुर नगर में पंडित नेहरू जी ने यह कहा था कि मझे इंजीनियर चाहिए, ओवरसीयर चाहिये। ओवरसीयर हमारे यहां पैदा हुए, इंजीनियर पैदा हुए लेकिन हमारे यहां जो नियोजन की प्रथा थी वह दोषपूर्ण थी और उसके कारण ओवरसीयर और इंजीनियर बेकार हो गये। उनको नौकरी देने में जो अन्याय औरभ्रष्टाचार हुए हैं वह किसी से छिपा नहीं है।

जब यह देखते हैं कि किस प्रकार से ओवरसीवरों और असिस्टेंट इंजीनियरों की नियक्तियां हुई तो शर्म से सिर झुक जाता है। यह प्रदेश हमारे देश का सिरमौर है। यहां का यश पूरे देश में फैलेगा और यहां का अपयश भी पूरे देश में फैलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, ५० वर्ष की तपस्या के बाद पूरे भारतवष के हृदय उत्तर प्रदेश के वह मुख्य मंत्री हुए है, आज इसके विकास के लिये, यहां की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिये अगर समाजवादी राह पर बढ़ जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके पावों में कांटे चुभेंगे, उन पर इन्दिरा का प्रकोप भी हो सकता है। मैं उनका पड़ोसी हूं। वे शंकर की नगरी के रहने वाले हैं। कभी गंगा को भी प्रमाद हुआ था, घमण्ड हुआ था, लेकिन शंकर जी ने उसको वालों से बांध दिया था। आज पूरे प्रदेश की जनता विश्वास के साथ मुख्य मंत्री की ओर नजर लगाये दिखाई दे रही है। मैं उनका ध्यान मिर्जापुर जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि गरीबी और बेरोजगारी में पड़ा हुआ है। प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री के साथ कदम के साथ कदम मिला कर चलने के लिये तैयार है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राज बिहारी सिंह—

मैं तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विभाग के बजट पर बहस में हिस्सा लिया है। मान्यवर, २–३ तरह के सुझाव और शिकायतें आयी है, जिनके ऊपर मैं समय के हिसाब से, जवाब देना चाहता हूं। पहली शिकायत तो यह है कि प्रदेश में सड़कों की कमी है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है और इसको छिपाने की बात नहीं है। मैं पहले भी कबूल कर चुका हूं कि सड़कें प्रदेश में कम हैं और गांवों को शहरों से मिलाने वाली सड़कों की कमी है। दूसरी शिकायत यह है कि काम देर में होता है। यह बात भी ठीक है। जो सड़कें स्वीकृत होती हैं, जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने कहा, उनके सर्वेक्षण में देर लगती है और टेक्निकल आब्जेक्शन्स व टेक्निकल स्वीकृति भी देर में आती है। विभाग का तथा सरकार का इस तरफ ध्यान गया है और हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि स्वीकृति जल्दी जाये और काम जल्द हो।

मान्यवर, शर्मा जी चले गये। उन्होंने पूरब और पच्छिम का सवाल उठाया जिसका जवाब कल्पनाथ सिंह जी ने खुद अपनी स्पीच में दे दिया। जो पुस्तिका बंटी है उसको देख लें कि पूरब और पच्छिम में क्या भेद है, मुझे उसे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरब और पच्छिम के डर की वजह से क्या उन्होंने पूरब के साथ बेइंसाफी की है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, इस सरकार में पूरब और पच्छिम का कोई भेद नहीं है। एक सवाल चन्द्रभान शर्मा ने बनारस के बारे में उठाया था कि वहां की सड़कें बी० के० डी० के मेम्बरों को नहीं दी गयीं। इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं। अगर आप सन् १९७०–७१ का बजट देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब उसमें मिल जायगा। वाराणसी को २० किलो मीटर सड़क दी गयी है। वह सड़क केवल वाराणसी की ही नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोग उस पर यात्रा करते हैं। अहिल्या बाई, शिवाजी तथा अन्य लोगों की वहां पर धर्मशालायें बनी हुई हैं। इसके विपरीत सन् १९७०–७१ का बजट देखें। वाराणसी में एक भी सड़क नहीं दी गई, न कांग्रेस (ओ०) को न कांग्रेस (आर०) को न जनसंघ और न किसी और को, बल्कि हुआ यह कि सारी सड़कें बी० के० डी० वालों की दी गयीं। मैं यही एक उदाहरण देना चाहता हूं।

जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है कई जिले पिछड़े हुए हैं। बाम्बे प्लान के हिसाब से बाराबंकी सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर कुछ काम हो। अभी तक आधार बाम्बे प्लान ही माना गया है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

बाम्बे प्लान का जिक्र किया। उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें भी हैं। मंत्री जी कृपया देखें...

श्री राज बिहारी सिंह—

अगर यह माननीय सदस्य बीच में प्रश्न पूछें जो कि कभी गवर्नमेन्ट में नहीं रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन त्रिपाठी जी तो सरकार में रह चुके हैं और गवर्नमेन्ट चला चुके हैं। त्रिपाठी जी तो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं।

दूसरी बात यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह जी ने बाम्बे स्कीम की बात उठायी थी। यह सही है और मेरी व्यक्तिगत राय है कि बाम्बे प्लान जब बना था तो उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों का ख्याल नहीं किया गया। उसको ठीक ढंग से बनाना चाहिये और अगर पैसा हो जाय तो हम बाम्बे प्लान के मातहत कोई बन्ध हुए नहीं हैं। पैसा मिल जाय तो जब चाहे हम उसको तोड़ सकते हैं। लकिन एक अनुरोध मैं श्री कल्पनाथ सिंह जी से करना चाहता हूं कि उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है सरकार में रहने का और वे पूरब के ही रहने वाले हैं। आज जो बात वे मेरे लिये कह रहे हैं वही मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी सरकार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और चीफ मिनिस्टर भी पूरब के ही थे तो आपने वह कदम क्यों नहीं उठाया जो आप आज मुझसे उठाने के लिये कह रहे हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

संयोग से आज यदि अवसर दिया जाय मुझे उधर बैठने का तो मैं यह काम कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, अवसर मिल चुका है। मान्यवर, हमारे मित्र देहलवी जी ने यह सवाल उठाया था कि बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग के अन्दर है। मैं उन्हीं के शब्दों को सच मानता हूं। (व्यवधान) अगर १९७०–७१ की देहलवी जी की स्पीच को पढ़ा जाय तो उन्होंने विशारद के पूछने पर कहा था कि अब इस विभाग से भ्रष्टाचार दूर हो गया है। तो आज भी वह बात चल रही है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इस प्रकार की हमारी कोई स्पीच नहीं मिलेगी ।

श्री राज बिहारी सिंह—

एक सवाल यहां पर उठाया गया था कि यहां पर वादा किया गया था कि वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को रेगुलर में ले लिया जायगा । मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार अपने वादे को पूरा करेगी । श्री चन्द्रभान शर्मा जी को शायद याद हो कि सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी सड़कों पर ऐसे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको रेगुलर बना दिया जाय । ४ हजार कचर्मारी जो नेशनल हाई वे पर काम करने वाले हैं उनके लिये भी सरकार ने आदेश दिया है कि जितने वर्क चार्ज्ड कर्मचारी हैं, करीब १८ हजार हैं उनको रेगुलर सर्विस में ले लिया जाय ।

जहां तक भ्रष्टाचार की शिकायत है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । इसके लिए सरकार क्या कर सकती है । भ्रष्टाचार समाज का रोग है और जब तक समाज में पैसे की इज्जत रहेगी तब तक भ्रष्टाचार का रोग दूर नहीं हो सकता है । इस संबंध में आपको मैं एक उदाहरण दूं कि जब कोई अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो वह यही कोशिश करता है कि किसी इंजीनियर या ओवरसीयर लड़के से उसकी बेटी का ब्याह हो । क्योंकि समाज उसी को प्रतिष्ठा देता है, उसी की इज्जत करता है । जब तक आप अपने घरों में इस तरह की चीजों की इज्जत करेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा । भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जरूरी है कि पैसे का अस्तित्व समाज से समाप्त हो । चाहे कोई पक्का से पक्का समाजवादी हो, चाहे मुझ सा अधूरा समाजवादी हो, वह इस भ्रष्टाचार को दूर नही कर सकता जब तक कि समाज में पैसे की इज्जत रहेगी । यह सामाजिक बुराई है ।

जहां तक हमारे विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ बातें कही गयी हैं, मैं इतना ही आपसे कहता हूं कि हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं वे निहायत काम करने वाले लोग हैं । जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री रामकरन सिंह ने किसी बड़े इंजीनियर को कहा— उन्होंने तारीफ भी की कि कोई शिकायत होने पर वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गये । इस्तीफा तो वे दे देंगे लेकिन शिकायत श्री रामकरन सिंह को यह है कि सड़क उनको नहीं दी गयी । मंत्री जी ने उनसे वादा भी किया था । अगर मंत्री जी ने वादा किया होगा तो वह वादा पूरा होगा । कोई मेम्बर चाहे इधर रहे हों, चाहे उधर रहे हों, सदन के भीतर या सदन के बाहर कोई भी आश्वासन उनको दिया गया होगा तो यह सरकार उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,१४,७९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,०२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,६३,८९,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,०६,०२,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोंडा रेलवे स्टेशन पर बम बनाने का मसाला पकड़े जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज सर्वश्री बंशीधर पांडेय और सुरेन्द्र विक्रम ने गोंडा रेलवे स्टेशन पर बम बनाने के सम्बन्ध में लिखा है, इसे २७-८-७१ के लिये स्वीकृत किया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

नियम ५१ में कर दीजिये, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा जो है, वह शिकोहाबाद में निर्वाचित अध्यक्ष, श्री मंशाराम, के सम्बन्ध म है, वह स्वीकृत नहीं हुआ है। सुबह वक्तव्य हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस समय होने वाला है।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप दो मिनट समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

शेष नियम ५१ की सूचनायें जो हैं वह महत्वपूर्ण नहीं हैं कि स्वीकार की जायं और सभी अस्वीकृत हुई हैं। यह अल्पसूचित प्रश्न के लिये उपयुक्त विषय हैं। अगर आप अल्पसूचित प्रश्न भेजेंगे तो विचार किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

एल० एस० जी० मिनिस्टर बैठे हुए हैं। श्री मंशाराम को २७ तारीख को मुअत्तिल किया गया और ४०९ की कार्यवाही पेंडिंग में है जिसकी मुंसिफ जांच करेंगे।

मान्यवर, मैं आपको सूचना दे दूं कि वह मामला २८ तारीख को उनके हक में हाई कोर्ट से फैसला हो गया है। इसलिए आप उन्हें इमीडिएटली अध्यक्षता का चार्ज लेने के लिए आदेश दे दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

सरकार को अभी इसकी सूचना नहीं है। जानकारी प्राप्त की जायेगी। अगर न्यायालय का आदेश है तो तुरन्त उस पर कार्यवाही होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

१९ तारीख का कार्यवृत्त है जिसके दूसरे पन्ने पर लिखा है कि हमारा संशोधन उपाध्यक्ष ने अवैध घोषित किया। मान्यवर, अवैध घोषित करने का सवाल नहीं था। मैंने तो उसको वापस ले लिया था। यह जो छपा है वह गलत छपा है। इसको ठीक करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने वापस ले लिया था ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

जी हां। वही लिख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह भी कहा था कि आउट आफ आर्डर है। जसा आप कह रहे हैं कि वापिस ले लिया था तो वह कार्यवाही में छपा होगा। अब तो वह छप गया। अब जो सुधार होगा वह कार्यवाही में होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

यह अवैध नहीं हो सकता। मेरा संशोधन विधान के अन्दर था। आप यह लिखवा दें कि वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों है। अस्वीकृत भी हुआ है और आपने वापस भी लिया है। जब आप कह रहे थे वापस लेने के लिए तो वह कुछ देर से कहा। उसको पहले कह दिया होता। अपनी जगह पर आपका वचन और कथन सत्य है। आप जो कह रहे हैं वह कार्यवाही में आ जायेगा और आप संतुष्ट हो जायंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की बात को उठा रहा हूं। कल इसी सदन में अध्यक्ष महोदय ने हमको सलाह दी थी कि कि मैं नियम ५१ में लिख कर दे दूं तो स्वीकार हो जायेगा और वक्तव्य हो जायेगा। इसी सदन में माननीय बिजली मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वक्तव्य को पिजन होल में रखवा दिया जायेगा। एक बार कहा कि हम वक्तव्य देंगे। कभी कहा कि मामला सुलझ रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है आज तक मामला सुलझा नहीं है। सरकार हड़ताल को कुचलने पर आमादा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आज का दिन तो बीत गया। परसों आप उठायें। परसों विद्युत का अनुदान है। परसों के पहले तो कार्यवाही सम्भव नहीं है। परसों बजट पर जो भाषण होगा और जो आश्वासन होगा उससे आप को संतोष न हो तो इसको उठावें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह अध्यक्ष महोदय की कुर्सी की गरिमा का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय सलाह दें और आश्वासन दें कि नियम ५१ में दें तो चर्चा हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस आश्वासन के बावजूद आपके बोलने की आवश्यकता पड़ गयी तो इससे मालूम पड़ता है कि आश्वासन की बात कुछ लचर हो गयी है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

हमको लिख कर मिला है कि हम प्रश्न पूछ लें। इसलिए मैंने कहा कि उस कुर्सी से आश्वासन मिले और फिर यह जवाब मिल जाय कि प्रश्न पूछ लें तो इस सदन की और उस कुर्सी की गरिमा और महिमा क्या रह जायगी?

श्री उपाध्यक्ष--

उसकी गरिमा आप की बदौलत रहेगी। आश्वासन के बावजूद अगर आप उसको विचार का विषय बना देंगे तो उससे कुछ गरिमा घट ही जायगी।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय जेल मंत्री जी तो बोल ही नहीं रहे हैं। वे तो हड़ताल कुचलने पर तुले हुये हैं। कानपुर नगर की हालत अनिश्चित बनी हुई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसको अगर वक्तव्य के लिये स्वीकार भी किया जायेगा तो वह दूसरे महीने के पहले सप्ताह में ही आ सकेगा, उसके पहले नहीं। इसलिये परसों में इसको उठाने की आपको अनुमति दे दूंगा जब अनुदान आपके समक्ष होगा। तब आप अपनी बात कह लें। हो सकता है मंत्री जी अपने उत्तर में आपको संतुष्ट कर दें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परसों फिर लिख कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई आवश्यक नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अब बाढ़ के विषय में माननीय राजस्व मंत्री वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य--

इससे पहले कि माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ संबंधी जो यह पुस्तिका बंटी है इसमें आजमगढ़ का जहां कि समुद्र आया हुआ है कोई जिक्र नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

टोंस नदी में भी बाढ़ आयी हुई है उसका भी जिक्र नहीं है·····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पहले वक्तव्य तो हो जाने दें। जिनका जिक्र नहीं है उनके बारे में जब अगला वक्तव्य दिया जायगा उसमें जिक्र आ जायगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मैंने १६ तारीख को कामरोको प्रस्ताव दिया था कि बरहज कट रही है, उसको आपने राजस्व मंत्री के पास भेज दिया था, उसका भी कोई जिक्र वक्तव्य में नहीं है···

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

इस वक्तव्य में बलिया जिले की बाढ़ का, घाघरा नदी की बाढ़ का कोई जिक्र ही नहीं है। दोहावा का जो इलाका है वहां सन् ४८ की बाढ़ से बढ़ कर बाढ़ आयी हुई है और सरकार के अधिकारी इसको छिपा रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप भी वही बात कह रहे हैं। (कई सदस्यों द्वारा व्यवधान)

जो वक्तव्य है पहले वह हो जाय। जिन जिलों के बारे में सूचना नहीं होगी इसमें, उनके बारे में अगले वक्तव्य में सूचना आ जायेगी।

एक सदस्य—

इसमें टोंस नदी का कोई जिक्र नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बाढ़ तो सूबे भर में हैं, इसलिए यदि एक वक्तव्य में सारे क्षेत्रों का जिक्र न हो, तो यह सम्भव है और....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा एक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो शासक दल के हैं, आपको सुनना चाहिए।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

हमारे फैजाबाद में मकान गिरने से ५ मनुष्यों तथा ३ पशुओं की मृत्य हुई....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो वक्तव्य अभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा नहीं, अच्छा....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े रहने और बोलते रहने पर)

आप मेरी बात आखिर क्यों नहीं सुनते हैं? बताइये क्या चाहते हैं? आप लोग बैठ जाइये। जो वक्तव्य अभी राजस्व मंत्री जी पढ़ने वाले थे, जिसके बारे में आपने राय दी कि पढ़ा हुआ माना जाय। तो क्या मैं समझूं कि उसे पढ़ा हुआ माना गया?

(सबकी स्वीकृति मिलने पर राजस्व मंत्री का निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्वमंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

पिछली बार मैंने सदन को ३० जुलाई को प्रदेश में आई बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया था और उसके पश्चात गत ४ अगस्त को माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस सदन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये थे। मैंने उनके सुझावों के अनुसार कार्यवाही करने का भरसक प्रयास किया है।

पिछली बार प्रदेश भर में २७ जिलों में ही बाढ़ का प्रभाव था, अब उनकी संख्या बढ़ कर ४४ हो गई है। बाढ़ की चपेट में आने वाले नये १७ जिले बुलन्दशहर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, बरेली, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, मेरठ, रायबरेली, जौनपुर, खीरी, सुल्तानपुर बिजनौर, देहरादून, सीतापुर एवं मुजफ्फर नगर हैं।

प्रदेश के ४४ जिलों में बाढ़ से हुई अब तक की क्षति का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है जिससे यह मालूम होगा कि अब तक प्रदेश में लगभग १० हजार गांव जिनकी जन संख्या लगभग ३८ लाख है, बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक लगभग ३३ लाख

एकड़ क्षेत्रफल पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है जिसमें से लगभग १४.४२ लाख एकड़ पर फसलें बोई हुई थीं। फसल को अनुमानतः ४४ करोड़ रुपये की क्षति हुई है। लगभग ३४ हजार मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनका अनुमानित मूल्य लगभग २ करोड़ रुपये आंका गया है। अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के नुकसान का मूल्यांकन लगभग २ करोड़ रुपये आया है। इस प्रकार कुल क्षति का अनुमान ४८ करोड़ आता है। पूरी जांच के पश्चात् क्षति का मूल्यांकन इससे अधिक हो सकता है। अब तक ५६ मनुष्यों एवं करीब एक हजार पशुओं की मृत्यु की सूचना मिली है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं किसी क्षेत्र में बाढ़ आने पर पहला काम लोगों को तथा उनके पशुओं को खतरे के स्थान से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होता है। यह कार्य सभी जिलों में तत्परता और बड़े परिश्रम से किया जा चुका है। लोगों को तात्कालिक आवश्यकता के लिये अनाज, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई दिया गया और जो शिविर खोले गये वहां उन्हें जरूरतमन्द लोगों को राशन दिया जाता है। विपन्न प्रति परिवार को १०० रुपये तक अहेतुक सहायता दी गई। बीमारियों को रोकने के लिये टीके लगवाये गये एवं कुओं में दवाइयां छोड़ी गईं—माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस परिश्रम की वजह से आदमी और पशुओं में संक्रामक बीमारी नहीं फैली। अब तक अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों को अहेतुक सहायता एवं गृह अनुदान के लिये दिये गये लगभग ७१ लाख रुपये में से ५० लाख रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिये दिया गया है। प्रकीर्ण व्यय के लिये अब तक जिले को लगभग ११ लाख रुपये दिये गये हैं, उसमें से बाढ़ पीड़ितों के लिये ७ लाख ४४ हजार रुपये हैं। इसी प्रकार तकावी के लिये कुल १ करोड़ ३५ लाख रुपये दिया गया है उसमें से लगभग ४५ लाख रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिये हैं। जिलेवार बाढ़ सहायता में दी गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखा जा सकता है। बाढ़ में सहायता देने का खर्च तब बढ़ता है जब पानी हट जाता है और लोग अपने मकान बनाने लगते हैं और अगली फसल के बोने का प्रबन्ध करने लगते हैं। इसलिये हर जिले में गृह अनुदान और तकावी का वितरण बाढ़ समाप्त हो जाने पर होगा। तभी अगली रबी की फसल के लिये बीज, उर्वरक एवं तकावी का वितरण आरम्भ होगा। जिन लोगों को मवेशियों की मृत्यु हुई है उन्हें मवेशियों की खरीदारी के लिये भी तकावी दी जायगी। समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जा चुके हैं कि उन ग्रामों की आबादी के स्थान अथवा कम से कम उसका निचला भाग जहां गरीब एवं छोटे तबके के लोग रहते हैं उसे टेस्ट वर्क द्वारा ऊंचा करा दिया जाय ताकि यह आबादी हमेशा के लिये बाढ़ से, सुरक्षित हो जाय। जिलाधिकारियों के पास छोटे-छोटे मकानों के नमूने भेज दिये गये हैं। जिससे लोग सुनियोजित ढंग से मकान बना सकें और उनसे यह भी कहा गया है कि आबादियों को बनाते समय सीधी सड़कें, गलियों, नालियों इत्यादि निकालने के लिये भी प्रबन्ध कर लिया जाय। बाढ़ के समय नाव की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सभी गांव सभाएं जो नदियों के किनारे हैं कहा गया है कि वे बड़ी नावों का प्रबन्ध कर लें जिसके लिये शासन से ६० प्रतिशत अनुदान मिल सकता है। अगर गांव सभा ऐसी हालत में नहीं है कि नाव का प्रबन्ध कर सकें तो एक से ज्यादा गांव सभायें मिल कर नाव का प्रबन्ध कर सकती हैं। जिस समय बाढ़ न हो उस समय ये नावें लोगों के नदियों के दिन प्रतिदिन पार करने के उपयोग में लाई जा सकती हैं। बहुत से जिलों में सड़कों, पुलियों व सार्वजनिक भवनों को क्षति पहुंची है। बाढ़ घटते ही उनकी मरम्मत का काम आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके अलावा गैर सरकारी बांधों की जिससे बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिल सके, मरम्मत भी टेस्ट वर्क से कराने की व्यवस्था की जावेगी जिससे उनकी सुरक्षा हो सकें। जिन जिलों में फसलों का अधिक नुकसान हुआ है वहां की मालगुजारी, लगान तकावी, सिंचाई देय तथा अन्य कृषीय देयों हाल व बकाया की वसूली १५ अक्टूबर, १९७१ तक स्थगित कर दी गई—इसकी धनराशि लगभग २० करोड़ रुपये हैं। नुकसान की मात्रा को देखते हुए लगान, मालगुजारी की छूट

[श्री उदित नारायण शर्मा]

अथवा वसूली और देर तक स्थगित करने का जो प्रस्ताव जिलों से आयेगा उस पर शासन सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा ऐसे जिलों के लिए विद्यार्थियों की फीस एवं किताब खरीदने के लिये भी सहायता देने का प्रबन्ध हो रहा है। इस प्रकार शासन अपने सीमित साधनों से बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को पूरी सहायता में लगा हुआ है। केन्द्रीय शासन से भी तदर्थ रूप से २ करोड़ रुपये का ऋण बाढ़ में सहायता कार्य के लिये आ गया है जिससे शासन के हाथ और मजबूत हुए हैं। भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकारियों का एक अध्ययन दल बाढ़ से हुई क्षति का निरीक्षण करने को शीघ्र भेजें। यदि कहीं सहायता में किसी प्रकार की कमी हो तो माननीय सदस्य मुझे तुरन्त बताने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सहायता देने के संबंध में जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनकी पूर्ति के लिये शासन भरसक प्रयत्न करेगा।

अब मैं बाढ़ का विवरण जिलेवार दे रहा हूं :—

बलिया

बलिया जिले में मुख्य रूप से गंगा और घाघरा नदियों में बाढ़ आई है। ३१ जुलाई को गायघाट पर गंगा का जलस्तर १९१.६ फीट था। १७ अगस्त को गायघाट पर जलस्तर १८८.१० फीट था। इस स्थान पर जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर १९२ फीट से कम ही अभी तक रहा है। गंगा नदी पर ही ३१ जुलाई को लाटघाट पर जल-स्तर १९६.२ फीट था। १७ अगस्त को यहां का जलस्तर १९२ फीट ही रहा जो उच्च स्तर बाढ़ १९८.५ से ६.५ फीट कम था। गंगा तथा घाघरा दोनों नदियों से कटान जारी है। ४२८५ एकड़ भूमि कट चुकी है। ३१ जुलाई को बैरिया बांध के किनारे स्थित विरला बांध ५० फीट तक कट गया था और उससे २० गांव बाढ़ की चपेट में आ गये। बैरिया बांध सुरक्षित है। अब तक बलिया जिले में ७७० गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं जिसका असर २ लाख २२ हजार व्यक्तियों पर पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र फल २ लाख ६३ हजार एकड़ में से १ लाख ५ हजार एकड़ में फसलें बोई हुई थीं। फसलों तथा कटान में आई हुई भूमि की क्षति का अनुमान ३ करोड़ ८१ लाख रुपये लगाया गया है। ६९९० मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनकी क्षति ३६ लाख ९४ हजार रुपये अनुमानित है। ४ मनुष्यों की एवं २० पशुओं के भी मरने की सूचना है। २६,८०१ व्यक्तियों को हैजे का टीका लग चुका है। २,४३३ कुओं की सफाई कराई गई है। ३१६ देशी नावें सहायता कार्य में लगी हुई हैं परन्तु इनकी संख्या पर्याप्त न होने के कारण सेना की ११ मोटर नौकायें भी मंगवानी पड़ीं। सैनिक नावें अब वापस चली गई हैं। खतरे के स्थान से १५३९० व्यक्तियों को सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचाया गया। अब तक इस जिले में बाढ़ पीड़ितों को अहेतुक सहायता के रूप में २ लाख ७० हजार रुपये बांटे जा चुके हैं।

गाजीपुर

गाजीपुर जिले में गंगा में पहले से बाढ़ चली आ रही थी। अगस्त के पहले सप्ताह में गोमती, कर्मनासा तथा गांगो नदियों में और बाढ़ आई। ३ अगस्त तक गंगा का जलस्तर मध्यम बाढ़ स्तर २१३ फीट से ४.१२ फीट ऊपर अर्थात् २१७.१२ फीट पर स्थिर था। परन्तु इसके बाद से घटने लगा। अब तक इस जिले में ७४० गांव का १,८७,००० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है जिसमें से लगभग ७९ हजार एकड़ फसलें बोई हुई थीं। फसलों को हुई क्षति का अनुमान एक करोड़ पचास लाख रुपये लगाया गया है। कुल लगभग २ लाख ४३ हजार व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ५४६ मकान गिरे हैं जिनकी क्षति का अनुमान २.२४ लाख रुपये लगाया गया है। एक मनुष्य के मरने की भी सूचना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग

को चार सड़कें तथा जिला परिषद् और टाउन एरिया की एक-एक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की संपत्ति को लगभग ७१ हजार रुपये की क्षति हुई है। ३३५ नावें सहायता कार्य में लगी हैं। पीड़ितों को गल्ला, मिट्टी का तेल, नमक, और दियासलाई बांटी गई है। अहेतुक सहायता के रूप में अब तक २३,३७७ रुपये बांटे जा चुके हैं। १,९०० रुपये गृह निर्माण अनुदान तथा १७ हजार २७० रुपये तकावी बांटी गई है।

देवरिया

बड़ी गण्डक का जिसका मध्यम बाढ़ स्तर ३१५.२५ फीट है जलस्तर भैंसहा पर ३०९.७९ फीट से ३११ फीट के बीच अगस्त के प्रथम पक्ष में घटता बढ़ता रहा है। १५ अगस्त को नदी का जलस्तर ३०९.९६ फीट था और घट रहा था। नेपाल राज्य की सीमा में बने लिंक बांध पर धारा का प्रभाव अब भी बना हुआ है। छितौनी बांध पर स्थिति बीरभार पर पर भी धारा का जोर चल रहा है। इनके बचाव का कार्य चल रहा है। मलहिया के पास रेलवे इम्बैंकमेन्ट और कट रहा है। अन्य स्थानों पर नदी की धारा सामान्य है। जिले में घाघरा, बांसी और राप्ती नदियों में भी बाढ़ आई। घाघरा १७ अगस्त को स्थिर थी, बांसी घट रही थी, जबकि राप्ती बढ़ रही थी। अब तक देवरिया जिले में ८४४ गांव की ४,२८,०३८ जनसंख्या प्रभावित हो चुकी है। अनुमानतः २ लाख १२ हजार २४२ एकड़ प्रभावित क्षेत्रफल में १ लाख १९ हजार ३२२ एकड़ कृषि क्षेत्रफल भी शामिल है। फसलों की क्षति का अनुमान लगभग ५.१२ करोड़ रुपये लगाया गया है। १०,५५३ मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गये हैं या नष्ट हो चुके हैं जिनका अनुमानित मूल्य १०२.३६ लाख रुपये हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को भी क्षति पहुंची है जिसका मूल्यांकन ४ लाख ९७ हजार रुपये आंका गया है। अब तक ९ मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है और २२९ पशुओं के मरने की खबर मिली है। सहायता कार्य जारी है। ३०४ देसी नावें सुरक्षा कार्य में लगायी गई थीं। खतरे से निकाले हुए सभी व्यक्तियों को शरण देने का प्रबन्ध कर दिया है। कुछ लोग अपनी झोपड़ी बना लिये हैं, कुछ लोगों ने अनुदान पाने पर अपनी झोपड़ी बना ली है। ३,५०० व्यक्तियों को सरकार द्वारा बनाये गये शरणालयों में रखा गया। चार सहायता शिविर एवं १२ वितरण केन्द्रों से अनाज इत्यादि का वितरण हो रहा है।

गोरखपुर

राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ है। राप्ती नदी का जलस्तर बर्डघाट पर १६ अगस्त को २४५.९५ फीट था और बढ़ाव की ओर था। इस स्थान पर राप्ती का निम्न बाढ़ स्तर २४२ फीट है। बड़हलगंज में घाघरा का जलस्तर १६ अगस्त को २२ फीट था, जबकि उसके पूर्व १२ अगस्त को २२८.३० फीट था। कुल ९३८ गांवों का १.३५ लाख एकड़ क्षेत्रफल जलमग्न हुआ तथा २.५५ लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। फसल की हानि का अनुमान लगभग ३०५ लाख रुपये लगाया गया है। ५२० मकान क्षतिग्रस्त हुए। जिनका मूल्यांकन अनुमानतः ३.९० लाख रुपये है। स्थिति पूरी तौर से नियंत्रण में है। किसी जीव हानि की सूचना नहीं मिली है।

बस्ती

बस्ती जिले में राप्ती, घाघरा, बूढ़ी राप्ती तथा नालों में आई बाढ़ जुलाई के अन्तिम सप्ताह में घटने लगी थी, परन्तु ३ अगस्त से घाघरा फिर बढ़ने लगी और राप्ती का जलस्तर भी धीमी गति से बढ़ने लगा। इस समय नदियां स्थिर हैं। घाघरा द्वारा हरैया तथा बस्ती तहसील के २४ गांवों में कटान से क्षति पहुंची है। अब तक १,०१९ गांवों की ३.३८ लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। कुल २.३१ लाख एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ था। इसमें से १.२२ लाख एकड़ में फसलें बोई हुई थीं। फसलों की क्षति का मूल्यांकन लगभग

[श्री उदित नारायण शर्मा]

५.०९ करोड़ रुपये आंका गया है। हरैया तहसील के ७ गांव जलमग्न हो गये। ४८६ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अनुमानित क्षति ३.९० लाख रुपये है। बांध और सड़कों को भी कुछ क्षति पहुंची है। बांसी तहसील के टूटे बांध को पार करते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है।

गोंडा

गोंडा जिले में १७ अगस्त को घाघरा का जलस्तर १०६.३१ मीटर था जो मध्य बाढ़स्तर १०६.१५ मीटर से कुछ ऊपर था, सरजू का जलस्तर मध्यम बाढ़ स्तर २४२ फीट से कुछ ऊपर था और स्थिर था। राप्ती का जलस्तर निम्नबाढ़ स्तर १०४ मीटर से कुछ ऊपर था। अब नदियों का जलस्तर घट चुका है। इस जिले में बाढ़ से २१० गांवों को १.६९ लाख संख्या प्रभावित हुई है। जलप्लावन से ३०० गांव प्रभावित हुए थे। कुल १.९२ एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ जिसमें फसल का क्षेत्रफल ५६ हजार एकड़ है। एक चार वर्ष की लड़की और एक पशु की मृत्यु हुई। ७३२ मकान गिरे और १.८५ लाख रुपये की हानि हुई।

मिर्जापुर

मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज की तहसील में सोन नदी में जुलाई के मध्य में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई थी। २७ जुलाई से गंगा नदी में बाढ़ आई। ३ अगस्त तक सोन नदी बराबर घटती गई परन्तु गंगा में बाढ़ बनी रही। ५ अगस्त से गंगा भी घटने लगी और इस समय बाढ़ समाप्त हो गई है। पानी से १७६० पशुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। इस जिले के ३४९ गांवों की १.६८ लाख जनसंख्या, एवं ३४ हजार एकड़ जिसमें फसल का क्षेत्रफल २६ हजार ७१५ एकड़ है, प्रभावित हुए। ३,००० घर गिरे जिससे १५ लाख रुपये की क्षति हुई। फसलों की हानि का अनुमान १ करोड़ रुपये है। अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को लगभग १५ लाख रुपये की हानि हुई।

बदायूं

जिले में गंगा, रामगंगा तथा उनकी सहायक नदियों में बाढ़ आई। ७५० फीट लम्बे गंगा महवा बांध के बह जाने से ५,००० रु० की क्षति हुई। जिले के ३३७ गांवों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा। नदी की कटान से ५२,००० रु० मूल्य की फसल क्षतिग्रस्त हुई। ३८ घर गिरे जिससे ४०,००० रु० की हानि हुई।

हमीरपुर

हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। २६ जुलाई को जमुना का स्तर ३५५.१५ फीट हो गया था जो १९१६ के उच्चतम बाढ़स्तर २५२.६ फीट से भी ऊपर था। बेतवा का जल स्तर ३५१.८३ फीट तक बढ़ गया था। जुलाई के अंतिम दिनों नदियां बढ़ाव पर थीं, परन्तु २ अगस्त से घटने लगी और ७ अगस्त तक बाढ़ बिल्कुल घट गई। १६ अगस्त से दोनों नदियों का जल स्तर पुनः बढ़ने लगा है। इस तारीख को यमुना और बेतवा का जल-स्तर ३२९.९१ फीट तथा ३२८.८५ फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर क्रमशः ३३४ एवं ३३३ फीट से नीचे था। जिले के ९४ गांवों की ४२,१३५ जन-संख्या तथा ९८,९६४ एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षेत्रफल २३,७४४ एकड़ है बाढ़ से प्रभावित हुए। फसल को लगभग १ करोड़ रुपये की हानि हुई तथा २,७४१ घरों के गिरने से ६.७० लाख रुपये की क्षति हुई। कोई जीवन हानि नहीं हुई। मनुष्यों एवं पशुओं को व्यापक बीमारी से बचाने के लिये टीके लगवाये जा रहे हैं।

पीलीभीत

पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में बाढ़ से ३२,५०० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ जिसमें से २५,००० एकड़ पर फसल बोई हुई थी। अब तक २७,४०० व्यक्ति प्रभावित हुये हैं। क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य ७५ लाख रुपये आंका गया है। ३७ घर भी क्षतिग्रस्त हुये थे जिनका मूल्यांकन १०,००० रुपये आंका गया है। कोई जीव हानि नहीं हुई। जिले में इस समय बाढ़ नहीं है।

मुरादाबाद

मुरादाबाद जिले में कोसी, रामगंगा तथा गंगा नदियों की बाढ़ से २४४ गांवों का १,३२,८४० एकड़ क्षेत्रफल तथा १,०४,९८५ जनसंख्या प्रभावित हुई। प्रभावित फसल का क्षेत्रफल ६५,५०० एकड़ है तथा फसल को लगभग २०० लाख रुपये की हानि का अनुमान है। तहसील हसनपुर में जलमग्न फसल को २५ प्रतिशत से नीचे ही नुकसान हुआ। २५१ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनका मूल्य १,४२,००० रुपये आंका गया है। कोई जीव हानि नहीं हुई। बाढ़ जुलाई के अन्त तक उतर गई थी परन्तु अगस्त के प्रथम सप्ताह में पुनः बाढ़ आई। तीन नावें बाढ़ से बचाने में लगाई गईं तथा ४५२ मनुष्यों को खतरे से बाहर निकाला गया।

जालौन

जालौन जिले में जमुना नदी में बाढ़ से १०४ ग्राम प्रभावित हुए। कुल १५,००० एकड़ क्षेत्रफल जिनमें फसल का क्षेत्रफल २,५१८ एकड़ है, प्रभावित हुई जिसकी अनुमानित हानि १५ लाख रुपये होगी। ६५८ घर नष्ट हुए जिससे १.५६ लाख रुपये की हानि हुई है। कालपी के २ लड़के जमुना में नहाते हुए डूब गये। अन्य कोई जीव हानि की सूचना नहीं मिली। पानी अब उतर गया है।

आजमगढ़

आजमगढ़ जिले में अगस्त के प्रथम सप्ताह के अन्त तक पुनः बाढ़ आ गई। घाघरा का जल-स्तर ७ अगस्त को २२७.७ फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर २२८ फीट से नीचे था। १६ अगस्त को जलस्तर बढ़कर २२८.७ फीट था और बढ़ रहा था। टोंस तथा उसकी सहायक नदियों में भी अगस्त के दूसरे सप्ताह से बाढ़ है। कुल २३८ गांवों की ८३,००० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था जिसमें से लगभग ५६,००० एकड़ में फसल बोई हुई थी जिससे लगभग २ लाख ८० हजार रुपये का नुकसान हुआ। १०८ मकान क्षतिग्रस्त हुए थे जिनका मूल्यांकन ५१,००० रु० किया गया है।

बांदा

बांदा जिले में जमुना नदी में जुलाई के अंतिम सप्ताह से पानी घटने लगा था। २७६ गांवों में जहां की जन-संख्या लगभग १,६६,६६८ है पानी आ गया था। कुल २,७७,०८१ एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षेत्रफल ८६,००० एकड़ है प्रभावित हुआ। फसल को लगभग ४०० लाख रुपये की हानि हुई। ८२३ मकान को क्षति पहुंची है जिससे ४ लाख रुपये की हानि हुई।

इलाहाबाद

इलाहाबाद में २ अगस्त को गंगा व जमुना नदियों का जलस्तर क्रमशः २८१ फीट तथा २८०.५ फीट था और घट रहा था। ६ अगस्त को बाढ़ उतर गई। गंगा व जमुना नदियों में बाढ़ के कारण उनकी सहायक नदियों ससुर खदेरी, मनवे और टोंस नदियों में भी बाढ़

[श्री उदित नारायण शर्मा]

आ गई थी। किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई। फूलपुर तहसील के कछार में ५० पशु बाढ़ में बह गये। जिले के ५४६ गांवों के १,६७,९१० व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए, कुल प्रभावित क्षेत्रफल १,१८,३२१ एकड़ है जिसमें फसल का क्षेत्रफल ७२,८८२ एकड़ है। पानी से घिरे हुये क्षेत्रों में मनुष्यों व पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये २६० नावें लगाई गई हैं। १,००८ लोगों को सार्वजनिक स्थानों एवं तम्बुओं में पहुंचाया गया है। ७२,८८२ एकड़ फसल को अनुमानित हानि लगभग २ करोड़ रुपये की हुई। कुल ५१७ मकान गिरे हैं जिनका मूल्यांकन लगभग २२४ हजार रुपये अनुमानित है।

वाराणसी

वाराणसी जिले में गंगा नदी का जलस्तर ६ अगस्त को घटकर ७१.२११ मीटर हो गया जो खतरे के बिन्दु (७१.२६२ मीटर) के नीचे था। उसके बाद से पानी का घटना जारी रहा। जिले में बाढ़ से ४०१ ग्रामों को २,५३,३०८ एकड़ क्षेत्रफल जिसमें १२,१८४ एकड़ पर फसल तथा ३,१३,०२५ जनसंख्या प्रभावित हुई। फसल की क्षति का अनुमानित मूल्यांकन १५० लाख रुपये लगाया गया है। ५१ घर गिरे जिससे १३ हजार रुपये की हानि हुई। बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये ३८ बाढ़ चौकियों में रात दिन कार्य हुआ। ५३ नावें सहायता कार्यों में लगी हैं। कोई जीव हानि नहीं हुई। ९ एवं १० अगस्त को अतिवर्षा के कारण अहरौरा तथा चन्द्रप्रभा रिजर्वायर भर गया था उसके अतिरिक्त पानी को छोड़ने से छोटी-छोटी नदियों गरई इत्यादि में बाढ़ आ गई, किसी बांध में कोई दरार नहीं पड़ी। इससे तहसील चकिया व चन्दौली के ७७ गांवों का लगभग २७ हजार एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ, ३१५ मकानों को क्षति पहुंची, कोई जीव हानि नहीं हुई। ७२ नावें सुरक्षा में कार्य कर रही हैं।

फतेहपुर

फतेहपुर जिले में बाढ़ से ३३ गांवों की ९,५२५ जन-संख्या तथा ९,५२५ एकड़ क्षेत्रफल जिसमें ३,५४० एकड़ पर फसल भी प्रभावित हुई। फसल की क्षति का अनुमानित मूल्यांकन १०० लाख रु० होगा। ३०९ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनका अनुमानित मूल्य ८०,००० रु० आंका गया है। कोई जीव हानि नहीं हुई।

कानपुर

कानपुर जिले में जुलाई में जमुना नदी में पहले बाढ़ आई थी। इस समय बाढ़ नहीं है। गंगा नदी में भी कोई विशेष बाढ़ नहीं आई थी, इधर गंगा में थोड़ा पानी बढ़ा है। कुल ८१ गांव अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

बाराबंकी

जुलाई के अंतिम सप्ताह में घाघरा में पुनः बाढ़ आ गई थी। ३ अगस्त को नदी का जलस्तर एलगिन ब्रिज पर मध्यम बाढ़स्तर ३४७ फीट से ऊपर ३४८.१२ फीट था और घटने लगा था। परन्तु बाढ़ उतरने के पहले ही जलस्तर फिर बढ़ने लगा और १६ अगस्त को ३४९.१० फीट पर रुका था। बाढ़ से जिले के २१६ गांवों की ८५,८२२ जन-संख्या तथा ९७,९९१ एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षेत्रफल ५३,१९४ एकड़ है प्रभावित हुआ। फसल को हानि लगभग २०० लाख रुपये की हुई। ११२ मकान गिरे जिससे २० हजार रुपये की हानि हुई। ४८० व्यक्ति तथा २,१४८ पशु खतरे से निकाले गये। २० नावें सहायता कार्य में लगी हैं।

फैजाबाद

१५ अगस्त को जिले में घाघरा का जलस्तर ३०९.५ फीट था। जिले की झीलों तथा नदियों में बाढ़ के कारण ४९८ गांवों का १.५७ लाख एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षेत्रफल ९६,००० एकड़ है तथा १,६३,००० जन संख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। फसल को लगभग १८८.२४ लाख रुपये की हानि हुई। १,२८८ घर गिरे जिससे ३,३९,००० रुपये की हानि हुई। अन्य सम्पत्ति की लगभग १ लाख रुपये की हानि हुई। मकान गिरने से ५ मनुष्यों तथा ३ पशुओं की मृत्यु हुई। मुख्य सड़कों में से कोई सड़क नहीं कटी है। अकबरपुर–गोसाईगंज रोड पर २ फीट पानी है, यातायात नहीं रुका है। गोसाईगंज–बाला पैकौली का पुल अवश्य बह गया है–इस पर यातायात की सुविधा के लिये नावें लगा दी गई हैं।

बहराइच

अगस्त के दूसरे सप्ताह में घाघरा तथा सरयू में बाढ़ आई। सरयू का जलस्तर दो एक दिन में घट गया परन्तु १३ अगस्त को घाघरा नदी का जलस्तर १०६.४० मीटर था और बढ़ाव की ओर था। अब तक २४५ गांवों की ८९,९९० जन संख्या तथा १,९६,००० एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षेत्रफल १,२४,००० एकड़ है बाढ़ से प्रभावित हुए। फसल की अनुमानित हानि लगभग ११३.०८ लाख रुपये की है। २१० घरों के गिरने से ३६ हजार रुपये की क्षति हुई। जीवन हानि नहीं हुई।

फर्रुखाबाद

अगस्त के दूसरे सप्ताह में गंगा, बूढ़ी गंगा और राम गंगा में पानी तेजी से बढ़ने लगा और जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ से जिले के ३३७ गांवों की ८५,३०० जनसंख्या तथा १,३७,००० एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का ५६,००० एकड़ क्षेत्रफल शामिल है बाढ़ से प्रभावित है। फसल को लगभग ८.९३ लाख रुपये की क्षति हुई तथा ३८१ मकानों के गिरने से ७३ हजार रुपये की हानि हुई। नहाते समय एक लड़की के डूबकर मरने की खबर है। सुरक्षा कार्य में ५ नावें लगाई गईं तथा २० परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

मुजफ्फरनगर

अगस्त के दूसरे सप्ताह में गंगा में बाढ़ आई जिससे ६० गांवों की ३२,१८४ जन-संख्या तथा ३३,७५५ एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुए। फसल की लगभग १९,००० रुपये की हानि हुई। १,२५४ घरों के क्षतिग्रस्त होने से २,५१,००० की हानि हुई।

बुलन्दशहर

१० अगस्त की शाम से यमुना और हिंडन में उच्च बाढ़ आ गई जिससे सिकन्दराबाद तहसील के २० गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। पानी से घिरे लोगों को निकालने की व्यवस्था की गई। १११ गांवों की ३६,६०० जनसंख्या तथा ७४,९०० एकड़ क्षेत्रफल जिसमें फसल का क्षत्रफल १९,००० एकड़ शामिल है बाढ़ से प्रभावित हुए। फसल को हानि लगभग ९.५० लाख रुपये की हुई।

शाहजहांपुर

अगस्त के दूसरे सप्ताह में राम गंगा तथा गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ४२ गांवों की ७०,४०० जनसंख्या प्रभावित हुई है। ९,५०० एकड़ क्षेत्रफल की फसल को लगभग ९.५० लाख रुपये की क्षति आंकी गई है। ९५ मकानों के गिरने से लगभग ६३,००० रुपये की हानि हुई है। २ पशु मरे हैं। बाढ़ घटने की ओर है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

मेरठ

आठ अगस्त से यमुना और गंगा नदियों में फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ से ११४ गांवों का २५,१५० एकड़ क्षेत्रफल की फसल प्रभावित है। जिससे १२५ लाख रुपये की क्षति का अनुमान है। २०१ घर क्षतिग्रस्त हुए जिससे ८८,००० रुपये की हानि हुई। ७६० व्यक्तियों तथा ३,००० पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। १३ देशी नावें तथा २ सनिक नावें सहायता कार्य में लगाई गईं।

बिजनौर

अगस्त के दूसरे सप्ताह में गंगा गांगन और राम गंगा नदियों में बाढ़ आ गई जिससे ९० गांवों का ५,००० एकड़ क्षेत्रफल जिसमें से १,२०० एकड़ पर फसल थी बाढ़ से प्रभावित हुआ तथा फसल को लगभग ५ लाख रुपये की हानि हुई। ८०० घर क्षतिग्रस्त होने से ५० हजार पये की हानि हुई। राम गंगा के कटान से धामपुर से १० मील दूर सड़क के पुल को खतरा पैदा हो गया है। पुल को बचाने के लिये सेना की सहायता ली गई है।

उन्नाव

११ अगस्त को गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर निम्न बाढ़ स्तर ३६९ फीट से ऊपर ३७१ फीट ११ इंच था और १५ अगस्त को मध्यम बाढ़ स्तर से लगभग २ इंच नीचे था। उस दिन गंगा धीरे-धीरे बढ़ रही थी। बाढ़ से जिले के ४०० गांबों का एक लाख एकड़ क्षेत्रफल तथा २ लाख जन-संख्या प्रभावित हुई। ५०० मकान गिरे और इसके कारण १.५० लाख रुपये की क्षति हुई। मकानों के गिरने से ३ आदमियों की मृत्यु हुई।

हरदोई

गंगा, राम गंगा, गर्रा, कुंडा तथा नीलमन नदियों में अगस्त के मध्य से बाढ़ आ गई है। १८० गांवों की लगभग १,३१,००० जन-संख्या तथा १०,५०० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है जिसमें ५,००० एकड़ क्षेत्रफल पर फसल थी। फसल को लगभग २.२५ लाख रुपये की हानि हुई। २० घर क्षतिग्रस्त हुए जिसमें १० हजार रुपये की हानि हुई। घर गिरने से ३ मनुष्य तथा १ पशु की मृत्यु हुई।

राय बरेली

सई नदी में बाढ़ से १९२ गांवों का ९८,००० एकड़ क्षेत्रफल जिसमें ४६,००० एकड़ पर फसल थी तथा ४९,००० जन-संख्या प्रभावित हुई। फसल को लगभग ५० लाख रुपये की हानि हुई। २८६ घर गिरे जिससे ५७ हजार की हानि हुई। अतिवृष्टि से मकानों के गिरने से २ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

जौनपुर

सई और गोमती का जलस्तर १६ अगस्त को बढ़ने की ओर था। गोमती का जलस्तर जौनपुर शहर के शाहीपुल पर २३.६ मीटर था जबकि खतरे का बिन्दु २० मीटर है। सई का स्तर भी खतरे के बिन्दु से ऊपर था। स्थिति पर सावधानी से नजर रखी जा रही है।

आगरा

आगरा जिले में यमुना खतरे के जलस्तर तक पहुंच गई थी। अब उससे २ फीट नीचे आ गई है। किले के पास की सड़क का कुछ हिस्सा पानी में आ गया था, लेकिन अब पानी उतर गया है। कोई सड़क नहीं कटी है। नदी के कटान से कैलाश गांव प्रभावित हुआ है—४ घर कट चुके हैं, प्रभावित व्यक्तियों को ऊंचे स्थान पर रहने का प्रबन्ध कर दिया गया है। हाकिम परगना मौके पर पहुंच चुके हैं। पहले तो ४ ही गांव प्रभावित थे, लेकिन आज की सूचना के अनुसार लगभग ५० गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।

इटावा

इस जिले में जुलाई में बाढ़ से हानि हुई थी। अगस्त में इस जिले में कोई अन्य हानि नहीं हुई।

चमोली

२ अगस्त से अनवरत भारी वर्षा के कारण जिले की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। भारी वर्षा भूस्खलन तथा नदियों और नालों आदि में बाढ़ से १२९ गांव की ४,२८३ जन-संख्या तथा ८७.६० हैक्टेयर क्षेत्रफल जिसमें ३५.४८ हैक्टेयर क्षेत्रफल पर फसल थी प्रभावित हुये। फसल को लगभग ३१,५८५ रुपये की क्षति हुई। कुल ३४४ घर, घरट तथा गौशालायें क्षतिग्रस्त हुये जिससे ६,३४,६९० रुपये की हानि हुई। अन्य संपत्ति को ३७,६९२ रुपये की हानि हुई।

मैनपुरी

इस जिले में यमुना नदी की बाढ़ से ३ या ४ गांवों में पानी अवश्य आ गया है, लेकिन कोई सड़क नहीं कटी है। अब बाढ़ घट रही है।

एटा

एटा जिले में गंगा की धारा से बगबास गांव कट रहा है। प्रभावित लोगों को गांव से हटाने का प्रबन्ध कर दिया गया है। जिले की कोई सड़क नहीं कटी है और न यातायात में रुकावट पड़ी है। लगभग १०० गांवों के खेतों में पानी जमा हो जाने से नुकसान हुआ है।

मथुरा

मथुरा जिले में यमुना नदी की बाढ़ से छाता तहसील के केवल २ ग्राम प्रभावित हुए। मथुरा-नौ झील सड़क पर एक जगह पुलिया बन रही थी, पानी आ जाने के कारण केवल २ दिन बस नहीं चल सकी, लेकिन पैदल लोगों के आने-जाने में कोई रुकावट नहीं हुई। अन्य कोई सड़क नहीं कटी थी और न यातायात रुका। मथुरा—सादाबाद एवं सादाबाद—आगरा सड़क के कुछ भाग में एक दो फुट पानी आ गया था लेकिन आना-जाना नहीं रुका था, नदी का पानी घट रहा है।

अलीगढ़

जमुना की बाढ़ से ६ गांव प्रभावित हैं, एक गांव की भूमि कट रही है। क्षतिग्रस्त लोगों को सार्वजनिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, सहायता समुचित मात्रा में दी गयी है, अधिकारीगण मौके पर भी गये हैं। कोई विशेष बात नहीं है।

पिथौरागढ़, उत्तर काशी, देहरादून, अलीगढ़, मथुरा, प्रतापगढ़, खीरी, सुल्तानपुर, सीतापुर तथा बरेली में बाढ़ से बहुत मामूली सी हानि हुई है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि से कुछ क्षति हुई है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

परिशिष्ट 'क'

१७ अगस्त, १९७१ तक प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

जिले का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित फसल का क्षेत्रफल
१		२	३	४	५
१—बलिया	..	७७०	२,६३,०००	२,२२,०००	१,०५,०००
२—आजमगढ़	..	२३८	८३,२५०	१,४५,०००	५५,७१२
३—देवरिया	..	८४४	२,१२,२००	४,२८,०००	१,१९,३२२
४—बस्ती	..	१,०१९	२,३१,०००	३,३८,०००	१,२०,०००
५—हमीरपुर	..	९४	९८,९६४	४२,१३५	२३,७४४
६—गोरखपुर	..	९३८	१,३५,०००	२,५५,०००	७६,५७०
७—फैजाबाद	..	४९८	१५७,०००	१,६३,०००	९६,०००
८—आगरा	..	४	३५७	..	१५०
९—पिथौरागढ़	..	७	१२,४९५	..	१२,२४५
१०—गोंडा	..	२२१	१,९६,५००	१,५३,९००	५८,०००
११—बाराबंकी	..	२१६	९७,९९१	८५,८२२	५३,१९४
१२—फतेहपुर	..	३३	५,५६५	९,५२५	३,५४०
१३—वाराणसी	..	४०१	२,५३,३०८	३,१३,६२५	४८,९६४
१४—उत्तरकाशी	..	..	५	६५५	५८
१५—मिर्जापुर	..	३४९	३४,०००	१,६८,०००	२६,७१५
१६—इलाहाबाद	..	५४६	१,१८,३२१	१,६७,९१०	७२,८८२
१७—फर्रुखाबाद	..	३३७	१,३७,०००	८५,३००	५६,०००
१८—कानपुर	..	८१	३०,९७६	१२,२५०	१५,३४७
१९—जालौन	..	१०४	१५,०५०	५२,०००	२,५१८
२०—गाजीपुर	..	७४६	१,८७,०००	२,४३,०००	७९,०००
२१—बांदा	..	२७६	२,७७,०८१	१,६६,६६८	८६,००२
२२—मुरादाबाद	..	२४४	१,३२,८४०	१,०४,९८५	६५,५००
२३—बदायूं	..	३३७	..	..	..
२४—पीलीभीत	..	२०४	३२,५००	२७,४००	२५,०००
२५—बहराइच	..	२४५	१,९६,०८०	८९,९९०	१,२४,०००

क्षतिग्रस्त घरों का मूल्यांकन (लाख रु० में)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	क्षतिग्रस्त घरों का मूल्यांकन (लाख रु० में)	जीवन हानि		अन्य सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन (लाख रु० में)
			मनुष्य	पशु	
६	७	८	९	१०	११
३८१.००	६,९९०	३६.९५	४	२०	५.००
२८०.००	१०८	०.५१	..	..	..
५००.००	१०,५५३	१०२.३६	९	२४६	६.८३
५०९.००	४८६	३.९०	१	..	१२६.००
१००.००	२,७४१	६.७०	..	..	..
३०५.००	५२०	३.९०	..	..	१.५०
१८८.२४	१,२२८	३.३९	५	३	..
०.१५	..	..	..	..	..
२.६०	७६	०.१५	३	८	४०.००
२००.००	७८६	२.१०	१	..	..
२००.००	११२	०.२०	..	..	..
१०.००	३०९	०.८०	..	..	..
१५०.००	५१	०.१३	..	..	०.१५
०.९०	६	०.०९	१२	८	६.००
१००.००	३,०००	१५.००	..	..	१५.००
२००.००	५१७	२.२४	..	५९	०.२५
८.९३	३८१	०.७३	..	..	..
७५.००	३७९	०.०८	..	२	..
१५.००	६५८	१.५६	..	..	०.३०
१५०.००	५४६	२.२४	१	..	०.७१
४००.००	८२३	४.००	..	४	०.१०
२००.००	२५१	१.४२	..	..	..
०.५२	३८	०.४१	..	..	०.०५
७५.००	३७	०.१०	..	..	..
११३.०८	२१०	०.३६	..	..	..

[श्री उदित नारायण शर्मा]

जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित फसल का क्षेत्रफल
१	२	३	४	५
२६ इटावा	..	११८	१३,२००	४,५५०	३,७००
२७ चमोली	..	१२९	२१८	४,२३८	८८
२८ देहरादून	..	..	..	..	..
२९ मुजफ्फरनगर	..	६०	३३,७५५	३२,१८४	..
३० शाहजहांपुर	..	४२	२४,४००	७०,४००	९,५००
३१ मेरठ	..	११४	..	..	२५,१५०
३२ बिजनौर	..	९०	५,०००	..	१,२००
३३ उन्नाव	..	४००	१,००,०००	२,००,०००	..
३४ बुलन्दशहर	..	१११	७४,९००	३६,६००	१९,०००
३५ अलीगढ़	..	६	..	..	..
३६ मथुरा	..	२	..	..	..
३७ बरेली	..	३४	..	१,३६५	१,३३८
३८ हरदोई	..	१८०	१०,५००	१,३१,०००	५,०००
३९ प्रतापगढ़	..	..	..	..	..
४० सीतापुर	..	५१	..	..	६,३००
४१ सुलतानपुर	..	६	..	..	..
४२ खीरी	..	१	..	..	..
४३ रायबरेली	..	१९२	९८,०००	४९,०००	४६,०००
४४ जौनपुर	..	..	..	..	..
योग	..	१०,२८८	३२,६७,३७६	३८,०२,५०२	१४,४२,७३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्षतिग्रस्त घरों का मूल्यांकन (लाख रु० में)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	क्षतिग्रस्त घरों का मूल्यांकन (लाख रु० में)	जीवन हानि		अन्य सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन (लाख रु० में)
			मनुष्य	पशु	
६	७	८	९	१०	११
४.३८	२२३	०.४३	..	..	..
०.३१	३४४	६.३५	७	४३२	१.००
..	१	०.०१८	२	..	..
०.१९	१,२५४	२.५१	..	..	..
९.५०	९५	०.६३	..	..	..
१२५.००	२०१	०.८८	..	८	..
५.००	..	..	..	..	..
..	५००	१.५०	३	..	..
९.५०	..	..	..	..	..
..	२४	०.१२	..	..	..
..	..	..	..	..	..
१.२५	२११	०.५५	..	..	..
२.२५	२०	०.१०	३	..	..
..	२२	०.३०	२	..	..
३.१५	१००	०.१०	..	..	..
..	..	..	..	..	४.९४
..	८	०.०४	..	..	..
५०.००	२८६	०.५७	२	..	..
..	..	..	..	..	गोमती और सई नदियां खतरे के विन्दु से ऊपर थीं।
४३७४.९५	३४,०९५	२०३.५८	५५	७९०	२०७.८३

आचार्य नरेन्द्र देव संग्रहालय

बाढ़ग्रस्त जिलों को सहायता कार्यों के लिये आबंटन (१८-८-१९७१ तक)

जिला	निःशुल्क सहायता			प्रकीर्ण व्यय			तकावी		
	२८-७-७१ तक दिखाया गया	२९-७-७१ से १८-८-७१ के बीच	योग	२८-७-७१ तक दिखाया गया	२८-७-७१ से १८-८-७१ के बीच	योग	२८-७-७१ तक दिखाया गया	२९-७-७१ से १८-८-८१ के बीच	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१--देहरादून	..	५,०००	५,०००	..	१,०००	१,०००	..	..	..
२--मुजफ्फरनगर	..	२,१०,०००	२,१०,०००		५,०००	५,०००	..	५०,०००	५०,०००
३--मेरठ ..	..	१५,०००	१५,०००	..	४,०००	४,०००	..	२७,०००	२७,०००
४--बुलन्दशहर	..	२५,०००	२५,०००	..	३,०००	३,०००	..	९०,०००	९०,०००
५--अलीगढ़	..	५६,५००	५६,५००	..	५००	५००	..	५२,०००	५२,०००
६--मथुरा ..	..	५,०००	५,०००	..	५००	५००	..	१०,०००	१०,०००
७--आगरा ..	..	१५,०००	१५,०००	..	१,०००	१,०००	..	२५,०००	२५,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८—बरेली ..	..	१५,०००	१५,०००	..	५००	५००	..	२,५०,०००	२,५०,०००
९—बिजनौर	..	२०,०००	२०,०००	..	५००	५००	..	६०,०००	६०,०००
१०—बदायूं ..	१५,०००	१०,०००	२५,०००	..	१,०००	१,०००	४०,०००	..	४०,०००
११—मुरादाबाद	१५,०००	५०,०००	६५,०००	..	५,०००	५,०००	६५,०००	२५,०००	९०,०००
१२—शाहजहांपुर	..	१५,०००	१५,०००	..	१,०००	१,०००	..	२,५०,०००	२,५०,०००
१३—पीलीभीत	१०,०००	..	१०,०००	१,०००	..	१,०००	४०,०००	..	४०,०००
१४—फर्रुखाबाद	..	२०,०००	२०,०००	..	३,०००	३,०००	..	१,००,०००	१,००,०००
१५—इटावा	..	२५,०००	२५,०००	..	३,०००	३,०००	..	२५,०००	२५,०००
१६—कानपुर	२४,०००	९५,०००	१,२०,०००	५,०००	१५,०००	१०,०००	२५,०००	१,५०,०००	१,५०,०००
१७—फतेहपुर	१०,०००	१,२०,०००	१,२०,०००	३,०००	..	३,०००	५०,०००	..	५०,०००
१८—इलाहाबाद	२०,०००	६५,०००	८५,०००	५,०००	२०,०००	२५,०००	२५,०००	..	२५,०००
१९—बांदा	२५,०००	४०,०००	६५,०००	५,०००	९,०००	१४,०००	२५,०००	२५,०००	५०,०००
२०—हमीरपुर	५०,०००	२,३०,०००	२,८०,०००	१०,०००	५,०००	१५,०००	१,००,०००	२,३५,०००	३,३५,०००
२१—जालौन	२०,०००	१,१५,०००	१,३५,०००	२,०००	..	२,०००	५०,०००	५५,०००	१,०५,०००

अनंत प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
२२—वाराणासी	२७,०००	२,७५,०००	१,०२,०००	४,०००	२०,०००	२४,०००	५०,०००	..	५०,०००
२३—मिर्जापुर	४७,०००	५,५५,०००	६,०२,०००	४,०००	५३,०००	५७,०००	५०,०००	..	५०,०००
२४—जौनपुर	..	१५,०००	१५,०००	..	३,०००	३,०००	..	५०,०००	५०,०००
२५,—गाजीपुर	३८,०००	१,००,००	१,३८,०००	२२,०००	४०,०००	६२,०००	५०,०००	१,००,०००	१,५०,०००
२६—बलिया	२३,०००	३,१५,०००	३,३८,०००	७,०००	१,२२,०००	१,२९,०००	५०,०००	..	५०,०००
२७—गोरखपुर	१,८०,०००	५०,००	२,३०,०००	३८,०००	३०,०००	६८,०००	७५,०००	६,५०,०००	७,२५,०००
२८— बस्ती	१,६५,०००	१,००,०००	२,६५,०००	५७,०००	..	५७,०००	१,००,५००	..	१,००,५००
२९—आजमगढ़	५०,०००	५०,०००	१,००,००	७,०००	५,००	१२,०००	७५,०००	..	७५,०००
३०—देवरिया	३,७५,०००	..	३,७५,०००	१,०८,०००	..	१,०८,०००	१,२५,५००	..	१,२५,५००
३१—पिथौरागढ	..	५१,०००	५१,०००	..	३,०००	३,०००	..	६०,०००	६०,०००
३२—चमोली	..	१,२०,०००	१,२०,०००	..	१०,०००	१,०००	..	९०,०००	९०,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३३—उत्तरकाशी	..	५०,०००	५०,०००	..	५००	५००	..	१०,०००	१०,०००
३४—उन्नाव	..	२,६९,०००	२,६९,०००	..	११,०००	११,०००	..	२०,०००	२०,०००
३५—रायबरेली	..	१५,०००	१५,०००	..	१,०००	१,०००	..	२०,०००	२०,०००
३६—सीतापुर	..	१५,०००	१५०००	..	१,०००	१,०००	..	५०,०००	५०,०००
३७—हरदोई	..	२०,०००	२०,०००	..	२,०००	२,०००	..	१,३०,०००	१,३०,०००
३८—खीरी	४५,०००	..	४५,०००	३,०००	..	३,०००	२,२०,०००	२,००,०००	४,२०,०००
३९—फैजाबाद	..	१,४५,०००	१,४५,०००	..	३२,०००	३२,०००	..	२,००,०००	२,००,०००
४०—गोंडा	३५,०००	५०,०००	८५,०००	५,०००	५,०००	१०,०००	२०,०००	१,००,०००	१,२०,०००
४१—बहराइच	५५,०००	..	५५,०००	२५,०००	..	२५,०००	..	..	..
४२—सुल्तानपुर	..	८६,०००	८६,०००	..	६,०००	६,०००	..	५०,०००	५०,०००
४३—प्रतापगढ़	.	२,१५,०००	२,१५,०००	..	५००	५००	..	.	..
४४—बाराबंकी	५,०००	५०,०००	५५,०००	..	५,०००	५,०००	..	१,००,०००	१,००,०००
योग ..	१२,३५,०००	३६,९७,५००	४९,३२,५००	३,११,०००	४,२९,०००	७,४०,०००	१२,३६,०००	३२,३४,०००	४४,७०,०००

अनुप्रवेश विधान सभा

(व्यवधान)

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

हमारा निवेदन सुन लिया जाए....

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। यह इतना बड़ा वक्तव्य था....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में ५२ में से ४४ जिलों में बाढ़ आई हुई है। किन्तु राजस्व मंत्री जी ने कुछ बड़ी नदियों की बाढ़ के बारे ही जिक्र किया है। छोटी नदियां—कर्मनाशा आदि उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसलिये हम इनकी रिपोर्ट पर प्रश्न पूछें यह वास्तविकता से दूर होगा। यह सदन १२ जुलाई से शुरू हुआ है और बाढ़ की स्थिति उस समय केवल १३ जिलों में थी, तब यहां पर वक्तव्य देने की यह व्यवस्था की गयी थी और आपने दो घंटे का समय दिया था, किन्तु अब स्थिति बहुत भयंकर हो गई है, ४४ जिले बाढ़ ग्रस्त हो गये हैं। इसलिये इस पर विचार करने के लिए आप पूरे एक दिन का समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ग्रान्ट्स ज्यों त्यों हो जाएं, तो अगले सप्ताह आप को मौका दिया जाएगा इस तरह का। और यह २७ तारीख के बाद ही हो सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

वह हमें मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, २७ के बाद में समय दूंगा।

श्री भगेलू सिंह—

हमारे गोंडा जिले में सरयू और घाघरा नदियों में बाढ़ आई हुई है जिससे हमारे जिले के बीच के लोग बहुत परेशान हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पहले जो अंजुरी भर चना और दियासलाई बांटी जाती थी, वह भी इस बार नहीं मयस्सर है। वहां न वों का भी कौनो इन्तजाम नहीं है। गोंडा जिला बाढ़ एरिया है किन्तु उसको बाढ़ एरिया घोषित नहीं किया गया है। सब लोग डूब रहे हैं। पार साल लोगन का नाज बह गवा रहे और इस बार भी बह गवा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को बाढ़ का जिल घोषित किया जाय और गरीबन की मदद कर के लिए सरकार की तरफ से तुरन्त लिखा का च ही। वहां लोग ७-७ रात तक अपने घरन में बठे रहते हैं, मुलां उनके घर में अन्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है, विचार यह होत है एक दिन इस पर विचार होय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। चार दिन पहले नियम ५१ में हमने लिख कर दिया था। तो जिन लोगों ने लिख कर दिया है उनको पहले अवसर दिया जाय तब दूसरों को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सुझाव है आप का।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह बाढ़ का जो बयान दिया गया है इसमें जो आंकड़े हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर क्यों जा रहे हैं?

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं व्यवस्था की बात उठा रहा हूं। इसमें जो चीजें दी गयी हैं वे गलत दी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर गलत दी गयी हैं तो लिख कर दीजिये। अभी इस पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

व्यवस्था की बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ जिले में टोंस नदी की बाढ़ के सिलसिले में हमने और रामविलास जी ने नियम ५१ में दिया था। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी, यह कह कर छोड़ दिया गया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में टोंस और सहायक नदियों में बाढ़ आ गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक दिन की बहस नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो मैं स्वीकार कर चुका हूं एक दिन की बहस के लिए। तब सारे सवाल उठाइये।

श्री हबीबुर्रहमान—

आज मेरे पास शिकायत आयी है, वहां से आदमी आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें। अगर लिख कर दे देंगे तो हम उनको कह सकेंगे, वह तैयार होकर उसमें आएंगे। इसे लिख कर दें।

श्री हबीबुर्रहमान—

यह ठीक है कि अगले हफ्ते तैयार होकर आएगें लेकिन जो शिकायत थी कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से व्यवस्था नहीं की जा रही है उससे उसकी पुष्टि होती है। मैं राजस्व मंत्री की आजमगढ़ क्षेत्र की इस बात की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा कि इस काम के अन्दर जो त्रुटि हो उसको दूर करें। मऊ कस्बे में बुनकरों के घर पानी घुस गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल मऊ नहीं बल्कि हर जगह बाढ़ आयी है, वहां जो सहायता सरकार दे सके वह करे। वह तो करेंगे। लेकिन यह बहस आज न उठाएं। बहस के लिए एक दिन स्वीकार कर लिया गया है। उस दिन बाढ़ के सम्बन्ध में पूरी इत्तला रहेगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जहां पर बाढ़ का बहुत प्रकोप है वहां सरकार सहायता न करे और जहां पर कुछ नहीं है वहां करे, इसके लिए क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष —

लिख कर दे दें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

निर्देश दे दें, भेदभाव तो न बरतें।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर वह महसूस करते हैं कि कहीं बाढ़ से ज्यादा क्षति हुई है और वह ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो लिख कर दे दें। मंत्री जी को उस चिट्ठी को भेज दूंगा और उस पर वह तैयारी के साथ आएंगे। एक दिन बहस के लिए रखा जायगा।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं समझता हूं, यह सुझाव बहुत अच्छा है। एक दिन बाढ़ के ऊपर यहां बहस हो जाय पूरे दिन भर। जब भी टाइम मिल जाय, जितनी जल्दी बजट का काम है उसके होते हुए दिन भर के बाद, पांच बजे के बाद बहस करने में थके भी रहते हैं और सारी बात आ भी नहीं पाती है। एक दिन भर पूरा समय दे दिया जाय। एक बात और। बाढ़ बढ़ती जा रही है और मुझे भय इस बात का है कि बाढ़ अभी बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी कि हम लोगों के हिसाब से मघा का नक्षत्र अभी कल से लगा है। और उसके बाद पूर्वा का नक्षत्र लगा भर पुरबइया चली है और सावन भर पानी बरसा है। होली पर पुरबइया चलने लगी थी और मुझे लगता है कि पानी और बढ़ेगा। प्रति दिन पानी बरस रहा है। जिन इलाकों में पानी का डर नहीं था वहां भी बाढ़ का डर बढ़ गया है। हमारे सदस्यों को परेशानी है। असेम्बली चल रही है और यहां से छोड़ कर जा नहीं सकते। अगर अपने-अपने क्षेत्र में चले जायं तो निश्चित रूप से सेवा का कार्य बढ़ जाता है। अधिकारियों से वह मिलते हैं। कुछ वक्तव्य देते हैं। जहां आवश्यकता पड़ी थोड़ा बहुत आन्दोलन करते हैं। इस तरह से वहां सहायता का काम तेज हो जाता है। अब लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अखबार में नाम छपा कर लेना चाहते हैं।

अब एक कमेटी बनाने का सुझाव था। राजस्व मन्त्री जी ने कमेटी बनाने की बात सोची हुई है। कमेटी भी हम बना दें लेकिन वह कमेटी लखनऊ में बैठकर कुछ विशेष काम नहीं कर सकेगी। तो मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि बजट जल्दी ही पास कर दो, एक दिन में दो-दो अनुदान निकाल दिये जायं और जल्दी से अपने क्षेत्र में चले जायं दो-चार दिन के लिए और फिर असेम्बली बैठ जाय और इस प्रकार वे अपने-अपने क्षेत्रों को देख लें कि वहां क्या कमी है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से सहायता के कार्य में कमी होने वाली नहीं है। जो पैसे रुपये की जरूरत है वह दिया जा रहा है। मकान की सहायता के लिये २०० रुपये कर दिया गया है। गल्ला जितना दिया जाता था वह बढ़ा दिया गया है। कलेक्टरों से कह दिया गया है जो आवश्यकता हो उसके लिए मुहइया कर लें, यहां सूचना भेज दें उसके लिए यहां से पैसा मिल जायगा। ये सारे आदेश जा चुके हैं। बावजूद इसके अगर आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो वहां जा कर देखने से काम चलेगा और वहां उन आदेशों को पालन कराने के लिए थोड़ा प्रयत्न की आवश्यकता है। इस पर विचार करने के लिए जल्दी से जल्दी एक दिन समय दे दिया जाय। अभी जैसा कपूर जी कह रहे थे वह सही नहीं है। जो रिपोर्ट आती है वह गलत नहीं होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथ कपूर—

में कह रहा था कि जो फीगर्स दिये हुए हैं वे उतने सही नहीं हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रिपोर्ट गलत नहीं आती है लेकिन अगर आती है वह चार दिन पहले की होती है। मैं बनारस में था। मेरे पास रिपोर्ट आई कि फलां एरिया में पानी आज बढ़ा। रात हुई तो चन्दौसी की तहसील में पानी कमर तक पहुंच गया और दूसरे दिन मालूम हुआ कि जमानिया के नीचे पानी पहुंच गया।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरे क्षेत्र जमानिया में जो बाढ़ आई थी रिजर्वायर खोलने की वजह से आई थी। भगवान की देन नहीं थी, मनुष्यकृत वह थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रिजरवायर खोल न देते तो रिजरवायर फट जाता। टेल पर १० फुट ऊपर पानी चलने लगा था। ४० इंच पानी जहां बरसता था वहां ६४ इंच पानी बरस गया और अगर रिजरवायर खोल न देते और वह फट जाता तो प्रलय हो जाती। रिजरवायर खोलना लाजमी हो गया था। जिस रिहन्द में पिछले १० वर्ष से पानी नहीं भरता था, बिजली पैदा नहीं हो पाती थी उस रिहन्द में डेढ़ फुट ऊपर टेल पर पानी चला और भगवान ने उसे जलमग्न कर दिया।

जहां कुओं में पानी नीचे सतह पर रहता था वहां आज आप लोटे से पानी निकाल सकते हैं। यह पानी बरसात के कारण अधिक हुआ है रिजरवायर से नहीं हुआ है। इससे सबको सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि हम काम जल्दी-जल्दी समाप्त करें। यदि बजट न होता तो मैं यहां पर यह कह देता कि दो-चार दिन के लिए हम उठ जाय और फिर बैठें किन्तु बजट का कार्य रोका नहीं जा सकता। अतः हम लोग इस काम को शीघ्रतिशीघ्र करें और जल्दी से समाप्त करके अपने क्षेत्रों में जायं। उधर भी दो-एक एक दिन की छुट्टियां हो रही हैं अतः मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने क्षेत्र की परिस्थिति को देखें। यहां पर बहस करने से अच्छा यह होगा कि आप लोग हमको यह बतायें कि फलां-फलां जगह पर कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, फलां-फलां जगह पर कलेक्टरों में ढीलढाल है और फलां-फलां जगह पर इन-इन चीजों की जरूरत है। अगर ऐसा हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा उसकी पूर्ति की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी।

नगर पालिका गाजियाबाद, मेरठ की सलेज की ३०० बीघे भूमि को लाला सूरजभान को पट्टे पर दिये जाने तथा गाजियाबाद—दिल्ली रुट पर मोटर बस के एक परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वीरेन्द्र वर्मा...

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एजेंडे के दसवें आइटम को लेने से पहले मैं इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो हम आगे बढ़ गये।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, इसी दसवें आइटम पर मेरा आब्जेक्शन है। जो विषय नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है उसके सम्बन्ध में साफ लिखा हुआ है कि केवल एक इश्यू एक दफे में लिया जा सकता है। नियमावली में लिखा है "विषय पर" और तीसरी लाइन में लिखा है "सूचना दे सकेंगे" यानी इसका मतलब है कि सिंगल (एक) विषय पर सूचना दे सकेंगे। यदि आप अंग्रेजी की नियमावली देखें तो उससे स्थिति और साफ हो जाती है। उसमें लिखा है "डिस्कशन आन ए मैटर" और आगे लिखा है "प्रिसाइजली दि मैटर टु बि रेज्ड"। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत केवल एक विषय ही लिया जा सकता है। जो नियम ५२ के अन्तर्गत आपने सूचना दी है उसमें दो अलग-अलग विषय हैं। एक विषय माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित है जो कि गाजियाबाद में प्लाटों से सम्बन्धित है और दूसरा विषय माननीय परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित है। इस प्रकार दो अलग-अलग विषय हैं। तो मैं समझता हूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत जिस रूप में इस विषय को कार्यसूची में १०वें नम्बर पर रखा गया है वह उस नियम के विरुद्ध और विपरीत होगा। यह मेरा आब्जेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५२ इस प्रकार है—'अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप से सूचना दे सकेंगे:

परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी जिसमें विषय की चर्चा उठाने के कारण दिये जायेंगे :—

और सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा।

यदि अध्यक्ष को सूचना देने वाले सदस्य से और मन्त्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है, कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिए तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घंटे से अधिक न हो:

परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिए इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना, ग्रहण करने से इनकार कर सकेंगे।

सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे ....,

सवाल यह है कि विषय क्या हो सकता है। विषय के बारे में कई रास्ते से अगर एक बिन्दु पर पहुंचे तो विषय वह है जो..,

श्री रियासत हुसैन—

जो एजेंडे में है...

उपाध्यक्ष—

अब आप ने अपनी बात कह दी।

अगर 'विषय" का मतलब कई एक विभागों से जो चीजें सम्बन्ध रखती हों उनसे हो जाता है तो विषय गौण हो गया, विभाग मुख्य हो जाते हैं। यह विभागों के बारे में सवाल नहीं है। यह केन्द्री भूत एक विषय के बारे में है जिस विषय तक पहुंचने के लिए दो रास्ते अपनाये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या विषय है श्रीमन ? जो एजेंडा है उसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, दो चीजें अलग-अलग लिखी गई हैं। पहली लाइन स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित है जो भूमि को पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित है और उसके बाद दूसरी लाइन में "तथा" लिखा है जो मोटर बस के एक परमिट से ताल्लुक रखती है। "तथा" के माने यह है कि दो अलग-अलग . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

"तथा" का मतलब यह नहीं हो सकता। "तथा" का मतलब "आनुषांगिक विषय से है। एक विषय होता है, उस विषय के प्रतिपादन के लिये भी "तथा" हो सकता है, उसको विषय के अन्तर्गत समझना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

इसमें विषय क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्याख्या करने लगूं तो. . . .वह बहस नहीं चल रही है। आप कितना समय लेना चाहते हैं वह ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

मुझे समय नहीं चाहिये। विषय इसमें चूंकि अंकित नहीं है, आप देखें एजेंडे में, कि किस विषय पर चर्चा है, सिर्फ दो लाइन में अलग अलग बातें लिखी हुई । विषय लिखा हुआ होता कि इस विषय पर चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष—

गंगा, यमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती अन्तर्निहित है। आपको अगर बाद में तथ्य मालूम पड़ता है तो जितनी देर तक समय चाहें आप कह दें, मैं दूंगा। मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि भले ही आप जितना समय लेना चाहें वह ले लें लेकिन अगर उसके बारे में दूसरा दृष्टिकोण रखना हो तब दूसरे की बात भी सुननी चाहिये।

अब मैं इसके बारे में अगर कोई और बात हो तो एक बार में जितना आप कहना चाहें वह कहें लेकिन इस सम्बन्ध में इजाजत नहीं दूंगा। कैसे काम चलेगा जब हम एक विषय पर निर्णय देना चाहें और उसी में आप टांग अड़ा दें ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था तो आपको देनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था मैंने दी कि "तथा" से जुड़े हुए दो प्रत्यक्षतः असंगत और न जुड़े हुए सम्बन्धों के बीच में तीसरी एक कड़ी हो सकती है जो इस विवाद में बाद को प्रत्यक्ष हो जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे संसार में जितने भी देश आजाद हैं, आजादी के इन २४ वर्षों के बाद भी हमारा प्यारा भारत देश कुछ देशों को छोड़कर सभी से गरीब है। अशिक्षा भी इसमें बहुत बड़ी है और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन आजादी के २४ सालों में भ्रष्टाचार को कोई सरकारें कमी न कर सकीं बल्कि उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। भ्रष्टाचार कम ही कैसे हो सकता है यदि सरकार के मन्त्रियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये जाते रहें। कोई भी सरकार, शासन, प्रशासन छोटे कर्मचारियों में से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सफल हो सकता है, पर जब सरकार में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो फिर क्या उसे वे समाप्त कर सकते हैं? माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह गम्भीरता से विचार करें।

२८-२९ जुलाई को भी माननीय उमादत्त शर्मा जी के विरुद्ध मैंने रोडवेज की एक सरकारी जमीन जो अधिग्रहीत हो चुकी थी। उसके संबंध में गम्भीर आरोप लगाये थे कि उन्होंने उस जमीन को छुड़वाया जबकि वह मन्त्री बन चुके थे, नयी सरकार आ चुकी थी। उसी दिन, मान्यवर, मैंने मामूली मामूली चर्चा अपने २९ तारीख के भाषण में इन दोनों आरोपों की भी की थी। मुझे मालूम नहीं कि इस बीच मुख्य मन्त्री जी ने या उनकी तरफ से सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने इन दोनों मामलों में कोई जांच की अथवा नहीं। मेरा आरोप इस प्रकार का है कि गाजियाबाद नगरपालिका में लगभग २०० एकड़ जमीन सेलेज की नगरपालिका पट्टे पर उठाया करती थी। करीब दस वर्ष पूर्व श्री सूरजभान गर्ग को यह जमीन ४५ हजार रुपये में पट्टे पर दी गई थी। जब वह रुपया अदा नहीं कर सके तो उनकी कुड़की हुई और छोटी कुर्सियां और मेज नीलाम कर दी गईं और आज भी वे बकायेदार हैं। तब उन्होंने इस जमीन को अपने सगे साले श्री कृष्ण कुमार को पट्टे पर दिलाई।

अभी हाल की बात है कि यह पट्टा जो एक लाख ७० हजार रुपये में श्री कृष्णकुमार तथा दूसरे आदमियों पर था वह जून में समाप्त होने वाला था और इस समय श्री उमादत्त शर्मा मन्त्री बन चुके थे। उन्होंने सूरजभान गर्ग से कहा जो उनके मित्र हैं, कि तुम प्रार्थना पत्र दो और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साले के ही नाम पट्टा बढ़वा दिया जाय। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और उमादत्त शर्मा जी ने एडमिनिस्ट्रेटर को इस सिफारिश के साथ भेजा कि क्यों नहीं श्री कृष्णकुमार को १ लाख ७० हजार रुपये में पट्टा दे दिया जाय।

मान्यवर, जमीन की वहां बड़ी कीमत है, जब गाजियाबाद शहर के आदमियों को पता चला और मुझे यह भी मालूम हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने जब श्री उदादत्त शर्मा वहां गये, आपत्ति की। इस पर उन्होंने कहा कि अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। तब वहां के जन प्रतिनिधि लोग मुख्य मन्त्री जी से मिले, स्वायत्त शासन मन्त्री जी से भी मिले और मुझे यह जानकारी है कि २२-२३ जून के बाद उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया और यह भी लिखा कि इस जमीन के लिये जो मन्त्री जी ने सिफारिश की है उसको हम ७ लाख रुपये में पट्टे पर लेने के लिये तैयार हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने इस जमीन को नीलाम करके पट्टे पर दिये जाने के आदेश दिये। इस काम के लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

१२ जुलाई को जहां तक मेरी सूचना है सरकार के आदेश पर इस जमीन को नीलाम कराया गया तो ४ लाख ३४ हजार में आधी जमीन नीलाम हुई। फिर सूरजभान गर्ग जो उनके मित्र हैं लखनऊ आये और १७ जुलाई को मेरी जानकारी है कि वे उमादत्त जी से मिले। उनके नाम में गेट पास बना और उन्होंने कोशिश की कि नीलाम के आर्डर पर कार्यवाही न की जाय और नया बोर्ड जब आयेगा तो उसको अधिकार दे दिया जाय कि वह जमीन की नीलामी वगैरा की व्यवस्था करे। लोगों को फिर जब इस बात का पता चला कि उमादत्त शर्मा जी इसको रुकवा रहे हैं तो उन्होंने फिर इसकी भागदौड़ की और उसके फल-

स्वरूप स्वायत्त शासन मन्त्री—श्री धर्मदत्त वैद्य ने पुनः आदेश दिया कि जो उनके पुराने आदेश हो चुके हैं, उन्हीं आदेशों के अनुसार इस जमीन का नीलाम किया जाय और जो पेश्तर नीलाम हो चुका है, उसका पट्टा रजिस्टर करा दिया जाय। फलस्वरूप २५ जुलाई, को पुनः उस जमीन के शेष भाग को नीलाम किया गया।

तमाम जमीन ८ लाख ८८ हजार रुपये में नीलाम हुई। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब मोहन मीकिंग ने उस पर बोली बोलना शुरू किया तो एक धनपति के बोली बोलने से तमाम श्रमिक वर्ग घबरा गया कि उसके मुकाबले में वह लोग बोली नहीं बोल सकेंगे। नहीं तो यह जमीन १० लाख रुपया से ऊपर जाती। मेरी जानकारी यह भी है कि एक प्लाट जो सूरजभान गर्ग के पास ६ हजार रुपये में था वह ८० हजार में नीलाम हुआ। यह सब इस जमीन के नीलाम की स्थिति है।

मन्त्री जी अपने विभाग की जिम्मेदारी को किस प्रकार से ठीक ढंग से निभा रहे होंगे जब कि वे नगरपालिका गाजियाबाद के हितों के खिलाफ इस जमीन को १ लाख ७० हजार रुपये में देने की सिफारिश करते हैं। मुझे तो मान्यवर, यह भी जानकारी हुई है कि उन्होंने यह भी सिफारिश की थी, यह लोगों का कहना है, कि यह जमीन ५ वर्ष के लिए ही क्यों दी जाय जब कि नहर विभाग और दूसरे विभाग अपनी जमीनों को ९० और ९९ वर्ष के पट्टों पर देते हैं। इसलिए इसको भी १०-१५ साल के पट्टे पर दे दिया जाय, १ लाख ७० हजार रुपये प्रति पांच वर्ष के लिए। अतः मान्यवर, यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी और सदन के माननीय सदस्यों तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने भ्रष्टाचार के प्रश्न को उठाया था और इस बार भी हम लोगों ने इसको उठाया है।

मान्यवर, इसके साथ मैंने एक दूसरी शिकायत भी की है। इसकी चर्चा मैंने उस दिन २९ तारीख को भी की थी। इनके नाम गाजियाबाद से दिल्ली रुट बस का एक परमिट है। वह बस का परमिट ११ साल से अजीत प्रसाद जैन नामक व्यक्ति को दिया हुआ था। उस दिन भी मैंने यह बताया था कि प्रारम्भ में ८०० रुपया महीने में वह अजीत प्रसाद जैन को किराये पर दिया था। उसका लिखा हुआ कागज मौजूद है। उस कागज में यह भी लिखा हुआ है कि आयकर की कोई जिम्मेदारी उमादत्त शर्मा की नहीं होगी। मन्त्री जी ने इनकम टैक्स कार्यालय में बस से १०० रुपया प्रतिमास आमदनी दिखाई हुई है। बयान हल्फी उमादत्त शर्मा का आयकर विभाग में दिया हुआ है जिस पर श्री अजीत प्रसाद जैन की गवाही है।

इसके अलावा वह ८०० रुपया महीने किराये का परमिट बढ़ा, १२ सौ रुपया हुआ, १४०० रुपया हुआ, फिर १६०० रुपया प्रतिमास हो गया।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को ध्यान होगा कि जब यह लोक सभा के चुनाव लड़े जा रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ जिलों को चुनाव कोष के लिए बहुत से कूपन्स दिये गये थे। मुझे मालूम हुआ है कि मेरठ जिले में चुनाव के लिए ५ लाख रुपये के कूपन्स जिला कांग्रेस कमेटी को दिये गये थे। ३ पार्लियामेंट के मेम्बरों ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। तीनों से मालूम कराया तो किसी के भी चुनाव में एक पैसा भी उन कूपन्स के जरिये से वसूल किया हुआ नहीं लगाया गया, न प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने कूपन्स का कोई हिसाब दिया और न कोई कोरा कूपन ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अभी तक लौटाया।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]—

वह तो ये जानें, इनकी पार्टी जाने। लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि जो-कूपन इनको मिले थे चन्दा इकट्ठा करने के लिये उससे करीब ८० हजार रुपये से इन्होंने एक नयी बस की बाडी बनवायी और अपनी पुरानी परमिट पर लगा दिया। मुझे यह भी जानकारी है कि ६–७ के करीब जब असेम्बली की छुट्टी हुई तो माननीय उमादत्त शर्मा जी मेरठ पहुंचे। उससे पूर्व २८, २९ जुलाई को मैं यह प्रश्न यहां उठा चुका था तो माननीय उमादत्त शर्मा जी ने कापर नगर में अपने निवास स्थान पर, श्री अजित प्रसाद जैन, जिनके पास १०० रुपये के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा लिखा हुआ था १४ सौ या १६ सौ रुपये प्रतिमास के किराये का, उनको बुलाया और कहा कि वह स्टैम्प पेपर उन को दें। उन्होंने और उन की धर्मपत्नी जिनका नाम श्रीमती सेवा देवी जी है यह भी कहा कि इनकी तरफ से या इनकी धर्मपत्नी की तरफ से जो रसीदें उन्हें दी गयी थीं वह वापस दी जायं नहीं तो वह सरकार में हैं, मैं उनका ठीक प्रकार से इन्तजाम करा दूंगा।

मान्यवर, यह तो मैंने पिछली दफा भी सदन में उठाया था। क्या श्री अजित प्रसाद जैन को, मैं उन श्री अजित प्रसाद जैन की बात नहीं करता जो एम० पी० हैं, यह गाजियाबाद के श्री अजित प्रसाद जैन दूसरे हैं—माननीय मुख्य मंत्री जी ने या उनकी तरफ से स्वायत्त शासन मंत्री जी ने या किसी और ने बुलाया और सौ रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो उनका एग्रीमेंट लिखा है उसको देखने की कोशिश की, जो रसीदें इनके हस्ताक्षरों से दी गयी हैं उनको देखने की कोशिश की? असलियत क्या है, क्या किसी ने जानने की कोशिश की? वह तो माननीय मंत्री जी मेरे बाद में जब कहेंगे तब पता चलेगा। माननीय उमादत्त जी ने पिछली दफा कहा था कि उनका ४०–४२ साल का सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है जिसके ऊपर यह दोषारोपण किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि आप के माध्यम से मुझे इजाजत मिल सकेगी या नहीं कि मैं कुछ और बातें इनके सार्वजनिक जीवन की बाबत पेश कर सकूं, लेकिन एक, दो बातें मैं मान्यवर, और उठाना उचित समझूंगा। अच्छा तो यह होता कि उमादत्त जी खड़े हो कर यह कहें कि आप और बताइये।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री उमादत्त शर्मा)—

और बताइये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अच्छी बात है, इजाजत मिल गयी। मुझे अभी यह पता चला कि कोआपरेटिव बैंक मेरठ में इन्होंने अपने दामाद श्री सुरेशचन्द्र शर्मा को करीब एक महीने के अन्दर लगवाया है। कोआपरेटिव बैंक का किन्हीं दो व्यक्तियों पर ४०–५० हजार रुपये का अलग-अलग कर्जा था। इन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो बैंक के प्रबन्धक हैं पर दबाव डालकर अपने दामाद को एक हजार रुपये पर रखवाया। मेरी तो यह भी जानकारी है कि यह मुकदमा तो अभी चल ही रहा है लेकिन उन आदमियों से यह भी कह दिया कि भाई, जरा लड़के को ठीक तरह से रखना और ५–५ हजार रुपये दे देना, तुम्हारा केस ठीक हो जायगा।

इसके अलावा मान्यवर, मेरठ के विधायक मित्र अभी यह कह रहे थे कि कुछ और बातें उनके लिये भी छोड़ दी जांय जिनको वह अपने आप ही उठायेंगे। पिछली दफा माननीय मुख्य मन्त्री ने जब २९ तारीख को इस विषय पर चर्चा का मैं जवाब दे रहा था तो यह कहा था कि रिश्वत लेते किसी ने देखा नहीं, मुझसे अधिक तजुर्बा मुख्य मन्त्री जी का है, क्या कोई कैमरा लेकर खड़ा होता कि जब कोई पैसा लेगा तो उसका फोटो लिया जायगा? अगर ऐसा होता तो मौके पर ही न पकड़ लिया होता? मैंने उस दिन भी उनसे प्रार्थना की थी कि वे एक जांच आयोग स्थापित कर दें। अगर मुख्य मन्त्री जी आयोग स्थापित करें, उस दिन उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर, ३, ४ आज के आरोपों पर और जो आगे आयेंगे तो मान्यवर, बहुत ही अच्छा होता।

हमें तथ्य के साथ आपके सम्मुख आरोप पेश कर सकेंगे। आखिर में एक बात और कह कर बैठ जाता हूं कि उस घर को आग लग गई घर के चिरागों से"। अगर इस प्रदेश को बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस गरीब प्रदेश की जनता की निःस्वार्थ सेवा करनी है तो मान्यवर, मैं आप के माध्यम से मुख्य मंत्री से और सब मन्त्रियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाने में किसी का लिहाज न करें। और इसको कड़ाई से मिटाने के लिये कदम उठायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम के अनुसार सम्बद्ध मंत्री या उप मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अब नियम से जैसा आप उचित समझेंगे आगे चलेंगे किन्तु मेरा निवेदन यह है कि जब उस दिन मेरठ के रोडवेज की जमीन के सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न चल रहा था उमादत्त शर्मा जी के बारे में तो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि किसी ने स्पष्ट रूप से पैसा लेते समय उनको नहीं देखा लेकिन आगे भी इतना कहा था कि जमीन के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं उनको मैं देख लूंगा। ऐसा कहा था तो आपने और इस विषय में जानकारी ज्यादा की होगी। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या और जो आरोप लगाये गये मेरठ की जमीन के बारे में और गाजियाबाद की जमीन के बारे में तो आपने उनको देख लिया है या नहीं और अगर देख लिया है तो क्या वह इस सदन को कुछ प्रकाश दे सकेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय उस दिन दे चुका हूं और अब उस प्रश्न को बार-बार क्या उठाना।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह आपने कहा कहा था कि मैं और मालूम करूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने उस रोज कहा था कि उस मामले में उमादत्त जी निर्दोष हैं।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि इस आदरणीय सदन में कुछ इस प्रकार की परम्परा हो गई है कि एक दूसरे माननीय सदस्यों पर मंत्रि परिषद् के सदस्यों पर सन्देह होने पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। एक साधारण सी बात को, उसकी विस्तृत जानकारी न होने के कारण ऐसे आरोपों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसका कि कोई औचित्य ही नहीं है। यह सलेज फार्म के सम्बन्ध में मई और जून के महीने में श्री कृष्ण गुप्त और श्री श्याम बिहारीलाल ने एक प्रार्थनापत्र राज्य मंत्री जी को दिया कि गत वर्षों में नदी का पानी भर जाने के कारण और जो सलेज फार्म की नाली है उसके पानी की चोरी होने के कारण हमें बड़ी हानि हुई है इसलिये इसकी पट्टे की अवधि ५ वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय। राज्य मंत्री जी ने उस प्रर्थना पत्र को अपनी संस्तुति के साथ भेज दिया कि यदि नगर पालिका चाहे तो यह अवधि बढ़ा दी जाय।

शासन से आदेश प्रशासक नगरपालिका गाजियाबाद को गये। उस पर प्रशासक ने लिखा कि सलेज फार्म की पट्टे की अवधि बढ़ना नहीं चाहिय बल्कि उसका निलाम होना चाहिये यहां से फिर उसको सूचित किया गया कि उसका नीलाम किया जाय। उसके बाद इन्हीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]—

कुछजनों ने पुन : एक प्रार्थना पत्र दिया कि अब गाजियाबाद नगरपालिका के नये चुनाव हो चुके हैं और नया बोर्ड गठित होने वाला है इसलिये यह नीलाम बोर्ड के गठन होने तक के लिये स्थगित कर दिया जाय । इस पर यहां से फिर एक सूचना प्रशासक, नगरपालिका, गाजियाबाद को दी गई कि यदि बोर्ड गठित हो रहा है तो नया बोर्ड ही उसका नीलाम कर सकता है । किन्तु जिस समय यह सूचना उनके पास पहुंची वह अपनी पूर्व योजना के अनुसार उसके नीलाम की तारिख निश्चित कर चुके थे और उन्होंने कुछ प्लाट्स का नीलाम भी कर दिया था ।

अब जब नीलाम की कार्यवाही चल रही थी तभी यहां से वह तार वहां पहुंचा कि यदि बोर्ड गठित हो गया है तो नगरपालिका चाहे तो बोर्ड के गठन के बाद इस फार्म की नीलाम कर दें । लेकिन चूंकि उसका कुछ भाग नीलाम हो चुका था इसलिये प्रशासक ने पुन : शासन को सूचित किया कि उसका कुछ भाग नीलाम हो गया है और जो धनराशि बोली में आई है वह पहले से अधिक है, इस पर यहां से तुरन्त सूचना दी गई कि जो प्लाटस नीलाम किये गये हैं उनकी स्वीकृति दी जाय और शेष प्लाट्स का नीलाम कर दिया जाय सामाजिक जीवन में हम आप सभी जनता के बीच में रहते हैं, नित्यप्रति लोग हमारे पास आते हैं, हमसे संस्तुति भी चाहते हैं और अपनी बात हमारे सामने रखते हैं ।

हमारे राज्य मन्त्री जी श्री उमादत्त जी मेरठ जिले के निवासी हैं, वे लोग अगर उनके परिचित थे और उन लोगों ने उनसे कहा और उस पर केवल नगरपालिका के ऊपर ही इस विषय को छोड़ा कि अगर नगरपालिका चाहे तो पट्टे की अवधि बढ़ सकती है, इसमें हमारे विचार से तो उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की । जब उन पर दोबारा प्रार्थना-पत्र इन व्यक्तियों ने दिया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर नया बोर्ड गठित होने के बाद नीलाम किया जाय तो अनुचित न होगा, इस प्रकार की सूचना प्रशासक नगरपालिका-गाजियाबाद को दी गई । लेकिन नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता था इसलिये उसका नीलाम हुआ । उन्होंने जो सिफारिश की उसमें भी जो धनराशि गत वर्षों में प्राप्त होती रही थी उससे कम का कोई उल्लेख नहीं था ।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है कि पिछले दिनों में जो नीलाम की बोली आई थी उससे धनराशि का प्राप्त होना कठिन हो गया और उस के लिये कुर्की करानी पड़ी । इसलिए जो धनराशि सन् १९६६ में प्राप्त हुई थी, यह समझ कर कि यह धनराशि पर्याप्त है, नगरपालिका यदि चाहे तो इस धनराशि को दे दे । तो इससे उनकी नीयत पर सन्देह करने का, मैं नहीं समझता कि क्या कारण हो सकता है ? मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य एक स्वस्थ शासन की बात या स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, अच्छा होता यदि वे मुख्य मन्त्री के कक्ष में मिलकर उन्हें इस सम्बन्ध में बता देते लेकिन इस आदरणीय सदन में बैठकर हम किन्हीं माननीय सदस्यों पर या मंत्री परिषद् के सदस्यों पर आरोप प्रत्यारोप करें, सामाचार-पत्रों में उनका प्रकाशन हो तो उससे हमारा जन-जीवन दूषित होगा जो प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा ।

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र वीरेन्द्र वर्मा उसी जिले के निकट के रहने वाले हैं, वे वास्तविक स्थिति का पता लगायें यदि पिछले दिनों उन्हीं मूल्यों पर फार्म का नीलाम हुआ है । और उन लोगों को उस फार्म से कोई विशेष लाभ भी नहीं हुआ है । जैसा कि उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है । उन्हें गत ५ वर्षों में इससे हानि ही उठानी पड़ी है । यदि इस बात को सामने रखकर कोई मन्त्री या नगरपालिका को यह कह दे कि यदि वे चाहें तो उसी मूल्य पर पुनः दे सकते हैं तो सन्देह का कोई कारण नहीं रह जाता है । जहां तक मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है मेरा यह विचार है कि श्री उमादत्त जी इसमें दोषी नहीं हैं और मैं अपने मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे वास्तविक स्थिति का पता लगायें और जानकारी प्राप्त करें तब उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यदि कोई कठिनाई न हो तो क्या माननीय मन्त्री जी उन संस्तुतियों को पढ़ने की कृपा करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर की की गयी थीं ? उसे पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, पहला जो सचिव को उन्होंने लिखा, जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया था यह उसके सम्बन्ध में है। वह इस प्रकार है :

"कृपया सर्वश्री श्रीकृष्ण गुप्ता तथा श्याम बिहारी लाल, लाइसेन्सी, प्लाट नं० ५ एवं ९ नगरपालिका गाजियाबाद, का संलग्न प्रार्थना-पत्र देखें। प्रार्थी-गण सलेज फार्म के पट्टे दार हैं तथा प्रार्थना-पत्र में वर्णित परिस्थितियों में इन्होंने उक्त फार्म की लीज, जो जून, १९७१ में समाप्त होने जा रही है, को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की प्रार्थना की है।

इनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जिनका मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है, इनकी प्रार्थना न्यायोचित प्रतीत होती हैं। अतएव इस मामले में सहानुभूति बरतते हुए इनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर ली जाय तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी शीघ्र अवगत करायें। इसमें यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया पत्रावली सहित मुझ से बात कर लें।"

दूसरा और सुन लीजिए। वह इस प्रकार है :

"नगर पालिका सलेज फार्म, गाजियाबाद, से सम्बन्धित कृपया सर्वश्री श्याम बिहारी लाल तथा श्री कृष्ण गुप्ता का संलग्न प्रार्थना पत्र देखें। जैसा कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित है इन लोगों के प्रार्थना-पत्र पर प्रशासक, गाजियाबाद ने आदेश दिया था कि नव-निर्वाचित नगरपालिका बोर्ड ही इस फार्म के मामले में निर्णय लेगा। उनका अचानक इस प्रकार अपना निर्णय बदलना जनहित में नहीं है जिससे निश्चय ही, असन्तोष उत्पन्न होगा। अतएव आप कृपया आज ही आदेश तार द्वारा निर्गत करके यह सुनिश्चित कर लें कि आगामी १८ जुलाई, १९७१ को किया जाने वाला नीलाम रोक दिया जाय तथा इस सम्बन्ध में नव-निर्वाचित बोर्ड द्वारा विचार करने के उपरान्त संस्तुति शासन के आदेशार्थ भेजी जाय। कृत कार्य-वाही की सूचना कृपया मुझे भी आज ही भिजवाने का कष्ट करें।"

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह श्री उमादत्त शर्मा ने जो दूसरा प्रार्थन-पत्र था, उसके सम्बन्ध में भेजा।

(व्यवधान)

श्री उमादत्त शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र वर्मा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत दिन मेरा उनका साथ भी रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है और मैं इनका आदर करता हूं कि इन्होंने मेरी आलोचना शायद इसी ढंग से और इस मुद्दे से करना शुरू किया है कि कोई कमी मिले तो दूर हो जाय। जैसा कि ये अपने पूर्व वक्तव्य में कह चुके हैं। मैं ईश्वर को हाजिर-नाजिर करके कहता हूं कि मेरा लांछन लगाने का कोई भी उद्देश्य हो, मैं इनकी आलोचना का स्वागत करता हूं। यह

[श्री उमादत्त शर्मा]

शायद मेरे हित के लिये ही की जा रही है। बस के परमिट से सम्बन्धित जो बात आपने कही है उस में एक बात मुझे कहनी है। क्या उसके बारे में इन्होंने आप को कोई ऐग्रीमेन्ट, कोई रसीद, कोई चीज आप को दी है? मैं आप से पूछना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, से पूछना चाहता हूं। क्या इन्होंने आपको कोई चीज दी है? इन्होंने नहीं दी है। तो एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि चार-छः व्यक्ति किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध यह लिख कर दे दें कि नैपाल की तराई में बैठ कर चीन से सांठ-गांठ करके, भारत को नुक्सान पहुंचाने के लिये, वहां की बात इधर से उधर कर रहे हैं तो क्या आप उस पर जांच बैठा देंगे? बगैर प्रमाण के नहीं बैठायेंगे। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस बस परमिट के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह बस वाकई मेरी बस है, इसको श्री अजित प्रसाद जैन चलाते हैं, मेरे उनके अच्छे सम्बन्ध हैं। इसमें आठ सौ, बारह सौ और सोलह सौ रुपये की और मान्यवर, यहां तक कह डाला, इनको मस्तिष्क का पता नहीं है, एक बात है जब किसी आदमी को भ्रष्टता ही भ्रष्टता, दुराचार ही दुराचार और सब लोगों के प्रति यह दिखाई दे कि यह दुराचारी, यह दुराचारी, पता नहीं क्या मन्तव्य है इसके पीछे लेकिन इसमें यह वैज्ञानिक नियम है कि वह स्वयं भ्रष्ट होता है, जिसको सबमें भ्रष्टता ही भ्रष्टता दिखाई देती है, वे ही भ्रष्ट होते हैं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जो मुकदमा करते हैं क्या वे भ्रष्ट ही होते हैं?

श्री उमादत्त शर्मा--

इन्होंने कोई गुण नहीं बताया। केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, इसमें आप अपनी तस्वीर हमार दर्पण में देखते हैं। तो मैं आप को यह बताता हूं कि इस सम्बन्ध में उनके पास न तो वे प्रमाण हैं, न कोई बात है, एक सुनी बात है--मैं उनका शेर पढ़ता हूं--

'घर को आग लगी घर के चिरागों से"

इसमें कोई शक नहीं है कि वे चिराग हैं। वे ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं गैलरियों में। मुझे मालूम है कि योजनाबद्ध स्कीम मेरे खिलाफ चला दी है, जब से मैं मंत्री बना हूं यह कार्य हुआ है। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ, दस बीस वर्षों से मेरा इनका साथ रहा। वीरेन्द्र वर्मा जी से भी साथ रहा। उस वक्त कोई भी मेरे आचरण में कमी दिखाई दी उन्होंने कोई शिकायत की। और उसके बाद जब से मैं मंत्री बना हूं। मेरे खिलाफ न जाने कितनी शिकायतें निकाल कर लायेंगे और दस पन्द्रह साल बीस साल पहले की न जाने क्या क्या बात मेरे खिलाफ लाने वाले हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। जो बात बतायेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा क्योंकि यह मेरे हित में ही कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि अगर मेरा आचरण कोई बिगड़ा हुआ हो तो सुधर जाय। श्रीमन्, जो भी आरोप लगाए गए वह निराधार हैं। कूपन की बात कही गयी। मेरे पास जिला कांग्रेस कमेटी की रसीद, एक लाख रुपये के कूपन की मेरे नाम इश्यूड है, मेरे पास मौजूद है। बैंक की बात कही। मुझे यह भी पता नहीं कि मैंने कब लड़के को या दामाद को कहां रखवा दिया? मुझे तो आज पता पड़ा कि मेरा दामाद एक हजार रुपए महीने पर लग गया। मेरठ में आज तक मुझे यह सूचना नहीं मिली। आज पहली बार सूचना मिल रही है कि एक हजार रुपए पर लग गया। यह भी आज ही पत चला है कि पचास हजार का कर्जदार था मेरा दामाद। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ठोस प्रमाण न हो, आपके पास न आएं तो ऐसे प्रश्न की सदन में चर्चा के लिए कभी इजाजत न दें, इससे सदन का समय नष्ट होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो स्वयं कह रहे हैं कि आपका चरित्र उज्वल होगा इससे, तो आपको क्यों ऐतराज है?

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री जी ने दो बातें कहीं। एक तो यह कि किसी को जांच करने के लिए बैठाल दिया जाय मेरे हित में। मेरा निवेदन है कि किसी जज को बैठाल दिया जाय।

श्री उमादत्त शर्मा––

मैंने क्या कहा, वह आपने सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष––

आपस में न बात करें।

श्री उमादत्त शर्मा––

सुरेन्द्र विक्रम जी ने जो कहा, वह जानकारी नहीं रखते हैं, वह तो प्रतिपक्षी होने के नाते जो रोल अदा करना चाहिए, जो स्वस्थ रोल अदा करना चाहिए प्रतिपक्षी को, शायद वही कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

चरित्र उज्वल करने के लिए जांच की मांग कर लें जज द्वारा।

श्री उमादत्त शर्मा––

वह तो आप कर ही रहे हैं। मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उपाध्यक्ष जी मौजूद ह, जैसा उचित समझेंग करेंगे।

दिल्ली-गाजियाबाद की बस के सम्बन्ध में कहा गया। यह बस मेरे नाम रजिस्टर्ड थी और मैंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से आठ-दस दिन पहले इस बस को हस्तान्तरित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, वह स्वीकार हुआ या नहीं, मुझे मालूम नहीं है ····

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

अपनी वाइफ के नाम?

श्री उमादत्त शर्मा––

जी हां। इसमें भी शक नहीं कि श्री अजीत प्रसाद जैन बस चलाते थे। मेरे उनसे मधुर सम्बन्ध हैं। जहां तक इससे आय का प्रश्न है, खर्चा निकालने के बाद मैंने आय कर रिटर्नों में अपनी आय दिखायी ह। इसके बाद अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो इनसे आप लिखित ले लें और अगर यह साबित न कर पाएं तो मैं इसके बाद इनसे इस्तीफा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। श्रीमन्, सदन की एक गरिमा है। यह उच्च विद्यालय है मानवता का। यहां जनजीवन पर आघात नहीं होना चाहिए, जनजीवन को कलंकित नहीं करना चाहिए। यह बात इनको पहले ही पढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन अब तक इन्होंने नहीं पढ़ी। अगर यह सत्य साबित कर दें तो मंत्रि परिषद् में तो मैं रहूं ही नहीं, मुझे बीस साल का कठोर कारावास भी होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

उन्ह पंजाब में···

श्री उमादत्त शर्मा--

लेकिन मैंने आपका अभिनन्दन किया और आपका बहुत आदर किया और नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि माननीय जायसवाल जी तो मुझे जानते नहीं ह और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी भी नहीं जानते हैं।

(श्री बांके लाल द्वारा कुछ कहने पर)

श्री उमादत्त शर्मा--

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मेरी यह आदत नहीं है कि मैं किसी के प्रति कीचड़ उछालूं या कभी किसी के प्रति कोई गलत बात कहूं। मान्यवर, अगर कभी कहूंगा भी तो इन्हीं से कहूंगा और इन्हीं से उस बात का उत्तर लूंगा। इनक खिलाफ कोई बात मैं पब्लिक में कहने वाला नहीं हूं। इनके खिलाफ दो बातें हैं, उनको म आपके सामने बता सकता हूं। यह मेरा चरित्र नहीं है कि मैं किसी के विरुद्ध दोषारोपण करूं। मुझे तो चौधरी चरण सिंह में भी बड़े गुण दिखायी देते हैं और वर्मा जी में भी बड़े गुण दिखायी देते हैं। वे बड़े गुणवान हैं और जनतंत्र के प्रहरी हैं और इस सदन की गरिमा के भी प्रहरी हैं, लेकिन कहीं-कहीं मुझे सन्देह हो जाता है कि सदन की गरिमा के प्रहरी होते हुए भी वे ऐसी बातें कह डालते हैं जिनसे कि जन-जीवन भ्रष्ट हो जाता है। बस इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी हमारे मित्र वर्मा जी ने अपने विचार इस विषय में व्यक्त किये। उसी संदर्भ में मुझे यह भी मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री जी ने उस दिन यह कहा था कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। एक दूसरी बात और इधर से आयी कि यह कोई तरीका नहीं है कि सदन में किसी मंत्री के खिलाफ कहा जाये, उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए या मुख्य मंत्री से कहना चाहिए और यह प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है कि किसी मन्त्री को यहां पर बदनाम किया जाये। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि अगर बिना किसी के जांच किय हुए या उस विषय पर किसी जांच के प्रयास के हमारे मुख्य मंत्री यों कह दें कि वे निर्दोष हैं तो हमारे मन में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार के आरोप हैं उनको हम कहां रखें और अपनी भावनाओं को कैसे राहत दें ?

हम तो यहीं से राहत पा सकते हैं, क्योंकि यहां हमारे अधिकार सुरक्षित हैं और जब अखबार में निकलेगा तो जनता हमारी भी परीक्षा लेगी कि क्या हमारी बात में तथ्य है या हम ऐसे ही ऊटपटांग बात कहा करते हैं। जनता को यह परखने का मौका मिलेगा कि हमारी बात में कोई सार है या नहीं। इसलिए हम यह कहते हैं कि यह कदापि न सोचा जाय कि हम आपके खिलाफ कोई आरोप करते हैं। ऐसा करते हुए हमारे दिल में भी दुख होता है, मगर हम आपकी हां में हां कैसे मिलावें क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है, लाखों आदमी पूछते हैं और उनका यह हक है क्योंकि उन्होंने हमें यहां चुन कर भेजा है। सारी जनता का हित हमारे हाथ में सुरक्षित है। इसी दृष्टि से यह बात हम आपके सामने रख रहे हैं, मान्यवर।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तो समझता था कि यह चेप्टर बन्द हो जायेगा, मगर एक दूसरा चेप्टर हमारे सामने आ गया और ३१ तारीख हमारे सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ गयी। मैं तो केवल उन्हीं तथ्यों के आधार पर कहूंगा जो कागजात में हैं या जो तर्क से मुझे मालूम हुए हैं। मान्यवर, जब किसी मुकदमें का ट्रायल होता है तो मुलजिम का पास्ट रिकार्ड देखा जाता है। पुरानी बातें लेते हैं। मैं नहीं जानता पुरानी बातों में क्या है परन्तु एक निश्चित बात है कि जब कोई मुकदमा चलेगा, चाहें करेप्शन का विजीलेन्स में हो या डकैती का हो, राबरी का हो, तो निश्चित रूप से मुल्जिम का पास्ट रिकार्ड मंगाया जाता है। इसीलिए जेल में भी इम्प्रेशन लेते हैं थम्ब वगैरह के कि कहीं गलती से तो आरोप नहीं लग गया है या इनकी ऐसी आदत है।

आप अपने में न समझें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस सन्दर्भ में मैं पिछली कार्यवाही का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछली कार्यवाही में यह है कि इनके ऊपर विरोध पक्ष ने चार्ज लगाया कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया। दूसरे यह कि एक लक्ष्य की पूर्ति के लिये जबरदस्ती की। दूसरों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। इन दोनों चीजों को ले लेकर मैं यह भी कहता हूं कि क्या यह रलिवेंट था जो आपने किया, क्या यह तथ्य नहीं है कि आपकी ऐसी आदत है कि इस तरह की चीजें करें ? आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक मंत्री के ऊपर आरोप ह। उस दिन किसी शब्द का मैंने प्रयोग किया था तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी ने देखा नहीं है। कोई नया तर्क मुख्य मंत्री जी के सामने आवेगा तो उनसे मेरा निवेदन है कि आज कल जिस भाषा का वे प्रयोग करते हैं, आज की राजनीतिक परिस्थिति के कारण यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि राजनीतिक दबाव से हट कर वे नैतिक दबाव के कारण यहां कुछ स्टेटमेंट दे सकें कि सत्य क्या है।

हमने एक आरोप लगाया है। इसमें कोई सन्दह नहीं कि उन्होंने उस काय को किया और वह कार्य उचित नहीं था। जो कार्य उन्होंने किया, ऐसे कार्य को देखते हुए क्या हमारे लिये यह उचित है कि जन-जीवन का कार्य इनको सौंप सकते हैं, क्या इनको सारी म्यूनिसिपैलिटीज का कार्य हम सौंप सकते हैं, क्या इतना धन हम इनके हाथों में सौंप सकते हैं ? अगर ये सब से परे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी तारीफ करते हैं तो जांच कराने के समय तक अगर उनको मंत्री पद से नहीं हटा सकते थे तो उनको विदाउट पोर्ट फोलियो ही मिनिस्टर बना देते और फिर आरोप के निराधार साबित होने पर उनको कोई पोर्टफोलियो दे देते। अगर इस पर विचार किया गया होता तो यह एक बड़ा ही ग्रैंड उदाहरण सबके सामने आता। किसी गलत काम के होने पर किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते तो उसको विदाउट पोर्ट फोलियो का मंत्री तो बना ही सकते थे।

श्रीमन्, यह तथ्य है कि गाजियाबाद नगरपालिका का २०४ एकड़ का सलेज फार्म है जिसके १० टुकड़े हैं। यह पहले नीलाम हुआ था ५ वष के लिय और नीलाम हुआ था १ लाख ६९ हजार रुपये में। उसकी अवधि ३० जून, ७० को समाप्त होती थी। इस पट्टे में दो चार व्यक्ति होंगे जिनके नाम मुझे याद नहीं हैं। शायद कोई सूरजभान हैं जिनके साले हैं, रिश्तेदार हैं। यह बड़ा लाभदायक था और कोई बड़े आदमी ही होंगे जिन्होंने इसको लिया होगा। कहा गया कि इसके चारों तरफ नाला है, उसमें कोई लाभ नहीं था इसलिये उसको उतने ही रुपये में उसी पार्टी को दे देने की बात हुई। अगर उस में लाभ नहीं था तो उसके लिये ८ लाख रुपये का आफर क्यों हुआ ? माननीय मंत्री जी यह न सोचें कि विरोध पक्ष से यह चीज सामने लायी गयी क्योंकि दोनों पहिये से ही गाड़ी चल सकती है।

यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने दरखास्त दी। आखिर उनकी दरखास्त क्यों आयी, इस पर भी आप विचार करें। ये चाहते थे कि इतना लाभ हुआ है तो फिर १ लाख ६९ हजार रुपये में ही उनको दे दिया जाय जितने में पहले नीलाम हुआ था।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लेकिन इसके लिये विधि क्या हो ? विधि यह हो सकती थी कि पीरियड एक्सटेंड हो जाय तब ही उनके पास यह रह सकता था उतने ही रुपये में । क्योंकि पब्लिक के सामने यह चीज आने पर ८ लाख रुपया देना होता । तो इस मन्तव्य को पूरा करने के लिये जरूरी था कि नीलाम को रोक दिया जाय । और अगर नीलाम नहीं रुक पाये तो पुरानी कीमत पर ही पीरियड को एक्सटेंड करके एक पक्ष मिल जाय । लेकिन मैं तो उस ऐडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ करता हूं जिसने इनकी बात को नहीं माना और नीलाम को रोकने से इन्कार कर दिया । अगर नीलाम नहीं होता तो ८ लाख रुपये की पब्लिक मनी का नुकसान होता ।

तराजू के दो पलड़े होते हैं । जो पलड़ा गरू होता है वह झुक जाता है । एक व्यक्ति को ८ लाख रुपये का फायदा सामने था । कैलकुलेट करने से सम्भव है ९ लाख हो जाता । हो सकता है कि उसमें २/४ व्यक्ति होंगे जिनको जनता नहीं कहा जा सकता । निश्चित है कि वे बड़े आदमी होंगे जिन्होंने १ लाख ६९ हजार रुपये में पहले नीलाम लिया था । वे प्रभावशाली व्यक्ति भी होंगे । अब उन्होंने सोचा कि मंशा की पूर्ति कैसे हो । कोई सरकार वाला आदमी चाहिये जो इस कार्य की पूर्ति करा सके । तो इसके लिये सूत्रधार चाहिये था, एक नायक चाहिये था । इसका क्या पता था कि ऐसी परिस्थिति सदन के सामने आ जावेगी । तो मैं कहता हूं कि उन्होंने हमारे मंत्री जी को अप्रोच किया । यह वकील का आर्गूमन्ट है, सरकम्स्टैन्सेज पर है । आचार्य जी कह दें कि सरकम्स्टैन्शियल इवीडेन्स पर अगर दूसरे नतीजे पर पहुंचा जाय तो डेथ सेन्टेन्स हो जाता है अथवा नहीं ।

मैं निष्पक्ष भाव से कहता हूं कि करोड़ों की सम्पत्ति होगी । अगर मंत्री जी यहीं रहेंगे तो कैसे कार्य होगा ? इन्होंने सुझाव दे दिया कि तुम दरख्वास्त दो । किसी भी दरख्वास्त में वकील कारण देता ही है । कारण दिया कि नाला बहता है और हमारा नुकसान हो गया । कारण से कोई मतलब नहीं है । अगर वह सत्य होता तो ८ लाख पर नीलाम नहीं होता । तो मैं कह रहा था कि हमारा मस्तिष्क कहता है कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि ऐसी दरख्वास्त दो, उस पर हमारी कलम चलेगी । उस पर हमारे अधिकार का प्रयोग होगा ।

अब किसी व्यक्ति को ८ लाख रुपया फायदा पहुंचाने की नीयत जो आदमी रखता है उसके पीछे क्या है, रिश्तेदार नहीं, जाति बिरादरी का मामला नहीं, किस प्रकार ऐसा हो सकता है कि अपने व्यक्तित्व को, आनर को रिस्क पर रखकर ८ लाख का फायदा पहुंचाये । इसमें हाथ साफ नहीं है । तो क्या हुआ, उन्होंने दरख्वास्त दी । आदेश मंत्री जी के क्या हुये । इस सारे संदर्भ में मैं श्री धर्मदत्त वैद्य का आदर करता हूं कि मान्यवर, आज उन्होंने संस्तुति पढ़ दी । मालूम होता है कि आपने उसको पढ़ा नहीं था, नहीं तो उसे रोक देते । इन्होंने यह लिखा था कि यह गर्ग साहब के साल हैं, दरख्वास्त पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं । पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने लिख दिया इसको स्वीकार किया जाय । कौन सेक्रेट्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है जिसने अपने मंत्री जी को सही सलाह नहीं दी है । अगर ऐसा करता तो एक्सटेन्शन नहीं होता । मैं जब मंत्री था तो सेक्रेट्री गलत काम करने से रोकता था कि परिणाम सोच लीजिये । यह कहता था कि आप कितने ही सच्चे हों लेकिन राजनीतिक लोग इसके क्या अर्थ लगायेंगे यह सोच लीजिये । श्री ज्ञान प्रकाश मेरे सेक्रेटरी थे । मुझे स्मरण आता है कि इस बारे में मैंने उनके करेक्टर रोल में भी लिखा है । तो मैं जो यह घटना हुई है इस सम्बन्ध में सेक्रेटरी को भी चार्ज करता हूं । उसने मंत्री जी को सही मार्ग दर्शन नहीं किया है कि एक्सटेन्शन नहीं हो सकता है, रिन्यूअल नहीं हो सकता है । उन्होंने विधि परामर्शी से क्यों नहीं पूछा ? मैंने पिछले संदर्भ में भी इस सम्बन्ध में कहा था । इनकी इच्छा की पूर्ति के लिये ऐसा किया गया है । पहली बात तो यह की और दूसरी बात

राय इन्होंने नहीं मांगी। हम तो आदेश देते समय डरते रहते थे कि कहीं गड़बड़ न हो जाय। मैं तो हमेशा डरता रहा और मंत्रि पद से जाने के बाद मैंने सोचा कि बरी हो गया।

विधि परामर्शी से राय लेना चाहिए था, सेक्रेटरी को इस बारे में लिखना चाहिये था, इसलिये मैंने डिपार्टमेंट को चार्ज किया है। डिपार्टमेंट ने सही राय नहीं दी। उन्होंने लिखा दिया कि स्वीकार करने पर विचार किया जाय। मैं तारीफ करता हूं उस एडमिनिस्ट्रेटर की कि उसने अपनी जान बचायी। उसने सोचा कि आज कल की राजनैतिक उथल-पुथल में न बह जाऊं। अब यह कि क्यों नहीं पूछा, यह वह अपने अन्तःकरण से पूछें। अगर नियम के बारे में कंसल्टेशन नहीं किया तो इसलिए कि दूसरे लक्ष्य की पूर्ति पर विचार कर रहे थे। दूसरे व्यक्तियों ने दरख्वास्त दे दी कि हम सात आठ लाख देने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है उस बीच में वैद्य जी आते हैं। सारी परिस्थिति को देख कर वे चौंके कि यह तो लंगड़ी फंस रही है। इन्होंने यह किया कि इसका नीलाम हो। जब यहां से लिख कर गया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार हो तो ऐडमिनिस्ट्रेटर ने लिख कर भेजा कि रिन्युअल नहीं हो सकता, वह नियम विरुद्ध हो जायेगा। उस बीच हमारे वैद्य जी आते हैं जो कहते हैं कि नीलाम किया जाय। इनके कान में सात आठ लाख की भी भनक पड़ चुकी थी। इसलिए इन्होंने कहा कि नीलाम किया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जहां-जहां आपने शर्मा जी कहा है वहां वैद्य जी करवा दीजिये। कम से कम श्रेय तो वैद्य जी को जाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मैं बहुत चिन्तित रहता हूं कि कहीं त्रिपाठी जी में मेरा नाम न आ जाय। जितना अच्छा हिस्सा है मेरे विचार का वह मैं वैद्य जी को देता हूं। मैं कह रहा था कि जब वैद्य जी आये तो उन्होंने कहा कि नीलाम हो जाय। उन्होंने १८ तारीख मुकर्रर की। सब को पता चल गया कि वाकई नीलाम होगा और बोर्ड गठित हुआ तो मामला गड़बड़ हो जायेगा। इसी पर हाई कोर्ट में रिट दाखिल करा दी। जब बोर्ड गठित नहीं होगा तो ऐडमिनिस्ट्रेटर करेगा और वह गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। यह प्लान उसके पीछे था। इसलिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी गयी। वहां से स्टे ली गयी और वेकेट हो गयी। १८ तारीख नीलाम की मुकर्रर हो गयी। १८ तारीख को चार प्लाट नीलाम भी हुए। वर्मा जी ने कहा कि १७ तारीख को कोई सज्जन यहां आये थे जिनके इंस्टेंट पर यहां से टेलीग्राम गया। जब पांचवां प्लाट नीलाम हो रहा था तो वहां तार पहुंचता है कि स्टे कर दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि जब चार प्लाट ४ लाख ३४ हजार में नीलाम हो चुके थे तो क्यों नीलाम को रुकवाया? इसमें मैं क्या नेकनीयती समझूं। अगर पार्टी का प्रश्न होता तो कह देता कि पार्टीबाजी का मामला है। लेकिन वह चीज थी नहीं। जब ऐसी बात नहीं है तो क्या समझा जाय।

जब नीलाम रुक जाता है तो फिर ऐडमिनिस्ट्रेटर अपनी जान बचाने के लिए लिखता है कि कोई तरीका नहीं है। या तो नवगठित बोर्ड सामने आ जाय और वह गठित नहीं होगा, इसलिए नीलाम करने में ही भलाई है। तब फिर यह स्थिति आती है कि इसे नीलाम कर दिया जाय। दो व्यक्तियों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़ी कोशिश की––एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटर ने और दूसरे वैद्य जी ने। इन्होंने हर जगह बड़ा फूंक-फूंक कर कदम रखा। जब हाई कोर्ट से खारिज हो गया तो ४ लाख ३४ हजार में नीलाम हुआ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मैं माननीय त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि जिस समय यह प्रश्न उठा था तो यहां सचिव से परामर्श करके यह निर्णय कर दिया गया था कि चाहे नये बोर्ड के गठन होने के बाद हो या इस समय तमाम सलेज फार्म का नीलाम किया जायेगा। ऐसा नहीं है। सचिव और न्याय विभाग से परामर्श करने के बाद यहां वह निश्चय पहले ही कर लिया गया था कि निश्चित रूप से नीलाम होगा। यह सही है कि यह सुझाव नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी दिया, लेकिन इस बात का निश्चय यहां पहले से ही हो चुका था कि सिवाय नीलाम के और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

फिर १८ तारीख को तार क्यों दिया रोकने का ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सम्पत्ति बोर्ड की है। बोर्ड नया गठित हो चुका था, उसमें बहुमत जनसंघ का था, और जनसंघ का ही अध्यक्ष था। तो यह सोचा गया कि जब बोर्ड गठित हो गया है तो यह अधिकार उसी को देना चाहिये। प्रजातांत्रिक परम्पराओं को कायम रखने के लिए ही यह किया गया, इसके पीछे कोई दूसरी भावना नहीं थी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमन्, सख्त था, उसने बार-बार लिखा कि सिवाये नीलाम के और कोई चारा नहीं है। किन्तु साजिश से रिट कर दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को टाइम मिल जाय। उसके पीछे क्या भावना थी ? जनसंघ के पीछे यदि आपकी ऐसी ही हमदर्दी थी तो यह रिट क्यों फाइल किया गया ? मान्यवर, निगाह इनकी जमीन पर थी और निशाना जनसंघ पर लगा रहे थे।

(व्यवधान)

मैंने जो कहा है वह तथ्यों के आधार पर कहा है। बाद में मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर लिखा कि सीजन निकल जायेगा, एक्सटेंशन देने का नियम भी नहीं है, तो यहां धूल उड़ गई, आंधी आ गई, और वैद्य जी ने कहा कि नीलाम कर दो। अब नीलाम हुआ कितने में ? एक लाख ६९ हजार की जमीन ८ लाख ८८ हजार में नीलाम हुई यानी ७ लाख १९ हजार का लाभ हुआ। अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी जान बचाने के लिए नीलाम के लिए न लिखा होता तो यह जमीन १ लाख ६९ हजार में ही निकल गई होती और फिर जब कोई भी मामला यहां उठाया जाता तो कह दिया जाता कि जो कार्यवाही हुई है वही ठीक है।

मैंने मान्यवर, कोई ऐसी बात नहीं कही है जो रिकार्ड में न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि एक बार पहले वह मसला सदन के सामने आया, आज फिर यह दूसरा मसला सदन के सामने आया, हम लोगों ने जो शंका व्यक्त की, आखिर क्या कारण है ? तो मैं जानना चाहता हूं वह कौन सा कारण है कि जो आपने इतना संदिग्ध नीलाम रुकवाया, चिट्ठी लिखवाई, कोर्ट में रिट करवाई, सिफारिश की और आपने एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की होगी, फिर भी इसमें सन्देह न किया जाय। एक लाख ६९ हजार उसे मिल जाय, इसलिए यह सब आपने किया होगा। किसी मन्त्री का करेक्टर, उसकी एटेग्रेटी बिलकुल साफ होनी चाहिए, तनिक भी उसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें पब्लिक अफेयर हैंडिल करने की कैपिसिटी होनी चाहिए। यह सब एक मन्त्री को देखना चाहिए। मुख्य मन्त्री की ज्वाइन्ट रिस्पांस्बेलिटी है।

मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री यह सब अनुभव करते हैं, लेकिन इस वक्त आज की हवा में वह उसे कर नहीं सकते हैं। आज उनके खिलाफ हवा चल रही है। आज उनकी एक्जीक्यूटिव उनके विरोध में चलती है, उनसे वह विरोध मानती है। आज की परिस्थिति में किसी मन्त्री के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया जा सकता, यह हो रहा है। इतनी गलती अवश्य हुई जो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है, वह ठीक है। आज मुख्य मन्त्री ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, यह जरूर कहूंगा। हमारे मन्त्री महोदय का कांडेक्ट सन्देह से परे नहीं है। निश्चित इसमें गड़बड़ी है और इसी आधार पर इतना खतरा उन्होंने मोल लिया। यदि कोई सोच विचार कर वह कार्यवाही करते तो वह अवश्य ऐसा नहीं करते।

परमिट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उस पर केवल सुना है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु यदि परमिट की बात सही है तो मैं आपको एक ही नतीजे की ओर ले जाना चाहता हूं कि क्या ऐसे आदमी को कोई जिम्मेदारी का काम सौंपा जा सकता है? मेरी पोलेटिकल जीवन म यह बात समझ में नहीं आती है कि इनको कोई जिम्मेदारी का काम सौंपा नहीं जा सकता है। इस विचार के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी की तरफ से जो यह बात कही गई, जो मैं समझा हूं, कि इस मामले को क्यों चर्चा हेतु प्रविष्ठ किया गया। किन कारणों से प्रविष्ट किया गया। मात्र एक कारण था, मैं किसी की ईमानदारी या बेईमानी की दृष्टि से नहीं देखता हूं, कि एक तरफ १ लाख ६९ हजार और फिर वह नीलाम होता है ८ लाख ८८ हजार में। यह कहा जा सकता है कि प्रशासक की हैसियत से कोई गलती हुई। लेकिन मेरे सामने मात्र यही कारण था, जो मैंने इसे लिया। दूसरे के बारे में मने ध्यान नहीं दिया था।

श्री शेर अली खां (जिला मेरठ)—

इस एक लाख ६९ हजार और ८ लाख ८८ हजार के बारे में मैं भी थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यों मैं किसी विषय के बारे में किसी मन्त्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं, लेकिन जब कई बार उन्होंने कहा तो मैंने उचित समझा कि मैं कारण बता दूं कि जिस कारण से मैंने इसको स्वीकार किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इस प्रश्न से सम्बन्धित कुछ तथ्य और जो मुख्य अभियोग है, मैं उसको आपकी इजाजत से दोहराना चाहता हूं जो सुसंगत हैं। जो जानकारी यहां पर दी गई है, उससे यह तथ्य सामने आया कि यह पार्क गाजियाबाद नगरपालिका की मिल्कियत है। दूसरा यह कि आम नीलाम के जरिये से ५ साल के ठेके पर यह फार्म उठाया जाता रहा है और पिछले नीलाम की तारीख ३० जून, ७१ को खत्म होने वाले थी। ये इससे सम्बन्धित तथ्य हैं।

मुख्य अभियोग यह है कि उस ठेके का विस्तारण राज्य मन्त्री जी ने कर दिया दस साल के लिए, जो तरीका है नीलाम करके उठाने का उसको न मान कर उन्होंने अपनी तरफ से उठा दिया। यह अभियोग है। जो माननीय वैद्य जी ने जानकारी दी है उससे लगता है कि इस आरोप में दम भी है। क्योंकि जो संस्तुति मन्त्री की हैसियत से खाली उमादत्त शर्मा ने व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, खाली साधारण विधायक की हैसियत से नहीं दी है

[श्री अनन्त राम जायसवाल]—

या जो नोट भेजा है वह इस राज्य के राज्य मंत्री की हैसियत से। खाली यह नहीं कि उन्होंने सीधे-सीधे दरख्वास्त को वहां भेज दिया कि कायदे कानून के मुताबिक निस्तारण कर दिया जाय बल्कि उन्होंने जाती जानकारी और दिलचस्पी का भी उसमें समावेश कर दिया। जाती जानकारी ऐसे कि प्रार्थना पत्र में अंकित विशिष्ट परिस्थितियों से वे खुद परचित हैं। इतनी ही जानकारी या दिलचस्पी समाविष्ट होती तब भी गनीमत होती।

फिर आगे और परसू करते हैं—जो भी कार्यवाही की जाय उससे उनको अवगत भी करवा दिया जाय। उसमें यह भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक राज्य मन्त्री की ऐसी संस्तुति के बाद आप समझते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा? उसका प्रभाव हुआ क्यों हुआ इसलिए कि इस ठेके की मुद्दत की आखिरी तारीख ३० जून तक ठेके का नीलाम हो जाना चाहिए। लेकिन ३० जून के पहले नीलाम नहीं हुआ। वह नीलाम रोका जाता है। नीलाम होता है पहले पहल १८ जुलाई, १९७१ को। साफ मतलब निकलता है कि बीच में कोई चीजें ऐसी हो गई जिनका असर पड़ा और दोबारा नीलाम करवया गया। नीलाम रोका गया और बीच में कौन सी परिस्थितियां हैं, सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए माननीय सदन को जो अब भी थोड़ा सा अंकुश का काम कर रहा है। उस का यह मूल्यवान सत्र इस समय न होता तो शायद इस मामले में इतनी तत्परता सरकार की तरफ से न दिखाई जाती। इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा मिलनी चाहिए इस माननीय सदन को और उसके इस मूल्यवान सत्र को और कोई हकदार इस का है नहीं।

जब यह सारी घटना हो जाती है, नीलाम रुक जाता है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास एक दरख्वास्त आती है। हम को इत्तला मिली है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने हस्त-क्षेप किया। वह जानकारी किसी साधारण आदमी की तरफ से नहीं आती है, कोई ऐरा-गैरा नहीं था, बल्कि एक माननीय विधायक की तरफ से दरख्वास्त आई। उसमें मोटे तौर से तीन बातें लिखी हैं। नम्बर एक यह फार्म अब की दफा कम से कम १० लाख रुपये में उठेगा और उन्होंने खुद प्रस्ताव किया कि अगर यकीन हो तो सात लाख का उन्हें दे दिया जाय अर्थात माननीय सदस्य जिन्होंने दरख्वास्त दी, नम्बर दो, उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया जो उनको सुनने में आया, उसके मुताबिक इस ठेके का विस्तारण करने में लाखों का लेनदेन हुआ है। यह बीच में घटना घट गई और माननीय सदन का सत्र होने वाला था इस वजह से उस पर कार्यवाही हुई वरना ठेके का विस्तारण तो हो ही गया था। फिर मुख्य मन्त्री जी ने उस दरख्वास्त को अपनी टिप्पणी के साथ माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री श्री धर्मदत्त जी वैद्य को भेजा। उस पर उचित कार्यवाही हुई। उसके फलस्वरूप १८ जुलाई, १९७१ को नीलाम हुआ। कहीं और कुछ लोगों को नहीं समझ लेना चाहिए, जो विस्तारण में दिल-चस्पी चस्पी रखने वाले लोग थे वह खामोश नहीं बठे थे।

सरकार का एक तरफ आदेश एडमिनिस्ट्रेटर को पहुंच जाता है कि नीलाम के जरिए अगला ठेका दिया जायगा। उसके बावजूद वह बराबर पैरवी करते हैं और बताया यह जाता है कि जो पैरोकार हैं गर्ग साहब सूरज भान वह १६ जुलाई, ७१ को भी लखनऊ में मौजूद थे। जिन माननीय विधायक साहब ने शिकायत की उन्होंने निश्चित रूप से गर्ग साहब को यहां देखा। जैसा कि लोगों के भाषणों से ज्ञात हुआ होगा। १० प्लाट उसके थे और १० में से ४ नीलाम कर दिये जाते हैं और उनकी बोली आती है ४ लाख ३४ हजार रुपये। नीलाम चल रहा है और बीच में १८ जुलाई, ७१ को जैसा माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने स्वीकार किया है एक तार पहुंच जाता है इसको रोक दिया जाय और वह रोक दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने उस वक्त नीलाम रोक दिया बड़ी खूबसूरती के साथ यह कह कर कि आज बारिश हो रही है। नीलाम इतना हो गया है और अगला

नीलाम फिर कर देंगे। उस दिन उसने टाल दिया और सरकार को यह सूचना भेज दी कि इतने में यह नीलाम हो गया है, इस नीलाम को रोकने ठीक नहीं है। शायद उसी पर कार्यवाही हुई कि बाकी के प्लाट को भी नीलाम कर दिया जाय और २५ जुलाई, ७१ को उनका नीलाम होता है ८ लाख ८८ हजार रुपये में ५ साल के लिए।

इस तरह से माननीय शर्मा जी के खिलाफ जो परिस्थितियां जाती हैं उन पर वह गौर नहीं करते हैं, बल्कि वह इन भाषण का विषय समझते हैं। ऐसे विषय भाषण के विषय नहीं होते। बल्कि जो अभियोग होता है उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर होती है उससे उनको भागना नहीं चाहिये। अब यह जो परिस्थिति है उसके बारे में जब जवाब यहां पर नहीं आता है और माधव बाबू फिर जो आरोप लगाते हैं उस में वजन बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिये कि आप की सफाई अपनी जगह जौजूद है और अगर मुख्य मन्त्री का हस्त-क्षेप न हुआ होता तो नीलाम खत्म हो गया था। आपने इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई उन लोगों ने जिनके हाथ में यह फार्म था। श्रीकृष्ण जी के हाथ में यह फार्म था। सूरजभान गर्ग से उनका साले बहनोई का रिश्ता है। उनके बारे में चर्चा करते हुए वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह बताया कि पहले गर्ग साहब पर कुछ पैसा बाकी रह गया था, वह डिफाल्टर हो गये थे इसलिए श्रीकृष्ण के नाम पर दुबारा इस फार्म को लिया जा रहा था।

इसमें कोई शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा आपने इसमें दिलचस्पी दिखाई कोई यह कहे कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह की दिलचस्पी बराबर लेते रहते हैं तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह की दिलचस्पी कोई ऐसा आदमी लेता है जो खाली संस्तुति कर सकता है उसके लिए जायज या नाजायज का सवाल नहीं होगा, यह उसके लिए क्षम्य हो सकता है लेकिन अगर कोई राज दन्ड सम्भाल कर बैठे और इस तरह की संस्तुति करे तो वह क्षम्य नहीं है। आप शायद अपनी मर्यादा को नहीं जानते। जो मन्त्री होता है उसकी एक मर्यादा होती है, लक्ष्मण रेखा उसके चारों ओर खिंची होती है और उसे वह तोड़ नहीं सकता लेकिन देखने में आता है कि लोग बगैर हिचक के उसे तोड़ देते हैं। अतिक्रमण करके यह समझते हैं कि कोई अंकुश या कायदा कानून उनके लिए नहीं हैं। इस तरह का आचरण वह करते हैं जो लोक अपवाद को निमन्त्रण देता है। इस सदन में आप पहली दफा चुन कर आये।

मान्यवर, मेरा खयाल है कि यह बिलकुल इत्तिफाक की बात है कि जो आप इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हो गये और यह आपके लिये और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि आप मन्त्रि परिषद् में मुख्य मन्त्री की कृपा से स्थान पा गये। मान्यवर, कभी-कभी लोग चर्चा उठा देते हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप किये जाते हैं। किन्तु इसी महीने में दो दफे निजी आचरण को लेकर नहीं बल्कि सार्वजनिक आचरण को लेकर यहां पर प्रश्न हमारे सामने आये। मान्यवर, हमारे नियमों में सार्वजनिक आचरण और व्यक्तिगत आचरण में विभेद किया गया है। सार्वजनिक आचरण की यहां पर चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार दो दफे आचरण सम्बन्धी प्रश्न यहां पर आये।

मान्यवर, उस समय भी मैंने कहा था कि माननीय मन्त्री जी उस परिस्थिति को देखते हुए खुद चाहें तो हट जायं या माननीय मुख्य मन्त्री उन्हें हटा दें और उस विषय पर जांच पड़ताल की जाय। इस विषय में तो जांच की आवश्यकता ही नहीं सारे तथ्य तो यहां पर मौजूद हैं। मान लीजिये कि लाखों रुपये के किसी तरीके से लांछन यदि आप पर लगाये जाते हैं और मैं तो कहता हूं कि यदि ये सारी चीजें निराधार हैं, ईश्वर न करे कि यह सच हो जाय, किन्तु कम से कम यह तो साबित हो ही गया है कि आप इस

[श्री अनन्त राम जायसवाल]—

ओहदे के लायक नहीं हैं क्योंकि आप इसकी मर्यादा को नहीं जानते हैं। ऐसे अतिक्रमण में आपको जरा भी हिचक नहीं होती है। प्रदेश की ९ करोड़ जनता में कुछ इने गिने लोग ही होते ह जो यहां तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी मन्त्रि परिषद् में पहुंचना आसान नहीं है। वे समझते हैं कि वे सबको देख रहे हैं बल्कि यह नहीं देख पाते कि वे अकेले ही होते हैं और सारी आंखें उन पर लगी होती तो आपने आचरण से स्वयं ही साबित किया है कि आप उसके लायक नहीं हैं। किसी न किसी तरह की प्रतारणा आपको मिलनी चाहिए। यदि पश्चाताप उनको है तो वे खुद वहां से हट जायं नहीं प्रतारणों के रूप में मुख्य मन्त्री जी उनको हटा दें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को सुनने के बाद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो पत्रों के द्वारा जो संस्तुति हमारे माननीय राज्यमन्त्री जी ने की है उसका एक रूप भ्रष्टाचार से दिया जा रहा है। संस्तुति औचित्यपूर्ण न कही जाय यह दूसरी बात है। यदि यह कहा जाय कि जो विशेष जानकारी आपने पत्रों में लिखी थी वह नहीं लिखनी चाहिए उस विभाग के मन्त्री को, किन्तु इस विषय को उनकी नीयत से सम्बद्ध कर देना कि इसमें उनका इरादा भ्रष्टाचार का था, यह कह देना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है।

मान्यवर, इस प्रश्न के इतिहास को आप देखें। सन् १९६१ से लेकर १९७१ तक कभी उस नीलाम की बोली पर किसी को एतराज नहीं हुआ। १९६१ से १९६३ तक वह जमीन ४०–४५ हजार रुपये में गई। १९६३ से १९६४ तक ५० हजार रुपये में गयी और १९७१ में एक लाख उनसठ हजार रुपये में गई। तो मान्यवर, यह जमीन १९६६ से १९७१ तक अगर नीलाम की बोली १ लाख ५९ हजार तक दी जाय और उसके लिए संस्तुति की जाय तो क्या यह कहा जायगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मान्यवर, १९६६ से लेकर १९७१ तक वहां पर डवलपमेंट वर्क भी किया गया बाढ़ के आने की वजह से फसल में नुकसान भी हुआ और नालों का पानी वहां आने की वजह से १९६१ से १९६६ तक जो पैसा उस से आया उसमें घाटा ही हुआ। और इस घाटे की पूर्ति तभी सम्भव हो सकती थी जब कि १९७१ से १९७६ तक यह उनको दे दिया जाता।

कोई ऐसी चीज नहीं थी जो गलत थी और यह मुनासिब था कि अगर एक पार्टी ने उसमें डेवलपमेंट किया है और जिसको बहुत बड़ी क्षति हुई है तो उसको अधिकार है ५ वर्ष के नीलाम के लिए प्रार्थना पत्र दे और परिस्थितियों को देख कर यह सही है कि सरकार उसको स्वीकार करे या न करे। अब श्रीमन, यह देखें कि नीलाम के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होता है। उसकी नियुक्ति को कुछ और दिनों तक कायम रखने के बारे में त्रिपाठी जी कहते हैं कि उधर से रिट कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेटर रुका रहे। जब आप यह जानते हैं कि मन्त्री जी की संस्तुति के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर नीलाम करता है और उसी ऐडमिनिस्ट्रेटर को कायम रखने के लिए हम हाईकोर्ट से स्टे लेते हैं तो यह तर्क संगत नहीं जान पड़ता।

मैं साफ कहना चाहूंगा कि इसमें दूसरी पार्टी, जो सन् ७१ में आई है और जिसने ८, ८८०० में नीलाम की बोली बोली है उसका मतलब यह नहीं था कि १,६९,००० की जो संस्तुति की गई थी वह किसी और मतलब से की गई थी। यह तो परिस्थितियों की बात है और जहां पर पार्टी बाजी है और लोगों को मालूम हुआ कि हमको एक डेवलप्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फार्म मिल रहा है और इस साल परिस्थितियां भिन्न हैं तो ८ लाख के बजाय १० लाख भी लोग दे सकते हैं। जहां पर गवर्नमेंट की फेरीज हैं, घाट हैं, वही घाट जो २२ हजार में नीलाम हुए हैं, ३ साल के बाद देखें कि गवर्नमेंट के उन्हीं लोगों ने उनको ६० हजार में नीलाम किया। और एक साल ६० हजार में हुए तो दूसरे साल २२ हजार में नीलाम हुए। तो क्या इसका मतलब यह है कि शासन के वे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उन्होंने कोई रुपये का घोटाला किया? ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ज्यादा पैसा आ सकता है वरना कम आता है। ऐसा भी सम्भव है कि १,६६९ हजार के बजाय सन् ७६ में ५० हजार भी न आवें। यह तो परिस्थितियों की बात है।

जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि बनारस में ४ इंच से अधिक पानी कभी नहीं बरसा और अगस्त में, २० सालों में ६४ इंच पानी बरस गया। तो जो नेचुरल कैलमिटी है यह परिस्थितियां हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं? कैसे कोई भविष्यवाणी करेगा या प्रिजम्पशन ड्रा करेगा, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यह कहा गया है कि अनौचित्य की भ्रष्टाचार से कोई तुलना न करें। हम काम अविवेकपूर्ण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्य मन्त्री के रूप में नहीं देनी चाहिए थी संस्तुति, लेकिन इसके माने किसी सूरत से यह नहीं निकाले जा सकते हैं कि हमने पैसा लेकर किया या किसी अल्टीरियर मोटिव से किया या रिश्तदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। यह कहना कि सूरजभान को जिनको बकायेदार को ५ हजार रुपया देना था उनके हक में कार्यवाही की गई। लेकिन वहां तो नीलाम किया गया और सारी चीजें की गयीं।

एक दूसरी बात जिस पर एम्फेसिस दिया गया है वह यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे यह कहा गया कि दूसरे बोर्ड के आने तक आप इसकी प्रतीक्षा करें। यह कोई बड़ी अनुचित सी चीज नहीं थी, इसलिये कि जो दूसरा बोर्ड बनता वह सही काम कर सकता था। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो अभी नियुक्त हुए थे जिनको लोकल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। इसलिये कहा गया था कि जो दूसरा बोर्ड जिस में जैसाकि मंत्री जी ने कहा, प्रमुख जो बहुमत था वह जनसंघ का था। तो बोर्ड से यह उम्मीद करना कि कोई हमारे मुआफिक फैसला करेगा, वह गैरमुनासिब चीज थी। इतना मुनासिब जरूर था कि जो लोकल बाडी है गाजियाबाद की उसमें जनहित के प्रतिनिधि हैं और वह फार्म की परिस्थितियों से जानकारी रखते हैं और उनको पूरी जानकारी डेवलपमेन्ट की और नाले के पानी की जो लगातार चोरी हो रही है उसकी होगी जिसकी वजह से उस पार्टी को नुकसान पहुंचा है। बोर्ड इन सब चीजों से अवगत होगा वही इस बात के लिये कोशिश कर सकता है कि उनके साथ कुछ न्याय किया जाय। लेकिन अगर यह बोर्ड नहीं कायम हुआ और एडमिनिस्ट्रेटर ने ८,८८,००० रुपये में नीलाम कर दिया, उससे मतलब कोई दूसरा लगाया जाय तो यह मुनासिब नहीं है। यह स्वाभाविक चीज थी। जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जो लोग जन प्रतिनिधि हैं और जिनको वहां की जानकारी है, उसकी बिना पर वह निर्णय कर सकते थे।

तीसरी चीज यह है कि १९६१ से लेकर १९७१ तक जो आक्शन बढ़ाया गया उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ और अब ऐतराज हुआ। जिस आदमी ने १९७१ तक उसको लिया उसका लाइसेंस आगे के लिए रिन्यू हो सकता था या नहीं। अगर उन्होंने मौका दिया तो क्या हर्ज है। इसी तरह से फैरीज के मामले में मैं देखता हूं कि कोई फैरिज १९६६ में २ लाख में नीलाम हुई और १९६९ में ८५ हजार में हुई इस लिए इन परिस्थितियों को भ्रष्टाचार से सम्बद्ध न किया जाय।

[श्री राज मंगल पांडेय]—

मान्यवर, बस के परिमट के बारे में कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक भी ठोस प्रमाण दे और आपसे भी पूछा था कि क्या कोई ठोस प्रमाण आपके पास आया है जिससे साबित हो जाय कि हमने एग्रीमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही की। क्या दो आदमियों के बीच में किसी प्राइवेट एग्रीमेन्ट के बारे में कोई सवाल किया जा सकता है कि उन्होंने उसका पालन नहीं किया। अगर श्रीमन्, ऐसे मामलों को सुनना शुरु कर देंगे तो हमारे बहुत से मेम्बर्स ऐसे होंगे जो कर्जदार किसी ने १०, १२, १५ हजार कर्जा लिया होगा और उसके सूद की कुछ दर भी होगी। किसी ने ६, १०, १२ प्रतिशत पर रुपया कर्ज लिया होगा तो यह प्रश्न आ सकता है कि जिसने कर्जा दिया है उसके कर्ज का निबटारा कर दिया जाय तो श्रीमन्, जो उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं इस माननीय सदन के संचालन का तो श्रीमन् इस सदन को सिविल कोर्ट के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा कि ऐसे सारे विवादों को हाउस में तय करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अदालत निर्णय करती है। लेकिन चर्चा करने का कोई प्रश्न दिमाग में आन्दोलन और उलझन पैदा करे तो उसकी सफाई हो जाय या नहीं। यह अदालत नहीं है जैसा कि आपने कहा। लेकिन प्रश्न यह है कि हर चीज अदालत में जाय और उसके निर्णय के बाद जरूरी हो ऐसा नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, दूसरा रूप देखिए इसका कि हर मसले श्रीमन्, के सामने आने लगें....

श्री उपाध्यक्ष—

हर किस्म के मसले कैसे आयेंगे? इसीलिये मैंने उनको संतुष्ट किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं भी आपके आदेश से कहना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार के सवाल लायेंगे तो उनको प्रविष्ट करूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, परमिट की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हो सकता है कि मंत्री जी ने बिना जाने ही लिख दिया हो या एरर आफ जजमेन्ट हो गया हो तो उनको सफाई का मौका मिल सकता है। इसी लिये मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा। यह कोई निर्णय नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। यह केवल चर्चा है। क्या इससे भी वंचित करेंगे?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने इसीलिये कहा कि (व्यवधान)....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी चर्चा यदि सदन में नहीं होगी तो फिर सदन किस लिये है। यह न कव्वाली के लिये है और न मुशायरे के लिये हैं, है तो इसी चर्चा के लिये। मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि जुर्म को साबित करने की सीधी सादी विधि माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली वक्तव्य में बता दी है। यह आपका काम है, साबित कीजिये।

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, उनके कहने से मालूम होता है कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य से प्रभावित होकर वे साबित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसीलिये दे दिया कि आप उस पार्टी के हैं।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने केवल औचित्य के बारे में कहा था। अगर कोई प्राइमाफेसी प्रूफ आप के सामने आ जाता और तब आप उसको स्वीकार कर लेते तो मुझे कुछ कहना न पड़ता क्योंकि आप कहते कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी के पास ऐसा प्रमाण है जिससे ऐसा जाहिर होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

कई मरतबा उसके बारे में पूछा गया। ५---५ दिन तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। आखिर में जब उन्होंने एक चीज रखी तो उन के लिए मैंने न्याय की स्थिति पैदा करने के लिए इसको दिया। यही मैंने मंत्री जी से भी कहा।

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन, अगर किसी प्रश्न को ८---१० दिन आपके पास हो जाते हैं और उनमें किसी मंत्री के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उसके माने यह तो नहीं हो जाते कि वह इस बात का प्रमाण हो गया।

उपाध्यक्ष---

मैंने इस को मुख्य मंत्री जी को भेजा, मंत्री जी को भेजा। अगर निश्चित समय में उन का जवाब आ जाता कि यह आरोप बिलकुल गलत है। सरकार की तरफ से ऐसा जवाब तो आ ही जाना चाहिये था कि ये सब बातें आधारहीन हैं, मैंने उन को बुलाया, उनकी बात सुनी। फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा था। तब उस की सफाई के लिए मैंने यह मौका दिया।

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, अगर बात सच थी तो सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि इन्कम टैक्स आथारिटी को एप्रोच किया जाता और कहा जाता कि इन्होंने इन्कम टैक्स छिपाया है, जो रिटर्न भरे हैं वे फाल्स भरे हैं। ये इसके लिए प्रापर अथारिटी इन्कम टैक्स अथारिटी थी। उनसे कहा जाता है ५००, ७००, १२००, १८०० रुपये के बजाय १०० रुपया आमदनी दिखायी गयी है। इतना लाभ कमाया और इन्कम टैक्स रिटर्न फर्जी भरे गये हैं। यही तो देखने की बात है कि इन्कम टैक्स अथारिटी के यहां में जाकर यहां इस हाऊस में इस को लाने से ही उनकी नीयत मालूम पड़ती है। इस हाउस में इस मामले को रख कर वे केवल मन्त्री जी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत ठीक होती तो सदन में न आकर इन्कम टैक्स आफिस में जाते। यहां केवल इस लिए आये कि बाहर वाले लोग जो गैलेरीज में बैठे हुये हैं उन तमाम लोगों पर यह असर पड़े कि इस सरकार में ऐसे भी लोग हैं। यह जानते हुये भी कि मंत्री जी बिल्कुल निर्दोष हैं, यह केवल पोलिटिक्ल मोटिव से ही किया गया है। इस में कोई तथ्य नहीं है बिल्कुल पोलिटिकल प्रोपैगेन्डा है।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री सुरेन्द्र विक्रम का नाम पुकारने और श्री लक्ष्मण स्वरूप के खड़े होने पर)

मैं एक दल के सदस्य को मौका दे रहा हूं। अभी संगठन कांग्रेस का कोई नहीं बोला है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी बोले, त्रिपाठी जी बोले इसी प्रकार और लोग बोले। आप को यह तो सोचना चाहिये कि जो निर्णय करता है वह भी तो दिमाग रखता है, वह भी तो कुछ सोच विचार कर ही काम करता है।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा। इसके बाद लक्ष्मण स्वरुप जी को मौका दे दिया जाय। वास्तव में यह बहुत गन्दी बात है। एक बार और माननीय उमादत्त शर्मा जी पर इसी प्रकार का एक दो घंटे का विवाद हो चुका है। लेकिन यह मैं आशा करता था कि शर्मा जी के बारे में जब आज यह एजेन्डा पर आ गया था तो आज का विवाद शुरू होने से पहले ही यह ऐलान कर दिया जाता कि इस सब की जांच के लिए एक जज को बैठा दिया गया है। भले माननीय उमादत्त जी इस को अच्छा समझ रहे हों, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इसको अच्छा नहीं समझता।

अच्छा तो यही होता कि आज का वाद-विवाद शुरू होने से पहले ही माननीय उमादत्त जी अथवा माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का ऐलान कर देते कि एक हाई कोर्ट के जज को इस में इन्क्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मैं समझता हूं वीरेन्द्र वर्मा जी, माधव प्रसाद जी त्रिपाठी, अनन्तराम जायसवाल जी आदि सभी सदस्यों को इससे संतोष हो जाता और वे जोर न देते कि इस पर वाद-विवाद होना ही चाहिये। तब तक माननीय शर्मा जी मंत्री भले ही बने रहते लेकिन उनके पास सरकारी पत्रावली आदि न भेजी जाती। लेकिन यह नहीं हुआ।

चूंकि तथ्यों के बारे में तो माननीय वर्मा जी ने, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने, अनन्तराम जायसवाल जी ने कहा ही है और हमारे साथी लक्ष्मणस्वरूप जी भी कहेंगे ही इस लिए मैं तथ्यों के बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मन्त्री का पद बड़े महत्व का होता है। मन्त्री का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि प्रदेश की जनता पर उसका इम्पैक्ट पड़े। सब से अच्छा तो यह होता कि पहले जब मेरठ की रोडवेज की जमीन के सिलसिले में उन के विरुद्ध यहां आरोप लगाये गये थे तो वे स्वतः त्याग-पत्र दे देते। जनतन्त्र की कुछ स्वस्थ परम्परायें हैं और अब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तेजित न हों। वह तो जिस तरह से कोई घिरा हुआ जानवर घबड़ा जाता है उस तरह से घबड़ा जाते हैं। वह मन्त्रिपद से त्याग-पत्र दे दें और अभी ऐलान करें अगर वह सच्चे हैं और मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करें कि एक जज से जांच करा दी जाय ताकि सब शंकायें समाप्त हो जायं। मैं इतना ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं और फिर उन से रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सभी आज एक बहुत गम्भीर वाद विवाद में उलझे हुये हैं। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि मन्त्रिमण्डल में जो भी सदस्य हों, और केवल मन्त्रिमण्डल में ही नहीं बल्कि इस सदन के जो भी माननीय सदस्य हों, यदि उन के आचरण के सम्बन्ध में यहां कोई चर्चा चले तो वह एक गम्भीर मसला है। यदि मैं शैक्सपियर के सब्दों में कहूं तो "They have got to be caesar's wife and caesar's wife has got to be beyond suspicion."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अनुवाद इसका यही तो हुआ कि मन्त्री को औरत की तरह पवित्र रहना चाहिये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जरूर रहना चाहिये । आज केवल एक ही प्रश्न है इस सदन के सामने और मेरे दो मित्रों ने, माननीय माधव प्रसाद ने और माननीय जायसवाल साहब ने सौभाग्यवश कुछ मेरा भी जिक्र किया कि वकील लोग उस चीज से परिचित हैं जिसे सर्कम्स्टेंशल एविडेंस कहते हैं । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन कह दिया था कि कम से कम यह तो बताइये कि रुपये के लेन-देन वाली बात तो इसमें आयी नहीं । कुछ थोड़े से सर्कमस्टेंसेज जरूर ऐसे हैं जिसके मुताल्लिक कुछ मित्रों को सन्देह हुआ । लेकिन यदि सन्देह से ही सारे काम चलें, तो जाने कितने प्रकार के सन्देह पैदा होंगे । और श्रीमन्, यदि आप क्षमा कर दें तो मुझे आपसे भी थोड़ा सा निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मुझसे निवेदन करना है तो मुदगल का केस देख लीजिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अनुगृहीत हूं आपने इस सारे विवाद को मोटे तौर पर केवल एक ही चीज इसमें रखी और वह यह कि जो भूमि सन् ६६ में, जहां तक मुझे याद है, १ लाख ६९ हजार रुपये में पट्टे पर उठी थी वह भूमि अब ८ लाख से अधिक के पट्टे पर उठ गयी और माननीय मन्त्री जी ने उसके सम्बन्ध में यह किया कि १ लाख ६९ हजार रुपये का पट्टा रिवेन्यु हो जाय । मैं समझता हूं कि इतनी सी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे मन में कुछ नहीं है । एक बहस में किसी चीज को स्वीकार करना है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कुछ बातों का जिक्र हमारे मित्र माधव प्रसाद जी ने किया और वीरेन्द्र वर्मा जी ने भी किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि केवल इतना ही प्रश्न है तो इसके बाद एक बात और भी जिससे एरर आफ जजमेंट की बात से को बल मिलता है उन्होंने कह दी । इसकी तरफ आपका ध्यान है और कदाचित् सदन का ध्यान भी केन्द्रित है । क्या इस सदन को यह मालूम नहीं है कि १९६६ से १९७१ तक भूमि की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है या भूमि के मूल्य में नहीं बल्कि रुपये के मूल्य में आज कितनी कमी आ गयी है और उस रुपये का मूल्य कितना रह गया है । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो चीज २ लाख रुपय की नीलाम हुई थी अगर आज वह ८ लाख रुपये की नीलाम होती है तो केवल अपने आप ही वह इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर सारा सन्देह केन्द्रित किया जा सके । इसके बाद भी जो प्रश्न पैदा हुआ है वह यह पैदा हुआ कि यह जो भूमि पट्टे पर उठायी गयी, वह जो पट्टा उठाया गया उसमें इतनी चीजें बीच में आ गयीं । मुझे दुःख है कि आज वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो प्रश्न दिया है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जो उन्होंने जानकारी इस सदन को दी वह सारी की सारी जानकारी तथ्य के विपरीत है । उन्होंने यह कहा कि गर्ग साहब ने उस नीलाम को लिया . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि अभी बोलने वाले बहुत है इस लिए सदन का आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ।

अनेक सदस्य—

ठीक है, ठीक है, बल्कि अधिक समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

समय की कोई सीमा तो रहेगी ही ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर २ १/२ घंटा तक समय रहता है ।

श्री कमलापति त्रिपाटी—

अमूमन यह २ घंटा तक चलता है और अब २ घंटे इस को हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह २ १/२ घंटा तक हो सकता है । अब १० मिनट का समय शेष है । फिर वर्मा जी बोलेंगे और फिर इसका जवाब होगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह जिक्र कर रहा था कि एक ओर भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई और दूसरी ओर यह सम्पूर्ण सदन एक इस प्रश्न पर विचार कर ले कि माननीय राज्य मंत्री को यह शासन सूत्र सम्भाले हुये अभी जुम्मा-जुम्मा बहुत दिन नहीं हुए हैं । यही नहीं, बल्कि यदि यह सदन कृपा पूर्वक इस बात पर भी बिचार कर ले कि माननीय राज्य मंत्री जिन्होंने यह सारा कार्य किया और आदेश दिया वह अभी बहुत दिनों से शासन का कार्य नहीं कर रहे थे ।

अब एक तीसरी चीज पर विचार करें और मैं सदन से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आदेश में यह भी जिक्र किया कि यदि इसके सम्बन्ध में कोई एतराज हो तो मुझे सूचित किया जाय । माननीय जायसवाल जी ने इसका जिक्र किया । उन्होंने यह कहा कि जो कुछ कार्य किया उसकी सूचना उनको दी जाय । उन्होंने अपने आदेश में यह लिखा कि एतराज हो तो उससे मुझे सूचित किया जाय । मेरे मित्र माधव प्रसाद जी ने भी एक बात का जिक्र किया । उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सेक्रेटरी साहब ने अपने कर्त्तव्य का पालन नही किया मुझे केवल एक नम्र निवेदन करना है कि मैं समझता हूं कि यदि सेक्रेटरी साहब उनसे जाकर यह कह दें . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा मतलब था कि जो भी इससे सम्बन्धित थे, किसी खास व्यक्ति से मेरा मतलब नहीं था, या तो उनको खुश किया गया या कुछ और हुआ ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

कोई भी व्यक्ति जो शासन सूत्र सम्हालता है जिसको ब्यूरोक्रेसी या सेकेटेरिएट कहते हैं या वह व्यक्ति जिसको टेक्निकल चीजों का ज्ञान है, हमसे सबसे कुछ अधिक ज्ञान है उसमें से किसी ने कोई सूचना दी या नहीं दी कि मंत्री जी इस पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो सकता बल्कि इसके सम्बन्ध में यह होगा कि यह दोबारा नीलाम किया जायगा । (व्यवधान):—

मैं यह सिद्ध कर रहा था कि श्री माधव प्रसाद जी या श्री जायसवाल जी या श्री वीरेन्द्र वर्मा जी कृपा कर के इन चीजों पर विचार कर लें कि क्या यह सही है कि यदि उनके ध्यान में यह बात आती कि इस तरह से नवीनीकरण नहीं हो सकता बल्कि उसका दोबारा नीलाम होना चाहिये तो मुझे निश्चित विश्वास है कि शायद वह इस आज्ञा को प्रसारित न करते और वापस कर लेते । केवल प्रश्न यह है कि इन तथ्यों से जो कि आज सदन के सामने आये, तथ्य नम्बर एक यह कि उन्होंने उस प्रार्थना-पत्र पर यह आदेश दे दिया कि पट्टे का नवीनीकरण कर दिया जाय और दूसरे यह कि जब नीलाम हुआ उसके बाद भी यह चाहा कि उसका नवीनी करण कर

दिया जाय। इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं थी। क्या आप इन दो चीजों से यह नतीजा निकालेंगे कि उनकी नीयत में कोई खराबी थी।

मैं बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा अपने उन मित्रों से जिन्होंने सरकम्सटेंशियल एवीडेंस का जिक्र किया है, वह यह न भूलें कि सरकम्सटेंशियल एविडेंस का नियम यह है कि वह ऐसी होनी चाहिये कि जिस से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि यह व्यक्ति दोषी है उसका कोई दूसरा भी रूप हो सकता हो तो वह भी नहीं होता। मुझे अपने मित्र श्री वीरेन्द्र वर्मा से यह कहना है कि कदाचित उनको स्वयं सारे तथ्यों और वाकयात का ज्ञान नहीं था और वह केवल एक ही ख्याल में रहे। उन्होंने कहा कि श्री सूरजभान गर्ग के लिए यह किया, व जो पट्टे के नवीनीकरण का प्रश्न है वह असिल में उनका है ही नहीं बल्कि वह श्री कृष्ण गुप्ता और श्याम बिहारी लाल का है। यदि उन की सारी शिकायत इसी बात पर आधारित है कि वह श्री गर्ग का मामला था तो वह गलत है वह श्री गुप्ता की बात है जोकि उनके साले हैं, इस से इनकार नहीं किया जा सकता।

दूसरे उनके मन में यह भी था कि यह सूरजभान वह व्यक्ति है जिसने कि ५,००० रुपया नहीं दिया और उस पर उनकी कुर्की हुई। मेरे पास तो तथ्य केवल यह है कि आज से ११ वर्ष पहले नहीं बल्कि सन् ६३ में कुछ प्लाट्स, जैसा कि श्री माधव प्रसाद जी बता रहे थे, शायद दस प्लाट्स १, २, ३, ४, ५, ७, ८ का नीलाम हुआ अगर वह पट्टे पर दिये गये और वह श्री हरबंश सिंह, शिव स्वरूप और सूरजभान के नाम थे और यह नीलाम ८८,४३० रुपये में हुआ था। जो माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने प्रश्न के रूप में पूछा था उस में यह था कि १० वर्ष पूर्व सलेज फार्म की ३०० बीघा भूमि ५ वर्ष के लिए म्युनिसिपिल बोर्ड ने श्री सूरजभान को ४५ हजार रुपये में पट्टे पर दी और उसने पट्टे का केवल ५ हजार रुपया जमा किया। यह सारा शक और सारी दुविधा इस बात पर बेस्ड है कि ४५ हजार रुपये में केवल ५ हजार रुपया जमा हुआ। किस प्रकार का निकृष्ट, किस प्रकार का भ्रष्टाचारी आदमी है, जिसने इतनी बड़ी रकम का ५ हजार रुपया दिया।

श्रीमन्, तथ्य इसके विपरीत हैं और यह वह है कि ८८ हजार की रकम में से, जिसमें ३ हिस्सेदार हैं श्री हर बंश सिंह, श्री शिव स्वरूप और थे, केवल ५ हजार रुपया बकाया रहा। इस सारे पट्टे में ८३ हजार रुपये वसूल हो गये और केवल ५ हजार रुपया बाकी रहा। उसका बाकायदा सूट फाइल हुआ और उसमें १००० रुपया की किश्तें तय हुई और वे बराबर दी जा रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मित्र वीरेन्द्र वर्मा इस गलत फहमी में रहे कि सूरज भान एक ऐसे बुरे, ऐसे भ्रष्ट आदमी हैं कि उसने केवल ५ हजार रुपये जमा किये। और उस भ्रष्ट आदमी का साथ रहा हमारे मन्त्री जी का और उसने आखिर में मन्त्री जी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आप पट्टे को रिनिव कर दीजिए। तो श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि कृपा करके इन तथ्यों में एक चीज को आप न भूलें। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें जनसंघ और कांग्रेस का संघर्ष है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आखिर में आज यह समझ पाया कि यह किस कारण हुआ था। पहले से मुझे कुछ पता नहीं था अब सब राज खुला है, उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि इस बोर्ड में नहीं रखूंगा और उसमें रखूंगा, इस बात का इनके मन में यह प्रभाव रहा होगा। सरकम्सटान्सेज की कसौटी पर आप केवल एक ही निर्णय लेंगे। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन, ये अब मन्त्रि मण्डल में नहीं रहे, अब ये बाहर हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ये एक वकील हैं और उसी तरह से पैरवी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन, बिना मेहनताने के ही एक कमजोर केस की पैरवी में लगे हुए हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यह कमजोर केस नहीं मजबूत केस है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय वर्मा जी गलतफहमी में हैं कि ४३ हजार रुपये में से केवल ५ हजार रुपया दिया है और बाकी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, स्पष्ट हो गई है इनकी योग्यता। मेरे केस की ये मुझ से बेहतर वकालत कर सकते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं अनुग्रहीत हूं अपने मित्र का कि उन्होंने एक कृपा की कि उन्होंने दूसरी ओर से स्वीकार कर लिया कि उनके पास कोई केस नहीं है। मान्यवर, मैं यह जिक्र कर रहा था (व्यवधान) कि जो कसौटी आपने रखी उस कसौटी पर कृपा करके उसको उतार लीजिये। एरर आफ जजमेंट का केस हो सकता है। अनुभवहीनता का केस हो सकता है। वह केस हो सकता है जिसमें उन्होंने बिना गम्भीरता के विचार के या मुख्य मन्त्री जी ने किया और उस प्रकार के परिपक्व विचार के बिना किया हो। क्या उसका मतलब यह है कि यह भी कहा है जिस में उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है। मान्यवर, मेरे मित्र कहना क्या चाहते हैं? न माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने और न जायसवाल जी ने कहा कि यह भ्रष्ट आचरण का केस है। आखिर क्या केस है? क्या केवल केस इतना ही है कि वे यहां के मन्त्रि मण्डल के व्यक्ति हैं। ऐसा कर दिया है जो कि उसकी समझ में गलती नहीं है जिसको कि उधर बैठने वाले भी गलती नहीं समझेंगे। और यदि इस बात पर विचार करेंगे कि न जाने कितनी प्रकार की सिफारिशें और इधर और उधर बैठने वाले नित्यप्रति सुबह से शाम तक हम लोगों के पास सिफारिशें लाते हैं, सिफारिशों का तांता लगता है . . .

एक सदस्य—

आपके पास कहां से आयेगा सिफारिशों का तांता?

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

मेरी गाड़ी छूट जायगी, मुझे जाना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप न जाइये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कौटिल्य कह गये हैं कि राजा को अक्लमन्द ही होना चाहिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री उपाध्यक्ष—

हर चीज के बारे में क्या करेंगे राय जानकर।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अक्लमन्द होना चाहिए। लेकिन अक्लमन्द उसी दिन नहीं हो जाता जिस दिन गद्दी पर आकर बैठता है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने बुद्धहीनता की बात की है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री जी ने या मुख्य मन्त्री जी ने किया, एक बात और उन्होंने अपने आदेश में लिखी, कोई गलती हो, कोई कमजोरी हो, तो उसे भेजकर इससे उनकी बोनाफाइडीज या उनकी नीयत का पूरे तौर पर ज्ञान हो जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता था अपने माननीय मित्रों से और वह अन्तिम निवेदन है। मैं ऐसा खयाल करता हूं कि उनके पास भी इस बात के लिए कोई भ्रष्ट आचरण का केस है। यह कहने के लिए भी कोई केस नहीं है कि ऐसा एरर आफ जजमेंट है जिसमें निष्पक्ष रूप से कार्य न किया हो। लेकिन वह कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें आदमी की नीयत साफ हो। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा, वीरेन्द्र वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस पर विचार कर लें कि क्या हमने कुछ तथ्यों के आधार पर उन प्रश्नों को उठा दिया है जिसका हमें स्वयं ज्ञान न हो। क्या उनका यह रूप नहीं हो सकता कि जिस रूप में किसी व्यक्ति की अच्छी नीयत को स्वीकार करें। क्या इसके द्वारा इस सदन को कुछ लाभ होगा। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का केस राज्य मन्त्री के ऊपर इस सदन में किसी प्रकार से चाहें तथ्यों के आधार पर हो या और किसी आधार पर हो, क्योंकि सस्पीशियन इज नाट सब्सीट्यूट फार प्रूफ—कभी भी किसी प्रकार का सन्देह इस प्रकार का साक्ष्य नहीं होता कि वह सन्देह बिल्कुल अन्तिम सन्देह हो।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि कृपा कर शायद वे उचित समझें, इस आरोप को वापिस लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक ही तथ्य है कि एक, डेढ़ लाख की चीज है वह आठ लाख में दी है...

*श्री लक्ष्मण स्वरूप—

उपाध्यक्ष महोदय, शक्ति इन्सान को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति इन्सान को पूर्ण भ्रष्ट कर देती है...

श्री उपाध्यक्ष—

८ बजकर १० मिनट पर खत्म करना है, इसका खयाल रखें।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

घटनाएं जो कि मुझको ज्ञात हुई हैं जिनके लिए मैं उधर के बैठने वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य को बहुत आसान कर दिया है उन पर कहने के पहले सार्वजनिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

जीवन के बारे में जो बार-बार कहा जाता है उसके बारे में एक-दो बात कहना चाहता हूं। सार्वजनिक जीवन की परिभाषा से शायद मन्त्री जी के विचार से वह व्यक्ति आता है जो पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट दे उसके विपरीत कन्डीडेट खड़ा कर दे, पार्टी के चन्दे को इधर-उधर गबन करके, एक जाति के व्यक्ति को दूसरी जाति के व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर दे। श्रीमन्, सन् ५२ की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरठ से, इस देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले एक महान् क्रांतिकारी नेता श्री विश्नू सरन दुबलिश को टिकट मिला था। उस समय इन माननीय मन्त्री जी ने जो भूमिका अदा की वह मेरठ की जनता से छिपी नहीं है। उस समय क्या हुआ? मवाने के डा० रघुनन्दन, जिनका बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, उनको खड़ा किया...

श्री उपाध्यक्ष—

केवल दो मिनट का समय है, इसमें चाहे नई बात कहें चाहे...

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

८० हजार उसके इलैक्शन में खर्च हुआ और वह हार गया। मवाने की सड़कों पर पागल हुआ रेल के इंजन की आवाज लगाता हुआ वह दम तोड़ गया। दूसरी बात, सन् ५९ में स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की भी नौ हजार की जेब काटी गई...

श्री राज मंगल पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राजमंगल पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्रीमन्, के सामने दो एलीगेशन्स रखे गए हैं और...

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

उस थैली में से ९ हजार रुपए गायब हो गए....

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं। मैं इजाजत नहीं देता। आप कृपा कर बैठें। अब समय नहीं है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय आचार्य जी ने जो मापदन्ड रखा कि सरकमस्टांसियल एवीडेन्स ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एक ही नतीजा निकले कि इस आदमी ने दोष दिया, मैं समझता हूं अगर वह मापदन्ड रखा जाय तो जो तथ्य आये हैं सदन के सामने उनसे केवल यही नतीजा निकलता है कि माननीय मन्त्री जी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। भ्रष्टाचार केवल रुपया-पैसा लेने से ही नहीं होता है। माननीय आचार्य जी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मन्त्री जी ने पैसा लिया, मैं पूछता हूं कि क्या रुपया लेना ही भ्रष्टाचार है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है कि अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग करके सार्वजनिक हितों के ऊपर ठोकर मारकर अपने रिश्तेदारों के हितों की रक्षा करें? जितने तथ्य यहां पर आये हैं और जो सर्कम्सटान्सेज यहां पर आये हैं उनसे एक ही नतीजा निकलता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि मन्त्री जी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। आचार्य जी ने कहा कि ५ वर्षों में जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। कौन नहीं जानता है, क्या मन्त्री जी नहीं जानते हैं इसको? जब इस लीज के निस्तारण की सिफारिश उन्होंने की थी तो क्या मन्त्री जी नहीं जानते थे कि गाजियाबाद के अन्दर जमीन की कीमत ५० गुनी बढ़ चुकी है? यह सब जानते हुए एक दिन कलम की स्याही से सिफारिश कर दी कि बिकी हुई जमीन के दाम पर लीज दे दी जाय। इस बात से उन्होंने अब तक इंकार नहीं किया है कि जिनकी सिफारिश की वे उनके साले लगते हैं, आपके सगे सम्बन्धी हैं।

मान्यवर, जो तथ्य सामने आये हैं उनसे एक बात स्पष्ट है कि ८ लाख रुपये की जमीन १ लाख रुपये के अन्दर गई। आपने जो नोट दिया उसकी भाषा को देखिये। क्या वह सन्देहास्पद नहीं है। बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से और पूरे-पूरे भ्रष्ट तरीके से प्रशासक को यह डायरेक्शन दी है कि इस लीज को एक्सेप्ट कर लिया जाय। मान्यवर, क्या ये ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिनसे कि यह स्पष्ट न हो जाता हो कि मन्त्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया?

अब मैं बस परमिट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मोटर व्हिकल ऐक्ट के अन्दर कुछ नियम बने हैं। उन नियमों का मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है। रूल्स के अन्दर डेफनिट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने परमिट को बिना आर० टी० ओ० की स्वीकृत के ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहस ८–१०पर खत्म होगी।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इधर के नेता लोगों ने बहुत सारी जानकारी और तथ्य यहां पर रखा, मगर राज मंगल पान्डे जी ने और आचार्य जी ने, जो चले गये हैं, जिस तरह से तथ्यों को रखा उसके लिए मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। उन्होंने इस केस की वकालत की। अब उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस असेम्बली ने सन् १९६२–६७ में २९ जजों को सजा कर दी थी। उस समय लोक सभा के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा था, राज मंगल पान्डे जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, माफ करेंगे और वे सदस्य भी माफ करें जो कि वकील हैं तथा चौधरी साहब से भी माफी मांगता हूं, कि अब तो ऐसा लगता है कि यहां पर जो वकील सदस्य हैं, उनसे दूसरी शपथ करानी पड़ेगी कि ये हाउस के प्रति जिम्मेदार हैं या कि जहां पर कि ५०० रु० जमा करते हैं वहां की वकालत करने के जिम्मेदार हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आर्गुमेंट नैतिक बल से सपोर्ट होती है, यह दूसरी बात है।

श्री बंशीधर पांडेय—

तो, मान्यवर, यह नैतिक मामला है। वैद्य जी ने हमारे चेयरमैन को उस दिन डिसमिस कर दिया। आपने कहा था कि मोरल टर्पिट्यूड का मामला पेंडिंग है। वह मामला कल हाई कोर्ट से खारिज हो गया है। आज भी मंशा राम जी के बारे में प्रश्न उठाया था। केवल इनिशिएट हुआ था। आपने कहा कि ४०९ का केस है और सस्पेंड कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज मंगल पांडेय---

श्री बंशीधर पांडेय खुद ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने सेट एसाइड कर दिया। इससे जाहिर है कि जल्दबाजी में लांछन लग जाते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं आपको उदाहरण देता हूं, वकालत नहीं करता हूं। मान्यवर, मुझे तकलीफ होती है जब इस प्रकार की बातें शासन के किसी मन्त्री के प्रति इस सदन में बराबर होती हैं। उस दिन भी मैंने कहा था और जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि आपने अपने सेक्रेटरी की राय क्यों नहीं मांगी? मैंने उस दिन भी कहा था कि रोडवेज के मामले में उस विभाग के सेक्रेटरी ने विरोध किया था लेकिन फिर भी श्री बलराम सिंह ने उस पर आर्डर कर दिया। और वह एक नजीर हो गई। खैर, मैं उस बात में नहीं जाता। लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक इतना ग्लेयरिंग उदाहरण है, १०० रुपये के स्टाम्प पर यह लिखा गया जैसा कि मेरे साथियों ने कहा--- और इसके लिये भी हमारे आचार्य जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। जो कुछ भी वे कहें लेकिन नैतिक रूप से श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब कि एक रेल दुर्घटना हुई थी, सब के मना करने पर भी यह कह कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि चूंकि मैं रेल मन्त्री हूं इसलिए इस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी मेरी है। इसी तरह से मैं निवेदन करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि नैतिक रूप से मन्त्री जी को अपने पद से इस्तीफी देने के लिए कह दें।

श्री रघुनाथ सिंह---

१०० रुपये का स्टाम्प आपने देखा भी है?

श्री बंशीधर पांडेय---

मालूम होता है कि आप लाबी में चले गये थे और मेरी बात को आपने सुना नहीं। आप श्री वीरेन्द्र वर्मा जी से बात कर लेंगे, वे आपको समझा देंगे। मैंने तो यह कहा था कि मेरे साथियों ने ऐसा कहा। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो इस तरह की चीजें होती हैं वे साबित नहीं हुआ करतीं। मैंने देखा है कि मेरे जिले में एक मजिस्ट्रेट ने एक पंचायत इंसपेक्टर को रंगे हाथ घूस लेते हुये पकड़ा। मैं उस वक्त पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था, पंचायत राज में। जब वह मामला अदालत में गया तो डी० वाई० एस० पी० और एस० डी० एम० के होते हुए भी वह कोर्ट से छूट गया। मैं आचार्य जी और श्री राज मंगल पान्डे जी से भी कहता हूं कि जब इस तरह के मामले हो जायं तो इस हाउस में आती हैं। और खुद श्री उमादत्त शर्मा जी ने कहा कि कृपा करके श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने इस प्रकार की बातें कह कर मेरे सार्वजनिक जीवन को उज्जवल करने की बात कर दी।

मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन को क्या कानून बनाता है? अगर व्यक्तिगत बात होती, मिनिस्टर न होते तो अदालत में जाकर उसके खिलाफ दावा दायर करके रिमिडी ले सकते थे। अब चूंकि मिनिस्टर हैं, अदालत में कैसे चले जायं। ये मानी हुई बात है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसलिये यह प्रश्न विचारणीय है कि या तो आप किसी जज को नियुक्त करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा उन्होंने उस दिन कहा था कि ये तो निर्दोष हैं, अगर आज सारी चीजों को देख कर वे अपना यह फैसला देते और कह देते कि वे निर्दोष हैं तो वह ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बजाय इसके उसी दिन उस केस के लिये उन्होंने इनको निर्दोष करार दिया।

यह सदन भी एक न्यायालय के रूप में है, यहां भी विशेषाधिकार समिति है, उसके सुपुर्द ही इस प्रश्न को करने का तय कर दें तो किसी को कोई आपत्ति न होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जनतंत्र में से जनता का विश्वास हट जायेगा। जहां तक सार्वजनिक जीवन की बात है, चाहें इधर के बैठे सदस्य हों, चाहे उधर के बैठे सदस्य हों, अगर मैं आचार्य जी के लिये ही कुछ कहूं कि जब वे इधर बैठते थे तो मंत्रियों के सम्बन्ध में उन्होंने क्या कहा है, उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन वे यही कहेंगे कि चूंकि मैं आपका दल छोड़कर चला आया इसलिये आप मेरे लिये ऐसी बात कहते हैं। अगर मैं उधर बैठा रहता तो आप ऐसी बात न कहते। इसलिये मैं कुछ नहीं कहता लेकिन अपनी सलाह देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जितनी जल्दी हो सके इन मंत्री जी से छुट्टी प्राप्त कर लें ताकि मंत्रियों के सार्वजनिक जीवन की पवित्रता बनी रहे। फिर आप इसकी गम्भीरता से जांच करें वरना इसी तरह से सारी बातें छोड़ दी गयीं तो शायद आगे चल कर रोजाना इस तरह की बातें सदन में आवेंगी। तो सारा जन-जीवन सोचेगा कि मंत्री महोदय सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हैं तो मेरी अपील है कि आप इस कार्यक्रम को करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो अपने विचार व्यक्त किये इस इशू पर और जो उन्होंने राज्य मंत्री जी की संस्तुति इस मामले में पढ़ी उन दोनों से हमारा काम बहुत हल्का हो गया है। बहुत अच्छा होता यदि वह उस चिट्ठी को भी पढ़ दें जो विधायक ने मुख्य मंत्री जी को दी थी और जिसमें लिखा था कि १० लाख रुपया इस भूमि की बोली होगी और ७ लाख रुपया वह स्वयं देने को तैयार हैं। मान्यवर, गलत समझ कर ही स्वायत्त शासन मंत्री जी ने राज्य मंत्री जी के आदेश निरस्त किये थे और जब आधा नीलाम हो चुका तो १७ तारीख को पुनः राज्य मंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यह संस्तुति कराई कि नये बोर्ड के जरिये इस भूमि पट्टों यहां की व्यवस्था हो, स्वायत्त शासन मंत्री को फिर आदेश देना पड़े कि जो कि २५ तारीख को नीलाम कराया जाय।

मान्यवर, जहां तक उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की बात कही है मैं इस सिलसिले में माननीय सदस्यों के सामने केवल यही कहना चाहता हूं कि सन् १९५२ में और सन् १९६२ में वह ६, ६ वर्ष के लिये कांग्रेस से निकाले गये थे। जहां तक इस सदन में इस मामले को उठाये जाने की आपत्ति की है तो क्या अखबारों में ही हम निकलवाते रहें जिस सरकार से सम्बन्धित यह मामला है उसके लिये क्या हम अपनी जिम्मेदारी सदन में अदा न करें। यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। मान्यवर, जनतंत्र फल फूल नहीं सकता यदि हमारे सार्वजनिक जीवन में पवित्रता नहीं है। यदि मंत्री जी सार्वजनिक जीवन में अपवित्र हैं तो कैसे यहां सार्वजनिक जीवन में पवित्रता लायी जा सकती है और जनतंत्र दृढ़ हो सकता है। मान्यवर, मैं एक बात और इस सिलसिले में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

अब समय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

मेरा समय तो काट कर आपने दूसरों को दे दिया।

मान्यवर, मंत्रियों की यह हालत है कि वह कितने भ्रष्ट हैं, फिर भी आचार्य जी ने कह दिया कि कमजोर केस लेकर खड़े हो गये और वीरेन्द्र वर्मा को तथ्यों की जानकारी नहीं थी।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

सन् ,३ में पट्टा जो हुआ, उसके तीन पट्टेदार थे और सूरजभान गर्ग भी एक थे, वह बकायादार थे, इसलिये सन् ६६ में उन्होंने अपने साले के नाम पट्टा बदलाया। वह बकायादार थे। मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर...

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर मंत्री भ्रष्ट है—मैं स्पष्टीकरण दूंगा—अगर मंत्री भ्रष्ट हो तो आप तवक्को करेंगे कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी पवित्र रह सकते हैं और क्या आप का एडमिनिस्ट्रेशन एफीशिएन्सी के साथ चल सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में कुशलता आ सकती है? यह बात कह कर, मान्यवर, मैं पुनः जितने भी शब्द मेरे पास हैं। मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक जांच आयोग बैठाल दें। उमादत्त जी ने कहा कि यदि ठोस प्रमाण दिये गये तो उन्हें २० साल की सजा दी जाये, सजा कौन देगा यह अलग बात है। जहां तक ठोस प्रमाण की बात है तो उसके लिए हम तैयार हैं एक आयोग बैठाल दें जैसा कि भारत सरकार ने और दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने बैठाये हैं। अगर वे निर्दोष हैं तो आयोग के सामने साबित हो जायगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैं इस विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी शान्ति से इस चर्चा में भाग लिया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया था इस सलेज फार्म को लेने के लिए और जिनकी संस्तुति राज्य मंत्री ने की थी उनमें उनका न कोई निकट का और न ही दूर का सम्बन्धी था। ३१ मई को जो प्रार्थना-पत्र गाजियाबाद के व्यक्तियों ने सलेज फार्म को लेने के लिए उनके पास दिया था उस पर नोट सचिव को भेजा और यहां से प्रशासक को यह आदेश दिया गया कि यदि नगरपालिका चाहे तो यह पट्टा आगामी वर्ष के लिये इन्हें दे सकती है। यह आदेश जाने के उपरान्त भी यहां सचिव से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि नियम के अनुसार इसको नीलाम होना चाहिए। यहां से तुरन्त यह आदेश दिया गया और यह सिद्धान्त और नीत अपनायी जाय कि इसका नीलाम हो। श्रीमन् जब इसके लिये उन्हें लिखा गया तो वहां के व्यक्तियों ने दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फार्म नगरपालिका का है और नगर-पालिका को अधिकार है कि वह उसका नीलाम करे और इसलिए जब नव निर्वाचित नगरपालिका का गठन हो जाय तब इसका नीलाम किया जाय। श्रीमन्, फिर दुबारा राज्य मंत्री जी ने सचिव को लिखा कि यह नगरपालिका का फार्म है और उसे नीलाम करना है तो नव निर्वाचित नगरपालिका को अवसर दिया जाय। दोनों नोट जो उन्होंने भेजे उनमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि इतनी धनराशि पर पट्टा दे दिया जाय या इस प्रकार से दिया जाय। उनमें स्पष्ट यह उल्लेख है कि कहीं कोई कानूनी बाधा हो तो सूचित किया जाय। श्रीमन्, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह न्यायसंगत हुई है। जो कार्य किया गया है वह अवैधानिक नहीं है। आप सन्देह नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान होने पर) माननीय सदस्यगण इस पर गम्भीरता से विचार करें और उनकी नीयत पर सन्देह न करें। (व्यवधान) माननीय उमादत्त जी इसमें निर्दोष हैं। श्रीमन्, मुझे यही निवेदन करना है।

नगरपालिका गाजियाबाद, मेरठ की सलेज की 300 बीघे भूमि को लाला सूरजभान को पट्टे पर दिये जाने तथा गाजियाबाद–दिल्ली रूट पर मोटर बस के एक परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम सोमवार के ११ बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ८ बजकर १२ मिनट पर सोमवार २३ अगस्त, १९७१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० अगस्त, १९७१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

नया बाजार, लखनऊ में वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में हुई हानि का विवरण

वर्ष	हानि
	रु०
1968-69 ..	5,61,607
1969-70 ..	2,96,923
1970-71 (अनुमानित)	3,00,000
योग ..	11,58,530

उपरोक्त बाजार में वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में जनता द्वारा खरीदे गये शेयर्स का विवरण निम्न प्रकार है :—

1968-69	120
1969-70	60
1970-71	शून्य
योग ..	180

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

दी गई सहायता का विवरण

बाढ़ केन्द्रों का नाम	नकद	गल्ला	माचिस	नमक	तेल	मिट्टी	किराया नाव	मजदूरी मल्लाह	किराया गैस
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०	रु०	रु०
1—कोटवा धाम	..	..	..	..	..		160	172	..
2—रानीमऊ	500	..	..	..	..		80	104	11
3—टांडा पानापुर	100	..	..	..	..		..	..	5
4—चिर्रा	..	150	4	80	25		54	60	9
		कि० ग्रा०	दर्जन	कि०ग्रा०	लीटर				
		कीमत 120	3.40	14	15.25				
योग ..	600	120	3.40	14	16.25		294	336	25

कुल .. 1,408 रु० 65 नये गैसे

इसके अलावा पूरे तहसील में निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

		रु०
गृह निर्माण तथा मरम्मत हेतु	..	2,25,000
अहेतुक सहायता ..	..	13,591.35
प्रकीर्ण व्यय	..	2,400/

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 146 एल० ए०—1972—845।